खण्ड-286, अंक-8
गुरूवार, 26 अग्रहायण, शक संवत् 1892
(17 दिसम्बर, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 286 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १७ दिसम्बर, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य (३९९)

अजब्बसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णाकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन , श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह,श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री

ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिबेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुवंर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायदण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री

प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली , श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला बाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री(जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबानसिंह, श्री
मनेजरसिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मो० महमूदअली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री

राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपूर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालता प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपु)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री

शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर ,डाक्टर
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्यामसूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्री निवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सतार अहमद, श्री
सन्तराम , श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम,, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहरबख्श सिंह, राजा
हरि दत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—मुख्य मंत्री, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह तथा वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १७ दिसम्बर, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में महानगर स्थित सरकारी क्वार्टर्स की मरम्मत न होना

**१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ में महानगर स्थित सरकारी क्वार्टर्स की हालत हाल की वर्षा के कारण अधिक दयनीय हो गई है, उनके प्लास्टर इत्यादि गिर रहे हैं जिसके कारण वहां के निवासियों की जानमाल का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या तात्कालिक प्रबन्ध किया है ? क्या यह सही है कि उक्त क्वार्टरों की समय पर मरम्मत नहीं कराई गई और निरन्तर वर्षा से क्वार्टरों को खतरनाक स्थिति में बताते हुये इन्जीनियर्स उनके निवासियों से क्वार्टर खाली करने को कह रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)—

१—जी नहीं, सबकी नहीं, केवल एक क्वार्टर में अधिक एवं लगातार वर्षा के कारण प्लास्टर गिरने की सूचना मिली थी जिसकी मरम्मत करा दी गई है।

२—जी नहीं, सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत प्रत्येक वर्ष कराई जाती है। निरन्तर वर्षा से छत से प्लास्टर गिरने के कारण उक्त एक क्वार्टर के अध्यासी के हित में ही उनसे क्वार्टर खाली करने के लिये अनुरोध किया गया था परन्तु बाद में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मरम्मत कराई गई थी वह कब कराई गई थी ? कोई तारीख महीना उसका है ?

श्री रामधारी शास्त्री—

उसकी तारीख तो इस वक्त मालूम नहीं है लेकिन जो सज्जन उस क्वार्टर में रहते थे उनकी यह चिट्ठी मेरे पास दिसम्बर की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे क्वार्टर को मरम्मत हो गई है।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि इन क्वार्टर्स की हर वर्ष मरम्मत कराई जाती है तो क्या वह पिछले २ वर्षों का मरम्मत व्यय बतायेंगे ?

श्री रामधारी शास्त्री—

सन् ६९ में इन क्वार्टर्स, रसोईघर, गुसलखानों, बरामदों और स्टोर्स आदि की मरम्मत पर १५,६०० रुपए की स्वीकृति हुई थी और उससे मरम्मत करा दी गई और इस वर्ष भी विभाग ने ५६ हजार रुपए का एस्टीमेट भेजा है और उस की स्वीकृति के बाद मरम्मत, जो आवश्यक होगी, करा दी जायगी।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये क्वार्टर्स कब बनाये गये थे ?

श्री रामधारी शास्त्री--

यें क्वार्टर्स २ किस्तों में बने थे, प्रारम्भ में सन् ५८ से ६१ तक बने और दूसरी श्रेणी सन् ६४ से ६७ के बीच में बने ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन क्वार्टर्स के बनने में कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री रामधारी शास्त्री--

इस के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन क्वार्टर्स की कितनी संख्या है और उन का प्रतिमास प्रति क्वार्टर किराया क्या है ?

श्री रामधारी शास्त्री--

ये क्वार्टर्स 'क', 'ख' और 'ग' ३ श्रेणियों के हैं, 'क' की संख्या ६, 'ख' की संख्या ९४ और 'ग' की संख्या १०१ है, कुल योग २०१ है। किराये के तौर पर कर्मचारी के वेतन का दस प्रतिशत या जो स्टैंडर्ड किराया है उन दोनों में जो कम हो वह लिया जाता है ।

श्री राजित राम पांडय (जिला इलाहाबाद)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन कमरों की छत गिर पड़ी थी उनकी मुद्दत क्या है और वे कितने साल के बने हुये हैं ?

श्री रामधारी शास्त्री--

श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि कुछ क्वार्टर्स ५८-६१ के बीच और कुछ ६४-६७ के बीच बने थे ।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर ऐसी कितनी वारदातें हुयी हैं जिनमें छत के गिरने से बच्चों के चोटें आयी हैं ?

श्री रामधारी शास्त्री--

श्रीमन्, सरकार की दृष्टि में ऐसी कोई बारदात नहीं आयी । जो शिकायत आयी थी, उसका मैंने उत्तर दे दिया है ।

नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

जिनके बारे में शिकायत आयी हैं, वे क्वार्टर्स कब के बने हुए हैं ५८ से ६१ के बीच के या ६४ से ६७ के बीच के ?

श्री रामधारी शास्त्री--

पहली किश्त के ही बने हुए हैं ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार उस इन्जीनियर को ब्लैक लिस्ट करने की कृपा करेगी जिसने ये क्वार्टर्स बनवाये थे और १२ साल में ही गिरने लगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राजितराम पांडेय---

जो क्वार्टर्स गिर गये,जिनकी बहुत कम तादाद है वे कैसे गिर गये और सरकार उन कर्मचारियों के विरुद्ध अर्थात् जो उस समय इन्जीनियर या ओवरसियर थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमें या कोई इन्क्वायरी चला रही है ?

श्री रामधारी शास्त्री---

मैंने यह नहीं कहा कि क्वार्टर्स गिर गये। मैंने केवल यह कहा था कि प्लास्टर गिर गया जिसे ठीक कर दिया गया है।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)---

जो छत या प्लास्टर गिर गया है, उसमें इनके गिरने के क्या कारण थे और उसकी जिम्मेदारी किस की थी ?

श्री रामधारी शास्त्री---

माह सितम्बर में अत्यधिक वर्षा के कारण एक दो जगह ऐसी कठिनाई हुयी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मंत्री जी ने कहा कि सरकारी क्वार्टर्स की मरम्मत प्रति वर्ष होती है। जैसा कि सभी को मालूम है प्रतिवर्ष मरम्मत नहीं होती केवल कागजों में दिखा दिया जाता है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करवायेंगे कि यह बात इसलिए हुयी है कि केवल कागज में तो दिखा दिया गया लेकिन मौके पर खर्च नहीं किया गया ?

श्री रामधारी शास्त्री---

माननीय सदस्य की बात को ध्यान में रखकर उसी तरह से कार्यवाही की जायगी।

राज्य कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग का गठन

**२---श्री रामगोपाल संड, श्री महरसिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

क्या राज्य सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह राज्य कर्मचारियों के लिये कोई वेतन आयोग गठित करने जा रही है, यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम राहत भी देगी ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री रामसिंह खन्ना)---

राज्य कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग गठित करने का कोई विचार इस समय [illegible] के विचाराधीन नहीं है। राज्य कर्मचारियों की अन्तरिम सहायता का संबंध संसाधनों से है जिस पर विचार हो रहा है।

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे, जो उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि इन्टेरिम सहायता का सम्बन्ध संसाधनों से है जिन पर विचार किया जा रहा है, तो वे संसाधन कौन-से हैं और उन पर कब तक विचार कर लिया जायगा ?

श्री रामसिंह खन्ना---

सारे संसाधनों को देखते हुए जितना भी ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है, उस पर विचार करेंगे और जल्द से जल्द विचार करेंगे।

श्री महरम सिंह—

इस बात को देखते हुए कि केन्द्रीय कर्मचारियों, प्रदेशीय कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और जिला परिषद् के कर्मचारियों के वेतनों में काफी अन्तर हो चुका है और उनके परिश्रम, उनकी आवश्यकताओं और जीवन उपभोग की वस्तुयें भी बराबर की हैं, और केन्द्रीय कर्मचारियों के समय-समय पर वेतन के बढ़ने से प्रदेश में अनेक प्रकार की महंगाई बढ़ जाती है तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर तुरन्त विचार करेगी कि एक वेतन आयोग गठित हो जो उनकी इन समस्याओं का तुरन्त निराकरण कर सके ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

आयोग के गठित करने पर अभी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि २२ तारीख को सभी कर्मचारियों ने आन्दोलन करने का निश्चय किया है अपने उत्तर पर पुनः विचार करके राज्य कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी सुविधाओं पर विचार करने के लिए सरकार वेतन आयोग गठित करने पर विचार करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश (वित्त मंत्री)—

जहां तक सरकारी कर्मचारियों की सुविधा का सम्बन्ध है वे सरकार के कर्मचारी हैं, उसका कार्य करते हैं। उनकी सुविधाओं पर सरकार को विचार करना चाहिये, सरकार विचार करती है। लेकिन जहां तक उनक आन्दोलन का सम्बन्ध है, क्योंकि वे कोई आन्दोलन करना चाहते हैं इस वजह से उस पर विचार किया जाय, यह कोई महत्वपूर्ण-बात नहीं है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, बार बार अन्य प्रदेशों में जब कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि होती है और बार बार यह सवाल उठाया जाता है कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनुसार ही मंहगाई भत्ता दिया जाय और प्रति वर्ष जो कास्ट आफ लिविंग बढ़ती जाती है उसको देखते हुए अन्तरिम सहायता जल्द से जल्द घोषित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

माननीय सदस्य ने उत्तर सुना होगा। कठिनाई और कुछ नहीं है। संसाधनों पर विचार कर रहे हैं क्योंकि अन्तरिम सहायता संसाधनों द्वारा ही दी जा सकती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

अभी कुछ दिन हुये एक प्रश्न के उत्तर में स्वशासन मंत्री ने कहा था कि पे कमीशन की नियुक्ति के बारे में सरकार शीघ्र ही सहानुभूतिपूर्ण विचार करने जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका उत्तर सही है या जो उत्तर दिया जा रहा है वह सही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन्, स्वशासन मंत्री ने क्या कहा, अखबार में क्या छपा है उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने विभागीय दृष्टि से और शासन की दृष्टि से उत्तर दिया है।

श्री रामगोपाल संड—

वित्त मंत्री जी ने अभी अभी कहा कि सरकारी कर्मचारी आन्दोलन करेंगे तो सरकार उनके आन्दोलन से नहीं डरती है। मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन फिर भी कर्मचारियों ने ऐसा प्रस्ताव पास किया.....

श्री अध्यक्ष—

आपने यह कहा कि सरकार कर्मचारियों क आन्दोलन से नहीं डरती है। उन्होंने यह शब्द नहीं कहा।

श्री रामगोपाल संड—

मेरे सुनने में भ्रम हो गया होगा। क्या सरकार को पता है कि कर्मचारियों का कोई आन्दोलन आज १७ ता० से ३१ दिसम्बर तक चलने वाला है ? क्या यह भी पता है कि वे १५ जनवरी को कैजुअल लीव लेंगे ? क्या सरकार उसके पहले ही अन्तरिम सहायता की घोषणा कर देगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—

औपचारिक रूप से कोई पता नहीं है। अखबार की खबरें निकलती ही रहती हैं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय वित्त मंत्री ने पिछले उत्तर में कहा कि स्वशासन मंत्री के उत्तर के बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन मंत्रि परिषद् की ज्वाइन्ट रिस्पान्सिबिलिटी होने के आधार पर माननीय वित्त मंत्री का यह उत्तर कहां तक उचित है ? स्वशासन मंत्री ने यह कैसे कहा ? इस पर आप अपनी व्यवस्था तो दे दीजिये। यह तो गड़बड़ मामला है।

श्री अध्यक्ष—

कोई गड़बड़ मामला नहीं है। एक मंत्री कहीं जाकर क्या कहता है और प्रेस में क्या छपता है इसका सबको अनुभव है।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय नारायण दत्त तिवारी ने सदन के अन्दर कहा कि यह सवाल उठाया है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि सब मंत्री नहीं जानते है कि किसी मंत्री मे कहीं अन्यत्र भाषण में क्या कहा था।

श्री रियासत हुसैन—

ज्वाइन्ट रिस्पान्सिबिलिटी में मंत्री लोग कहें तो उनका तालमेल होना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

(व्यवधान)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं लगातार प्रश्नों के लिये ३–३, ४–४ बार खड़ा होता हूं। आपने मुझे एक भी प्रश्न नहीं करने दिया। मैं आप की व्यवस्था चाहूंगा कि क्या आपने कोई ऐसा नियम बना लिया है कि आप मुझे बोलने का अवसर नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, जिस पर मेरी दृष्टि पड़ती है मैं उसे बुलाता हूं।

तारांकित प्रश्न

जिला अल्मोड़ा के ग्राम पनरगांव आदि की भूमि पर अवैध कब्जा

*१--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतावेंगे कि जिला अल्मोड़ा में तहसील रानीखेत, पट्टी पल्ला आठा गुली के ग्राम पनरगांव आदि की कितनी बंजर भूमि सार्वजनिक स्थानों की व्यक्तिगत लोगों ने आबाद कर ली है ? क्या इस बेजा आबादी को रोकने का कोई प्रबन्ध सरकार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री इन्द्रलाल--

अब तक सूचना एकत्र न होने के कारण क्या हैं और कब तक यह सूचना एकत्र हो जायगी ?

श्री दीपनारायण मणि--

श्रीमन्, सूचना तो आई है, मगर वह अधूरी है। कहें तो जितनी आयी है वह दे दूं।

श्री इन्द्रलाल--

वही दे दीजिये ?

श्री दीपनारायण मणि--

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा ने यह सूचित किया है कि ७ व्यक्तियों ने ३८ नाली भूमि सार्वजनिक स्थानों की अनधिकृत रूप से कब्जा कर ली है और उस पर नाजायज तरीके से आबाद हो गये हैं। नाजायज कब्जों को हटाने की दिशा में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है और अदालत में २७ दिसम्बर, १९७० को उसकी सुनवाई की जायेगी। इतनी सूचना मिली है।

श्री इन्द्रलाल--

और सूचना कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

श्री दीपनारायण मणि--

अतिरिक्त सूचना शीघ्र एकत्र की जा रही है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पर्वतीय जिले तिब्बत से मिले हुए हैं, वहां पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने "भूमि छीनों" जैसा आन्दोलन शुरू कर रखा है और खास कर साम्यवादी दल ने ऐसी कार्यवाही की है ?

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

जी हां, ऐसा आन्दोलन चल रहा है साम्यवादी दल द्वारा, मंत्री जी नहीं, तो मैं उत्तर दे रहा हूं, चल रहा है और चलेगा।

श्री दीपनारायण मणि--

इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री इन्द्रलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों ने वहां पर नाजायज तौर पर भूमि पर कब्जा कर रखा है, वे भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं या सम्भ्रान्त परिवार के लोग हैं ?

श्री दीपनारायण मणि—

मैंने पहले कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है और माननीय सदस्य के इस आश्वासन पर कि अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे, मैंने उत्तर दिया था, अब इसके बाद भी वे अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिये मैं उनका उत्तर देने में असमर्थ हूं।

जिला चमोली में गोहना ताल तथा मोहनखाल–पोखरी और पोखरी–नन्द प्रयाग तक मोटर मार्ग का निर्माण

*२—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतावेंगे कि जनपद चमोली में अवस्थित जगत विख्यात गोहना जलाशय तक मोटर मार्ग कब तक बन जावेगा ? अब तक इस पर कितना रुपया और कितना समय लगा है और अब शेष निर्माण-कार्य पर कितना समय लगेगा ?

मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध उप मंत्री (श्रीमती इन्द्रमोहिनी)—

गोहना से गोहना ताल तक जीप मार्ग के निर्माण की योजना शासन द्वारा अन्तिम रूप से सितम्बर, १९६९ में स्वीकृत की गई। योजना के विस्तृत आगणन बनने के पश्चात् कार्य आरम्भ किया ही जाने वाला था कि जुलाई २०-२१, १९७० की रात्रि को चमोली जिले में अत्यधिक वर्षा होने के कारण गोहना ताल बिल्कुल नष्ट हो गया। अतः अब वहां तक जीप/मोटर मार्ग बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उक्त मार्ग के निर्माण पर अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया।

*३—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतलायेंगे कि उसी जनपद चमोली में चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये स्वीकृत मोहनखाल–पोखरी और पोखरी–नन्दप्रयाग मोटर मार्ग का निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

मोहनखाल–पोखरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष १९७१–७२ में आरम्भ किया जायगा। पोखरी-नन्दप्रयाग मोटर मार्ग का अभी सर्वेक्षण किया जा रहा है, सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् प्रारम्भिक आगणन बनाये जायेंगे जिसके शासन द्वारा स्वीकृत होने के बाद ही कार्य आरम्भ किया जायगा। इस मार्ग पर कार्य आरम्भ करने की कोई निश्चित तिथि बताना अभी सम्भव नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, प्रश्न २ का संबंध उस रोड से है जिसका नाम पिरही–गौना रोड है। अब जैसा कि मंत्री जी ने बताया गोहना जलाशय नष्ट हो चुका है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह रोड गौना ग्राम तक बनेगी या नहीं ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

गौना तक तो सड़क बनी हुई है।

श्री नरेन्द्र सिंह —

वहां तक नहीं बनी हुई है, मेरी सूचना को सही मानकर आप उसकी जांच करवायें।

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

इसको मालूम कर लिया जाएगा।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया वह वहां के रहने वाले हैं और उन्हें वहां की स्थिति का सही ज्ञान है जिसे उन्होंने बताया है अब जो सूचना सरकारी पक्ष से आ रही है कि सड़क बन रही है जबकि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नहीं बनी है। तो सदन को ऐसी गलत सूचना देने के विषय में आप अपनी व्यवस्था दें ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने उसका सही जवाब दे दिया कि वह इंक्वायरी करा लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इस बात को देखते हुए कि यह मोटर रोड केवल गौहना जलाशय तक ही नहीं प्रस्तावित है बल्कि सीमान्त क्षेत्र को जाती है, क्या सरकार गौहना गांव के आगे तक जो सड़क स्वीकृत है वह बनवायेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा (विद्युत् मंत्री)—

गौहना आठ मील है। साढ़े सात मील तक सड़क बनी हुई है। पुल वगैरह नहीं बना था। गौहना गांव तालाब तक सड़क बनाने की बात थी। तालाब रहा नहीं। वहां तक सड़क बनाने से कोई उपयोग होगा नहीं। जहां तक गांव गौहना की बात है सड़क बनायी जा रही है। सात मील से ज्यादा बन गयी है। बाकी बन जायगी। यह बात जरूर है कि वर्षा में सड़क कई जगह टूट गयी।

श्री गोविन्दसिंह—

क्या माननीय मंत्री को विदित है कि पोखरी नन्दप्रयाग मार्ग पर नन्दप्रयाग में बाढ़ के कारण पुल बनना असम्भव हो गया है ? क्या इस मार्ग के बजाय पोखरी गोपेश्वर मार्ग बनाने पर विचार करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना नहीं है। आपने सलाह दी है। आपकी नेक सलाह को दिखवा लेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मोहनखाल–पोखरी मोटर मार्ग निर्माण के लिये प्रशासकीय स्वीकृति कब गयी थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

दिसम्बर, १९६५ में। लेकिन कई कारणों से आगे चल नहीं सका।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

क्या यह सही नहीं है कि उत्तराखण्ड सीमान्त क्षेत्र के लिए सरकार ने वित्तीय नियम कुछ ढीले किये हैं और प्रारम्भिक आगणन में ३३ प्रतिशत काम बिना डिटेल्ड एस्टीमेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल हो जाता है, क्या सरकार सारे पर्वतीय क्षेत्र के लिए सभी प्रस्तावित मोटर सड़कों के निर्माण के लिए फाइनेन्शियल हैंडबुक के सम्बन्धित नियमों को उसी प्रकार ढीला कर देगी जिस प्रकार उत्तराखंड में किया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जब तक पहली सड़क न बन जाय आगे की सड़क बनती नहीं। प्रश्न जो आपने किया है वह आगे का हिस्सा है। पहली सड़क बन जाय उसके बाद आगे बनेगी। इस बात की जरूर आवश्यकता है कि नियमों में कुछ थोड़ी सी शिथिलाई की जाय। उसको देख लेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह—

आज ही प्रश्न संख्या ८० का जवाब मिला है। इसी से सम्बन्धित है। उसमें मान नीय मुख्य मन्त्री ने कहा है कि इस सड़क को प्रशासकीय स्वीकृति ९ दिसम्बर, १९७० को दे दी गयी है। मैं पूछना चाहता हूं कि ९ दिसम्बर, १९७० को प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है तो निर्माण कार्य तत्काल शुरू क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

असल में स्वीकृति तो चली गयी। यह बात सही है। मेरे पास भी है। लेकिन इसके लिए वित्तीय दृष्टि से यह आवश्यक है कि इसको बजट में ले आयें। जो नया बजट आयेगा उसमें ले आयेंगे। उसके लिए फिर रुपया दे दिया जायगा। स्वीकृति चली गयी थी ताकि सर्वे का काम शुरू कर दें और जब वित्तीय सैंक्शन मिल जायगी तो आगे काम चलाएंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार ने एक ही सड़क को प्रशासकीय स्वीकृति के बारे में भिन्न भिन्न, परस्पर विरोधी उत्तर दिये हैं, प्रश्न संख्या ८० में और ३ में, एक साथ एक ही विभाग ने अलग अलग उत्तर दिये हैं। इसकी जांच कराएं कि वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

दोनों सवालों के जवाब एक ही हैं। आपको थोड़ा भ्रम हो गया है। हमने जो जवाब दिये हैं दोनों एक ही हैं। सिर्फ यह है कि स्वीकृति चली गयी कि सर्वेक्षण करो। जब रुपया मिल जायगा तब काम शुरू हो जायगा।

जिला खीरी के जंगल में इन्दिरानगर ग्राम का बसाना

*४—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला लखीमपुर–खीरी में जंगलों में एक गांव इन्दिरा-पुर बसाया गया है जहां नक्सलपंथियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उस गांव में सरकारी अधिकारी भी प्रवेश नहीं कर सकते ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)—

जिला खीरी के पैड़िया जंगल में नैपाल से आये विस्थापित भारतीय नागरिकों ने पड़ाव डाल रक्खा है जिसे व इन्दिरानगर कहते हैं। यहां पर नक्सलपंथियों को प्रशिक्षण देने की कोई सूचना नहीं है। यह सही नहीं है कि इन्दिरानगर में कोई सरकारी अधिकारी प्रवेश नहीं कर सकता।

कानपुर में रोशनिंग समाप्ति के पश्चात् सचिवालय के सहायकों को खपाना

*५—श्री शिवप्रसाद पाण्डेया (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि शासनादेश संख्या ए–१४/२०–ई—१–१९६५, दिनांक अप्रैल, १९६८ द्वारा सचिवालय के सहायकों को कानपुर की

सम्पूर्ण राशनिंग संगठन से सचिवालय में पुनः बुलाया गया था ? यदि हां, तो उन्हें अभी तक यात्रा भत्ता न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या इन सहायकों को अनुमति उनसे खाद्य विभाग के राशनिंग संगठन, कानपुर से सचिवालय पुनः लौट जाने के बारे में मालूम की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

जी हां, इन्हें सेवा में बनाये रखने के लिये सचिवालय में पुनः ले लिया गया है। यात्रा भत्ता इसलिये नहीं दिया गया कि इनकी यात्रा न तो जनहित में थी और न ही कानपुर से इनका तबादला हुआ था। वापस आने के लिये इनकी अनुमति मालूम करना आवश्यक नहीं समझा गया था क्योंकि यदि इन्हें वापस न लिया जाता तो यह सरकारी सेवा से निकाल दिये जाते।

श्री शिवप्रसाद पांडिया—

कितने कर्मचारी कानपुर गये थे ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

३७ कर्मचारी गये थे।

श्री शिवप्रसाद पांडिया—

क्या यात्रा भत्ता जाते समय दिया गया था ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

जी, नहीं दिया गया था।

श्री शिवप्रसाद पांडिया—

मुझे मालूम है कि उन्हें यात्रा भत्ता दिया गया है। तो वापस आने पर क्यों नहीं दिया गया है ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

यह कानपुर ड्यूटी पर गये थे, इसलिये इन्हें भत्ते का सवाल पैदा नहीं हुआ था।

श्री शिवप्रसाद पांडिया—

इन्हें कब आदेश दिया गया कि कानपुर से चले जाओ ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

इसकी तारीख तो सरकार के पास नहीं है। सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब आदेश वापस बुलाने के गये थे तो उनसे कहा गया था कि आप को वहां एब्जार्ब करने के लिये बुलाया जा रहा है, ताकि सेवायें समाप्त न हो जावें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

कुछ आदमी सचिवालय में सरप्लस हो गये, वह नौकरी से निकाल दिये जाते, इसलिये उनको कानपुर की राशनिंग स्कीम में भेज दिया गया। अब स्कीम खत्म हो गई है तो उनको यहां वापस बुला लिया गया, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं चाहती थी कि उनको निकाल दिया जावे, इसलिये सचिवालय में वापस बुला लिया और काम पर लगा लिया। इस कारण इन लोगों को भत्ता नहीं दिया गया है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

यह ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने जब कर्मचारियों को वहां से बुलाया तो वह सरकारी कर्मचारी थे और सरकारी कार्य के लिए बुलाये गये थे, तो क्या सरकार उनको फिर भत्ता देने पर विचार करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यहां बुलाया गया, यही मेहरबानी की गई ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो ३७ कर्मचारी आपने सरप्लस करके वापस बुलाये उनमें अधिकतर आपने एब्जार्ब कर दिए हैं, और उसी महकमें में एब्जार्ब कर दिए हैं, लेकिन ५, ७ कर्मचारी अब भी ऐसे हैं कि जिनकी नियुक्ति नहीं हो पायी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जहां भेजे गये थे वह महकमा तो टूट गया । अब कोशिश यह है कि जो सरप्लस हैं उनको निकालने के बजाय एब्जार्ब कर लें । अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नौकरी नहीं दी तो उनकी सूचना नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

३७ आदमी वहां से डिपार्टमेंट टूटने पर वापस बुलाए गए । उनमें से अधिकतर को आपने फूड ऐन्ड सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट में सीनियर इन्सपेक्टर की पोस्टस पर एब्जार्ब कर दिया लेकिन ७ आदमी रोक रखे हैं जिन्हें अपारचुनिटी नहीं दे रहे हैं ।

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

३१ को जगह दे दी है लेकिन ३ लोअर डिवीजन और ३ टाइपिस्ट की जगह नहीं लेना चाहते थे ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या उनका यह तहरीरी है कि नहीं जाना चाहते ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

जी हां । यही सूचना है कि वह नहीं रहना चाहते ।

श्री रियासत हुसैन—

मंत्री जी ने इसमें भ्रम पैदा कर दिया यह कह कर कि वह नहीं जाना चाहते । वे लोग तो लड़ रहे हैं कि हमको हमारे महकमे में जैसे और लोगों को एब्जार्ब करके भेजा है, भेजें । आप कहते हैं कि वह जाना नहीं चाहते ।

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

सरकार को उनकी तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली ।

जिला प्रतापगढ़ में ग्रामों का विद्युतीकरण

*६—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में मार्च, सन् ७० तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष में कितने गांवों में बिजली दी जायेगी ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)---

प्रतापगढ़ जनपद में मार्च, १९७० तक १०४ ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया। चालू वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में प्रतापगढ़ जनपद के मियां का पुरवा, पुराना कुंडा, शीतलमऊ तथा बमनपुर ग्राम में बिजली लगाने का प्रस्ताव है।

*७---श्री जयराम यादव---

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड पट्टी, जिला प्रतापगढ़ के पूर्वी भाग में बिजली की कोई लाइन अभी तक नहीं बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में बिजली की लाइनें बनाने हेतु जनता द्वारा जुलाई, सन् ७० तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

जी हां, प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड पट्टी के पूर्वी भाग में बिजली की कोई लाइन अभी तक नहीं बनाई गई है। उक्त क्षेत्र के २१ व्यक्तियों ने विकास खण्ड अधिकारी के पास अपने प्रार्थना-पत्र प्रेषित किए हैं। इन प्रार्थना-पत्रों पर उपभोक्ताओं द्वारा विभागीय औपचारिकताओं की पूर्ति (२५ रु० अग्रिम धनराशि जमा करना, अनुबन्ध करना इत्यादि) के पश्चात्, बिजली देने की ओर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री जयराम यादव---

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरी जानकारी और जांच के आधार पर केवल ५४ गांवों की विद्युतीकरण किया है जब कि सरकारी फाइल में १०४ की सूचना है। तो मेरी सूचना को सही मानकर क्या वे इसकी जांच करवायेंगे?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

अगर ऐसी कोई शिकायत है तो लिख कर दे दें। मेरे पास जो सूचना है वह मैंने बतला दी।

श्री जयराम यादव---

यह सूचना तो मैं सदन में दे रहा हूं कि ५४ गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

श्री अध्यक्ष---

आप उनको लिखकर दे दें तो वह इन्क्वायरी करा लेंगे।

श्री रामप्रसाद देशमुख---

अगर आपके पास गांवों की ऐसी कोई लिस्ट है कि उनमें विद्युतीकरण नहीं हुआ और हमने जो लिस्ट दी है उनमें उनका नाम है तो वह हमें दे दें, हम उनकी जांच करा लेंगे।

श्री देवकीनन्दन विभव---

क्या माननीय मंत्री जी के पास यह सूचना है कि जिन गांवों में यह बिजली की लाइनें डाली हैं वहां कितने कनेक्शन रोशनी के लिए और कितने कनेक्शन उद्योग के लिए है?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

यह तो इन्होंने पूछा नहीं है।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गांवों के विद्युतीकरण का आधार क्या बनाया गया है?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

पहले पंचायतों के जरिये था अब यह कर दिया है कि उसी गांव में बिजली देंगे जहां से १५ परसेंट बिजली का रिटर्न निकल आय ।

श्री राजितराम पांडेय---

मान्यवर, वहां पर बड़ा भ्रष्टाचार है बिजली में इसलिए जांच करवाने की कृपा करें ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

भ्रष्टाचार जहां कहीं भी होगा उसको हम देखेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करवाने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में विद्युतीकरण किया जाता है उसमें पूरा गांव न लेकर केवल २, ४ या १० घरों का ही विद्युतीकरण कर दिया गया है और यह कह दिया गया है कि पूरे गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया है । मेरा प्रश्न यही है कि आप इस बात की जांच करवायेंगे कि गांव के किस हिस्से में वह हुआ है अथवा केवल २, ४ घरों में यह करके छोड़ दिया गया है और यह कह दिया गया कि पूरे गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

जहां भी गांव में कोई बिजली लेता है हम उनको वह देते हैं । कम से कम तीन व्यक्तियों को एक खम्भे पर लेना जरूरी है तब हम इसको देते हैं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

माननीय मंत्री क्या इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के अन्दर जैसे कि हरियाणा ने किया है कि पूरे प्रदेश में हर गांव में बिजली दी जायेगी क्या इसी प्रकार से हमारी प्रदेशीय सरकार का भी गांवों में बिजली देने की व्यवस्था करने का विचार है, अथवा इस प्रकार की उनकी कोई योजना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

हम तो पूरे प्रदेश के लिए ही इस प्रकार की योजना को चाहते हैं । जितना खर्चा आप देंगे हम उसको करते जायेंगे ।

श्री जयराम यादव---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले के कई विधायकों ने १४ मई, १९७० को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें १० किलोमीटर की कोई लाइन बनाने के लिये प्रार्थना की गई है विकास खण्ड में ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

विकास खण्ड को दिया है परन्तु वह अभी तक यहां नहीं आया है । अगर वह भेज देंगे तो उनकी स्वीकृति दे दी जायेंगी ।

श्री जयराम यादव---

पिछली सरकार में जो माननीय विद्युत मंत्री जी थे उनको वे प्रार्थना-पत्र देकर आए थे । इस बात की आपको भी जानकारी होगी ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

लिस्ट को ब्लाक अधिकारी को दिया है। अगर आ जायेगा तो हम उनको स्वीकृति दे देंगे।

श्री इन्द्रलाल---

मान्यवर, जहां तक कि रूरल इलेक्ट्रोफिकेशन का सवाल है उसमें सरकार ने कौन-सी नीति अपनाने का निर्णय किया है ? एक ट्रांसफार्मर पर कितने घरों को कम से कम बिजली दी जाय। क्या इस पर मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जहां जैसी आवश्यकता होती है वहीं उतने ही की किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ५ किलोवाट से ढाई लाख किलोवाट तक ट्रांसफार्मर हाता है। अगर छोटी जगह होती है तो छोटा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है और अगर बड़ी जगह है तो बड़े ट्रांसफार्मर की आवश्यकता रहती है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लगाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं और उनके प्रार्थना-पत्रों पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

वे प्रार्थना-पत्र हमारे पास नहीं हैं न उनकी कोई सूचना है। हमारी जो स्कीम है वह है आसपुरा से देवसरा से राजा की बाजार तक---७ किलोमीटर, (२) उपरोक्त लाइन को दादरी के पास ही आफ करके सीतापुर होते हुए ग्राम धामरी तक---४ किलोमीटर, (३) आसापुरा-देवसरा से पट्टी तक। जब यह लाइन बन जायेंगी तब फिर छोटी छोटी लाइनें बनेंगी।

*८---श्री गया प्रसाद---

[३रे शुक्रवार के प्रश्न संख्या ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सहायक चकबन्दी अधिकारी, देवकली, जिला शाहजहांपुर के कार्यालय में हुये अग्निकांड की जांच

*९---श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि जून, ७० में ए० सी० ओ० कार्यालय, दिउकली, तहसील, पुवायां, जिला शाहजहांपुर में आग लगा दी गई जिसके फलस्वरूप पूरे सर्किल का सारा रिकार्ड जल कर राख हो गया ? यदि हां, तो आग किसने लगाई तथा आग लगाने के कारण क्या थे ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---

जिला शाहजहांपुर की तहसील पुवायां के सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय देवकली में ९-१० जून, १९७० को रात्रि में आग लगी थी। परन्तु आग के परिणामस्वरूप उक्त क्षेत्र का सारा अभिलेख नहीं जला था। आग किसने और क्यों लगाई इ सकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

*१०---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या राजस्व मंत्री जी को जो आग देवकली कार्यलय में लगाई गई, उसमें ग्राम गहिलइया व बरीबरा आदि कुछ ऐसे ग्रामों का रिकार्ड भी शामिल है जिसमें हजारों एकड़ भूमि वन विभाग

से ग्राम समाज को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या आग लगने की इन्क्वायरी, सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री दीपनारायण मणि—

ग्राम गहिलुइया, सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र देवकली में नहीं है । उस ग्राम के समस्त अभिलेख सुरक्षित हैं । ग्राम बरीबरा के अभिलेख जल गये हैं । उसमें वन विभाग से कोई भूमि ग्राम समाज को प्राप्त नहीं हुई है । सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने का इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कौन-कौन से ग्राम के रिकार्ड पूर्णतया जल गये हैं ?

श्री दीपनारायण मणि—

जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार १७–१८ गांव के रिकार्ड जल गये हैं और कुछ के बच गये हैं । मेरे पास इसकी फेहरिस्त है और बड़ी लम्बी है और आज्ञा हो तो उसको सुना दूं । अगर उचित समझें तो माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में चले आवें और देख लें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

अध्यक्ष महोदय, यह आग जून में लगी थी और आज दिसम्बर हो गया—६ महीने हो गये और अभी तक पुलिस ने रिपोर्ट नहीं भेजी । क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आग लगाई गई है और जो रिकार्ड नष्ट किये गये हैं, उसको देखते हुए सी० आई० डी० की जांच तुरन्त कराने के आदेश देंगे ?

श्री दीपनारायण मणि—

९ , १० तारीख को आग लगी थी । १० तारीख को चकबन्दी अधिकारी ने तुरन्त जांच के आदेश दिये और पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई । दोनों की जांच से कोई परिणाम नहीं निकला और कोई निश्चित स्वरूप सामने नहीं आया । इसलिए इसकी जांच के पुनः आदेश दे दिये गए हैं और यह इसकी जांच कर रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि २३ गांव के रिकार्ड जल गये हैं जिसमें हजारों एकड़ भूमि का सवाल है । जनहित में इसकी आवश्यकता को देखते हुए क्या सी० आई० डी० की जांच माननीय मंत्री जी कराने की कृपा करेंगे जिससे भ्रष्टाचार न हो ?

श्री दीपनारायण मणि—

अभी इसकी जांच अधूरी है । जिलाधीश अगर इसकी रिपोर्ट देंगे कि सी० आई० डी० की जांच कराना जरूरी है तो कराई जा सकती है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, इसमें जिलाधीश क्या करेगा ? सी० आई० डी० के जांच के आदेश माननीय मत्री जी दें ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने आदेश दे दिये हैं, पुलिस की जांच हो रही है ।

श्री रामकुमार शास्त्री---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो रिकार्ड जल गये हैं तो क्या उनका ब्यौरा तैयार किया गया है कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण रिकार्ड जल गये हैं और उसके कारण उनका काम तो बन्द नहीं हो गया है ?

श्री दीपनारायण मणि---

मान्यवर, रिकार्ड की जो सूची है उसमें महत्वपूर्ण रिकार्ड नहीं जले हैं ।

श्री रामकुमार शास्त्री---

ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मैं माननीय मंत्री के उत्तर को सुन सकूं और मुझे संतोष हो सके ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री, जरा जोर से बोलें ताकि माननीय सदस्य को सुनाई दे ।

श्री दीपनारायण मणि---

मेरे पास सूची है कौन-कौन से कागज जले हैं । मैंने निवेदन किया था कि १७ गांव के रिकार्ड जले हैं जिनका कुछ हिस्सा बाकी रह गया है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

सी० आई० डी० से पुनः जांच कराने का क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष---

सी० आई० डी० ने कोई जांच नहीं की । पुलिस ही जांच कर रही है ।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)---

पुनः जांच कराने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री दीपनारायण मणि---

महत्वपूर्ण कागज जले हैं लिहाजा शासन को चिन्ता हुई कि सही स्थिति सामने आ जाय, कैसे यह नुक्सान हुआ ।

लिहाजा पुलिस को दुबारा कहा गया कि स्थिति ठीक बतलाई जाय । पुलिस असफल रहेगी तो सी० आई० डी० के द्वारा भी जांच होगी, लेकिन अभी तक पुलिस की जांच ही पूरी नहीं हुई ।

श्री देवकीनन्दन विभव---

क्या कोई ऐसी सूचना मिली है कि इस आग लगाने में तहसील के कर्मचारी भी सम्मिलित थे ?

श्री दीपनारायण मणि---

जी नहीं ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

जब सारा रिकार्ड वहां का जल गया तो सी० आई० डी० से इन्क्वायरी कराने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बतला दिया कि फिलहाल सी० आई० डी० की जरूरत नहीं है ।

*११-१२—श्री शेरसिंह दानू—

[३रे गुरुवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी तथा गोरखपुर मंडलों के आयुक्त द्वारा स्वीकृत, अस्वीकृत व रिमाण्ड की गई सरकारी कर्मचारियों की अपीलें

*१३—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद, लखनऊ, बनारस और गोरखपुर मण्डलों के वर्तमान आयुक्तों ने पृथक-पृथक १ सितम्बर, १९६९ से ३० जून, १९७० तक सरकारी कर्मचारियों की कितनी अपीलें स्वीकार, कितनी अस्वीकार और कितनी रिमाण्ड की ?

श्री दीपनारायण मणि—

सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९७१ पर)

श्री रामलाल राही—

जो सूचना दी गई है उसमें बतलाया गया है स्वीकृत की गई अपीलों की संख्या तथा अस्वीकृत की गई अपीलों की संख्या तो अस्वीकृत के मानी अंतिम आदेश से हैं अथवा एडमिट की गई है ?

श्री दीपनारायण मणि—

अंतिम आदेश होने के बाद ही अस्वीकृत की गई है ।

श्री रामलाल राही—

चारों मण्डल आयुक्त जो हैं उनके यहां निर्धारित समय में कितनी अपीलें आई हैं ?

श्री दीपनारायण मणि—

संलग्न सूची में पूरा विवरण दिया हुआ है ।

श्री रामलाल राही—

मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वीकृत तथा अस्वीकृत कुल कितनी अपीलें दाखिल हुई ?

श्री अध्यक्ष—

इसका तो पता नहीं लग सकता क्योंकि यह आपका एक नया सवाल है ।

श्री रामलाल राही—

मान्यवर, मैंने यह सवाल किया है कि कुल कितनी अपीलें आई हैं । जैसे कि उन्होंने बतलाया कि फैजाबाद में ५ स्वीकार हुई और अस्वीकार एक भी नहीं तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि वहां पर केवल ५ ही अपीलें आईं थीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपको पहले ही स्पष्ट प्रश्न करना चाहिए था कि कुल कितनी अपीलें आई थीं और उनमें से कितनी स्वीकार हुई, कितनी अस्वीकार हुई और कितनी रिमाण्ड हुई । तो

आपको इसे उसी प्रश्न में बढ़ा देना चाहिए था। आपने जो सवाल किया है उसमें आपने यह पूछा है कि कितनी अपीलें कर्मचारियों की स्वीकार हुईं, कितनी अस्वीकार हुईं और कितनी रिमाण्ड हुई हैं।

श्री रामलाल राही--

मान्यवर, जितनी कुल अपीलें आयीं थीं उसमें से जितनी स्वीकार हुई हैं तभी तो यह पता चल सकेगा कि अब इतनी अपीलें पेंडिंग में हैं ?

श्री अध्यक्ष--

तो, यह आपको पहले ही कहना चाहिए था.... (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फनगर)--

मान्यवर, आप तो उनसे एक ही प्रश्न पर बहस करने लगते हैं। अब केवल ५ मिनट का समय प्रश्नोंत्तर का रह गया है और तमाम इम्पार्टेंट प्रश्न रह जाते हैं...

जिला मुरादाबाद के संग्रह विभाग के लिपिकों का कलेक्ट्रेट में स्थानान्तरण

*१४--श्री नौनिहाल सिंह--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि जिला मुरादाबाद के संग्रह विभाग के लिपिक वर्ग का विलय कलक्ट्रेट के रेगुलर पदों पर राजस्व परिषद् के विभिन्न आदेशों के अनुसार कर दिया गया है ?

श्री दीपनारायण मणि--

जी हां। केवल संयुक्त ज्येष्ठता सूची को अंतिम रूप देना शेष है। उसे आपत्तियों के लिए प्रकाशित कर दिया गया है।

श्री नौनिहाल सिंह--

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह विलय का आदेश कब हुआ और अभी तक इस विलय के अनुसार कितने कर्मचारी रेगुलर पदों पर स्थानान्तरित हुए हैं और कितने संग्रह विभाग में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं ?

श्री दीपनारायण मणि--

मान्यवर, जहां तक विलय का सवाल है वह चीज तो उसमें है किन्तु जितने कर्मचारी स्थानान्तरित किये गये हैं इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। १ मार्च, १९५६ के पहले यह व्यवस्था थी कि कलेक्टोरेट के अलग कर्मचारी थे और कलेक्शन के अलग थे। सन् १९६९ में यह आदेश हो गया कि इन दोनों को सम्मिलित सूची बना दी जाय। वह सूची हाल ही में प्रकाशित कर दी गई है।

श्री नौनिहाल सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह ज्येष्ठता सूची प्रकाशित करने के लिये कब दी गई है और कब इसको अंतिम रूप दिया जायगा ?

श्री दीपनारायण मणि--

५ दिसम्बर, १९७० को यह सूची प्रकाशित कर दी गई है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सूची आपने प्रकाशित की है उसके अनुसार जो तबादले हुए हैं मुरादाबाद जिले में, वह केवल प्रकाशित ही की गई या वास्तव में तबादले कर दिये गये हैं ?

श्री दीपनारायण मणि--

जो सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार १० कर्मचारियों का स्थानान्तरण बताया जा रहा है।

*१५--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[२ रे शुक्रवार के प्र० सं० २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१६--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[३ रे शुक्रवार के प्र० सं० ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१७--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन--

[२ रे शुक्रवार के प्र० सं० ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१८--श्री राम लाल राही--

[३रे शुक्रवार के प्र० सं० ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ हाइडिल डिवीजन में तीन वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारी

*१९--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ डिवीजन में कितने कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें तीन साल से अधिक इसी डिवीजन में काम करते हुये हो गये हैं ? क्या यह सही है कि अधिकतर लाइन इंस्पेक्टर, जिला मेरठ के ही निवासी हैं ?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

मेरठ अनुरक्षण खण्ड, (हाइडिल डिवीजन) में ५४१ कर्मचारी तथा २ अधिकारी ऐसे हैं जिनका कार्यकाल ३ वर्ष से अधिक है।

२१ लाइन इन्सपेक्टरों में से ८ मेरठ जनपद के निवासी हैं ।

प्रदेश में ट्रान्सफार्मरों की चोरी रोकने का उपाय

*२०--श्री मंजूर अहमद--

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामों में ट्रांसफार्मरों की बढ़ती हुई चोरी को रोकने के लिये क्या सरकार एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा कर अलग से देख-रेख करने की स्कीम पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

जी नहीं, ऐसी कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है । अतः निर्णय लिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मंजूर अहमद--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो अधिकारी, आपने बतलाये हैं, ३ साल से अधिक हैं उनका पद और नाम क्या है?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

उनके नाम तो इस समय मेरे पास नहीं हैं । लेकिन उनमें एक अधिशासी अभियन्ता हैं, २ सहायक अभियन्ता हैं तथा और भी नीचे के लोग हैं ।

श्री मंजूर अहमद---

मैं माननीय मन्त्री जी स जानना चाहता हूं कि वहां पर उन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को लगभग ४ साल मेरठ में ही हो गये हैं और उनके खिलाफ माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री जी के पास शिकायतों की फाइल भी मौजूद है, लेकिन फिर भी उनको वहां से क्यों नहीं हटाया गया है?

श्री आन्तिप्रपन्न शर्मा---

इसके लिये सूचना चाहिये, लेकिन यह बात जरूर है कि यह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ४ वर्ष से वहां हैं। अगर आप चाहेंगे तो उनका नाम भी मगा दिया जायगा। उनके खिलाफ शिकायत हैं, इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या सरकार के कोई इस प्रकार के नियम हैं कि एक व्यक्ति को किसी स्थान पर कितने दिनों रहना चाहिये?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

साधारणत: सरकार के इस बारे में नियम हैं। लेकिन यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास चला गया है। वे अपने नियमों का पालन करते हैं। उनके नियमों के अनुसार भी साधारणत: ३ साल तक एक आफिसर को रहना चाहिये लेकिन असाधारण परिस्थितियों में ज्यादा भी रखा जा सकता है। छोटे कर्मचारियों का साधारणत: ट्रांसफर नहीं किया जाता। हर एक श्रेणी के लिये अलग-अलग नियम हैं।

श्री मंजूर अहमद---

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उस एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के बारे में लगातार समाचार पत्रों में निकला कि लाखों रुपये का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। जनता की ओर से भी दरख्वास्तें दी गयीं। तबादला भी उनका कई बार हो चुका है लेकिन फिर रुक जाता है। क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मैंने कहा कि इसके लिये मुझे नोटिस चाहिये। आप तो मेरे मित्र हैं आपने भी आज से पहले मुझ से इसके बारे में नहीं कहा।

*२१---श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा---

[३रे शुक्रवार के प्र० सं० ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

* २-२३---श्री कृष्ण स्वरूप---

[मन्त्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*२४---श्री दर्लसिंगार---

[४थे शुक्रवार के प्र० सं० २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२५-२६---श्री श्याम लाल---

[४थे शुक्रवार के प्र० सं० २३-२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोट:---तारांकित प्र० सं० २० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*२७—श्री गोविन्द सिंह—

[३रे शुक्रवार के प्र० सं० ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिविल सचिवालय में भर्ती हुये टाइपिस्ट तथा उनमें अस्थायी की संख्या

*२८—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी लखनऊ स्थित सिविल सचिवालय में जुलाई, १९६१ तक नियुक्त टाइपिस्टों में से कितने अभी भी अस्थायी हैं ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

जुलाई, १९६१ तक नियुक्त टाइपिस्टों में से ४२ टाइपिस्ट अभी अस्थायी हैं ।

*२९—श्री सियाराम—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६६ से लेकर जून, १९७० तक कुल कितने टाइपिस्टों की भर्ती सचिवालय में की गई है?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

सन् १९६६ से लेकर १९७० तक २४४ टाइपिस्टों को सचिवालय में तदर्थ रूप से भर्ती किया गया है ।

*३०—श्री नौनिहाल सिंह, श्री राजेश्वर सिंह तथा श्री शौनाथ सिंह—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३१—श्री इन्द्रमणि—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३२—श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री रामकरन तथा श्री राजित राम पाण्डेय—

[५वें शुक्रवर के प्र० सं० ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला बुलन्दशहर में अणु शक्ति केन्द्र की स्थापना

*३३—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ) तथा श्री राम चन्द्र विकल—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में अणुशक्ति केन्द्र स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सी भूमि केन्द्रीय सरकार को दी जायगी ? यह अणु शक्ति केन्द्र कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जहां तक शासन को ज्ञात है भारत सरकार ने अभी केवल एक अणु शक्ति केन्द्र उत्तरी क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय किया है । उत्तर प्रदेश में जो सम्भावित उपयुक्त स्थान प्रस्तावित है जिला बुलन्दशहर उनमें से एक है । अतः वहां की किसी भूमि को केन्द्रीय सरकार को अभी देने का प्रश्न नहीं उठता ।

अणुशक्ति केन्द्र स्थापित होने में ६ या ७ वर्ष का समय लग जाने की आशा है ।

जिला फैजाबाद की तहसील, टाण्डा में रिकार्ड आपरेशन के विषय में शिकायतें

*३४—श्री रामकरन (जिला गोरखपुर) तथा श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६७-६८ में फैजाबाद जिले की टाण्डा तहसील से संबंधित गांव के रिकार्ड आपरेशन में हुए घोर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध

में ३० जुलाई, १९६९, ६ अक्तूबर, १९६९ व ४ दिसम्बर, १९६९ को कुछ विधायकों के द्वारा लिखित शिकायत मुख्य मन्त्री तथा राजस्व मन्त्री को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

राजस्व मन्त्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)—

फैजाबाद जिले की टाण्डा तहसील में किये जा रहे रिकार्ड आपरेशन के बारे में ३० जुलाई, १९६९ का एक पत्र प्राप्त हुआ था। उस पत्र द्वारा कुछ गांवों के रिकार्ड आपरेशनों को रद्द कर दिये जाने का अनुरोध किया गया था। लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं पायी गई।

६ अक्तूबर, १९६९ का कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ था। एक पत्र ४ अक्तूबर, १९६९ का प्राप्त हुआ था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि गांव देवारा गंग बरार का रिकार्ड बस्ती जिले को भिजवा दिया जाय। इस गांव के रिकार्ड जिलाधिकारी बस्ती को भेज दिये गये थे।

दिसम्बर ४, १९६९ का एक शिकायती-पत्र श्री सुखपाल पाण्डे, एम० एल० ए०, तथा श्री राम मिलन सिंह, एम० एल० सी० से प्राप्त हुआ था जिसमें श्री पी०एन० राय, असिस्टेन्ट रिकार्ड आफिसर, फैजाबाद के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायत की गयी थी। इसी प्रकार की शिकायत श्री राम मिलन सिंह, एम० एल० सी० द्वारा अक्तूबर, १९६९ को भी की गयी थी जिस पर सेटिलमेन्ट कमिश्नर द्वारा स्वयं जांच की गयी थी और उन्होंने सहायक अभिलेख अधिकारी के कार्य में कोई अनियमितता नहीं पायी थी और भ्रष्टाचार की शिकायतें निराधार पाई गयीं।

जिला गोरखपुर के ग्राम चिउटहा-बसावनपुर में बंजर भूमि पर अवैध कब्जा

*३५— श्री दुलारे लाल (जिला उन्नाव)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के तहसील बांसगांव, भौवापार परगने के ग्राम चिउटहा-बसावनपुर में कितने एकड़ बन्जर भूमि दिनांक १ जनवरी, १९६९ से जून सन् १९७० तक की अवधि में कितने लोगों में वितरित की गई है?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

१ जनवरी, १९६९ से जून १९७० तक प्रश्नगत ग्राम में कोई भूमि वितरित नहीं की गई।

*३६—श्री दुलारे लाल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त बन्जर भूमि पर कुछ लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो इसको समाप्त करने के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जी हां।

(ख) नाजायज कब्जेदारानों को बेदखल किया जा चुका है।

जिला अल्मोड़ा के ग्राम बासुली सेरा में श्री बद्रीनाथ गूंठ मंदिर समिति की भूमि

*३७—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जिला अल्मोड़ा, तहसील रानी खेत, पट्टी पल्ला अट्ठागुल्ली बासुली सेरा मध्य श्री बद्रीनाथ गूंठ, मन्दिर समिति की कितनी भूमि है तथा उसका कितना सालाना लगान वसूल होता है?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

दिनांक १-७-६६ से कुमाऊं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के पश्चात् ग्राम बांसुली, सेरा पट्टी, पल्ला, अट्ठागुल्ली, तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा में श्री बद्रीनाथ गूंठ मन्दिर समिति की ९.४४ एकड़ अर्थात् १८८ १४/१६ नाली भूमि भूमिधारी के रूप में दर्ज है जिसकी वार्षिक मालगुजारी रु० ४.४२ पैसे है।

*३८--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सरकार का इरादा है कि उपरोक्त भूमि को श्री बद्रीनाथ मन्दिर समिति से अपने लेखों में ले लें ? यदि हां, तो कब से ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

जी नहीं।

*३९--श्री गोविन्द सिंह--

[३रे शुक्रवार के प्र०[सं० ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४०-४१--श्री रियासत हुसैन--

[३रे शुक्रवार के प्र० सं० ५२-५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में आई० ए० एस० महिला अधिकारियों को नियुक्त न करने की मांग

*४२--श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री रामचन्द्र विकल--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या उन्होंने केन्द्र को एक पत्र लिखा है कि महिलाओं को प्रशासकीय पदों के लिये न चुना जाय ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह--

जी नहीं। परन्तु जून, १९७० में राज्य शासन द्वारा भारत सरकार को एक पत्र भेजा गया था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि महिला अधिकारियों को आई० ए० एस० में न लिया जाय और यदि संभव न हो तो कम से कम ऐसे अधिकारियों को इस प्रदेश में न भेजें।

नेपाल से लगे सीमावर्ती जिलों में नक्सलपंथियों की घुसपैठ

*४३--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार को पता है कि प्रदेश के कई सरहदी जिलों में जिनकी सीमा नेपाल से मिलती है गत दो मास से नक्सलपंथियों की भयानक घुसपैठ हो गई है जिससे प्रदेश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो इस विषय में परिस्थिति से निपटने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह--

नेपाल से लगे हुए सरहदी जिलों में गत दो मास से नक्सलपंथियों की घुसपैठ की कोई ऐसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिससे प्रदेश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया हो। केवल एक घटना सितम्बर, १९७० के दूसरे सप्ताह में हुई है जिसमें नेपाल से चोरी से माओ साहित्य लाते हुए गोरखपुर जिले में ३ व्यक्ति पकड़े गये और काफी मात्रा में माओ साहित्य बरामद हुआ है। सरकार ऐसी गतिविधियों के प्रति सतर्क है और आवश्यकतानुसार कार्यवाही करती है।

देहरादून जिले में भू–उपग्रह केन्द्र की स्थापना

*४४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मन्त्री को केन्द्रीय सरकार से गत सप्ताह कोई चिट्ठी मिली है जिसमें भू-उपग्रह केन्द्र के लिये हरिद्वार और देहरादून के बीच में जमीन की व्यवस्था करने को कहा है? यदि हां, तो चिटठी क्या है और इस भू-उपग्रह केन्द्र से प्रदेश को क्या लाभ होगा?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

केन्द्रीय सरकार से मुख्य मंत्री जी को संबोधित हरिद्वार और देहरादून के बीच में भू-उपग्रह केन्द्र की स्थापना के संबंध में कोई पत्र उपलब्ध नहीं हुआ। परन्तु देहरादून जिले के लच्छीवाला ब्लाक में एक भू-उपग्रह केन्द्र स्थापित करने के लिये भारत सरकार ने भूमि की मांग की है। इस पर शासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस केन्द्र की स्थापना के लिये ८८ एकड़ भूमि की आवश्यकता प्रस्तुत की गई है जिसमें से १० एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है। शेष भूमि की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार दिये जाने के मामले पर कार्यवाही में हुई प्रगति के आधार पर विचार किया जा सकेगा। इस भू-उपग्रह में विदेशों से Tele Cmmunication Service की स्थापना होगी। इस समय यह अनुमान लगाया जाता है कि इस योजना पर लगभग ८ करोड़ रुपये से अधिक व्यय होगा। इतनी लागत से बनने वाली योजना से उस क्षेत्र का विकास होना स्वाभाविक है। स्थानीय लोगों को रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होने की आशा की जा सकती है और इस योजना के कार्यान्वियन के लिये नियुक्त कर्मचारियों की उपस्थिति के कारण स्थानीय व्यवसाय में विस्तार होना संभव है।

जिला फतेहपुर के खागा व किशुनपुर निर्वाचन क्षेत्रों में बिजली

*४५– श्री विजयबहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के खागा व किशुनपुर निर्वाचन क्षेत्र में कितने मील बिजली की लाइनें अब तक पहुंचाई जा चुकी हैं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जिला फतेहपुर के खागा निर्वाचन क्षेत्र में ३३,००० वोल्ट की १४.५ किलोमीटर व ११,००० वोल्ट की ४०.३८५ कि० मी० तथा किशुनपुर निर्वाचन क्षेत्र में ११,००० वोल्ट की १०.०० कि० मी० लम्बी लाइनें अब तक पहुंचाई जा चुकी हैं।

जिला पिथौरागढ में भीषण वर्षा से हानि

*४६—श्री गोपालदत्त (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि दिनांक १६, २०, २१ जुलाई, १६७० की भीषण वर्षा से पिथौरागढ़ जिले में कितने पुल बहे, कितने मकान गिरे एवं कितने मनुष्यों की मृत्यु हुई? तथा इस प्रकार पीड़ित जनता को सरकार ने क्या-क्या राहत प्रदान की?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

हां, १६–२१ जुलाई, १६७० को हुई भीषण वर्षा से पिथौरागढ़ जिले में ८ पुल बह गये, ३७ मनुष्यों की मृत्यु हुई एवं २२८ मकान गिर पड़े। पीड़ितों के लिये शासन द्वारा अब तक अहेतुक सहायता एवं गृह निर्माण अनुदान के लिये १,०४,००० रु० तकावी के लिये ३२,००० रुपये एवं निभिन्न खर्चों के लिये ५०० रुपये स्वीकृत किये गये हैं। प्रधान मन्त्री के राष्ट्रीय सहायता कोष से भी १५,००० रुपये दिये गये हैं।

*४७--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[५वें शुक्रवार के प्र० सं० ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रति एकड़ चकबन्दी व्यय में वृद्धि

*४८--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार बतायेगी कि राज सरकार ने प्रति एकड़ चकबन्दी व्यय बढ़ा दिया है ? यदि हां, तो कब से, कितना और क्यों ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

जी हां। १ जनवरी, १९६९ से चकबन्दी की प्रति एकड़ व्यय को रु० ७.१० से बढ़ाकर रु० १२.८० प्रति एकड़ कर दिया गया है। इस वृद्धि का मुख्य कारण योजना का अधिकतर पूर्वी क्षेत्रों में प्रसार तथा कर्मचारियों के वेतन एवं मंहगाई के कारण भत्तों में समय समय पर की गयी बढ़ोत्तरी है।

इलाहाबाद मण्डल में अपीलों के निर्णय हेतु अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति

*४९--श्री विजय बहादुर सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मण्डल (कमिश्नरी) में २ वर्ष से अधिक की कितनी अपीलें विचाराधीन हैं और उनके इतने समय तक निर्णय न हो सकने का क्या कारण हैं ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

इलाहाबाद मंडल में २ वर्ष से अधिक विचाराधीन अपीलों की संख्या ६१४ है। कार्याधिक्य के कारण विलम्ब है।

*५०--श्री विजयबहादुर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री उक्त अपीलों के शीघ्र निर्णय हेतु अतिरिक्त पीठाधिकारी नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

दिनांक ११ मई, १९७० से एक द्वितीय अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है।

*५१--श्री राम सिंह तथा श्री जगदीश नारायण सिन्हा--

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५२--श्री रामसिंह--

[३रे सोमवार के प्र० सं० ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५३--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[५वें शुक्रवार के प्र० सं० ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५४-५५--श्री राजित राम पाण्डेय, श्री सुखपाल पाण्डय तथा श्री रामदेव--

[पुनरावृति के कारण निरस्त]

जिला गोंडा के ग्राम पसका का विद्युतीकरण न होना

*५६—श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला गोन्डा के अन्तर्गत ब्लाक परसपुर तक बिजली पहुंच गयी है परन्तु परसपुर से लगे ५ मील पर ग्राम पसका तक, जो आर० एम० पी० सड़क पर स्थित है, बिजली नहीं पहुंचाई गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इस गांव तक बिजली लगवाने की व्यवस्था शीघ्र करेगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, गोन्डा जनपद के अन्तर्गत ब्लाक परसपुर तक बिजली पहुंच गयी है परन्तु ग्राम पसका का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है।

उपरोक्त ग्राम में बिजली लगाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

*५७—श्री कल्यान सिंह—

[याचिका समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*५८—श्री कल्यान सिंह—

[पुनरावृति के कारण निरस्त]

*५९—श्री शेरसिंह दानू—

[२रे बुधवार के प्र० सं० ६५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*६०—श्री श्याम लाल—

[५वें शुक्रवार के प्र० सं० ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य कर्मचारियों हेतु व्हिटले कौंसिल का गठन

*६१—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों के लिये व्हिटले कौंसिल गठित करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

शासन द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये विभागीय कर्मचारी परिषदों तथा एक उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी परिषद् को स्थापित करने की स्कीम को दिनांक अप्रैल १०, १९७० को निर्गत किया जा चुका है। इन कर्मचारी-परिषदों के गठन एवं संचालन से सम्बन्धित उचित कार्यवाही भी शासन द्वारा की जा रही है। आशा है कि वे शीघ्र स्थापित हो जायगीं।

जिला रायबरेली के ग्राम गहरौली में भूमि अभिलेखों में गड़बड़ी

*६२—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसे ग्राम गहरौली, परगना सरेनी, तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली के किसानों के हस्ताक्षर युक्त दिनांक २७ जुलाई, १९७० को भेजा हुआ कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें उन लोगों ने उक्त क्षेत्र के भूमि अभिलेखों में गड़बड़ियों की शिकायत करते हुये पंचसाला बन्दोबस्त करने और जब तक पंचसाला बन्दोबस्त न हो जाय उस समय तक ११५ सी० एच० की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की है? यदि हां, तो सरकार क्या यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जी हां। प्रार्थना-पत्र को जिलाधिकारी रायबरेली को इस आदेश के साथ भेज दिया गया है कि जांच करा के सम्बन्धित ग्राम के काश्तकारों के विवादों के निपटारे के लिये उचित कार्यवाही करें।

*६३-६४—श्री बल सिंगार—

[३रे गुरुवार के लिये स्थगित]

*६५—श्री राम बचन यादव—

[मन्त्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

जिला मैजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधीक्षकों का स्थानान्तरण

*६६—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९७० से २० जुलाई, १९७० तक कितने जिलाधिकारियों एवं पुलिस कप्तानों के स्थानान्तरण किये गये हैं?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९७२-९७३पर)

जिला कानपुर की डेरापुर तहसील में भूमि वितरण

*६७—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत मार्च, सन् १९६९ से १५ अगस्त, सन् १९७० तक कुल कितनी भूमि के पट्टे भूमिहीनों को किये गये हैं उसमें से हरिजनों, पिछड़ी जातियों तथा अन्य को अलग-अलग कितनी-कितनी भूमि के कितने-कितने पट्टे किये गये हैं और पट्टा करने को अभी कितना रकबा शेष है? क्या यह सही है कि अब भी हजारों एकड़ भूमि कृषि योग्य पड़ी हुई है? यदि हां, तो इसकी खेती के लिये भूमिहीनों को न दिलाने का क्या कारण है?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

मार्च, १९६९ से १५ अगस्त, १९७० तक प्रश्नगत तहसील के अन्तर्गत ९,६३८ एकड़ भूमि के पट्टे भूमिहीनों को किये गये। किये गये पट्टों का ब्योरा निम्न है :—

	किये गये पट्टों की संख्या	किये गये पट्टों के अन्तर्गत भूमि का रकबा
		एकड़
१—भूमिहीन हरिजनों को	२,७८५	५,५९४
२—पिछड़ी जातियों के भूमिहीनों को	१,३२७	३,२७९
३—अन्य भूमिहीनों को	३९२	७६५

४,३५४ एकड़ भूमि शेष है जो ऊसर रेह है। यह बात सही नहीं है कि कृषि योग्य हजारों एकड़ भूमि पड़ी हुई है।

नैनीताल जिले में नक्सलपंथियों की गतिविधियां

*६८—श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री रामकरन तथा श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के तराई में नक्सलपंथी लोगों की गतिविधियों को रोकने के लिये कोई सुझाव मई सन् १९७० में जिला अधिकारी, नैनीताल द्वारा शासन को भेजा गया है? यदि हां, तो रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद शासन की तरफ से उसके अनुसार कार्यवाही की गई या नहीं ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

इस विषय में समुचित कार्यवाही की जा रही है परन्तु उसका विवरण देना जनहित में न होगा।

*६९—श्री कल्पनाथ सिंह—

[मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

झांसी हाइडिल डिवीजन में एस० डी० ओ० के ट्रान्सफर को स्थगित करना

*७०—श्री उमानाथ सिंह—

क्या बिजली मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी हाईडिल डिवीजन में काम करने वाले ऐसे कितने एस० डी० ओ० हैं जिनका स्थानान्तरण वर्ष १९७०–७१ में किया गया तथा? पुनः स्थगित कर दिया गया था तथा उनके स्थानान्तरण करने का कारण क्या था? तथा पुनः क्यों स्थगित कर दिया गया?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

केवल एक एस० डी० ओ० का स्थानान्तरण अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, तथा मारपीट की शिकायतों के आधार पर किया गया। राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विभिन्न स्थानों पर तैनाती के आदेश प्रशासनिक सुविधा एवं कारणों से संशोधित किए गए। उक्त अधिकारी ने गत सितम्बर में नए तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अधिशासी अभियन्ता, जल–विद्युत् खण्ड, शाहजहांपुर द्वारा श्री हरिशंकर शर्मा को भुगतान न करना

*७१—श्री कल्यानसिंह—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत विभाग के शाहजहांपुर डिवीजन के एस० डी० ओ० प्रथम के वर्क आर्डर नं० १३, दिनांकित ३ सितम्बर, १९६८ के अन्तर्गत श्री हरिशंकर शर्मा, कन्ट्रेक्टर, निवासी मोहल्ला नगाइच, पाड़ा, अतरौली, जिला अलीगढ़ ने जो १०० एल० टी० कियोस्क पावर ४,४०० रु० में उपरोक्त एस० डी० ओ० को दिनांक ६ दिसम्बर, १९६८ को सप्लाई किये थे अभी तक उनका भुगतान क्यों नहीं किया गया है? उक्त धन का भुगतान कब तक कर दिया जायगा?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अधिशासी अभियन्ता, जल-विद्युत् खंड, शाहजहांपुर के अन्तर्गत एस० डी० ओ० प्रथम के वर्क आर्डर नं० १३, दिनांक ३ सितम्बर, १९६८ के अन्तर्गत जो एल० टी० क्योस्क श्री हरिशंकर शर्मा ठेकेदार ने बनाये थे वे बहुत ही खराब थे, तथा स्वीकृत नमूने एवं विशिष्टि के अनुसार नहीं थे। अतः उनको अस्वीकृत कर दिया गया। चूंकि एल० टी० क्योस्क खराब होने के कारण अस्वीकार कर दिये गये। अतः उनके भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

कालागढ़ को राजस्व क्षेत्राधिकार के लिये जिला बिजनौर में रखे जाने के सम्बन्ध म जानकारी

*७२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि कालागढ़, जिला पौड़ी-गढ़वाल में है किन्तु उसे राजस्व क्षेत्राधिकार सम्बन्धी प्रशासन क लिय जिला बिजनौर के अन्तर्गत रखा गया है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जहां तक राजस्व क्षेत्राधिकार का सम्बन्ध है, कालागढ़ जिला पौड़ी गढ़वाल के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

जिला सुल्तानपुर के ग्राम प्यारेपुर में कुओं के पास चकों का न देना

*७३—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सुल्तानपुर के परगना चांदा के ग्राम उधरनपुर, हरदासपुर तथा प्यारेपुर जहां पर चकबन्दी का कार्य समाप्त हो चुका ह कितन किसानों की ओर से उक्त हल्के के चकबन्दी अधिकारी के पास चक कटने के बाद उजरदारियां प्राप्त हुई थीं? क्या यह सत्य है कि किसानों को जहां पर उनक कुयें मौजूद थे वहां पर चक नहीं दिये गये? यदि हां, तो क्यों तथा कितनों को?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जिला सुल्तानपुर के परगना चांदा के ग्राम उधरनपुर, हरदासपुर तथा प्यारेपुर से चक कटने के बाद सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी के समक्ष क्रमशः ३, १ व ६ आपत्तियां प्रस्तुत हुई थीं। यह सत्य नहीं है कि किसानों को उनके कुओं के पास चक नहीं दिये गये। केवल ग्राम प्यारेपुर में गाटा संख्या ८३ व गाटा सं० २२० पर कुओं पर चक नहीं दिये गये क्योंकि इनके मालिकों को अपनी अधिक मूल जोत पर चक दिये गये ह। किसी ने भी इसक विरुद्ध अपील नहीं दायर की।

जिला चमोली के राजकीय चिकित्सालय की मरम्मत

*७४—श्री शेर सिंह दानू—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद चमोली के गेरसेड राजकीय चिकित्सालय का भवन जीर्ण-शीर्ण दशा में ह? यदि हां, तो कब तक इसकी मरम्मत हो जावेगी?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

जी हां। कथित अस्पताल के भवन की मरम्मत के लिये शासन के विचारार्थ सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एस्टीमेट तयार किये जा रह ह। भवन की मरम्मत का कार्य शासन द्वारा एस्टीमेट स्वीकृत हो जाने के बाद आरम्भ किया जावेगा। अतः अभी यह निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है कि उक्त भवन की मरम्मत का कार्य कब तक पूण हो जावेगा।

*७५—श्री शेर सिंह दानू—

[४थे मंगलवार के प्र० सं० ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला चमोली में हाईड्रम की योजनायें

*७६—श्री शेर सिंह दानू—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद चमोली में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कहां-कहां हाईड्रम योजनाओं का निर्माण करने का निश्चय हुआ है? वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में कितने हाईड्रम योजनाओं का निर्माण होगा?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

जनपद चमोली में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कहां-कहां हाईड्रम तथा स्प्रिंकलर की परियोजना कार्यान्वित की जावें, यह अभी निश्चित नहीं है। अभी जिले में सर्वेक्षण कार्य चल रहा ह। स्थानों का चयन सर्वेक्षण पूर्ण होने पर किया जावेगा। वर्ष १९७०–७१ में जनपद चमोली में एक हाईड्रम तथा स्प्रिंकलर यूनिट स्थापित किया जावेगा।

जिला चमोली में सरकारी भवन में स्थित चिकित्सालय तथा गौचर स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय का स्थानान्तरण

*७७—श्री शेर सिंह दानू—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद चमोली में सरकार द्वारा संचालित कितने आयुर्वेदिक, एलोपैथिक एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं तथा उनमें से कितनों के पास सरकारी भवन हैं?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

जनपद चमोली में सरकार द्वारा संचालित २६ आयुर्वेदिक अस्पताल, १५ एलोपैथिक अस्पताल (३ कम्पाउन्डर यूनिट सहित) तथा ६ प्राथमिक चिकित्सा (स्वास्थ्य) केन्द्र ह। इनमें से ४ आयुर्वेदिक अस्पतालों, ५ एलोपैथिक अस्पतालों तथा ८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास सरकारी भवन हैं।

*७८—श्री शेर सिंह दानू—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद चमोली में गौचर का राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लदौली नामक ग्रामीण क्षेत्र में हस्तान्तरित करने का आदेश हुआ था? यदि हां, तो अब तक क्यों उक्त चिकित्सालय का हस्तान्तरण नहीं हुआ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

जी नहीं।

जिला चमोली में मोहनखाल–पोखरी मार्ग की स्वीकृति तथा अन्य मोटर मार्गों का निर्माण–व्यय

*७९—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना काल के अन्दर जनपद चमोली में जिन मोटर मार्गों का निर्माण हुआ है उन पर अब तक कितना-कितना कार्य हुआ ह और इन पर निर्माण कार्य कब समाप्त होगा?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

चौथी पंचवर्षीय योजना में जिला चमोली में थराली-लिंक एवं पोखरी-नन्दप्रयाग मोटर मार्गों का निर्माण तथा जोशीमठ-सिंहधार एवं गुप्तकाशी-गौरीकुण्ड मोटर मार्गों का पुनर्निर्माण

एवं सुधार का प्राविधान है। थराली-लिंक एवं गुप्तकाशी गौरीकुण्ड मार्गों का सर्वेक्षण अभी हाल में पूर्ण हुआ है। प्रथम मार्ग के प्रारम्भिक आगणन शासन के तथा द्वितीय मार्ग के प्रारम्भिक आगणन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के विचाराधीन हैं। पोखरी-नन्दप्रयाग तथा जोशीमठ-सिंहधार मार्गों पर सर्वेक्षण अभी चालू है। उक्त मार्गों पर निर्माण कार्य कब समाप्त होगा, यह निश्चित रूप से अभी बताना सम्भव नहीं है।

*८०—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जनपद चमोली जिले में चौथी पंचसाला योजना के लिये स्वीकृत मोहन खाल पोखरी मोटर मार्ग के निर्माण के लिये प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

मोहनखाल -पोखरी मोटर मार्ग योजना के मूल आगणन तथा पुनरीक्षित आगणन पर प्रशासकीय स्वीकृति क्रमशः १ दिसम्बर, १९६५ तथा ९ दिसम्बर, १९७० को दी गई है।

*८१—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[२रे शुक्रवार के प्र० सं० ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला चमोली में नहरों का निर्माण

*८२—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद चमोली में चौथी पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष १९७०-७१ के लिये जिलाधिकारियों द्वारा कितनी और कौन-कौन नहरों के निर्माण की संस्तुति हुई थी, उनमें अब तक कितना-कितना काम हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

उत्तराखंड में नहर निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। अतः जनपद चमोली में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित तीन योजनायें मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग से शासन के स्वीकारार्थ नवम्बर, १९७० में प्राप्त हुई हैं:

योजना	लम्बाई (किलोमीटर में)	अनुमानित लागत रु०
१—संकरी सेरा माइनर	२.०	८७,७६२
२—बरजूला माइनर	०.५	२१,९४०
३—चन्द्रपुरी माइनर	३.२	१,९४,७८२

उक्त योजनाओं पर कोई कार्य नहीं हुआ है क्योंकि वे अभी शासन के विचाराधीन हैं।

जिला गोरखपुर की बांसगांव तहसील के विभिन्न ग्रामों से मालगुजारी की वसूली

*८३—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में स्थित ग्राम गोड़सरी, मिटहा, साईताल, जयन्तीपुर, बघराई, लालपुर, बांसगांव, सरसोपार, डाड़ी, भुसवल, करहल, जमौली, उनवल, गोड़सेरा छताई मंझरिया, सक्सानारा, भस्मा, बेलीपार भरवल कटया कुसमौल आदि गांवों से ताल अमियार और महालजलकर की खरीफ की कितनी लगान वसूल की जाती है ? सरकार को कितनी धनराशि खरीफ की फसल से प्राप्त होती है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों के निवासियों से खरीफ की फसल के लिये 'ताल अमियार' और 'महाल जलकर' ग्रामों की बाबत क्रमशः रुपया ३,२५६.०४ पैसा तथा रु० ५०२.५६ पैसा की मालगुजारी निर्धारित है और यही धनराशियां सरकार को प्राप्त होती हैं।

*८४---श्रीमती मसाली देवी---

क्या सरकार को जानकारी है कि यह गांव बाढ़ से डूब जाते हैं ? यदि हां, तो फिर लगान लेने का क्या कारण है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

'ताल अमियार' और 'महाल जलकर' इन दोनों ग्रामों में अधिकांश रकबे में बरसात में पानी भर जाता है। पानी भर जाने के कारण जब फसल की क्षति होतीहै तो मालगुजारी में छूट दे दी जाती है।

प्रदेश में अतिवृष्टि से जिलेवार हानि तथा दी गई सहायता

*८५---श्री रामचन्द्र विकल---

क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश में अति वर्षा व बाढ़ के कारण अगस्त व सितम्बर, सन १९७० में जिलेवार कितने-कितने जन व धन की हानि हुई है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

अगस्त व सितम्बर, १९७० में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण प्रदेश के २५ जिलों में २७३ मनुष्यों एवं ३,२२१ पशुओं की मत्यु हो गई एवं ६७.४९ करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। जिलेवार तालिका संलग्न है। (परिशिष्ट १)

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९७४-९७५ पर)

*८६---श्री रामचन्द्र विकल---

क्या माल मंत्री जो कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश के बाढ़ व वर्षा पीड़ित लोगों की जिलेवार क्या-क्या सहायता की है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

बाढ एवं वर्षा से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने के लिए ३,२९,६४,७५० रु० अहेतुक सहायता, गृह निर्माण अनुदान तथा निर्धन विद्यार्थियों की फीस अदा करने एवं पुस्तकें क्रय करने के लिए, ५,२४,००० रु० प्रकीर्ण व्यय के लिए एवं ६२,१०,००० रु० आपदा तकाबी के रूप में बांटने के लिये दिया गया है। जिलेवार आवंटन की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट २)

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९७६-९७७ पर)

महमूदाबाद, जिला सीतापुर में श्री बहादुर नामक व्यक्ति की कथित मृत्यु

*८७---श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)---

क्या विद्युत मंत्री को मालूम है कि दिनांक ३ जुलाई, १९७० को महमूदाबाद कस्बा, जिला सीतापुर में वहां के स्टाफ वालों ने एक व्यक्ति बहादुर वल्द दलीय उम्र २८ वर्ष को बिजली के खम्भे पर चढ़ा दिया जिससे उसकी तुरन्त वहीं मृत्यु हो गई ? यदि हां तो विवरण क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कस्बा महमूदाबाद, जिला सीतापुर में श्री बहादुर नाम के व्यक्ति की मृत्यु ३ जुलाई, १९७० को नहीं हुई ।

*८८—श्री गोविंद सिंह—

[३रे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

नायब तहसीलदारों की नियुक्तियां

*८९—श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, १९६८ में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित नायब तहसीलदारी परीक्षा के आधार पर अगस्त, १९६९ में सफल घोषित प्रत्याशियों को राजस्व विभाग द्वारा नियुक्ति-पत्र दे दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है और इन सफल प्रत्याशियों को कब तक नियुक्ति-पत्र दे दिये जाने की आशा है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जी हां, सफल घोषित १३ प्रत्याशियों में से १२ को नियुक्ति-पत्र दिए जा चुके हैं । शेष एक प्रत्याशी को नियुक्ति-पत्र नहीं दिया जा सका है क्योंकि उन्होंने नियमानुसार आवश्यक प्रमाण-पत्र अब तक परिषद् को नहीं भेजा ।

जिला सीतापुर में लेखपालों का निलम्बन

*९०—श्री रामलाल राही—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधीश, सीतापुर ने कुछ लेखपालों को बगैर नोटिस दिये ही जनवरी, सन १९७० से मुअत्तल कर रक्खा है और उनमें से कुछ को अभी तक चार्जशीट ही नहीं दी गई है ? यदि हां, तो ऐसे लेखपालों की संख्या क्या है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

अप्रैल, १९७० में सात लेखपालों को आदेशानुसार कार्य न करने के कारण निलम्बित किया गया था । इन सभी के स्पष्टीकरण लिए गए तथा २ के विरुद्ध आरोप-पत्र भी दिए गए ।

*९१—श्री इन्द्रलाल—

[३रे गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*९२—९३—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

[५वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या १२–१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रानीगंज, जिला प्रतापगढ़ में उप–विद्युत् गृह की स्थापना

*९४—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत रानीगंज बाजार, विधान सभा क्षेत्र वीरापुर में विद्युत् का उप-स्टेशन बहुत अर्से से स्वीकृत है ? यदि हां, तो आज तक क्यों नहीं बनाया गया और क्या सरकार उसे शीघ्र बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत रानीगंज में एक ३३ / ११ के० वी० उप विद्युत् गृह बनाने का कार्य चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत है । इससे संबंधित ३३ के० वी० लाइन का निर्माण

कार्य प्रगति पर है। उप विद्युत् गृह निर्माण हेतु भूमि अर्जित की जा रही है और भूमि पर आधिपत्य प्राप्त होते ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायगा।

*९५--श्री सजीवन लाल---

[५वें शुक्रवार के प्रश्न सं० १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला गोरखपुर में माओवादी प्रकाशनों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी

*९६---श्री रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर)---

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि ११, १२ सितम्बर, १९७० को गोरखपुर जनपद के पुलिस स्टेशन नौतनवां के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा काफी मात्रा में घोर आपत्तिजनक नक्सली साहित्य पकड़े गये हैं? यदि हां, तो इस कार्य में संलग्न कितने व्यक्ति तथा कितने साहित्य पकड़े जा सके हैं?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

जी हां। इस संबंध में दिनांक १२ सितम्बर, १९७० को ३ व्यक्ति पकड़े गये और माओ वादी विभिन्न प्रकाशनों की ६५० से अधिक प्रतियां बरामद हुई हैं। इस संबंध में धारा ११७/१२४ए/१५३-ए भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत एक मामला दर्ज दिया गया है और जांच जारी है।

*९७--श्री रामलगन दुबे---

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की भी जानकारी है कि इस कार्य में गिरफ्तार व्यक्तियों के अतिरिक्त नौतनवां पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कई अन्य व्यक्तियों का भी सक्रिय सहयोग एवं हाथ है? क्या मुख्य मंत्री इस प्रकार के व्यक्तियों का नाम बतलाने के साथ-साथ यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन व्यक्तियों का संबंध भारतवर्ष को अथवा प्रदेश की किन-किन राजनैतिक पार्टियों से है?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

नौतनवा पुलिस क्षेत्र के अन्य किसी व्यक्ति का सहयोग इस घटना में होने की सूचना नहीं है। जो व्यक्ति इस घटना में पकड़े गये हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है:---

(१) श्री घनश्याम शुक्ल भारतीय नागरिक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)।

(२) श्री झिनकू प्रसाद मिश्र नेपाल निवासी } नेपाल।
(३) श्री विश्वम्भर, नेपाल निवासी } कम्युनिस्ट पार्टी

*९८---श्री गोपाल दत्त---

[५वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९९---श्री मोतीलाल यादव---

[५वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१००---श्री ऋषिपाल सिंह---

[५वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०१—श्री महरम सिंह, श्री परमाई लाल तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[३रे गुरुवार के प्रश्न संख्या १०१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०२—श्री महरमसिंह, श्री परमाई लाल तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[५वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विकास खण्ड दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में बाढ़ से क्षति

*१०३—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष जिला आजमगढ़ के तहसील घोसी, विकास खण्ड दोहरी घाट में घाघरा नदी की भीषण बाढ़ एवं कटाव के फलस्वरूप सारी फसलें बरबाद हो जाने के कारण कौन-कौन से गांव प्रभावित हुए हैं तथा कितने लोगों के मकान ध्वस्त हो गये हैं ? क्या शासन की ओर से उक्त बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ अब तक कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो वह क्या है और नहीं तो क्यों ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जी हां, कुल ३७ गांव प्रभावित हुए जिसकी सूची संलग्न है। ५६ मकान ध्वस्त हो गए। शासन की ओर से बाढ़-पीड़ितों को ११ क्विन्टल चना, १० लीटर मिट्टी का तेल, एक बोरा नमक, जिनके मकान ध्वस्त हुए उन्हें ३५० रु० मुफ्त सहायता एवं २,१४० रु० आपदा तकावी बांटी गई। इसके अतिरिक्त २०० बोरा गेंहूं का दलिया बांटा गई। पीड़ित क्षेत्रों को मालगुजारी तथा अन्य सरकारी देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९७८ पर)

अतारांकित प्रश्न

विकास खण्ड कुण्डा, कालाकांकर, पट्टी तथा देवसरा, जिला प्रतापगढ़ में विद्युत् प्रसार

१—श्री जयराम यादव—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंग कि विकास खण्ड कुण्डा, कालाकांकर पट्टी तथा देवसरा, जिला प्रतापगढ़ में बिजली की कितनी लाइनें हैं ? इन विकास खण्डों में बिजली विस्तार की क्या योजना है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड कुंडा, कालाकांकर, पट्टी एवं देवसरा में क्रमशः १६३.५ कि० मी०, ७९ कि० मी०, १५ कि० मी० व ४५ कि० मी० लम्बी ११,००० वोल्ट की लाइनें बनी हुई हैं।

इस वर्ष (१९७०-७१) विकास खण्ड कुंडा म १० कि० मी०, विकास खण्ड पट्टी में ६ कि० मी० तथा विकास खण्ड देवसरा में १७ कि० मी० ११,००० वोल्ट की लाइनें बनाने की योजना है।

२—श्री मंजूर अहमद—

[३रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

तिलहर, जिला शाहजहांपुर में भूमिहीनों को ग्रामसभा व सीलिंग की भूमि का वितरण

३---श्री सुरेन्द्रविक्रम---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में २५ जुलाई, १९७० तक कितनी भूमि ग्राम सभा की, और सीलिंग की भूमिहीनों को दी गई तथा ग्राम सभा भरई, विकास क्षेत्र जैतीपुर तहसील तिलहर की जमीन कितने लोगों को दी गई ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

२५ जुलाई, १९७० तक तहसील तिलहर जिला शाजहांपुर में ग्राम सभा की ६९.४९ एकड़ भूमि व सीलिंग की ४९.५६ एकड़ भूमि, भूमिहीनों को दी गई थी। ग्राम सभा भरई ब्लाक जैतीपुर में २५ जुलाई तक कोई भूमि नहीं उठाई गई थी।

जिला इलाहाबाद का विद्युतीकरण

४---श्री रामगोपाल सण्ड---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इलाहाबाद जिले में किन कस्बों तथा ग्रामों में बिजली पहुंचाने की योजना है ? क्या सरकार उनके नाम तहसीलवार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इलाहाबाद जनपद में ८३ कस्बों व ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है जिनके नामों की सूची तहसीलदार संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९७९-९८१ पर)

बाढ़ ग्रस्त जिलों को सहायता

५---श्री राम गोपाल सण्ड---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९७० में १ जुलाई से ३१ जुलाई तक उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलो में बाढ़ आई ? सरकार ने बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों के लिये क्या प्रबन्ध किया ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

१ जुलाई से ३१ जुलाई, १९७० तक प्रदेश के देहरादून, पीलीभीत, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, गढ़वाल, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा बहराइच, बाराबंकी, पिथौरागढ़ तथा चमोली जिलों में बाढ़ का प्रभाव रहा। शासन द्वारा पीड़ितों को सहायतार्थ निम्नलिखित कार्यवाही की गई---

(१) अहेतुक सहयता, गृह निर्माण अनुदान तथा तकावी का वितरण किया गया जिसके लिये सरकार ने उक्त जिलाधिकारियों को निम्न धनराशि अब तक आवंटित की है---

		रु०
(क) अहेतुक, गृह निर्माण सहायता	..	५५,१२,५००
(ख) आपदा तकावी	..	१३,६५,०००

(२) पीलीभीत जिले को छोड़कर उक्त जिले में ५० प्रतिशत अथवा उससे अधिक क्षति वाले क्षेत्रों में मालगुजारी लगान चालू तथा बकाया सिंचाई शुल्क, तकावी एवं समस्त कृषीय देयों की वसूली स्थगित कर दी गई।

(३) बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए नावों का प्रबन्ध किया गया ।

(४) संक्रामक रोगों के रोकथाम का प्रबन्ध किया गया ।

(५) देवरिया, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, बस्ती, चमोली, तथा पिथौरागढ़ जिले में जहां अपेक्षाकृत हानि अधिक थी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क का भुगतान करने तथा पुस्तकों के खरीदने में सहायता देने की कार्यवाही की जा रही है ।

मोहान, नेवतनी तथा हसनगंज, जिला उन्नाव का विद्युतीकरण

६---श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के तहसील हसनगंज के कस्बा मोहान, नेवतनी और तहसील केन्द्र हसनगंज को बिजली की सप्लाई कब तक हो जावेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

उन्नाव जिले के अन्तर्गत तहसील हसनगंज के कस्बा मोहान, नेवतनी एवं तहसील केन्द्र हसनगंज का विद्युतीकरण सामान की उपलब्धतानुसार मार्च, १९७१ तक होगा ।

७---श्री राम देव---

[५वें शुक्रवार के अता० प्र० सं० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अधिक प्रश्नों को लेने के संबंध में प्रार्थना

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

श्रीमन्, आप आज के प्रश्नों को उठाकर देखें आज ११२ प्रश्न हैं और केवल १२ प्रश्नों के उत्तर आये हैं। आप कृपया प्र० सं० २० को ही देखें, बहुत महत्वपूर्ण है ट्रान्सफार्मरों की चोरी के बारे में है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रश्नों के उत्तर दिलाने के लिए चुनने का कि कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसका आप के पास कौन सा तरीका है। रोज महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं। मैं कई मर्तबा निवेदन कर चुका हूं कि सदस्यगण आपसे जबरदस्ती करके बहुत से सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछते हैं और उन को कन्ट्रोल नहीं कर पाते, उससे हम जैसों का हक मारा जाता है। आप यह निश्चित कीजिये कि कितने सप्लीमेंटरी प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप जैसा कहते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाय, उस तरह से प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। हर मेम्बर अपने प्रश्न को महत्वपूर्ण समझता है। जिसका प्रश्न पहले आता है उस को पहले रखा जाता है।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

सप्लीमेंटरी लोग जबरदस्ती करते हैं और आप उनको रोक नहीं पाते, विवश हो जाते हैं। उनको आप रोकें।

श्री अध्यक्ष---

यह आप ठीक कहते हैं, इसको मैं देखूंगा ।

कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक स्थगित करने और अध्यादेशों के अननुमोदन के प्रस्तावों का कार्यक्रम तय न करने के संबंध में आपत्ति

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, आज नियम २२४ के अन्तर्गत कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक प्रातःकाल बुलाई गयी थी और श्रीमन्, आपने कल या परसों ऐलान भी किया था कि कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होगी और वह विजनेस तय करेगी तथा आर्डीनेंसेज के अननुमोदन के लिये तारीख तय करेगी। इस में दो प्रकार की कार्य सूची तय हुई है। नियम २२४(१) के अन्तर्गत माननीय नेता सदन ने आग्रह किया था। नियम २२४(१) इस प्रकार है कि "समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे विधेयकों तथा अन्य सरकारी कार्य के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिये समय नियत करने के सम्बन्ध में सिफारिश करे जिन्हें अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से समिति को निर्दिष्ट करने के लिये निदेश दें" ऐसा निदेश श्रीमन्, आपके सामने आया था और वह विचार के लिये बाकी था। अब इसी का उपनियम (३) है कि "समिति के लिए सदन के कार्य से संबंधित ऐसे अन्य कृत्य भी निर्दिष्ट किये जा सकेंगे जिन्हें अध्यक्ष समय-समय पर विनिश्चित करें"। आपने कृपा पूर्वक अध्यादेशों के संबंध में कार्य-मंत्रणा समिति से जानकारी चाही थी कि किन-किन दिन उनको लेना चाहते है। इसके अन्तर्गत आपने निश्चय किया था।

अब कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बार-बार स्थगित हो रही है और आज भी प्रातःकाल इसकी बैठक होने वाली थी जो नहीं हुई। ६ आर्डीनेंसेज अननुमोदन के लिये आपके सामने हैं। संविधान के अन्तर्गत यह अधिकार है कि ६ सप्ताह से पहले भी निरस्त कर सकें और सरकार संविधान के हिसाब से अगर स्थगित करती है तो संविधान के अनुसार माननीय सदस्यों के मौलिक अधिकार का हनन होगा। मुझे विश्वास है कि आप इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और इस संबंध में आप की इजाजत चाहता हूं कि अगर इस सरकार ने संविधान के विरुद्ध आर्डीनेंसेज को बिना विचारे हुये सदन को एडजर्न कर दिया तो माननीय सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा।

(विद्युत् मंत्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठिये, मैं व्यवस्था दूंगा।

विद्युत् मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

यदि आप आज्ञा दें तो मैं कह दूं और मुझे आशा है कि माननीय तिवारी जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। मैंने पिछली कार्य मंत्रणा-समिति में कह दिया था कि अननुमोदन के प्रस्ताव आज अभी ले आयें लेकिन समिति के सदस्यों ने नहीं चाहा कि अभी लिये जायं। हम उस समय तैयार थे और आज भी तैयार हैं। यह सही था कि हमने कार्यक्रम कल के लिये बना दिया था और यह हुआ कि सोमवार को लायें। हमारा विचार भागने का नहीं है। हमारे आर्डिनेंसेज वाले बिल तैयार नहीं थे इसलिये मैंने प्रार्थना की थी कि कल कार्य-मंत्रणा समिति में इसको ले आयें। तिवारी जी से मैं क्षमा चाहता हूं और मैंने उनको टेलीफून भी किया था कि हम और आप मिल कर अध्यक्ष जी से तय करें। सोमवार के लिये तय करेंगे। हमारा भागने का कोई इरादा नहीं है। हम आप की सलाह से ही कार्यक्रम बनायेंगे और हाउस को चलायंगे। अध्यक्ष जी से प्रार्थना की थी। मुख्य मंत्री जी कार्यक्रम भेजने वाले थे उसमें कुछ संशोधन करना है और कल आप के सामने आयेगा। आप भी उस मीटिंग में आयेंगे और आप की सलाह से कार्यक्रम बनेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि सदन के अन्दर बहुत से कामों की आप इस कुर्सी से घोषणा कर चुके हैं कि १७ तारीख की मीटिंग में इन चीजों के लिये समय मुकर्रर होगा। एक में तरीख लगी हुई है। आपने तारीख नहीं बताई कि कब होगा। मेरा कहना यह है कि जब आज की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की घोषणा आपसे बातचीत करके हुई थी तो फिर उसको मुल्तवी कर देना कि प्रोग्राम न आने से मुल्तवी की तो यह कहां तक उचित है? किस तरह से यह उचित है जब कि उसकी तारीख भी नहीं बतलाई है?

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

अभी जैसा कि संसदीय मन्त्री जी ने बताया कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि जितना भी आवश्यक कार्य है, आर्डिनेंस के सम्बन्ध में या नियमों के सम्बन्ध में जो भी कार्य है उसको न किया जाय और उससे भागने का प्रयास किया जाय। जितने भी आर्डिनेंसेज हैं उनके जो विधेयक हैं वे सब २४ तक आ रहे हैं। वह सब विधेयक जब आ रहे हैं तो मैं अननुमोदन के प्रस्ताव का तर्क नहीं मानता हूं। यह बात मैं आप के विचार के लिये रखना चाहता हूं। जब यहां पर उन अध्यादेशों के सम्बन्ध में विधेयक सब आ रहे हैं और सरकार का कोई भी भागने का इरादा नहीं है तो इस विधान सभा का अमूल्य समय अननुमोदन के प्रस्तावों पर लिया जाय कुछ ज्यादा उचित मुझे नहीं लगता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार जब यह आश्वासन दे रही है कि अध्यादेशों के सम्बन्ध में विधेयक आयेगा उनको रिपील करने के लिये, तो ऐसी स्थिति में अननुमोदन के प्रस्ताव को यदि न लाया जाय और विधेयकों को ले लिया जाय तो क्या यह सुविधाजनक नहीं रहेगा?

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि अध्यादेश के अननुमोदन के लिये संविधान में अधिकार दिया गया है। जब उनको अधिकार मिला है कि कोई सदस्य अननुमोदन का प्रस्ताव ला सकता है तो वह लाया जा सकता है और लाया जायगा। अब समझौते की बात दूसरी है। आप किसी प्रश्न पर समझौता करते हैं और समझौते से यहां पर कोई बात आती है तो उसकी स्थिति दूसरी है लेकिन अननुमोदन का प्रस्ताव अलग से लाया जा सकता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने मीटिंग को स्थगित करने का प्रश्न उठाया था। स्थगित करने का कारण यह था कि मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आज के बजाय कल सवेरे समिति की मीटिंग कर लें। अगर कल सवेरे होती है तो वह फैसला कल हो जायगा। अगर मैं यह देखता कि इसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है तो मैं नहीं मुल्तवी करता। तो गडबड़ होने का कोई चांस नहीं है। आज के बजाय यह निर्णय कल हो जायगा। कल का कार्य-क्रम असरकारी दिवस का कल के लिये बना हुआ है। अगर कल सवेरे मीटिंग करते हैं तो १७ के बजाय १८ को निर्णय हो जायगा। यह मामूली बात है लेकिन अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आयेगा कि कोई बिल लाया जाय तो उसके ऊपर भी विचार होगा। अगर नहीं आयेगा तो नहीं होगा। उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वह अननुमोदन का प्रस्ताव हमारे पास आ चुका है। ३ दिन के बाद भी सदन में विचार के लिये आ सकता है। बाद को मैं निश्चय करूंगा। और मैं आपको समय दूंगा।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह भी आप कह दें कि मैंने उनसे यह कहा था कि वह तुरन्त ले आयें।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा होगा। यह बहस की बात होगी। समिति के अन्दर बहुत सी बातें होती हैं और सुझाव होते हैं लेकिन जो निश्चय होते हैं वही मैं यहां कहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आपने तो सब के लिये ही कहा था। पी० डब्लू० डी० मन्त्री ने कहा था कि पहले लगान वाला आयेगा। उसके लिये भी आपने कहा था कि ले लिया जायगा। इस प्रस्ताव के लिये आप से कहा तो उसके लिये भी आपने कह दिया था कि ले लिया जायगा। तो आपने तो सब के ही लिये कह दिया था।

श्री अध्यक्ष—

दो रायें थीं उस वक्त।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, इसके पहले भी मैंने श्रीमन् से यह निवेदन किया था अननुमोदन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कि जो नया बिल आयेगा उससे इसका सम्बन्ध नहीं होना चाहिये और आज फिर माननीय कृष्णानन्द ने इस बात को दोहराया है और उस रोज श्रीमन्, ने भी फरमाया था जिसका मतलब होता है कि अननुमोदन प्रस्ताव की जरूरत नहीं रह जायगी जब नया बिल आ जायेगा..।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि सर्वसम्मति से अगर यह बात कही जाय, राजीनामे से कोई बात कही जाय, तो वह मानी जा सकती है।

श्री उदित नारायण—

मैं यही कहना चाहता हूं कि अननुमोदन का प्रस्ताव मैंने दिया है इसलिये किसी दूसरे को अधिकार नहीं हो सकता कि इसमें किसी किस्म का समझौता कर ले। इस सदन का एक-एक सदस्य चाहता है कि अननुमोदन का प्रस्ताव आ जाय। तो मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि किसी के अन्दर यह शक्ति नहीं है कि वह चाहे तो उनको न आने दे। यह सदन में आ चुका है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अननुमोदन का प्रस्ताव आज यहां आ जाना चाहिये था। श्रीमन् को इस बात को देखना चाहिये कि किस परिस्थिति में वह नहीं आ सका। यह श्रीमन्, का कर्त्तव्य है कि हमारे जो अधिकार हैं उनकी आप रक्षा करें। मैं समझता हूं कि अननुमोदन के प्रस्ताव को आज टाल कर हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं की गयी और एक तरह से उनकी बिलकुल अवहेलना की गयी है। मैं इस बात को इनसिस्ट करता हूं कि इसको फौरन् यहां आ जाना चाहिये क्योंकि इस सदन में उसे आये ३ दिन गुजर चुके। उस रोज ८ तारीख थी जिस दिन अननुमोदन का प्रस्ताव मैंने दिया था और ८ तारीख के तीन दिन बाद ११ तारीख को आना चाहिये था लेकिन उसके बाद भी १२, १३, १४, १५, १६ तारीख बीत गयी और आज १७ तारीख है और आज फिर वही बात कही जा रही है। इसलिये, आपसे निवेदन करता हूं कि सारी कार्यवाही को स्थगित करके अविलम्ब इस प्रस्ताव को सदन के सामने आ जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

१७ तारीख को कार्य-मंत्रणा समिति में यह प्रश्न आने को था। १८ तारीख तक का प्रोग्राम तो सर्व सम्मति से आपके सामने तय हो गया था। १७ तारीख की मीटिंग में यह निश्चय होने को था कि अननुमोदन का प्रस्ताव किस क्रम में लाया जावेगा और उसके लिये कितना कितना समय दिया जायगा। अगर १७ तारीख की मीटिंग १८ तारीख को हो जाय तो इससे किसी का हक मारा नहीं जाता है क्योंकि १८ तारीख तक का कार्यक्रम तो निश्चित हो चुका है। १८ तारीख के बाद शनिवार और इतवार है। इसलिए सोमवार, मंगलवार तक प्रोग्राम जरूर आ जायेगा। इसको कार्य-मंत्रणा समिति में तय करना है, उसके पोस्टपोनमेंट का कोई सवाल नहीं है क्योंकि कल तक का प्रोग्राम खत्म हो जायेगा, उसके बाद कल साढ़े ६ बजे

[श्री अध्यक्ष]

कार्य मंत्रणा समिति में आपके सामने प्रोग्राम रख दिया जायगा। और समिति के निर्णय के अनुसार सोमवार, मंगलवार को सदन के सामने आ जायेगा।

"तरुण भारत" के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे एक सूचना देनी है। यादव राव, 'तरुण भारत' ने २४ घंटे के अन्दर अपना खेद प्रकट किया है और उन्होंने लिखा है कि "हमने आपका फैसला नहीं छापा इसके लिये मुझे खेद है और इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि हमारे खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न न चलाया जाय"। उन्होंने चूंकि खेद प्रकट कर दिया है इसलिये इसको मैं समाप्त करता हूं।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा-फतेहाबाद)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं आ सकता।

श्री कृष्ण स्वरूप के विरुद्ध सदन के बाहर नीति संबंधी वक्तव्य देने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने कल इस सदन में निवेदन किया था। श्री कृष्णस्वरूप वैश्य जो कि इस शासन में राज्य मंत्री हैं उन्होंने पीलीभीत में एक भाषण दिया है जो कि १६ दिसम्बर के नेशनल हेराल्ड में छपा है। उस भाषण में उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि जिसका कि सम्बन्ध सरकार की नीति से था, श्री वैश्य ने पीलीभीत में लायन्स क्लाब में भाषण करते हुये कहा और आलोचना की कि पिछली ३ पंचवर्षीय योजनाओं की जो कि इस प्रदेश और देश में चली है। उन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना की भी आलोचना की और उस आलोचना के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सरकार विचार कर रही है कि वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आवश्यक परिवर्तन करे। आगे चल कर उन्होंने कहा कि उसका प्रारूप सरकार इस तरह से तैयार करना चाहती है कि जिससे बेरोजगार व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार मिलेगा। मेरा आप से इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि जैसे कि मैं पहले भी इस सदन में इस अधिवेशन के दौरान और उसके पूर्व सत्र में भी निवेदन कर चुका हूं कि यह सर्व मान्य परम्परा रही है कि जब सदन सत्र में हो और उसका अधिवेशन हो रहा हो तो कोई भी महत्वपूर्ण नीति संबंधी घोषणा, कोई भी ऐसी घोषणा जिसका कि प्रशासन की महत्वपूर्ण नीति से सम्बन्ध हो वह इस सदन में ही सरकार के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा उद्घोषित होनी चाहिये।

हाउस आफ कामन्स में भी कितनी ही बार यह प्रश्न आया है, हमारी भारतीय संसद के सामने भी यह प्रश्न कई बार आया है और जब-जब यह प्रश्न उठा है तब हाउस आफ कामन्स के स्पीकर ने और भारतीय संसद के स्पीकर ने सदैव यह निर्णय लिया है कि कोई भी महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी घोषणा अथवा कोई भी महत्वपूर्ण घोषणा जब सदन चल रहा हो उस समय मंत्री को सदन में ही करनी चाहिये। अगर वह ऐसा नहीं करता है और सदन के बाहर ऐसी घोषणा होती है तो हाउस आफ कामन्स के स्पीकर और भारतीय संसद के स्पीकर के इस प्रकार के

---

† १६ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही से।

निर्णय है कि वह सदन का अवमान है और उसके फलस्वरूप विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा हो जाता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परम्परा बनती जाती है और मैं नहीं जानता कि इस परम्परा का पालन सरकारी बेंचों से क्यों किया जाता है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी पक्ष के मंत्रिगण सदन के भीतर और बाहर एक और नये सदन का निर्माण करने की कल्पना करते हैं और उनका विश्वास होता जाता है कि सदन में ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा नहीं होनी चाहिये और इसलिये वह सदन के बाहर घोषणा करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत संक्षेप में ही होता है, मन्त्रिगण की अमुक नीति है यह तो आप आक्षेप कर रहे हैं। संक्षेप में ही कहें।

श्री कृष्णचन्द्र—

मैं बहुत संक्षेप में ही इस संबंध में निवेदन करूंगा। इस बात का एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में मैं निवेदन करूंगा और वह दूसरा पहलू यह है कि इससे एक अराजकता का वातावरण पैदा होता है। इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार है और वह कार्यान्वित भी हो रही है लेकिन अगर उसके संबंध में अब सरकार के जिम्मेदार मंत्रिगण सदन के बाहर इस तरह की घोषणा करते हैं कि पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में फिर से विचार हो रहा है तो उससे पूरे प्रदेश में एक अराजकता पूर्ण वातावरण तैयार होगा और उसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि सारा प्रशासन अस्त-व्यस्त हो जायगा, लुंज-पुंज हो जायगा। इस दूसरे पहलू का विशेषाधिकार से सीधा सम्बन्ध नहीं है लेकिन इसकी प्रशासन पर एक एडवर्स प्रतिक्रिया होगी और उसके लुंज-पुंज होने की संभावना है। इसलिये इस सदन का यह भी कर्त्तव्य है कि वह देखें कि सदन के सामने जो धनराशि स्वीकृत हुई है उसके व्यय होने में कोई अव्यवस्था किसी जिम्मेदार मंत्री की सदन से बाहर हुई घोषणा से पैदा न हो जाय।

इसलिये इन दोनों कारणों से और विशेषकर पहले कारण से माननीय मंत्री, श्री कृष्ण स्वरूप जी ने इस सदन का अवमान किया है और इसलिये यह विशेषाधिकार का प्रश्न हुआ है और आपकी अनुमति से मैं इसको उठाना चाहता हूं।

(श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, यह एक बड़ा वैधानिक प्रश्न है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। यदि सदन में माननीय कृष्ण स्वरूप वैश्य हों तो बतायें। कल जब यह प्रश्न उठ चुका था.....

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, आपने माननीय शर्मा जी को आज्ञा दी तो उसका दूसरा भी प्वाइन्ट आफ व्यू है, उसको तो कम से कम सुन लें। मंत्री जी तो अपनी सफाई दें ही, लेकिन यह प्रश्न विशेषाधिकार का है या नहीं, यह तो सुन लें। श्रीमन्, हमको भी सुनने का अवसर दें। यदि हमको नहीं बोलने देते तो उनको क्यों सुन लिया ?

श्री अध्यक्ष--

कल मैंने उनको कह दिया था कि आप लिखित दे दीजिये तो इसलिए कहा कि आप स्पष्ट कर सकें कि किस प्रकार से यह विशेषाधिकार का प्रश्न होता है ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

विशेषाधिकार के प्रश्न पर अगर आपने माननीय शर्मा जी को सुना है तो दूसरे को भी सुन लीजिए ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसका फैसला दे चुका हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, आपने जो फैसला दिया उन विषयों पर जो सरकार की नीतियों से सम्बन्धित हैं, लेकिन चौथी पंच वर्षीय योजना पर, मुझे दुःख है कि आप हमें सुनना नहीं चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं भी समझ सकता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है या नहीं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, यह सरकार की पालिसी है या नहीं, यह तो सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

मेरा निर्णय यह है कि इसमें कोई नयी पालिसी की घोषणा नहीं है । सवाल सिर्फ इस बात का है कि अगर मंत्री जी ने नीति के बारे में सदन के बाहर कोई नयी घोषणा की है तो वह केवल एटीकेट भंग करने का सवाल हो सकता है । विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं हो सकता है । तो इस बात पर मैं कई बार फैसला दे चुका हूं और वह भी नीति का प्रश्न नहीं है ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

श्रीमन्, एक बात तो सुन लें ?

श्री अध्यक्ष--

मैं नहीं सुनूंगा । अखबार में दिया हुआ है :

"Vehemently criticising the five year plan, Mr. Vais disclosed that the State Government were considering the need for revising the Fourth plan. They were chalking out a programme that might help in providing more employment to the people of the State."

मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार की भी नीति है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लायमेन्ट मिले और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तो लोक सभा में भी स्पष्ट किया है कि उनकी नीति इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लायमेन्ट लोगों को मिलना चाहिये । अगर वह केन्द्र की पालिसी है चौथी प्लान के बारे में तो वह भी गोल है, उसमें यह बात नहीं है कि फलां-फलां काम सरकार करने जा रही हैं । उन्होंने भी कहा है कि हम चौथी योजना को इस प्रकार रिवाइज करने जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लायमेंट मिले । तो इस तरह की बात वे कह सकते हैं । आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं । मैंने एक फैसला दिया भी था जब माननीय चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे । उस वक्त उन्होंने कुछ कहा था तो मैंने उस समय यह कहा था कि यह केवल एटिकेट का ही सवाल है । मैं मंत्रीगण से यह कहूंगा कि अगर नीति का सवाल हो तो एटीकेट का सवाल समझकर उसकी घोषणा सदन के सामने करनी चाहिये । एटीकेट

का सवाल तब है जब वह सवाल माना जाय कि नई नीति की घोषणा है। अगर वह नीति की घोषणा नहीं है तो सबको बोलने का अधिकार है।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो भी आपने विशेषाधिकार के प्रश्न पर रूलिंग दी वह मान्य है। मैं यह जानना चाहूंगा कि अब तक इस सदन की एक परम्परा सी रही है कि जब भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठा है तो प्रश्न उठाने वाले को प्रश्न उठाने का अधिकार दिया है और प्रश्न के विरुद्ध भी मत देने का अवसर दिया है। जब माननीय चौधरी चरणसिंह मुख्य मंत्री थे और ३ १/८ एकड़ की लगान माफी की बात प्रेस में कही थी तो उस समय यह प्रश्न उठा था। उस समय श्रीमन् ने तीन घंटे पक्ष और विपक्ष की बात सुनी थी। आज जब माननीय शर्मा जी ने बात उठाई तो आपने एक पक्ष तो सुन लिया दूसरा पक्ष क्या है वह नहीं सुना, विशेषाधिकार बन सकता है या नहीं .....

श्री अध्यक्ष--

आपका दूसरा पक्ष था।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

आज आपने प्रश्न उठाने का अवसर दिया। आप मेरी बात सुन लें। आपको मेरी व्यवस्था का उत्तर देना होगा। जब आपने एक बार ऐसा किया तो अब भी दूसरा पक्ष सुनना होगा। कृष्ण स्वरूप जी का जो प्रश्न उठा तो दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिये। जो उन्होंने पीलीभीत में बात कही वह एक्सप्रेशन आफ ओपीनियन था, क्रिटिसिज्म था। यह कहना कि हम ३-१/८ एकड़ तक लगान माफ करेंगे यह नीति का प्रश्न है। नीति और क्रिटिसिज्म में अन्तर है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने यह नई व्यवस्था दी है कि जब भी विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये जायेंगे आप एक ही पक्ष सुनेंगे, दूसरा पक्ष नहीं सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष--

यह मेरे अधिकार में है कि किसी को सुनने को कहूं। चर्चा कराना चाहूं तो कराऊं। चौधरी चरण सिंह के जमाने में चर्चा करा दी तो पुनः इस सदन को भी तीन घंटे बहस करना जरूरी है। ऐसी कोई प्रथा पड़ गई है यह बात नहीं है। एक दफा निर्णय हो चुका है कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं है। पहली बात तो यह है कि यह एटीकेट का सवाल है। यह एटीकेट इंगलैन्ड में फालो होता है और यहां भी फालो होता है। कभी-कभी वहां भी मिनिस्टर गलती से इस प्रथा को तोड़ देतेहैं यहां भी तोड़ देते हैं। विशेषाधिकार का सवाल छोड़े। यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। एटीकेट के लिहाज का सवाल है। कृपा करके एटीकेट को फालो कीजिये। इसलिये अब कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। कल मैंने उनसे कह दिया था।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

उनको बोलने का अवसर क्यों दिया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

क्या आपकी रूलिंग के बाद, अध्यक्ष महोदय, ये इस तरह बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं यह कह चुका हूं कि इसमें कोई नई नीति का सवाल नहीं था। अब यह प्रश्न समाप्त हो गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के खिलाफ। उनका कहना है कि कल माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने उनका नाम लिया। उन्होंने सुरेन्द्र विक्रम सिंह नहीं बिल्क विक्रम सिंह कहा था। अतः फैक्ट्स पर आधारित न होने के कारण मैं इसे अस्वीकृत करता हूं।

(व्यवधान)

श्री भादवेन्द्र दत्त दुबे--

मैंने जो प्रश्न उठाया था उसका क्या हुआ? क्या यह आपके अधिकार में है कि आप एक पक्ष को सुनें, दूसरे को न सुनें? आप शर्मा जी को अपने चैम्बर में बुलाकर भी कह सकते थे। उनको आपने यहां बोलने का अवसर दिया, हमको नहीं दिया.....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। मैं जो उचित समझूंगा, करूंगा। मैंने स्पष्टीकरण के लिये उनको मौक दिया था बहस के लिये उनको नहीं बुलाया था। मैंने उनके स्पष्टीकरण में कोई तथ्य नहीं समझे इसलिये मैंने और उस पर सदन का समय लेना उचित नहीं समझा। विवाद के लिये ऐसे प्रश्नों पर मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं। आप कृपया बैठें।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच कमीशन की रिपोर्ट†

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)--

अध्यक्ष महोदय, मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं इस पर विवाद के लिये समय चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दें तो मैं उस पर विचार करूंगा।

गिरफ्तार विद्यार्थियों को जेल में उच्च श्रेणी न दिये जाने तथा न्यायालय में मजिस्ट्रेटों के न होने के कारण उनकी जमानत न हो सकने के संबंध में वक्तव्य

सूचना मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द)--

दिनांक ८-१२-१९७० को धारा १४४ दंड प्रक्रिया संहिता के तोड़ने के लिए ५ विद्यार्थी सर्वश्री प्रेम शंकर शुक्ला, आशोक कुमार पांण्डे, महेन्द्र प्रताप सिंह, गंगा राम द्विवेदी तथा रवीन्द्र नाथ सिंह धारा १८८, भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत गिरफतार हुए थे। इन लोगों ने जमानत पर मुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र १५ दिसम्बर, १९७० को श्री जे० सी

---

†छापी नहीं गयी।

अग्रवाल, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनऊ, के न्यायालय में प्रस्तुत किए थे और प्रार्थना पत्रों पर उसी दिन जमानत दाखिल करने के आदेश दे दिए गए थे। इनमें से केवल एक बन्दी अशोक कुमार पांडे ने उसी दिन जमानत दाखिल कर दी और वह उसी दिन मंजूर भी हो गई। वे जेल से रिहा कर दिए गए। शेष ४ बंदियों ने अभी तक जमानत के कागज उक्त न्यायालय में दाखिल नहीं किए हैं।

जेल मैनुअल के प्रस्तर २८५ के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट अथवा सेशन जज—यदि मुकदमा सत्र न्यायालय में चल रहा हो—किसी विचाराधीन बन्दी को जेल में उच्च श्रेणी प्रदान कर सकतेहैं यदि उनके विचार में सामाजिक हैसियत, शिक्षा या जिस प्रकार के जीवन का बन्दी अभ्यस्त रहा है उसके कारण बन्दी उच्च श्रेणी के जीवन व्यतीत करने का आदी रहा हो अथवा उसका चरित्र और पूर्ववृत्ति, निजी हैसियत, जिस प्रकार के अपराध करने का मुकदमा बन्दी पर चल रहा है और अपराध करने के कारणों को देखते हुए बन्दी को जेल मेंउच्च श्रेणी प्रदान करना उचित प्रतीत होता हो। शर्त यह है कि बन्दी पर किसी ऐसे अपराध का मुकदमा न चल रहा हो जिसके दण्ड प्राप्त बंदियों को संशोधित प्रस्तर २८० के अनुसार जेल में उच्च श्रेणी देने का प्राविधान नहीं है। यह सही है कि धारा १८८ भारतीय दंड विधान ऐसी अपराध धारा है जिसके दण्ड प्राप्त बंदियों को जेल में उच्च श्रेणी प्रदान करने के लिये प्रस्तर २८० में निषेध नहीं है। किन्तु फिर भी सामाजिक हैसियत इत्यादि जो शर्तें ऊपर बताई गई हैं उनके अनुसार ही विचाराधीन बंदियों को जेल में उच्च श्रेणी देने के मामले पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा सेशन जज को विचार करना होता है। जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ, ने सूचित किया है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त बंदियों को जेल में उच्च श्रेणी में रखना उचित नहीं समझा गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि इन ५ विद्यार्थी बंदियों ने जेल में उच्च श्रेणी प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र १५-१२-७० को कारागार अधीक्षक को प्रस्तुत किए थे और इसके पूर्व उन्होंने कोई प्रार्थना पत्र इस संबंध में नहीं दिए।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि धारा १८८ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत पूर्व गिरफतार विद्यार्थियों को जेल में उच्च श्रेणी दी गई थी और उन्हें तुरन्त छोड़ दिया गया था, इस बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि किस तिथि को गिरफ्तार किये गये विद्यार्थियों के बारे में प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है। जेल मैनुअल के अनुसार जो विचाराधीन बन्दी जेल में उच्च श्रेणी पाने के अधिकारी समझे जाते हैं उनको जेल में उच्च श्रेणी प्रदान की जाती है। गिरफ्तार किए गए विचाराधीन बन्दी सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त होने पर जेल से मुक्त भी किए जाते हैं। यह सही है कि ७-१२-७० को धारा १८८ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत गिरफ्तार किए हुए विद्यार्थी बंदियों को शासनादेश से ८-१२-७० को मुक्त किया गया था और जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ, ने उनको जेल में उच्च श्रेणी प्रदान की थी।

अभी थोड़ी देर पहले जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ, से सूचना प्राप्त हुई है कि चार विद्यार्थी बन्दियों के प्रार्थना पत्रों पर विचार करके उन्हें जेल में उच्च श्रेणी प्रदान करने के आदेश आज दे दिए गए हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई (जिला इलाहाबाद)—

७ तारीख को जो लड़के बंद हुए हैं उनको तुरन्त रिहा कर दिया गया है, किन्तु जो ८ तारीख को उसी प्रकार से उसी धारा में ५ विद्यार्थी बन्द हुए हैं, उनको अभी तक क्यों नहीं रिहा किया गया है? उनको जमानत आदि के अनेकों बहाने बनाकर रोका जा रहा है, इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न में यह बात नहीं आती है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्न में यही बात थी। उन विद्यार्थियों को तो छोड़ दिया गया उसी वक्त, क्योंकि वे सत्तारूढ़ पार्टी के एक घटक से संबंधित छात्र यूनियन के सदस्य थे, किन्तु दूसरे दिन जो लड़के पकड़े गये जो कि युवक कांग्रेस के थे उनको नहीं छोड़ा गया। तो यह भेद-भाव क्यों किया गया, इसीलिये यह प्रश्न यहां उपस्थित किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये मैं नोटिस पढ़कर सुनाये देता हूं। "जो विद्यार्थी १४४ तोड़ने के अन्तर्गत लखनऊ में गिरफ्तार किये गये हैं, उनको सरकार ने न तो अपर क्लास ही दिया है और न ही मैजिस्ट्रेट लोग ही अपने कोर्ट में बैठ रहे हैं, जिससे उनकी जमानत कराई जा सके।" तो इसमें जमानत के बारे में एतराज नहीं है।"

सवाल यह है कि वह बताते हैं कि जो कि इस धारा के अन्तर्गत अन्य लड़कों को सुपीरियर क्लास दिया गया है और तुरन्त छोड़ दिया गया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं यही प्रश्न उठा रही हूं कि ८ तारीख को जो लड़के पकड़े गये, चूंकि वह कांग्रेस के थे इसलिये उनके साथ यह व्यवहार किया जा रहा है और ७ तारीख को जो लड़के पकड़े गये चूंकि संविद सरकार के एक घटक से सम्बन्धित थे उन्हें विशेष रियायत देकर तुरन्त छोड़ दिया गया। सरकार ने जो बयान दिया है, उसमें तथ्य को छिपाया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दें तो हो जायगा।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, मैं सिर्फ दो बातें जानना चाहूंगा। एक तो बाजपेई जी की बात जिसके बारें में आपने व्यवस्था दी कि लिख कर दिया जाय।दूसरी बात इसी वक्तव्य में है कि पहले मजिस्ट्रेट ने उनको बी क्लास देना जरूरी नहीं समझा किन्तु अन्त में उनको दिया गया है और छोड़ा गया है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि पहले कौन सा मापदंड जिसके अन्तर्गत यह समझा गया कि उच्च श्रेणी न दी जाए और बाद में उस माप दंड में क्या बदलाव हो गया कि बाद वालों को दया गया ?

श्री अध्यक्ष—

आप यह प्रश्न नहीं कर सकते हैं। मुझको लिख कर दें दें कि आप इससे सन्तुष्ट नहीं हैं और नियम ५१ के अन्तर्गत चर्चा कराना चाहते हैं। मैंने अभी सिर्फ वक्तव्य के लिये कहा है, चर्चा के लिये नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

यह जो संविद सरकार ने यूथ कांग्रेस के युवकों के सांथ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट किया है और दूसरे युवकों के साथ दूसरा व्यवहार किया है, मैं जानना चाहता हूं—पृष्ठ के वक्तव्य में लिखा है कि शासनादेश से ८ दिसम्बर को मुक्त किया गया, शासनादेश में क्या और वह युवक कांग्रेस के विद्यार्थियों पर क्यों नहीं लागू किया गया, एक दफा १८८ में सब गिरफ्तार हुए थे।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेजिए मैं ५१ में लूंगा। तब कहिए।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मैं कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो कर कुछ बोलने लगे ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह प्रश्न इतने महत्व का है, यह सरकार की नीति का द्योतक है । आप अपनी इजाजत दें । मंत्री इतना बताएं कि यूथ कांग्रस क विद्यार्थियों पर शासनादेश क्यों नहीं लागू हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

देखिए, उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो उचित समझा वह किया । आप ५१ में चर्चा के लिये लिखकर दे सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने इस प्रश्न के ऊपर लगातार उन बेंचों के लोगों को समय दिया, हम से कौन सी गलती हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने इजाजत नहीं दी । मैं कह रहा हूं कि इस पर चर्चा नहीं होगी । वह बोल रहे हैं, और आप भी बोल रहे हैं ।

श्री त्रिवेणी—

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री से नहीं पूछ सकते । आप लिखित दे दें और मैं इजाजत दे दूं तब पूछ सकते हैं । आपको इजाजत दूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह बड़ा गम्भीर मसला है । इस पर जरूर सरकार का उत्तर आना चाहिए । कम से कम पूछें तो आप ।

श्री अध्यक्ष—

आपने नया सवाल उठाया है । उनके वक्तव्य से आपके मन में प्रश्न आया तब आपने उठाया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

एक प्रश्न का उत्तर आपने नहीं देने दिया ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने केवल वक्तव्य के लिए दिया था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आपने विरोधी दलों को पहले इजाजत दी है इसी प्रकार सवाल करने की ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दें ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

आप उत्तर दिला दीजिये कि सरकार ने दो नीतियां क्यों रक्खी हैं ?

(व्यवधान)

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई नये नियम ५१ में बने हैं कि गृह मंत्री ने रिपोर्ट पढ़ी और आपने एलाऊ किया एक दो प्रश्न करने के लिये, तो क्या नये नियम बने हैं ?

श्री अध्यक्ष—

५१ में बहुत प्रश्न आते हैं। लोग कहते हैं कि एक साइड ही मालूम हो जाय, कम से कम वक्तव्य ही दिला दीजिये तो उसमें मैं यह करता हूं कि अगर वक्तव्य में कोई कमी रह जाय तो ५१ में मुझे दे दीजिये, मैं स्वीकार कर लूंगा ।

श्री त्रिवेणी—

वक्तव्य मंत्रीजी ने पढ़ा तो जानकारी के लिये तो पूछा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

आपने आक्षेप कर दिया कि कांग्रेसवालों को क्लास नहीं दिया ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आपने सहायता कर दी तो धन्यवाद । तो मैं फिर से मंत्री जी से वक्तव्य दिलाने के लिये कहूंगी क्योंकि हमने जो सवाल उठाये हैं उनके पूरे जवाब नहीं आये हैं । तो इस पर पुनः वक्तव्य दिलाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

खाली वक्तव्य नहीं, आप उस पर चर्चा भी कर सकेंगे ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आपने इस बार वक्तव्य दिलाया, अब दोबारा करना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय सदस्य से कहा कि कहां का है, तब उन्होंने लखनऊ लिखा । यह शब्द नहीं लिखे कि कांग्रेस वालों के लिये किया और फलां के लिये आपने नहीं किया । तो ऐसी हालत में मैं उनसे तभी पूछ सकता हूं कि जो आपने आज सवाल उठाया है, आप यह लिखकर दे दीजिये । मैं ५१ में इसे स्वीकार कर लूंगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा

श्री वासुदेव (जिला प्रतापगढ़)—

यह विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति की चर्चा का विषय है । इस पर मैं...

श्री अध्यक्ष—

यह १९६६ में उपस्थित हो चुका है ।

श्री बासुदेव---

इस प्रतिवेदन में कुछ मूलभूत प्रश्न उठाये गये हैं और इन पर विचार करना श्रेयस्कर होगा। आप यह जानते हैं कि सचिवालय पुनस्संगठन समिति को गठन करने में क्या पृष्ठभूमि है। यह वर्षों से प्रश्न चला आ रहा है और संविधान के अनुच्छेद १८७, जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, में जो अपेक्षायें हैं, वह इस प्रदेश में पूरी नहीं हुई हैं। यह १८७ अनुच्छेद इस प्रकार है :---

"१८७---(१) राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन का प्रथक् साचविक कर्मचारीवृन्द होगा :

परन्तु विधान परिषद् वाले राज्य के विधान मंडल के बारे में इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि वह ऐसे विधान मंडल के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों के सृजन को रोकती है।

(२) राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों के साचविक कर्मचारी वृन्द में भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगा।

(३) खंड (२) के अधीन जब तक राज्य का विधान मंडल उपलब्ध नहीं करता तब तक राज्यपाल यथा स्थिति विधान सभा के अध्यक्ष से, या विधान परिषद के सभापति से, परामर्श करके सभा या परिषद के साचविक कर्मचारी वृन्द में भर्ती के, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के, विनियमन के लिये नियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार बने कोई नियम उक्त खंड के अधीन बनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे।

इस संविधान को २० वर्ष हो गये लेकिन इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मैं इस सम्बन्ध में सरकार और मंत्रि परिषद के मुख्य मंत्रियों के विचारों से भी आपको अवगत कराना चाहता हूं। माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने सन् ६० में इस सिलसिले में यह टिप्पणी की थी "दिल्ली केन्द्र में प्रचलित प्रथा को अपनाने में सिद्धान्ततः क्या आपत्ति है। इस बात से बचा नहीं जा सकता और हमारे अध्यक्ष एवं सभापति उन बातों के बारे में जिन्हें वे अपनी स्वतंत्रता का द्योतक समझते हैं बड़े संवेदनशील हैं। ऐसी परम्पराओं को स्थापित करने और नियमों को लागू करने में जो विधान मंडल की स्वतंत्रता के अनुकूल समझी जायं दिल्ली आदर्श होगा। शोभनीय यही होगा कि यह बात क्यों न स्वीकार कर ली जाय जो आगे चल कर स्वीकार करनी ही पड़ेगी।" माननीय गुप्ता जी ने भी अपनी विचाराभिव्यक्ति की है एक बैठक में। शासन से सम्बद्ध न होने के कारण इस सचिवालय के कर्मचारियों को कोई अधिकृत मत उस वेतन अभिनवीकरण समिति, जो सरकार ने बनायी थी, के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया जा सका जिसके कारण इस सचिवालय के प्रति न्याय न हो सका।

जो मुख्य बातें चर्चा के लिये हैं और जिन पर समिति ने समस्या की गूढ़ता, गम्भीरता और उसकी महिमा के अनुसार विचार किया है वह यह है कि अभी तक शासन ने विधान सभा सचिवालय को एक विभागाध्यक्ष का कार्यालय ही मान रखा है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वह सरकारी सचिवालय के एक विभाग (विधायिका विभाग) के प्रशासकीय नियंत्रण में है यह संविधान की मंशा के विरुद्ध है। सामूहिक रूप से सदन के कर्मचारियों का स्तर संविधान के अनुसार सचिवालय का स्तर है न कि वैभागिक अध्यक्ष अथवा प्रशासकीय विभाग का। अतः सरकारी सचिवालयों के प्रशासकीय नियंत्रण में बने रहना संविधान के उद्देश्य के अनुकूल नहीं है। अभी तक जो प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार माननीय अध्यक्ष अथवा सचिव, विधान मंडल को प्राप्त हैं वे उस प्रकार के अधिकार नहीं हैं जिससे यह कहा जा सके कि अन्तिम निर्णय माननीय अध्यक्ष के हाथ में है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां के कर्मचारी वृन्द आज भी पूर्ण रूप से माननीय अध्यक्ष के प्रशासकीय नियंत्रण में नहीं हैं। बल्कि उन पर अन्य प्रशासकीय विभाग का दबाव बना रहता है।

[श्री वासुदेव]

वर्तमान समय में विधान सभा में नियुक्तियां, पदाधिकारियों की पदोन्नति, छुट्टी, अनुशासन सम्बन्धी अधिकार, सेवा की शर्तें, वेतन तथा अन्य प्रशासकीय विषयों में सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

अभी तक सदन को आवश्यकतानुसार सचिवालय में कितने कर्मचारी हों, तथा सदन की ओर क्या आवश्यकतायें हैं, इसका अन्तिम निर्णय करने का अधिकार सरकार को ही है।

अभी तक सदन के आय-व्ययक को अन्तिम रूप में सदन में किस तरह प्रस्तुत किया जाय, इसका भी अन्तिम अधिकार शासन को ही है।

विधान सभा सम्बन्धी जिन विषयों पर संविधान के अनुसार राज्यपाल की आज्ञा अपेक्षित है, वे सभी आज्ञायें अभी तक शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा ही राज्यपाल के नाम पर जारी होती हैं।

इन सभी बातों को देखने के बाद आप को सोचना है कि आज जो चर्चा का विषय है कि हम इस जरूरत को वर्षों से महसूस करते चले आ रहे हैं और जो हमारे मानस को उद्वेलित करती रही है चाहे इधर के बैठने वाले हों अथवा उधर के बैठने वाले हों उन पर हम निर्णय करें। अनेक मुख्य मंत्रियों को भी यही विश्वास रहा है और उनके निर्णयों का भी महत्व रहा है जिन पर हमको गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। यह एक शुभ लक्षण है कि सरकार में जो हमारे साथी हैं उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति में इस विषय पर समुचित विचार करने और आपका और हमारा अपेक्षित ध्यान खींचने का अवसर दिया है। मैं इस विषय पर और अधिक नहीं कहना चाहता हूं। चाहे इधर के अथवा उधर के लोग हों कोई भी इस विषय की महिमा, गुरुता और गरिमा विधान सभा सचिवालय स्वतंत्रता को दृष्टि में रखते हुये संयत और गंभीरता के ढंग से विचार रखें और वह जहां असर करने का स्थान है वहां वह असर करे। इसमें बहुत अधिक विलम्ब हुआ है।

माननीय गुप्त जी जब विरोधी दल के नेता थे और वे उसी हैसियत से इन समितियों की बैठक में प्रथम बार भाग लेने पहुंचे तो उनका प्रश्न स्पष्टतयः यही था कि यदि इन समितियों के निर्णय अन्तिम नहीं हैं तो इनसे कोई समस्या का हल नहीं होगा, अर्थात् इन समितियों का कोई महत्व नहीं है। उस समय शासन की ओर से कदाचित यही कहा गया था कि इन समितियों के निर्णय सरकार को मान्य होंगे। किन्तु अब तक की कार्य प्रणाली से स्पष्ट है कि समितियों में लिये गये निर्णय विधायिका विभाग और वित्त विभाग में सबार्डिनेट आफिसेज के प्रपोजल्स से ही होते हैं।

मैं समझता हूं कि जो दूसरी मुख्य बात इसमें है कि माननीय अध्यक्ष को समस्त प्रशासकीय अधिकार प्रदान किये जायं और यह कोई बहुत बहस की बात नहीं है। यह संविधान में अपेक्षित है कि विधान सभा के सचिवालय को प्रशासनिक सचिवालय या सरकारी नियंत्रण से अलग रखा जाय ताकि उसकी स्वतंत्रता और दक्षता बढ़े। जो अधिकारी आज शासन में हैं उन्हीं के समकक्ष अधिकारी यहां भी होने चाहिये। विधान सभा के अधिकारी सक्षम, दक्ष और योग्यता में यदि उनसे अधिक नहीं तो बराबर अवश्य होने चाहिये। मैं इस चिरवांछित अपेक्षा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। मैं सम्पूर्ण समग्रता के रूप में इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहना चाहूंगा कि यह विषय केवल चर्चा का ही विषय न होकर चर्चा से आगे का भी विषय हो और इस पर आप गम्भीरता के साथ विचार करें और उनको कार्यान्वित करने के लिये सचेष्ट हों। दूसरे प्रदेशों में यह बात लागू हो गई है। जो चीज दिल्ली में प्रचलित है और दिल्ली सरकार की ओर से लोक सभा के सचिवालय की तरफ से भी एक माडल बिल आदर्श अधिनियम का प्रारूप यहां से गया था, हमारे इस प्रतिवेदन में सम्मिलित

था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जहां तक इस पर चर्चा चलावें, वह चर्चा केवल चर्चा तक ही सीमित न रह जाय। बल्कि आप संविधान से उपेक्षित चीज को पूरा भी करें।

*सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णा नन्द राय)—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। समितियों की प्रक्रिया के बारे में हमारी नियमावली में पूरा एक चेप्टर १६ है। उसके नियम २१६ में श्रीमन् यह लिखा हुआ है कि इसको समिति की ओर से कोई सदस्य या समिति के सभापति उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन इसके नियम (२) में दिया हुआ है कि प्रतिवेदन उपस्थित करने में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित करने वाले सदस्य यदि कोई अभियुक्ति करें तो अपने आप को तथ्य के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेंगे या समिति द्वारा की गई सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करेंगे किन्तु इस कथन पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा। श्रीमन्, इसके आगे नियम (३) में दिया हुआ है कि संबंधित मंत्री या कोई मंत्री उस दिन या किसी भावी दिनांक को, जब तक के लिये वह विषय स्थगित किया गया है, सरकारी दृष्टिकोण और शासन द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की व्याख्या करते हुये संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे।

श्रीमन्, अनुरोध यह है कि जो समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार किया है वह श्रीमन् माननीय उपाध्यक्ष जी ने नियमानुकूल उसका प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत करके एक बहुत ही आवश्यक कार्य किया कि उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट किया और अपनी बात को बहुत ही थोड़े शब्दों में जैसा कि इसमें संकेत है प्रस्तुत की। अब श्रीमन्, उपाध्यक्ष जी ने तो सदन का ध्यान आकृष्ट कर दिया, अब होना यह चाहिये कि नियम के अनुसार सरकार की तरफ से किसी मंत्री को आप अवसर दे दें कि यदि वह तैयार हों तो आज, अगर नहीं तैयार हैं तो किसी दूसरे दिन, जैसा नियम में है, सरकार का उस पर क्या दृष्टिकोण है, उसको सदन के सम्मुख रखें। श्रीमन्, एक चीज और है कि इस नियमावली के नियम २१८ के अन्तर्गत दिया हुआ है कि समिति के अध्यक्ष के विचारार्थ उस समिति से सम्बन्धित प्रक्रिया के विषयों पर संकल्प पारित करने की शक्ति होगी जो प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेंगे जिन्हें वह आवश्यक समझें। इसमें श्रीमन् यह है कि यदि किसी समिति का प्रतिवेदन आवे तो समिति आप से निवेदन कर सकती है कि उसके प्रतिवेदन को कार्यान्वित कराने के लिये आप जिस प्रकार से कार्यवाही करना चाहें, संकल्प करना चाहें तो कर सकते हैं। श्रीमन्, इसमें विधान सभा के सचिवालय का सवाल है। इस प्रश्न पर सभी सदस्य चाहे वह विरोध पक्ष के हों या सरकारी पक्ष के, सभी एक ही विचार रखते हैं। श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पर कोई विवाद का प्रश्न नहीं उठता। केवल ध्यान आकृष्ट कर दिया जाना चाहिये, फिर सरकार और आप यह दोनों मिल कर नियमों के अनुसार उस पर उचित कार्यवाही कर सकते हैं।

लेकिन श्रीमन्, जहां तक विधान सभा सचिवालय का प्रश्न है यह तो एक विशेष चीज है और कोई आवश्यकता नहीं है कि इसको यहां पर चर्चा का विषय बनाया जाय। नियम में भी नहीं है। यह सदन की समिति है और बहुत ही उत्तरदायी लोगों ने इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया है। उस प्रतिवेदन पर आपका ध्यान आकृष्ट हो गया। आज्ञा होगी तो सरकार की ओर से दृष्टिकोण रख दिया जायगा या आप उस सम्बन्ध में बात कर लेंगे। इसमें चर्चा क्या होनी है? क्या यह उचित होगा दुनिया भर का इस पर यहां विवाद करना? इस पर जरा आप गम्भीरतापूर्वक विचार कर लें। फिर जिस विषय पर अब तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं है उसे विवाद का विषय बना कर एक कंट्रोवर्सी पैदा करने से कोई लाभ नहीं होगा और नियमानुकूल भी नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम २१९ की ओर भी दिलाना चाहता हूं। मुझे कृष्णानन्द राय जी की बात सुन कर आश्चर्य होता है। कार्य-मंत्रणा समिति में समिति की संस्तुति पर विचार करने की बात नेता सदन ने स्वीकार कर ली। फिर कार्य-मंत्रणा समिति में तिथि निश्चित हो गयी और आज जब हाउस ने प्रस्ताव कर दिया कि इस पर चर्चा होगी तो यह आपत्ति सहकारिता मंत्री जी उठा रहे हैं। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। मैं उनसे अपेक्षा करता था कि वह स्वतः कहते कि यह रिपोर्ट मान ली जाय या यह कहते कि फलां संशोधन नहीं माने जायंगे तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने प्वाइंट आफ आर्डर रेज करके कोई बहुत अच्छी परम्परा स्थापित नहो की है। मुझे आश्चर्य यह है कि २५ फरवरी, ६६ को यह प्रतिवेदन रखा गया। उस दिन क्या कार्यवाही हुई उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन आश्चर्य तो यह है कि २५ जनवरी, ६६ से आज तक सदन इतने महत्वपूर्ण प्रतिवेदन पर विचार नहीं कर सका। इसमें मैं नियम २१९ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय—

इसमें आप भी दोषी हैं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—

२१९—(२) में लिखा है—"यदि प्रक्रिया के विषय में या अन्य किसी विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो तो सभापति यदि ठीक समझें तो उस विषय को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर देंगे जिनका विनिश्चिय अंतिम होगा। इसके अलावा आपको सामान्य अधिकार ३१३ नियम के अन्तर्गत प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं —"ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बद्ध प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश करें।" नियम ३१३ में इस प्रकार आपको अधिकार है कि इस पर चर्चा का दिन नियत करें। माननीय मंत्री जी ने २१६—(२) का हवाला दिया। उसका अर्थ केवल इतना है कि समिति के सभापति जो होंगे उनके कथन पर विवाद नहीं होगा यह अर्थ नहीं कि रिपोर्ट पर ही विवाद नहीं होगा। उसमें यह लिखा है—"प्रतिवेदन उपस्थित करने में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित करने वाले सदस्य यदि कोई अभियुक्ति करे तो अपने आपको तथ्य के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेंगे या समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करेंगे किन्तु इस कथन पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा।" यह नहीं है कि रिपोर्ट पर ही चर्चा नहीं होगी।

इसके अलावा अब तो परम्परा यह बन गयी है कि लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पर विवाद होता है। हां, उनके चेयरमैनों के कथन पर विवाद नहीं हो सकता। विधान सभा का यह इतना बड़ा प्रश्न है इस पर वाद-विवाद नहीं होगा, यह तो मेरी समझ में नहीं आता है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि वे स्वयं अपने व्यवस्था के प्रश्न को वापस ले लें।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, यह प्रतिवेदन इस सदन में बहुत पहले प्रस्तुत हुआ था। प्रक्रिया नियमावली के नियम २१६ में इस प्रकार की कोई बैधता नहीं है कि इसको नहीं लिया जा सकता है। इसमें यह लिखा हुआ है कि यदि वह स्थगित कर दिया जाय। तो ऐसी बात नहीं है कि इसे स्थगित कर दिया गया हो, अतः यह इसीलिये आज की कार्यसूची में रख दिया गया है। इस पर आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विचार होना चाहिये। न लिये जाने की इसमें कोई वैधता नहीं है कि न लिया जाय। इसे आज लेना नियमानुकूल है। इस पर आज आप बहस अवश्य करा लें और माननीय सदस्यों की राय ले लें।

मान्यवर, मेरा दूसरा निवेदन यह भी है कि मैंने एक प्रस्ताव आपकी सेवा में भेजा है। इसी प्रकार का एक अन्य प्रस्ताव विधान परिषद् ने भी स्वीकार किया है और मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के दोनों सदन एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, अभिन्न हैं और एक दूसरे से उनका सम्बन्ध है। अतः उसके सम्बन्ध में भी सदन निश्चित हो जाय। इस आशय का एक प्रस्ताव मैंने आपके पास भेजा है।

श्री अध्यक्ष—

(डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के खड़े होने पर) आप भी उसी व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रही है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, उसी पर बोल रही हूं। अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति में जब यह विषय आया था कि यह कब लिया जायेगा तो उस वक्त हमारे माननीय सदस्य विकल जी ने इस ओर ध्यान आकृष्ठ किया था कि जब पिछली बार हमारी असेम्बली की बैठक समाप्त हुई थी उसमें यह कहा गया था कि जब अगली बार पुनः असेम्बली मीट करेगी उसके पहले दिन ही इस रिपोर्ट पर वाद-विवाद किया जायेगा। यह आपकी तरफ से तब घोषणा की गयी थी। उसके पश्चात् कार्य-मंत्रणेा समिति और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इसको १७ तारीख के लिये रख दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, जब एक चीज सब की राय निश्चित हो जाती है और तय हो जाता है तो बार-बार यह कह कर चर्चा को रोकना और सदन के समय को खराब करना अच्छी चीज नहीं है। मैं इस पर आप की व्यवस्था चाहती हूं।

*न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—

मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि में जो यह प्रतिवेदन सदन के सामने रखा जा रहा है वह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय से सम्बन्धित है। यही नहीं, मैं और आगे बढ़कर यह भी कहना चाहता हूं कि यह प्रतिवेदन एक ऐसा विषय है जिसमें सरकार का अपना दृष्टिकोण भी एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण हो सकता है। मान्यवर, मैं केवल इस दृष्टिकोण से यह कह रहा हूं कि यह समिति जो बनी थी वह एक सदन की समिति थी। उसने अपना एक प्रतिवेदन बनाया और यह काफी पहले १९६६ में बनाया गया था और १९७० में आज यह सामने आया है। तब से और आज तक कितनी ही चीजें पुरानी हो गयीं और कितनी चीजें नई आ गई हैं।

मेरे मित्र माननीय कृष्णानन्द राय जी ने ठीक ही कहा कि कदाचित् हमारे नियमों का यह अर्थ है कि इस पर विवाद नहीं होना चाहिए बल्कि सरकारी पक्ष भी सदन के सामने आ जाना चाहिये। अतः इसमें विवाद का प्रश्न नहीं है। यह तो सदन की एक उप-समिति है अतः इस समिति की रिपोर्ट पर विवाद का प्रश्न नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इससे पहले सरकार के पास में यह उपलब्ध हो जानी चाहिए, यह नियम २१५ में है जिससे सरकार इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को अपने मस्तिष्क में रखकर विचार कर सके। मान्यवर, नियम २१५ में दिया हुआ है कि "सम्बन्धित मंत्री या कोई मंत्री उसी दिन या किसी भावी दिनांक को, जब तक के लिये वह विषय स्थगित किया गया है, सरकारी दृष्टिकोण और शासन द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की व्याख्या करते हुये संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आपने कहा "उत्तर दे सकेंगे"। किस का उत्तर दे सकेंगे ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

प्रतिवेदन के बारे में। इसमें लिखा हुआ है---"समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये हों या समिति के किसी सदस्य द्वारा जो सभापति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये हों, या सभापति की अनुपस्थिति में या जब वह प्रतिवेदन उपस्थित करने में असमर्थ हो तो समिति द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जायगा और सदन की मेज पर रख दिया जायगा।"

इसके आगे मान्यवर, यह है--

"प्रतिवेदन उपस्थित करने में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित करने वाले सदस्य यदि कोई अभियुक्त करें ...."

अभियुक्त करें यानी कोई एक्यूजेशन करें तो--

..."तो अपने आप को तथ्य के संक्षिप्त कथन तक सीमित या समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करेंगे किन्तु उस कथन पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा।"

अब इसके आगे प्रतिवेदन उपस्थिति के संबंध में प्रक्रिया बताते हैं--

"संबंधित मंत्री या कोई मंत्री उसी दिन या किसी भावी दिनांक को, जब तक के लिये वह विषय स्थगित किया गया है, सरकारी दृष्टिकोण और शासन द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे।"

श्री अध्यक्ष--

किस का उत्तर देंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

उत्तर देंगे प्रतिवेदन के संबंध में। मान लीजिये कोई एक्यूजेशन किया गया। यह कहा जाय कि यह यह सिफारिश हुई और सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि सरकार का प्रतिवेदन के संबंध में क्या दृष्टिकोण है, वह भी मंत्री जी सदन के सामने रखेंगे।

मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है यह वाद-विवाद का विषय नहीं है। इसलिये सरकारी दृष्टिकोण आ जाय और अगर कोई एक्यूजेशन है तो वह आ जाय।

यह सही है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने एक निर्णय लिया।

श्री अध्यक्ष--

और सदन ने इसको स्वीकार किया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

मुझे आप क्षमा करें। यदि सदन ने इसको स्वीकार भी कर लिया और कार्य-मंत्रणा समिति का निर्णय भी हो और उन्होंने यदि इस नियम की ओर ध्यान नहीं दिया तो सदन को अधिकार है कि वह नियम की ओर ध्यान दे।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

श्रीमन्, इस प्रतिवेदन को बटे हुए तीन दिन हो गये। कार्यमंत्रणा समिति में भी हम लोगों को यह मिल गया था। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया

और माननीय आचार्य जी ने उसको विस्तारपूर्वक रखा, उनका मैं आदर करता हूं लेकिन मान्यवर, आपकी व्यवस्था होने के पहल दुःख के साथ यह कह देना चाहता हूं कि इस समय एक संवैधानिक संपत्ति की रक्षा करने का प्रश्न हमारे सामने है। यह बड़े दुःख की बात है कि सन् १९५० में संविधान बना और ५२ से उसके अनुसार यह सदन चल रहा है। १८ वर्ष हो गये और आर्टिकिल १८७ की ओर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया। फरवरी, १९६६ में यह प्रतिवेदन भी तैयार हो गया था। ५ वर्ष उसको भी हो रहे हैं। इस बीच में इधर जो लोग बैठे हुये हैं उनकी भी सरकार बनी और उधर जो लोग बैठे हैं उनकी भी सरकार बनी, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो सका। यह ठीक है कि ऐसे विषयों पर वाद-विवाद नहीं होना चाहिये लेकिन फिर भी यह सम्मानित सदन सुप्रीम बाडी है, यह जो मुनासिब समझता है वह कार्य अवश्य होना चाहिये।

किन्तु मान्यवर, आपकी व्यवस्था देने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें संबंधित मंत्री अथवा वित्त मंत्री का जिक्र आया है संबंधित मंत्री जी से मैं समझता हूं कि संसदीय मंत्री से मतलब होगा। जिस समय वह समिति गठित हुई थी उसकी ओर ध्यान देने की कृपा करें। उस समय संसदीय मंत्री माननीय बनारसीदास जी थे और वित्त मंत्री माननीय कैलाश प्रकाश जी थे जो आज भी वित्त मंत्री हैं और वे दोनों इस समिति के सदस्य रहे हैं। इसके तैयार करने में ५ महीने लगे हैं। जिन अधिकारियों के साक्ष्य लिये गये हैं उनमें श्री के० के० दास और भिड़े-साहब के साक्ष्य हुये हैं। उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि वित्त विभाग का काम केवल नियमों को देखना है कि उनके विरुद्ध तो कार्य नहीं हो रहा है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, यह तो बहस हो रही है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप को क्या आपत्ति हो रही है। उनके बोलने में मैं कभी बाधा नहीं डालता हूं। अपनी व्यवस्था देने से पहिले इस पर विचार करें कि इसमें ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिये। इसमें ज्यादा डिले नहीं करनी चाहिये। आज ही इस पर विचार होकर हाउस की मुहर इस पर लग जानी चाहिये। तीन दिन इसको वितरित हुये हो गये अगर किसी को आपत्ति थी तो वह आ सकती थी और उस पर विचार हो सकता था। आप अपनी व्यवस्था देने से पहले इस पर विचार करें कि साधारणतया थोड़े समय में इस पर चर्चा हो, सदन की मुहर लग जाय और वित्त मंत्री जी को भी जो कुछ कहना हो वह कह लें।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो आपत्ति उठाई है वह ठीक नहीं मालूम होती है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के विषय में इसके अन्दर कुछ धारायें आई हैं जिनमें हम अपने सुझाव देंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप स्वयं सत्ता सम्पन्न पीठ हैं और कर्मचारियों को लोकसेवा आयोग से या सरकार से किस तरह से स्वतन्त्र किया जाय और लोक सभा में जो नियम लागू हैं उनको यहां पर किस तरह से लागू किया जाय जिससे सारे कर्मचारी हमारे नियमों के बनाने में सहयोग दे सकें। तो हम अपने सुझाव देना चाहते हैं। हमें अपने सुझाव देने का अवसर प्रदान किया जाय। कल ऐसी व्यवस्था दी गई थी कि हम लोग बोल भी लिये और व्यवस्था भी सुरक्षित रख ली गई। मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें अपनी बात कह लेने दी जाय।

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो आपत्ति आपके सामने माननीय कृष्णानन्द राय जी ने उठाई, नियमों के देखने से मालूम होता है कि वह बिलकुल तथ्यहीन नहीं है। इसी प्रकार से माननीय आचार्य जी ने भी बात कही है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ध्यान में रखना चाहिये। यह

[श्री उदित नारायण]

जो रिपोर्ट है इसमें ज्यादा कोई मतभेद का प्रश्न नहीं उठना चाहिये यह मानी हुई बात है कि हमारे सचिवालय को एक्जीक्यूटिव से पृथक होना चाहिये। यह शायद स्वतंत्रता संग्राम का आइटम था क्योंकि इसे फंडामेंटल क्वैश्चन मान कर माननीय बिट्ठल भाई पटेल ने अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में इस बात को मनवाया था कि यह सचिवालय अलग रहेगा। यह जो रिपोर्ट पेश की गई है इसमें दो बातें होती हैं। जो बात माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कही, मैंने यह अर्ज किया कि वह तथ्यहीन मालूम नहीं होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जो रिपोर्ट आई है, वह केवल देखने के लिये आई है। यह भी समझ में नहीं आ सकता है तो इसका एक ही अर्थ हो सकता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के सदन में आने के पश्चात् जो कुछ भी व्याख्या थोड़ी बहुत इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में हो जो इसको पेश करें उनको सुन लिया जाय। उस के बाद सरकारी पक्ष के कथन को सुनने का मौका मिलना चाहिये। जैसा कि इससे मालूम होता है सरकारी कथन के पक्ष में एक बात ही हो सकती है कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को यदि आप यह मानें कि हमारे संविधान का अनुच्छेद १८७ जो है उसके मुताबिक हमको कार्यवाही करनी चाहिये। अगर यह बात मान ली जाय और आप मान लेते हैं तो उसके मानने के बाद अनुच्छेद का जो दूसरा हिस्सा है उसके अनुसार नियम बनाने की बात कर लें। अनुच्छेद १८७ की भावना के अनुकूल इस सदन में सचिवालय के लिये नियम बना लेंगे। तो मैं समझता हूं कि इतनी बात तय हो जानी चाहिये कि इस प्रकार के नियम बनेंगे। बनने के बाद अभी बहुत सी बातें हैं।

इसके बारे में जो इस सदन में माननीय सदस्य को सुना है उससे मुझे ऐसा लगता है, यदि किसी जगह मैं गलती करता हूं तो माननीय सदस्य मुझे दुरुस्त कर देंगे, मैं उनका अनुग्रहीत हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस सब को देखने के बाद इस प्रतिवेदन के फलस्वरूप जो कुछ भी सरकारी पक्ष को कहना हो वह जरूर कहना चाहिये और अगर कुछ भी समय वह लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे उन्होंने बहुत ज्यादा समय ले लिया है लेकिन यदि वह और समय चाहें तो उनको अधिकार है। उनके कहने के बाद जब ये नियम बनेंगे तो फिर सदन के समक्ष आयेंगे उसमें या तो यह हो कि आप इस बात को तसलीम कर लें कि जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कार्यवाही करेंगे। वह कार्यवाही यह होगी कि इस सदन के सामने अनुच्छेद १८७ की धारा २ के अनुसार उसके नियम बन कर आयेंगे और उसके अनुसार हम नियम बनायेंगे....

श्री अध्यक्ष—

वे नियम राज्यपाल महोदय बनायेंगे हाउस नहीं बनायेगा। लेकिन सिद्धान्त आप तय कर लें।

श्री उदित नारायण—

इसमें कुछ भी लिखा हो लेकिन यह जरूरी समझता हूं कि इसके ऊपर इस सदन में अवश्य कुछ चर्चा हो वरना इसका पेश होना निरर्थक हो जायेगा। यहां पर जो हमारे सदस्य हैं उनकी भिन्न-भिन्न राय हो सकती है, पर कुछ ने इसको पसन्द किया है और आपने भी पसन्द किया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज अवश्य इसके ऊपर कुछ न कुछ चर्चा जरूर होनी चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, आज मुझे ऐसा मालूम होता है कि आसमान से गिरा तो खजूर में अटक गया। होशियार वकील वही होता है जो तथ्य वाली बात को कम तथ्य वाली बताता है। हर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तथ्यवान बात को तथ्यहीन साबित कर दे वही कुशल वकील होता है। तथ्य यही है कि इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में बहुत दिनों से विचार हो रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं हुई है आचार्य जी ने इन्कार किया लेकिन इस प्रतिवेदन के बारे में सरकार के सामने बहुत दिनों से विचार के लिये संशोधन आते रहे हैं। आज आचार्य जी कहते है कि यह रिपोर्ट अभी मिली है। १९६६ में यह रिपोर्ट मिल गई थी। सरकार के कहने पर कार्य-मंत्रणा समिति ने दोबारा इस रिपोर्ट को छपवाया है।

आज यहां पर न तो शान्ति प्रपन्न शर्मा जी हैं जो संसदीय मंत्री हैं और जिन्होंने यह आश्वासन दिया था और न आज हमारे दूसरे मित्र यहां पर मौजूद हैं। शर्मा जी बराबर इसके पक्ष में रहे हैं। तथ्य यह है कि मुझे उम्मीद थी कि हमारी बात को आज टाला नहीं जायगा। आज ६६ से ७० आ गया है। मैं तो आज इस आशा से आया था कि सरकार की तरफ से इस प्रतिवेदन के किन-किन सिद्धान्तों पर फौरन अमल कर रही है, किन पर कर चुकी है और किन पर भविष्य में करना चाहती है और बहुत सी बातों पर सरकार ने शायद अमल किया भी है लेकिन आज भी यह सरकार तैयार नहीं है। जैसा कि आज आचार्य जी से मालूम हुआ कि सरकार अभी तैयार नहीं है। मैं बहुत नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि सरकार के सामने....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा कि सरकार इस सम्बन्ध में तैयार नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं समझता हूं आचार्य जी इसके लिये तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से सूक्ष्म दृष्टिकोण इस पर आ जाय और सदन की तरफ से प्रस्ताव जैसा कि आपने कहा सदन में हो चुका, कार्य मंत्रणा समिति में हो चुका। ज्यादा डिटेल में न जायं, इस पर थोड़ी सी बहस हो जाय और सरकार को सूक्ष्म तरीके से अपना दृष्टिकोण रखने के लिये कुछ मौका दे दिया जाय और हम लोग जो कुछ सुझाव देना चाहें, वह भी सरकार के सामने आ जायं तो अच्छा हो और इसके ऊपर आप विवाद जारी करावें।

श्री अध्यक्ष—

पहले एक बात मैं और लक्ष्मीरमण आचार्य जी से पूछ लूं। क्या सरकार आज के रोज अपना दृष्टिकोण लाने के लिये तैयार है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, मैं इतना ही सदन से कहना चाहूंगा कि सरकार का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में, जितना कुछ मैं कहने की स्थिति में आज हूं, वह मैं अवश्य रख दूंगा लेकिन यदि सदन मुझे इस बात के लिये आज्ञा दे दे कि इस पर मैं कुछ और गम्भीरता से सरकार की ओर से विचार कर लूं तो अधिक अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

पूरे कैबिनेट से अर्थ है आपका?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इस सदन का प्रतिनिधि कैबिनेट है और मैं उसी स्तर पर सरकार का दृष्टिकोण रखना चाहता हूं। क्योंकि इसमें कुछ इतनी अधिक सिफारिशें हैं कि उनके डिटेल्स में जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यदि आप आज्ञा देंगे तो आज मैं उस दृष्टिकोण को आपके सामने रख दूंगा अन्यथा यदि किसी अन्य दिन आप इसके लिये दे दें। क्योंकि आज मैं एक दो मोटी चीजों का जिक्र कर दूंगा लेकिन आज उसके लिये ज्यादा डिटेल में जाना सम्भव न होगा। जो और सिफारिशें हैं—उनका जिक्र मैं कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप अपना दृष्टिकोण देंगे तो खंड १८७ में दिया हुआ है—(१) राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक् साचविक कर्मचारी-वृन्द होगा ।

"परन्तु विधान परिषद् वाले राज्य के विधान मंडल के बारे में इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि वह ऐसे विधान मंडल के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों के सृजन को रोकती है ।

(२) राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों के साचविक कर्मचारी-वृन्द में भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगा ।

(३) खंड (२) के अधीन जब तक राज्य का विधान मंडल उपबन्ध नहीं करता तब तक राज्यपाल यथास्थिति विधान सभा के अध्यक्ष से, या विधान परिषद् के सभापति से, परामर्श करके सभा या परिषद् के साचविक कर्मचारीवृन्द में भर्ती के, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिये नियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार बने कोई नियम उक्त खंड के अधीन बनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे ।"

तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वातंत्रय जो है इसके सेपरेट सेक्रेटेरियट का वह साफ है, तो चाहे नियम राज्यपाल बनावें लेकिन उसमें कंसल्टेशन है अध्यक्ष का और सभापति का। तो इस सिद्धान्त को जैसा कि श्री उदित नारायण जी ने आपके सामने रखा, उसी को आप अपनी दृष्टि में रख कर अपनी व्यवस्था इस पर देंगे। जहां तक डिटेल में जाने की बात है, आज आप डिटेल में नहीं जा सकते हैं लेकिन इनकी आप सुन लें। इस पर चर्चा हो जाय और किसी विषय में किसी को कुछ कहना हो वह कह ले और उसको सुनने के बाद फिर आगे किसी रोज आप अपना दृष्टिकोण जो दिन को फिक्स करें, रख दें। मैं समझता हूं कि इससे ऐसा होगा कि इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा हो जायेगी और लोगों का दृष्टिकोण भी मालूम हो जायेगा। और उसके बाद मैं समझता हूं कि एक चीज तो आज आप कह ही देंगे कि जो स्वातंत्र्य है इस सचिवालय का वह रहना चाहिये। अगर इस दृष्टिकोण को सामने रख कर आप इस सिद्धान्त को मानते हैं तो रूल्स वगैरह जो बनने हैं वे इस सिद्धान्त के अनुसार ही बनेंगे और इस तरह से दृष्टिकोण स्पष्ट हो जायेगा और आज एक स्वस्थ चर्चा हो जायेगी और काम हो सकता है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

श्रीमन्, इतना स्पष्टीकरण मैं माननीय मंत्री जी से और चाहता हूं कि इस पर चर्चा होने के बाद क्या वे सरकार की ओर से सदन को यह आश्वासन देंगे कि इस सिलसिले में रूल्स और नियम वगैरह जो बनेंगे वे कांस्टीट्यूशन के खंड १८७ के अनुसार ही बनेंगे? आज ही आप उनसे उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

डिटेल्स की बात तो बाद में हो जायगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वह सदन को जो आश्वासन देंगे उसके अनुसार निश्चित तिथि के अन्दर सरकार संविधान की धारा १८७ के अन्तर्गत जो सचिवालय की स्वतंत्रता का आपका अधिकार है, रूल्स बना कर लायेंगी, इतना आश्वासन आप मंत्री जी से अभी दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने कहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)---

अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के देखने से पता चलता है कि इस प्रकार के आश्वासन तो इसमें बहुतायत से हैं। इसमें ३--३ भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों की राय है और कई अवसरों पर मंत्रिमंडल ने भी निर्णय लिये हैं। स्वतन्त्र सचिवालय हो यह बात सिद्धान्त रूप से तय है, यह स्वीकार कर लिया गया है चाहे इस सरकार ने किया हो या न किया हो लेकिन पूर्वगामी सरकारों ने इसको स्वीकार कर लिया है और यह भी आज पुरानी लीगेसी के तौर पर उससे बंधे हुये ह। इसलिये उनके आश्वासनों का कोई महत्व या मूल्य नहीं है क्योंकि यह आश्वासन पहले भी दिये जा चुके हैं। आज उपाध्यक्ष महोदय ने प्रतिवेदन उपस्थित किया उससे हमारे दिमाग में इम्प्रेशन यह हुआ कि आज तक उन आश्वासनों को कार्यान्वित या इम्पलीमेंट क्यों नहीं किया गया और अगर इम्पलीमेंट नहीं किया गया तो वह कौन-सी मेकेनिज्म हो जिसे सदन कायम करे और जिससे यह रिपोर्ट उस मशीनरी के द्वारा कार्यान्वित की जा सके। अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था तो सिर आंखों पर है लेकिन वह अपने आप में अभी इतनी पूर्ण नहीं है जिससे कि वह प्रतिवेदन को कार्यान्वित कराने में सहायक हो सके। आप की व्यवस्था हो ही चुकी है और आप जरा सी मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

वह अभी नहीं हुई है।

श्री कृष्ण चन्द्र---

मेरी प्रार्थना यह है कि सरकार को केवल सिद्धान्त ही नहीं मानना है, अगर आप यह बहस चलाना चाहते हैं तो वह सार्थक तभी होगी जब कि सरकार प्रतिवेदन में दिये हुये सारे विस्तार और डिटेल्स के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे और आश्वासन दे कि जो जो डिटेल्स इसमें हैं उनको कार्यान्वित करने हेतु वह क्या करना चाहती है। इस रिपोर्ट को यहां लाने का केवल उद्देश्य ही यह है। मेरा निवेदन है कि इस पर वाद-विवाद होना चाहिये और सरकार को इस पर अपनी प्रतिक्रिया और निर्णय आज ही सदन में व्यक्त करना चाहिये जिससे आगे उसको कार्य रूप में लाने के लिये एक मेकिनिज्म तैयार हो सके।

श्री मैनेजर सिंह---

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में आप की व्यवस्था स्पष्ट है और उचित ही हुई है। पहले सदन की राय मंत्री जी सुन लें और अपने विचार यहां व्यक्त कर दें और उसके बाद सरकार से परामर्श कर के वह इसी सत्र में अन्तिम निर्णय यहां बता दें। आपने स्पष्ट कह दिया है वह ठीक ही है।

श्री रियासत हुसैन---

इतना हो जाय कि इसी सत्र में आ जाय।

श्री अध्यक्ष---

मैंने यह कहा कि डिटेल में अगर वे नहीं गये हैं तो जबरदस्ती डिटेल की बात उनसे कराई नहीं जा सकती क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। तो प्रश्न सिद्धान्तः इस सचिवालय की स्वतंत्रता का है आर्टिकिल १८७ के अन्तर्गत। तो आप इसके लिए तैयार हैं कि जो नियम बनेंगे, उसी के अन्तर्गत, उसी सिद्धान्त के अनुसार बनेंगे। अगर ये इस चीज को मानते हैं तो ठीक है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

श्रीमन्, इससे कोई फायदा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद आप अपने-अपने विचार प्रकट करेंगे। आज वे आप लोगों के विचार सुन लें और स्पष्ट कर लें और उसके बाद उनका जो अन्तिम दृष्टिकोण हो, वे डिटेल में प्रतिवेदन के ऊपर दें। उसके देने के बाद वह स्वीकृत हो जायगी।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, हम चाहेंगे कि इसी सत्र में हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, ५-६ वर्ष से इसको यों ही टालते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर इसी सत्र में निर्णय हो।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, आपने बड़ी कृपा की कि मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का एक मौका दिया। जिस इरादें से आपनें व्यवस्था दी वह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और मैं आपका आभारी हुं लेकिन श्रीमन्, एक निवेदन है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम लोगों को इसकें विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है तो इसकें लियें यदि एक दिन निश्चित कर दिया जाय ताकि हम लोगों जो इसमे रुचि रखतें है, इस पर चर्चा कर सकें और उसके बाद सरकारी विचार सामनें आवें। उस समय तक सरकार का रुख भी आ जावेगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, आपनें जो व्यवस्था दी है, वह तो शिरोधार्य है और सिर आंखों पर है लेंकिन जैसा कि कहा गया कि यह सरकार अपना उत्तर इसी सत्र मे दें दें, मैं यह समझता हूं कि डिटेल का जो प्रश्न यहां पर उठा है, हो सकता है कि माननीच मंत्री जी डिटेंल सें अनभिज्ञ हो तो इतना तो हमे चैरिटेंबिल होना चाहियें कि जब २४ तारीख तक सत्र चलनें वाला है, तथा उसकेंपहलें सरकार अपना एश्योरेंन्स दे दें। इसका मुझे थोड़ा सा अनुभव है। सरकार की भी जो चाबी है, अक्सर, वह उसे कैसे टाल सकता है, उसकी मैं एक मिसाल आपको सुनाता हूं। जब यह समिति बनी और इसनें कार्य करना आरम्भ किया, मैं भी इस समिति का एक सदस्य था। इसकी पहली बैठक लाइब्रेरी में हुई। इस पहली मीटिग मे तो कुछ मंत्रिगण पधारें पर उसके बाद एक एक तर्क लेकर भागते रहें ताकि यह समिति चलने न पायें। बड़ी मुश्किल सें मंत्री लोग आये और बड़ी कठिनाई सें हमारे आफिसर्स भी पधारें (व्यवधान)। आज भी, अध्यक्ष महोदय, मैं किसी की नीयत पर आक्रमण नहीं कर रहा हूं। जिस ढंग सें ६-६ वर्ष सें यह टालू मिक्चर पिलाया गया है, मुझे डर है कि कहीं फिर डिटेल के बहाने सें यह टालू मिक्चर न पिलाया जाय। लेकिन सदन सें मेंरी प्रार्थना है कि वह इन्हें एकोमोडेट करें और यें भी इस सदन को एकोमोडेट करें। मैं चाहूंगा कि इसी सत्र मे यें अपना दृष्टिकोण उपस्थित कर दें, यह व्यवस्था आप दें?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

श्रीमन्, ७ तारीख को जब माननीय विकल जी ने कार्य-मंत्रणा समिति में इस प्रश्न को उठाया तो हमारें संसदीय मंत्री जी ने इसलिये समय लिया था कि इसकी प्रतिलिपि हमे छपानें का समय मिले। यह पहले बंट चुके हैं और इस सम्बन्ध मे सरकार का दृष्टिकोण है, वह बातचीत करकें सदन मे आ सकें। इसलियें उनके ही सुझाव पर आज की तिथि निश्चित की गयी थी जिससें सरकार पूरी तरह तैयार होकर आये। आज बड़े अफसोस के साथ सुनना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और कहना पड़ रहा है कि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है। पहले तो एक कैबिनेट स्तर के मंत्री ने ....

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि सर्वप्रथम इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो कि हमारें संविधान से सम्बन्ध रखता है, प्रजातंत्र की मान्यताओं से सम्बन्ध रखता है, उस पर एक कैबिनट स्तर क मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उसके बाद हमारे दूसरे कैबिनेट के स्तर के मंत्री नें कहा कि वह पूरी तरह डिटेंल कें लिय तैयार नहीं हैं और अब यह कहा जाता है कि वह थोड़ी सी बातें तो कह देगें और बाद मे उसकें लियें दिन निश्चित करेगें। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार न संविधान की रक्षा करना चाहती है और न उसका आदर करना चाहती है। यह प्रश्न बहुत वर्षों से चला आ रहा है। १९४९ मे जब संविधान की रचना नहीं हुई थी। प्रेंजाइडिंग आफ्रिसर्स की कान्फ्रेन्स मे यह मिल कर प्रस्ताव पास किया था और उसकें बाद उसी के आधार पर सन ५० में जब संविधान बना उस समय हमारे जो ला मिनिस्टर अम्बेदकर थें, कांस्टीटुएंट असेम्बली बनने की बात थी तो कान्सटीटयूशन मे धारा ९८ और १८७ राज्य सभाओं कें लिये रक्खी गई थी लेकिन इतने दिनों के बाद लगातार ५८ से लेकर यह सवाल चला आ रहा है। दूसरे प्रदेश ने जैसे मध्य प्रदेश, मैसूर और पंजाब मे कांन्स्टीटयूशन की इस धारा को नियम बना कर लाग् किया है। हमारी इतनी बड़ी विधान सभा में इसकी गम्भीरता को समझ कर इस प्रतिवेदन के लिये एक समिति गठित की गई थी। बड़ी मेहनत करके और अनुभवी सदस्यों नें यह बनाया परन्तु उसके बाद भी आज सरकार उस पर तैयार नहीं है।

श्री मैनेजर सिह---

व्यवस्था का प्रश्न है। पांच साल तक इन्हीं की सरकार रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटें।

(व्यवधान)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैं यह चाहती हूं कि इस पर चर्चा हो और सरकार की तरफ सें निश्चित कदम उठाने के लिये आश्वासन दिया जाय।

श्री मैनेजर सिह---

सारें सदस्यों की राय है कि इस पर बहस हो जाय लेकिन फिर भी ये दलबन्दी में घसीटी जा रही हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डाटें।

श्री कृष्ण चन्द्र---

आप व्यवस्था दें कि चोर शब्द संसदीय है या नहीं।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य (श्री मैनेजर सिंह) सरकारी पक्ष के वकील हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष---

अब मैं फैसला देता हूं। सरकार की तरफ सें माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि आर्टिकिल १८७ के संबंध में उनका दृष्टिकोश क्या है। इस वक्त इस पर चर्चा तो शुरू हो जायेगी, लेकिन चूंकि डिटेंल्स मे अभी उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है, कुछ लोगों ने पढ़ा है,

[श्री अध्यक्ष]

सरकार आज जो मुख्य बातें चर्चा मे कही जायेंगी या इस प्रतिवेदन में हैं उन पर डिटेल्स मे अपना वक्तव्य किसी दूसरे रोज, और उस दिन जिसे आप निश्चित करेंगे, देगी। कुछ बातों के बारे में वे आज ही बता देंगे। तो इस पर चर्चा कुछ आज हो जायेगी। ब्योरे पर चर्चा के लिये कोई दूसरा दिन निश्चित किया जायेगा।

कई सदस्य—

इसी सत्र में दूसरा दिन नियत किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

पहले चर्चा तो शुरू होने दीजिये। सरकारी दृष्टिकोण पहले आ जाये।

श्री राम प्यारे—

आपने हमारे सुझाव को मान लिया है, हम इसके लिये आपके आभारी हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर सरकार का दृष्टिकोण उपस्थित करने का अवसर दिया। माननीय सदस्यों ने जो भी भावनायें यहां पर व्यक्त कीं, इस सदन का एक नगन्य सदस्य होने के नाते, उनके साथ मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, हमारा तो यह खयाल है कि बहुत पहले ही इस प्रतिवेदन पर चर्चा होकर इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये था। मेरा तो ऐसा खयाल है कि यदि यह सदन सारी बातों को सुन लेगा तो वह उनसे उनसे पूर्णतः सहमत हो जायेगा। अब तक इस पर यदि विचार नहीं किया जा सका तो उसके दोषी, मैं अपनी बहिन राजेन्द्र कुमारी जी से कहना चाहूंगा, हम सभी हैं। इस समय इस भावावेश में न आया जाय कि कौन दोषी है इसके लिये और कौन नहीं है। आप जानते हैं सन् ६६ में यह प्रतिवेदन बना, सन् ६७ में आम चुनाव हो गये, उसके बाद जो सरकार बनी वह १८ दिन चली, फिर दूसरी सरकार बनी, फिर ६९ मे चुनाव हुये। फिर एक सरकार बनी। वह भी बदली। तो यह सब भी उसके लिये कारण बने। सरकारों के बनने बिगड़ने से ही फुरसत नहीं मिली, इस प्रतिवेदन को देखता कौन? मुझे इसका दुख है कि अब तक इस पर विचार नहीं किया जा सका।

मान्यवर, मैं इस प्रतिवेदन को दो हिस्सों मे बांटता हूं। एक तो हिस्सा वह है जो सचिवालय के पुनर्गठन आदि से सम्बन्ध रखता है, तथा दूसरा वह हिस्सा है जो बहुत ही साधारण सा है जिसमें यह कहा गया है कि इस सदन को आहूत करने का और प्रोरोग आदि करने का जो आदेश जाय वह आपकी ओर से जाय और जो आदेश आयें या प्रख्यापित किये जायं वे भी सब आपकी ओर से ही हों। मान्यवर, इस वाले हिस्से के लिये मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वह सचिवालय पुनस्संगठन समिति की विवाद सीमा के बाहर का है, लेकिन फिर भी यह स्वीकार करने में जरा भी एतराज नहीं है कि वह श्रीमान् के द्वारा ही किया जाय। उसको माननीय मुख्य मंत्री श्रीमान् के पास भेज दें, आप गवर्नर के पास भेज दें, राज्यपाल फिर आपको भेज दें और आप उसका पब्लीकेशन करें। इसमें सरकार को कोई एतराज नहीं है। यही नहीं, बल्कि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न थोड़ी कर्टसी का भी है। इसके संबंध में न कहीं चर्चा संविधान में है, न कोई परम्परा है, केवल पार्लियामेंट में जरूर इसकी परम्परा है। तो उस परम्परा को अपने स्थान पर रहने दें। यहां से मुख्य मंत्री जी उसकी सूचना दें और आप उस सूचना को गवर्नर महोदय को दें तो मुझ को उसमें कोई एतराज नहीं है और सरकार का दृष्टिकोण इस विषय में बिलकुल स्पष्ट है।

श्री राजितराम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बेकार की बहस को छोड़कर इस बात पर ध्यान दें कि और जगहों पर तो बहुत घूस और भ्रष्टाचार चलता है, किन्तु

[श्री राजित राम पाण्डेय]

यहां पर चूंकि मंत्री रहते हैं, ए० एल० ए० रहते हैं, यहां के कर्मचारी घूस इत्यादि पाते नहीं हैं और उनकी तनख्वाहें भी बहुत कम हैं, इसलिए इन गरीब कर्मचारियों को इस भीषण मंहगाई में थोड़ी-सी राहत दिलवाने की कृपा करें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, अब इसका दूसरा रूप आया है, यह सचिवालय पुनस्संगठन वाला रूप है, उसके संबंध में मैं एक बार एक बात कह देना चाहता हूं कि उसमें न सरकार को कोई एतराज है, न मुझ को कोई एतराज है । यह जो अनुच्छेद १८७ में जिस चीज का जिक्र है, वह सरकार को पूरी तरह से मंजूर है । इसलिए मैंने सदन से चाहा था कि यदि वह हमें जरा समय देगा तो मैं कुछ कठिनाईयों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर दूंगा और उसके बाद मैं आप से निवेदन करूंगा कि यदि आवश्यक समझें तो डिटेल्स तय करने के लिये यहां की एक छोटी सी कमेटी बिठाल दें और वह आपको १०–१५ दिन में अपनी रिपोर्ट दे दे । सचिवालय और आप, श्रीमन्, जिस कल्पना का जिक्र है, वह स्वनिर्मित बाडी है और उसके अधिकार के हनन का सरकार का कोई इरादा नहीं है । इस में संविधान मे एक अनच्छेद १६८ है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । मुझे क्षमा करेंगे आप मेरे पास इस समय अंग्रेजी की प्रति है । इसमें है लिखा—

For every State there shall be Legislature which shall consist of the Governor, and

(a) in the State of Bihar, Bombay, (Madhya Pradesh), Madras, (Mysore), Punjab, (Uttar Pradesh and West Bengal, two Houses;

(*b*) in other State, one House.

इसका अर्थ यह है कि हर स्टेट का अपना एक विधान मंडल होगा और उसके तीन हिस्से हमारे उत्तर प्रदेश में होंगे—गवर्नर, विधान सभा और विधान परिषद् । गवर्नर हमारे विधान मंडल का एक अंग है ।

श्री अध्यक्ष—

कहीं कहीं एक ही हाउस है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जी हां, कुछ जगह एक ही हाउस है, लेकिन यहां दो हाउस हैं । अब, गवर्नर क्या है ? इसके संबंध में हमारे सामने अनुच्छेद १५४ है । देखें—

"154—The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through offices subordinate to him in accordance with his Constitution."

गवर्नर यहां की कार्यपालिका का अधीक्षक है, हेड । इसका मतलब यह है कि यह विधान मण्डल तीन चीजों से निर्मित होता है—कार्यपालिका का अध्यक्ष, इसके अतिरिक्त यह सदन और वह सदन । कार्यपालिका का अध्यक्ष, एग्जिक्विटिव हेड, जो कि गवर्नर है, वह विधान मण्डल का एक आवश्यक अंग है । १६३ में यह गवर्नर किस प्रकार कार्य करता है यह दिया है ।

"There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to Said and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion."

इस विवाद को जरा नीचे लाएं ।

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

गवर्नर इस विधान मण्डल का एक अंग है और गवर्नर कार्य करता है काऊंसिल आफ मिनिस्टर्स से जिसका चीफ मिनिस्टर हेड होता है उसकी सलाह से। इसका अर्थ क्या हुआ ? इसका अर्थ यह हुआ कि गवर्नर विधान मण्डल से संबंधित कार्यों को भी काऊंसिल आफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स की सलाह से और सहायता से करते हैं। मैंने कहा कि इस विवाद को जरा नीचे लाएं। कुछ बड़ी अजीब सी बातें हो गयीं वरना यह विवाद होता नहीं। हाई कोर्ट है, उसका चैप्टर ५ में सारा जिक्र है।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)--

इससे क्या मतलब है ? क्या कांस्टीट्यशन को समझा रहे हैं ? सरकार का क्या स्पष्टीकरण है उस सिलसिले में क्या दे रहे हैं आचार्य जी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मुझे बहुत दुख है, वकील होते हुए इस बात को नहीं समझे। बाकी सब लोग समझ जायेंगे।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह--

यह तो सब जानते हैं कि कांस्टीट्यूशन क्या है ?

श्री कृष्णचन्द्र--

आप सम्मान से जिक्र करें। वह भूतपूर्व न्याय मंत्री हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

क्षमा करें, मेरे भूतपूर्व न्याय मंत्री। यह जो हमारी कमेटियां बनीं, यह किस प्रकार से विधान मण्डल के कार्य को स्वतंत्र रूप से संपन्न कर सकें, मैं इस पर आ रहा था। आप तो कुछ अधिक जान लेते हैं लेकिन मेरे जैसे मोटी बुद्धि के आदमी के लिए कठिनाई पड़ती है। इस लिए जिक्र करने की आवश्यकता पड़ती है।

श्री कृष्णचन्द्र--

लेकिन इसके साथ धारा १८७ भी है इसको गवर्न करने के लिये। यह सही है कि राज्यपाल मंत्रिमण्डल की सलाह से कार्य करेगा लेकिन १८७ के आ जाने से यह अर्थ नहीं निकलेगा कि राज्यपाल कार्यपालिका की शक्तियों का कार्यान्वयन मंत्रिमण्डल की सलाह से करेगा लेकिन लेजिस्लेटिव जितना फील्ड है उसका कार्य, १८७ के कांस्टीट्यशन में इन्ट्रोड्यूस होने के कारण, स्पीकर की इच्छा के अनुसार करेगा ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, आचार्य जी ने कहा कि नियम १६३ के अन्दर जो इक्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनके लिए काऊंसिल आफ मिनिस्टर्स की राय से काम करेगा। तो श्रीमन् यह स्पष्ट हो गया कि १६३ के अनुसार काऊंसिल आफ मिनिस्टर्स की राय ली जायेगी। आचार्य जी कहते हैं कि १५४ के अन्दर इक्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर में वेस्ट करती है तो मेरा निवेदन है कि गवर्नर के अन्दर इक्जीक्यूटिव पावर्स ही वेस्ट नहीं करती बल्कि दूसरी पावर्स भी वेस्ट करती है। जो १६३ में कहा गया है उसके अन्दर यह क्लीअर हो जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

माननीय मंत्री जी ने जब सिफारिश स्वीकार कर ली है तो यह ताना बाना क्यों बुना जा रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय मंत्री जी ने शुरू में यह कह दिया कि १८७ के अन्दर स्वीकार करता हूं। उसके बाद केवल बिल में जाना है। अब तो सदन यह चाहता है कि १८३ के तीसरे खण्ड में सरकार क्या करना चाहती है, वह आप बतला दें, बहस समाप्त हो जावेगी।

श्री बसन्त लाल शर्मा--

जब गवर्नर की व्याख्या कर दी गई है तो १८७ बनाने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री उदित नारायण--

आज का विषय जो है वह अनुच्छेद १८७ में है। यहां का सचिवालय स्वतंत्र रूप से काम कर सके, इसके नियम बनाने से संबंध रखता है। माननीय आचार्य जी ने जो कहा है बड़े महत्व का है कि आहुत और सत्रावसान का आदेश सीधे गवर्नर करेंगे या आप के माध्यम से देंगे। यह महत्वपूर्ण है लेकिन १८७ से उसका संबंध नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संविधान में गवर्नर को तीन तरह के अधिकार हैं--(१) इक्जीक्यूटिव, (२) लेजिस्लेटिव और (३) जुडिशल। जिनका माननीय आचार्य जी ने हवाला दिया काऊन्सिल आफ मिनिस्टर्स का वह पार्ट २ में है, और लेजिस्लेटिव पार्ट ३ है। दोनों परिच्छेद अलग-अलग ह। तो जब राज्यपाल इक्जीक्यूटिव आर्डर पास करेंगे तो काऊन्सिल आफ मिनिस्टर्स की राय से करेंगे लेकिन लेजिस्लेटिव कार्यों में ऐसा नहीं होगा। उसमें कुछ ऐसे काम होंगे जिनमें गवर्नर को अन्यथा अधिकार है। मैं व्यवस्था का प्रश्न लाया कि यह स्पष्ट हो जाय। मैं ने इस संबंध में चर्चा के लिए दरख्वास्त भी दे रक्खी है कि आहुत और सत्रावसान के आदेश माननीय अध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त होने चाहिये और उन्हीं के माध्यम से किये जाने चाहिये। उसके ऊपर मैंने दे रखा है लेकिन मैं समझता हूं कि यह १८७ की बात नहीं है कि १८७ में सदन का सत्रावसान कैसे और आहूत कैसे किया जायगा। आचार्य जी ने जो कहा, मैंने सुना नहीं था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह साफ कर दें। अनुच्छेद १८७ से जो संबंधित है उस पर चर्चा हो जाय और दूसरा विषय भी कम महत्व का नहीं है। वह भी चर्चा का विषय किसी दूसरे समय बन जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय मंत्री जी ने मान लिया कि आपके द्वारा आयेगा। पुनस्संगठन की जब बात तो उसको दो हिस्सों में बांटा। पहली बात तो मान ली लेकिन दूसरी बात जब आई सचिवालय पुनस्संगठन की तो उन्होंने गवर्नर की बात कर दी।

श्री अध्यक्ष--

गवर्नर अनुच्छेद के भाग (३) में तो आता ही है

"Until provision is made by the Legislature of the State under clause(2) the Governor may, after Consulation with the Speaker" (इसमें कोई जिक्र चीफ मिनिस्टर का नहीं है। इसमें सिर्फ स्पीकर लिखा है) of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be, make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the Assembly or the Council, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause. रूल्स टैम्पोरेरी तो हो सकते हैं लेकिन लेजिस्लेचर उसको एक बिल के रूप में भी में ला सकता है और वह पास करेगा।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

१८७ में एक का तो उन्होंने कह दिया कि प्रत्येक सदन का पृथक साचविक कमचारि वृन्द होगा। दूसरा आता है कर्मचारि वृन्द में भर्ती का तथा नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगा। हम स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि खण्ड ३ में (२) के अधीन जब तक राज्य का विधान मण्डल उपबन्ध नहीं करता तब तक राज्यपाल तो यह उपबन्ध कब तक होने जा रहा है और सरकार इसके लिये कब तक तैयार है।

श्री उदित नारायण---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १८७ के सब सेक्शन ३ की चर्चा नहीं है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

माननीय सदस्य ने हमारी बात शायद समझी नहीं । माननीय मंत्री जी ने १८७ का पहला तो स्वीकार कर लियां । उन्होंने अपने भाषण के प्रारंभ में कहा कि पृथक करण की बात को स्वीकार करता हूं । लेकिन उसके बाद जो दूसरा है और जिसके लिये यह प्रतिवेदन उपस्थित किया है उस पर जानना चाहती हूं । मैं काफी दिनों से इस सदन में हूं और बराबर सरकार से प्रश्न किया जाता था कि कोई सर्विस रूल्स नहीं है कि किस प्रकार से कनफर्मेशन होने वाला है। सारी चीजें हैं आप कैसे नियुक्ति करेंगे और कौन करेगा आदि बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर यह प्रतिवेदन उपस्थित किया गया । यह सब सरकार की तरफ से आना चाहिये । धारा १८७ को आप मानते हैं और इसकी जो दूसरी और तीसरी धारा है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिये आप कब तैयार है और आप रूल्स कब ला रहे हैं । आज कर्मचारी १६, १६ वर्षों से अस्थायी चले आ रहे हैं और उनका कोई भविष्य नहीं है उन पर कब क्या हो जाय ?

श्री उदितनारायण---

मान्यवर, हमको यह मालूम हो जाय कि जो दूसरा हिस्सा आहूत और सत्रावसान वाला है उस पर भी चर्चा होगी या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मान्यवर, मैं अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने कुछ चीजें जो थोड़ी सी उलझ रहीं थीं, मेरा मतलब आहूत और सत्रावसान की तरफ है, प्रारंभ में कह दिया । मुख्य मंत्री अध्यक्ष को सूचित कर देंगे और आप सूचित कर देंगे गवर्नर महोदय को ।

श्री अध्यक्ष---

सदन के सचिवालय से नोटिस जारी हो जायेगी ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मेरे मित्र ने जो सवाल उठाया मैं जानता हूं कि श्री शर्मा जी ने दूसरे किस्म का सवाल उठाया है । आहूत और सत्रावसान करने का पूर्ण अधिकार स्पीकर महोदय को है या नहीं ?

श्री उदित नारायण---

मैंने यह प्रश्न नहीं उठाया ।

श्री अध्यक्ष---

मुख्य मंत्री ही निश्चय करेंगे और मेरे द्वारा यह आहूत की जायेगी ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

प्रोरोग करने के बारे में श्रीमान् जी को बता देंगे और वह गवर्नर महोदय के पास इसको भेजेंगे ।

मैंने लेजिस्लेचर्स की व्याख्या उपस्थित की थी । आज तक जो हो रहा है उसकी कठिनाइयों का जिक्र किया गया था । १८१(१) है कि हाउस का सेपरेट सेक्रेटेरियट स्टाफ होगा । इसमें तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है । अब प्रश्न यह है कि दूसरे में यह है कि जो पर्सन्स एप्वाइन्ट किये जायेंगे उनकी कण्डीशन्स आफ सर्विस लेजिस्लेचर तय करेगा । मान्यवर, मैंने केवल लेजिस्लेचर वर्ड क्या है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है । मान्यवर, इसके अर्थ हैं सदन और गवर्नर । यह तो हमारा प्रतिवेदन है उसके कुछ मदों के संबंध में मैं श्रीमान के सम्मुख रखना चाहता हूं । मैं सरकार की एक नीति को स्पष्ट कर दूं कि प्रमोशन्स के सम्बन्ध में, सर्विस कन्डीशन्स के सम्बन्ध में यदि कोई समिति बनाई जाय तो उसमें कोई एतराज नहीं है । जो थोड़ी-सी कठिनाई पड़ती है वह कठिनाई है वित्तीय मामलों में ।

श्री उदित नारायण--

वित्तीय मामलों के अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन का भी कोई स्थान होगा इसमें कि नहीं यह भी बतावें ।

श्री अध्यक्ष--

आज भी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही यह काम किया जाता है । जिस दिन यह सदन नियम बनाने बैठेगा तो पब्लिक सर्विस कमीशन को बीच में नहीं डाला जायगा क्योंकि उसकी एक वित्तीय भित्ति है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, इस समिति का जो प्रतिवेदन है उसकी एक सिफारिश की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । श्रीमन्, मोटे तौर पर दो बातें हैं--एक विधान सभा सचिवालय के संबंध में अध्यक्ष को पूरे प्रशासकीय और वित्तीय अधिकार मिलने चाहिये और दूसरे विधान सभा सचिवालय से संबंधित मामलों के विषय में राज्यपाल के आदेशों का प्रभावीकरण सरकारी सचिवालय द्वारा नहीं बल्कि विधान सभा सचिवालय द्वारा किया जाना चाहिये । इसमें दो चीजें हैं । जैसा कि मेरे मित्रों ने और भूतपूर्व न्याय मंत्री जी ने कहा कि अध्यक्ष को पूरे प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकार मिलने चाहिये । मान्यवर, इस तरह की सिफारिशें प्रतिवेदन के पृष्ठ ८-९ और पृष्ठ ४८-४९ में आ गई हैं । एक मांग तो यह है कि विधान सभा सचिवालय में सभी नियुक्तियां तथा पदोन्नति लोक सेवा आयोग के परामर्श से केवल अध्यक्ष को ही अधिकार होना चाहिए । मान्यवर, एक तो यह स्वयं सिफारिश है जैसा कि मेरे मित्रों ने इसके बारे में कहा था मान्यवर, इससे स्वतः यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक सेवा आयोग के परामर्श से अध्यक्ष को नियुक्तियां करने का अधिकार है । लोक सेवा आयोग इसमें रखा गया है ।

दूसरी चीज मान्यवर, यह है कि एक स्टाफ समिति को जिसके सभापति अध्यक्ष हों और जिसके सदस्य वित्त मंत्री तथा सदन के अन्य सभी समितियों के सभापति हों, स्टाफ सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा संबंधित सदनों और पीठासीन अधिकारियों आदि को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में अन्तिम निर्णय करना चाहिये ।

तीसरी चीज मान्यवर, अध्यक्ष के सभापतित्व में एक वित्त समिति बनाई जाय जिसके अन्य सदस्य वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा नेता विरोधी दल हों । इस समिति को विधान सभा सचिवालय से संबंधित बजट तैयार करना चाहिये और वित्त विभाग को इस विषय में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं होना चाहिये तथा उस समिति द्वारा तैयार किया गया बजट को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार करना चाहिये । परम्परानुसार अध्यक्ष को अपने कर्मचारिवर्ग के लिये किसी ऐसे वेतन मान की मांग नहीं करनी चाहिये जो सरकारी सचिवालय में तदनुरूप पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को दिये गये वेतन-मानों से अधिक हों, परन्तु मान्यवर, इसमें परन्तुक लग गया है, इसको आप देखें, इस बात को देखते हुये कि विधान सभा सचिवालय में पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं, उनको सेवा निवृत्ति की अवधि अधिक होनी चाहिये । मान्यवर, जैसा कि हमारे यहां ५५-५८ है, मैं हाइपोथिटिकल बात कहता हूं यह भी तय किया जा सकता है कि वह ६५ हो । इस में मान्यवर, केवल एक संकेत है कि अधिक होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो एडजस्टमेंट की बात है, यह आपस में तय होना चाहिये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, मैं इसीलिये कह रहा था कि इसमें जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है वह है वित्तीय कठिनाई । मेरे एक मित्र ने कहा और वह सज्जन हमारे बहुत ही समझदार मित्रों में से हैं, कि वित्तीय मामलों में पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिये । मान्यवर, यह कैसे सम्भव होगा ? मैं इस सारे

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

सदन से अपील करता हूं कि यह कैसे सम्भव होगा ? यह बहुत अच्छा है कि मान्यवर, हम यहां पर बैठे हुये हैं और आप वहां बैठे हुये हैं, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है, लेकिन मान्यवर, कल को ऐसी बात हो सकती है, जैसा कि हमारे देश में दो बार हो चुकी है---एक बार बंगाल में और दूसरी बार पंजाब में ।

श्री अध्यक्ष---

इस बारे में आपसे कहूं कि इस बारें में चर्चा हुई थी और शायद आप फाइलों में देखेंगे, यह बात श्री सम्पूर्णानन्द के वक्त की होगी, या पंत जी के वक्त की होगी--उसमें एडजस्टमेंट करने की बात है क्योंकि यह ठीक है कि इसमें डिफीकल्टी है । क्योंकि जिम्मेदारी पूरे फायनेन्सेज तथा रिसोर्सेज जमा करने की सरकार की है और खर्चा करने में स्पीकर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाय तो यह संभव है कि इतना खर्चा हो जाय जिसमें वित्तीय दिक्कत पड़ सकती है । उसके लिये यह तय हुआ था कि अगर डिफरेंस आफ ओपिनियन हो स्पीकर तथा फायनेन्स मिनिस्टर में तो आखिर में फायनली उस प्रश्न को कैबिनेट तय करेगी । ऐसे फायनेन्सेज के मतभेद में बात करके एडजस्टमेंट हो सकते हैं । उस समय मैंने भी इसके लिये प्रेस नहीं किया था कि पूरी तरह से अध्यक्ष स्वतंत्र हो जाय खर्च करने में । इस से दो सरकारें हो जायंगी । तो ऐसी बात नहीं है । यह मानना चाहिये कि इंडिपेंडेंस जो हम लोग लेते हैं वह इंडिपेंडेंस ऐसी होनी चाहिये जिसमें इस बात का खयाल रखना पड़ता है कि जो बजट है वह अधूरा न रह जाय या सरकार का दीवाला न निकल जाय । इस चीज को हाऊसेज आफ लेजिस्लेचर यानी अध्यक्ष नहीं चाहेंगे और न चेयरमैन ही चाहेंगे । इसलिये ऐसे एजडजस्टमेंट होंगे कि अगर किसी तरह से डिफरेंस आफ ओपीनियन हों तो कैसे तय हो ।

रिस्पांसिबिलिटी, जहां तक फायनेन्सेज का ताल्लुक है, सरकार की ही है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इतना मैं जरूर चाहता था कि हर बात में सरकार के अफसर रोड़ा अटकायें, यह न हो । यह न हो कि हम सरकारी आफिसर्स को ज्यादा देंगे और सदन के आफिसर्स को कम, यह मान कर कि सदन का सेक्रेटेरियट सैकिंड क्लास है इस तरह की चीज अगर होने लगे तो वह अखरता है । गवर्नमेंट के अफसर अपने अख्तियार इस तरह से इस्तेमाल करें कि इस लेजिस्लेचर को सबाडनेट ब्रांच समझा जाय तो बुरा मालूम होता है और सदन अपमान समझता है । एडजस्टमेंट दूसरी चीज है । इसलिये मैंने कहा था कि डिफिकल्टी का सवाल बाद में देखें और उसको फिर उनको हल करने की कोशिश करेंगे और किसी दिन वह चीज तय हो जायेगी ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा वह रिकार्ड में भी आ गया । मैं उसके लिये अनुग्रहीत हूं । जो डिटेल्स की चीजें है उनके बारे में विचार किया जा सकता है । जहां तक फायनेन्शियल डिफिकल्टी एराइज हो तो अन्तिम निर्णय कैबिनेट करे, यह ठीक ही है । लेकिन मैं आप का ध्यान दो चीजों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की गयी हैं उन सिफारिशों को अन्ततोगत्वा एक व्यवहारिक रूप प्रदान करना होगा और ऐसा नहीं है कि केवल कहने भर से काम चल जाय । यही कारण है कि जो १८७ (२) में लेजिस्लेचर शब्द का प्रयोग किया गया है, यह जानबूझ कर इसलिये किया गया है कि स्पीकर एंड दी गवर्नर ये दोनों इन बातो में निर्णय ले सकें । वित्तीय बात अलग चीज है । इसी प्रतिवेदन में एक चीज श्रीमन्, देखें केन्द्र में भी जब वित्तीय कठिनाइयां आती हैं तो अन्त में वह वित्त विभाग को चली जाती हैं । केन्द्र में १९२८ से जरा खयाल करें एक प्रकार से सेक्रेटेरियट लेजिस्लेस्चर कुछ अर्थों में स्वतंत्र है लेकिन जहां पर बात आती है वित्तीय मामलों की तो अन्त में वह वित्त विभाग को चली जाती है और वित्त विभाग उन पर निर्णय लेता है । वही जैसा कि श्रीमन् ने कहा, मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

उसमें बात इतनी है कि हमने कुछ बात तय की लेकिन सरकार के जो सबार्डिनेट आफिसर्स हैं वह क्रिटिसाइज कर देते हैं। लेकिन अगर वित्त मंत्री और स्पीकर बैठते हैं तो बराबरी के स्तर पर बैठ कर निर्णय जल्द हो सकेगा । तो यह चीज होनी चाहियें कि नीचे स्तर पर मंत्री जी अपनें आप कंसीडर कर लें अपनें आफीसरों से बात करकें।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

श्रीमन, मैंनें और सरकार ने इस विषय पर विचार किया । जैसा कि इस प्रतिवेदन की सिफारिशों में दिया हुआ है कि एक स्टाफ समिति बनें। मान्यवर, ठीक है आप स्टाफ समिति बनायें। मैं कहता हूं कि स्पीकर को इस सम्बन्ध मे निर्णय लेना चाहियें किन्तु जो यह स्टाफ समिति होगी वह नये-नये प्रकार के कांप्लिकेशन्स पैदा करेगी। इससे स्टाफ और स्पीकर पर तो कोई अन्तर नहीं पड़ता है किन्तु जहां तक वित्तीय मामलों का सवाल आता है कि उसकें लियें वित्त समिति बनें तो इस सम्बन्ध मे मैं बड़ी नम्रतापूर्वक यह अर्ज करना चाहता हूं कि वित्तीय समिति निर्मित नहीं होनी चाहिए ।

मान्यवर, उसका कारण यह है कि वित्त मंत्री को तमाम वित्तीय मामलों पर विचार करना पड़ता है, समस्त मंत्रि-मंडल का कार्य सरकार को उसकी राय से करना पड़ता है। श्रीमन, वित्त मंत्री यदि कोई हो और एक अन्य कोई वित्त समिति हो जिसमें कि इस माननीय सदन कें सदस्यगण भी हों और कौंसिल कें कुछ सदस्य भी हों तो वहां पर कैसें कार्य होगा ? मान्यवर, मैं यह केंवल विवाद के लिये कहता हूं कि मान लीजियें वित्त समिति कहती है कि यहां पर चार सेंक्रेटरी हों या यहां पर ४ सेंक्रेटरी के पदों का सृजन होना चाहिए और वित्त मंत्री भी बैठे हों और वे कुछ और कहें तो जो वित्त समिति के सदस्य होंगे वें कहेंगे कि आप नहीं मानतें हैं तो न मानिये यह तो हमारी वित्त समिति ने तय किया है। तो श्रीमन्, उस समय क्या परिस्थिति होगी ? इसीलियें मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नर वाली चीज कें लियें, श्रीमन कें साथ-साथ गवर्नर भी है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो यह कहा था कि आप संक्षेप में कहें ।

श्री कृष्ण चन्द्र--

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि धारा १८७(२) के संबंध में विधि मंत्री जी आप की क्या राय है। गवर्नर के मानें हैं अध्यक्ष और गवर्नर। मान्यवर, संविधान के अनुसार राज्यपाल कें जो अधिकार हैं वे कैबिनेट के अधिकार हैं कैबिनेट उसका उपयोग करेगी उसी प्रकार लेजिस्लेटिव विंग में जो राज्यपाल के अधिकार हैं उसका उपयोग अध्यक्ष करें। तो जो यह दो बातें हैं वह नहीं हो सकती। जहां पर कार्यपालिका का सवाल हो वहां पर तो मंत्रि मंडल राज्यपाल कें अधिकारों का उपयोग करें और जहां पर विधायिनी संस्था का प्रश्न आयें तो वहां पर गवर्नर इन्डिपेंडेन्ट एण्ड सोवरीन बाडी होकर विधायिनी के ऊपर फंक्शन करें, ऐसा नहीं हो सकता है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, मेरे मित्र नें वही बात कही। जब लेजिरलेटिव का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ होता है माननीय अध्यक्ष और एक्जीक्यूटिव में गवर्नर का अर्थ होता है हेंड आफ दि इक्जीक्यूटिव बाडी। यें दोनों ही मिलकर कार्य करते हैं। आज जो परिस्थितियां हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह अर्ज कर दूं कि अब तक तो यह था किन्तु अब उसमें कुछ अन्तर आ गया है। आज, परिस्थिति यह है कि रूल्स आफ बिजनेस १९५५ के पैरा २८ के अन्तर्गत विधान मंडल के दोनों सदनों कें सचिव, उप-सचिव और सहायक सचिव की नियुक्ति सें सम्बन्धित मामले आदेश

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

जारी होनें के उपरान्त मुख्य मंत्री को प्रस्तुत किये जाते रहे हैं । तो मान्यवर, अब अंतिम स्थिति यह है ।

विधान सभा सचिवालय में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में जो अन्तिम रूप से नियमावली तैयार की गयी है, उसके अनुसार अब जो नयी व्यवस्था है, वह इस प्रकार है कि राज्यपाल केवल सचिव, विधान मंडल के पद की तथा अन्य ऐसे पदों की, यदि कोई हों, जो दोनों सदनों के लिये समान हों, नियुक्ति का अधिकारी होगा और सभी पद जैसे सचिव, सहायक सचिव आदि की नियुक्ति का प्राधिकार अध्यक्ष को ही होगा ।

तो श्रीमन् आज की स्थिति यह है मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता केवल एक मोटी सी बात यह कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार है कि जहां तक सदन को आहूत करने का प्रश्न है तथा सदन को प्रोरोग करने का प्रश्न है, उसका अधिकार राज्यपाल अथवा सरकार को है । लेकिन इसके संबंध में जितनी भी पत्रावलियां आयेंगी वे अध्यक्ष के द्वारा ही आयेंगी ।

जहां तक आर्टिकिल १८७ की बात है, वह सरकार को पूरी तरह से स्वीकार है । उसको श्रीमन् और माननीय सदन स्वयं जानें । उसमें आपको अधिकार है । लेकिन इसमें जो वित्त समिति की बात है यह सरकार उससे एग्रीएबिल नहीं है । क्योंकि हम समझते हैं कि वह ऐसी बात नहीं है जो व्यावहारिक रूप से चल सकें । सर्विस कन्डीशन्स और दूसरी चीजों के संबंध में श्रीमन् की एक कमेंटी हो । यह ठीक है लेकिन जहां तक वित्तीय मामले की बात है, नियमों को कुछ इस प्रकार से ढ़ाला जाना चाहिये जिससे गवर्नर यानी मंत्रिमंडल को अन्तिम रूप से कुछ कहने का अधिकार हो ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा । उन्होंने कानून पर बड़ा जोर दिया । मैं व्यावहारिक तौर से एक बात उनसे पूछना चाहता हूं । मुझे आप केवल यह बता दें कि दिल्ली में लोक सभा में जो पैटर्न लागू है क्या उसमें दफा १८७ बाधक नहीं होती ? क्या बिहार और मैसूर में बाधक नहीं होती ? क्या केवल लखनऊ में ही बाधक होती है ? वहां पर कैसे उसका व्यवहार होता है ?

श्री अध्यक्ष---

अब मैंने उसको चर्चा का विषय बना दिया है । उन्होंने अपनी डिफिकल्टी बता दी अब आप अपने विचार जो चाहें प्रकट कर सकते हैं ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपाध्यक्ष जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने कृपा करके इस महत्वपूर्ण प्रतिवेदन की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया---

(इस समय २ बजकर ४३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए ।)

और इस सदन को आमंत्रित किया कि वह अपने इस प्रतिवेदन पर विचार करे । मैं शुरू में ही यह स्पष्ट कर दूं कि यह प्रतिवेदन सरकारी पक्ष या विरोधी पक्ष अथवा विरोधी और सहयोगी के आधार पर नहीं देखा जा रहा है। यह सदन का प्रतिवेदन है और आपके द्वारा नियुक्ति सर्वदलीय समिति का प्रतिनिधि प्रतिवेदन है । इसमें पार्टी अथवा दल का कोई संबंध नहीं है । इसके लिये न कोई पार्टी का ह्विप है न कोई मैनडेट है । यह सारे सदन का कार्य है और सारे सदन के सदस्यों पर अपने ही प्रतिवेदन पर आज विचार करना है । मैं इसी दृष्टिकोण से अपने विचार इस प्रतिवेदन पर व्यक्त करना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय सदस्य, मथुरा नें जो विधि मंत्री भी हैं, उन्होंने संविधान का हवाला दिया और संविधान कें अनुच्छेद १६४ का भी हवाला दिया कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स का क्या दायित्व है और गवर्नर किस प्रकार से बाध्य है। इसी अनुच्छेद १६४(२) मे आगे लिखा है कि "मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा कें प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी"। मेरे कहने का मतलब यह है कि स्टेट का जो मंत्रि-परिषद् होगा वह विधान सभा क प्रति उत्तरदायी होगा। जहां तक सदन का सवाल है सदन सरकार का मास्टर है, सरकार सदन की मास्टर नहीं है, सदन कें प्रति सरकार जबाबदेह होगी। मंत्रि-परिषद् अनुच्छेद १६४ के अनुसार विधान सभा पर निर्भर है। इस समय विचार हो रहा है कि कोई भी सरकार हो, वह किसी भी पार्टी की हो, वह सदन कें प्रति उत्तरदायी है और उसके सर्वोच्च अधिकारी आप हैं। जो भी कर्मचारी का करता है,वह आप, जो एक स्वायत्त शासकीय इकाई हैं, की सहायता के लिये करता है और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को जो अधिकार प्राप्त हैं उनकें प्रयुक्त के लिये सारा स्टाफ है। वे सदन के कर्मचारी हैं, सरकार कें नहीं हैं और आपकी सहायता के लिये हैं ताकि सदन का कार्य सुचारु रूप से चल सके। इस प्रक्रिया नियमावली के आधार पर जो आप के अधिकार हैं वे सरकार से परे हैं, उससे ऊपर हैं। इसीलिये संविधान में नियम १८७ में अलग से लिखा गया कि आपका सेपरेट सेक्रेटेरियट होगा। गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरियट है उससे सेपरेट होगा ताकि उसकी इंडिपेंडेंस बनी रहे, उसका स्वातंत्र्य बना रहे। यह बुनियादी सिद्धान्त है।

अब इस सिद्धान्त संविधान ने मान लिया है और सरकार संविधान की बनाई हुई है और संविधान मे ही उसका महत्व भी है। अब प्रश्न यह है कि जब संविधान ने इस सिद्धान्त को मान लिया तो इसका अनुपालन कैसे हो? हमने बहुत समय लगाया है, बहुत देर की है। क्या मैं कह सकता हूं कि यह हमारे लिये कितने शर्म की बात है, इस सदन के लिये मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं कि सेक्रेटेरियट के सारे मैनुअल्स हैं, उनके लिये नियम बने हुये हैं, सर्विस कंडक्ट रूल्स बने हुये हैं लेकिन हमारी असेम्बली के कर्मचारियों के लिये आज तक नियम नहीं बन सकें हैं। १९४७ से आज तक नियम नहीं बन सकें हैं। जो सरकारी कर्मचारियों के लिये नियम लागू हैं वे ही नियम इनके लिये भी लागू हैं। हम संविधान के अनुच्छेद की बराबर अवहेलना करते चले आ रहे हैं। अगर कोई असेम्बली का कर्मचारी रिट दायर कर देता कि मेरे ऊपर वे नियम लागू हैं जो नहीं हो सकते हैं, तो हमें इसमें जवाब देह होना पड़ता।

अब श्रीमन्, देखने का जो प्रश्न है वह यह है कि इस प्रतिवेदन का आधार क्या है? माननीय न्याय मंत्री जी ने संविधान का हवाला दिया। उनके पास कागज बहुत ह लकिन शायद प्रतिवेदन की कापी नहीं है। प्रतिवेदन का ब्रीफ शायद वे देख रहे थे।

मैं उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जितने भी उन्होंने तर्क दिये हैं उनका उत्तर खुद उस प्रतिवदन में लिखा हुआ है। पेज ७ प्रतिवेदन का देखा जाय तो मालूम होगा कि जितना भी मंत्री जी न ताना बाना बुना है उस सबका उल्लेख पृष्ठ ७ के अंतिम पराग्राफ में है:—

"जैसा कि समिति ने पहले कहा है यह आवश्यक है कि--(१) माननीय अध्यक्ष को प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकार पूर्णरूप से प्राप्त होने चाहिय, और (२) राज्यपाल के आदेशों को प्रसारित करने का अधिकार इस सचिवालय को होना चाहिये।

प्रथम बात के ऊपर विचार के समय समिति के सम्मुख दो मत आये। एक मत के अनुसार राज्यपाल विधान मंडल के ही अंग होने के नाते जो भी कार्य करते हैं उसका प्रसारण सदन के अधिकारियों द्वारा ही संविधान के अनुसार हो सकता है। किन्तु विधायिका सचिव ने दूसरा मत समिति के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि राज्यपाल सभी कार्य अपने मंत्रि-मंडल की सलाह से करते हैं और विधान मंडल के अंग होते हुये भी कोई कार्य अपने मंत्रि मंडल की सलाह के बिना नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद १६६ के अन्तर्गत ही वह सारे कार्य राज्यपाल

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

द्वारा किये जाते हैं। समिति इस तर्क से सहमत तो नहीं है किन्तु यदि यह तर्क मान भी लिया जाये तो जिस प्रकार अन्य राज्यों में किया गया है अथवा किया जा रहा है, उसके अनुसार समिति यह समझती है कि निम्न प्रकार एक विज्ञप्ति जारी कर दी जाये तो यह अधिकार सदन के सचिवालय को प्राप्त हो जायगा । विधान सभा सचिवालय से संबंधित आदेश और अन्य करण विधान सभा के सचिव या सहायक सचिव के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकृत किये जायेंगे ।" यह प्रश्न इतना लम्बा समय लेकर मंत्री जी ने सदन में रखा । इसका उल्लेख इस प्रतिवेदन म स्वयं दिया हुआ है । अगर आपकी बात मान ली जाय तो उसका एक रास्ता है । उस रास्त का उन्होंने सुझाव दिया है । अब मंत्री जी को, इस प्रतिवेदन में जो यह स्पष्ट संस्तुति है उसक बारे में क्या कहना है ? उसके बारे में सदन को निर्णय करना है ।

जहां तक गवर्नर की पावर का उल्लेख किया गया है, आप देखेंगे कि जो कानून बनाने की शक्ति है उसका अलग हवाला चौथे अध्याय के आर्टिकिल २१३ में दिया है—

"Legislative Power of the Governor. 'Power of Governor to promulgate ordinances during recess of Legislature.' "

तो जिस गवर्नर की शक्ति का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है वह लेजिस्लेटिव पावर अध्याय ४ में बिलकुल अलग से लिखी हुई हैं । जिस अध्याय का उल्लेख उन्होंने पहले किया वह लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर की हैं। वे एक्जिक्यूटिव पावर नहीं हैं। जो लेजिस्लेटिव पावर हैं वह एक्जिक्यूटिव पावर नहीं हो सकती हैं । कोई भी मिनिस्टर स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता क्योंकि गवर्नमेंट के आदेश का यहां पर कोई प्रश्न नहीं है । स्पीकर गवर्नमेंट को आदेश यहां पर देता है । यहां पर जो स्पीकर के द्वारा व्यवस्था है उसके अन्तगत सारा सदन बैठता है । मंत्रि परिषद् या विरोधी दल सब उसी व्यवस्था के अन्दर यहां पर बैठते हैं। वह सरकार आपको आदेश नहीं देती है । स्पीकर का पद, उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा जो असेम्बली के अधिकार है उनसे सारी बातें चलती हैं । यह अधिकार यदि सुरक्षित नहीं रहता है, अगर शासन का अधिकार हर बात में अध्यक्ष के ऊपर रहता है तो फिर यहां सदन का शासन स्वतंत्र नहीं रख सकता है । इसलिये इस प्रतिवेदन पर कार्यवाही होना नितांत आवश्यक है ।

अब यह प्रश्न आया है कि ये समिति वगैरह जो हैं इनका निर्माण नहीं होना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने एक सुझाव दिया, उन्होंने तो शायद स्वीकार भी कर लिया कि अगर आप चाहते हैं तो स्टाफ कमेटी बनावें और आप चाहें जो बात करें । इतना अधिकार मान लेने के बाद थोड़ी सी मुझे शिकायत है कि उनके कहने का जो ढंग है वह शायद मैं समझ नहीं पाया । माननीय मंत्री जी को कहना चाहिये था कि मैं इस प्रतिवेदन का स्वागत करता हूं लेकिन ऐसा न कह कर उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है इससे । जैसे कोई किनारे एक कोने में खड़े हो जाता है उस तरह से बड़ी परेशानी में उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है । मैं समझता हूं कि यह उनके स्वभाव के शायद विपरीत है । अन्त में जब वे उत्तर दें तो मैं चाहता हूं कि वे पूर्ण मानस के साथ कहें कि मैं इसका स्वागत करता हूं और यह कहना उनको ज्यादा शोभा नहीं देता कि मुझे इसमें एतराज नहीं है, एतराज नहीं है ।

एक तरफ माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि स्टाफ की नियुक्ति का अधिकार अध्यक्ष को होना चाहिये और अध्यक्ष अपने स्टाफ की नियुक्ति करें । दूसरी तरफ जब अध्यक्ष को इसकी जरूरत मालूम हुई कि क्वेश्चन्स आजकल ज्यादा हो रहे हैं इसलिये दूसरा असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया जाय और उसके स्टाफ में ४ कर्मचारी और रखे जायं तो फिर यह कहा जाय कि इसको रखने के लिए पहले मंत्रि परिषद् का निर्णय होना चाहिये, तो फिर आपने क्या पावर दी अध्यक्ष को ? एक तरफ तो आप अध्यक्ष को नियुक्ति का अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का बंधन लगा देते हैं । क्या कटौती प्रस्ताव की तरह से उनको सांकेतिक तौर पर एक रुपया दिया जायेगा ? आखिर उनको तनख्वाह देना पड़ेगा,

उनको पैसा देना पड़ेगा । परम्परा तो यह होनी चाहिये कि अगर अध्यक्ष ने अपनी बुद्धिमत्ता से सदन को चलाने के लिए किसी पद का सर्जन करना आवश्यक समझा तो इसका अधिकार उनको मिलना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि इसके लिए यह कहा जाय कि पहले वित्त विभाग से पूछा जाय । प्रतिवेदन से भी शायद उन्हें कोई श्वेत पत्र पढ़ा कि वित्त विभाग से इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिये ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैंने ऐसा नहीं कहा और न पढ़ा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आपने पढ़ा तो था कि वित्त विभाग से इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिये । खैर अगर आपने नहीं कहा तो मैं आपकी बात मान लेता हूं । मुझे अपनी गलती मानने में कोई एतराज नहीं है ।

तो मैं कह रहा था कि अगर वित्त विभाग से इसका संबंध नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अध्यक्ष जो उसके मन में आवेगा अपनी मनमानी करेगा । आखिर अध्यक्ष इतने बड़े सदन को चलाते हैं, इसकी मर्यादा है और वे मर्यादा और नाम के अनुरूप ही कोई बात करेंगे । ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बिना नियम के ही दो हजार, ४ हजार या ५ हजार रुपये पर किसी की नियुक्ति कर देंगे । ऐसा कोई नहीं करेगा । आखिर स्पीकर का भी एक स्टेट्स है, उसकी कुछ मर्यादायें हैं, और उसके अनरूप ही वे काम करेंगे । क्योंकि स्पीकर की भी आलोचना गलत काम करने पर की जा सकती है नो कांफिडेंस के जरिये । अगर स्पीकर कोई गलत नियुक्ति करता है तो संविधान ऐसी व्यवस्था है कि उसके विरुद्ध सदन में अविश्वास का प्रस्ताव लावें । लेकिन स्पीकर जो भी ऐसी नियुक्ति करेगा, इसके पहले वह इस संबंध में वित्त सचिव या वित्त अधिकारी से पूछ लेगा । हमेशा मंत्री लोग यहां तक कि मुख्य मंत्री भी माननीय अध्यक्ष के कमरे में जाते रहे हैं और यही परम्परा है कि अध्यक्ष स्वयं किसी मंत्री के कमरे में नहीं जाता बल्कि मंत्री लोग ही इसके आमंत्रित करने पर उसके कमरे में जाते हैं । यह बात दूसरी है कि अध्यक्ष अपनी तरफ से कभी-कभी उनके घर पर चले जायं ।

यह भी देखने की बात है कि यहां के सेक्रेटरी का स्टेटस अगर सरकारी सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी का दिया जाय तो यह कहां तक उचित होगा ? आखिर जब वे लोग आपस में बात करते होंगे तो क्या सोचते होंगे ?

वहां के लोग समझते हैं कि यहां के सचिव तो हमारे स्टेटस से नीचे के स्टेटस के हैं, जहां इस तरह स्टेटस का मानदंड भी बराबर न हो तो कैसे काम चल सकता है, आप अपेक्षा कर नहीं सकते कि आप के सचिवालय को एक उचित दर्जा मिले । इसलिये उचित स्टेटस देने के लिये हमारे नियम तुरन्त बनने चाहिये और उनको स्वीकृति मिलनी चाहिये । बड़े आश्चर्य की बात है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को नियम भेजे हुये कितने दिन हो गये लेकिन कुछ नहीं हुआ । क्या कारण है इसका ? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में क्यों यह रूल्स लटके पड़े हैं और क्यों नहीं वहां से ठीक होकर आते हैं । अच्छा हो कि आप इन नियमों के विषय में अब तुरन्त एक सेलेक्ट कमेटी नियुक्त कर दें जैसा कि माननीय उदित नारायण जी ने कहा यह उचित ही होगा कि उप-अनुच्छेद (२) के अनुसार कानून बन जाय । यह बात प्रतिवेदन में भी कही गई है कि इस उप अनुच्छेद के अन्तर्गत कानून बन जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक आदर्श बिल सरकार को तो भेज दिया गया है, यदि सरकार चाहे और सदन चाहें तो वह आ सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं तो चाहता हूं कि आज ही यह तय हो जाय कि फलां तारीख को वह बिल सदन में आयेगा या वह प्राइवेट मेम्बर्स बिल की तरह भी आ सकता है, मेरी तरफ से ही आप नोटिस ले लें वह हमारी तरक से भी पेश हो सकता है । हम चाहते हैं कि वह बिल आये और ऐक्ट की शक्ल ले ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

इसके डिटेल्स के लिये यदि कोई एक कमेटी बना दें तो अच्छा होगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

धन्यवाद, आप ने यह रास्ता निकाला । मैं निवेदन कर रहा था कि इस उप अनुच्छेद (२) के अनुसार बिल के प्रारूप के आधार पर एक ऐक्ट आप बनवायें और अगर कोई दिक्कत है या समय नहीं है तो उप अनुच्छेद (३) के अनुसार ही नियम लागू हो । लेकिन बिना नियम के यह कैसे चल रहा है ? सरकार के नियमों को इस सचिवालय में लगाना बिलकुल संविधान के विपरीत और प्रतिकूल है और असंवैधानिक भी है ।

अब मैं आपका ध्यान कांस्टीटयूशन की तरफ दिलाऊंगा । जो सरकारी कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कन्डक्ट रूल्स आर्टिकिल ३०९ के अन्तर्गत बने हैं उसमें लिखा है मैं क्षमा चाहता हूं यह अंग्रेजी मे पढ़ रहा हूं हिन्दी कापी उपलब्ध नहीं है ।

"Subject to the provisions of this Constitution, Acts of the appropriate Legislature may regulate the requirement, and conditions of service of persons appointed, to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State:

Provided that it shall be competent for the President or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the Union, and for the Governor of a State or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the State, to make rules regulating the requirement, and the conditions of the service of persons appointed to such services and posts until provison in that behalf is made by or under an Act of the appropriate legislature under this Article, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any such Act."

इसके अनुसार अगर कर्मचारियों के लिए ऐक्ट बने तो ठीक है और अगर वह नहीं बनता है तो गवर्नर को अधिकार है कि वह नियम बनायें । इस समय जो यहां काम हो रहा है वह ३०९ आर्टिकिल के नियमों के आधार पर ही चल रहा है जबकि १८७ अनुच्छेद में (३) खंड में साफ लिखा है कि यहां के लिये गवर्नर अलग से रूल्स बनायेगें । तो यहां के लिए नियम अलग से १८७(३) धारा के अन्तर्गत बननें चाहियें । इसलियें यह अपरिहार्य है कि यहां के लिए जल्द से जल्द नियम बनें ओर सरकार को इस संबंध में व्यवस्था करनी ही होगी । हाउस आफ कामन्स में, जैसा कि माननीय सदस्य, जौनपुर, ने उल्लेख किया है, एक क्लर्क आफ दि हाउस होता है, वह हमारे सचिव के अनुरूप होता है । सारजेंट एट आर्म्स और क्लर्क एसिस्टेन्ट वगैरह जो हमारे सुपरिंटेन्डेन्ट के अनुरूप होते हैं, जिन्दगी भर के लिए नियुक्त किये जाते हैं और उनके लिये सीधे क्राउन को रिकमेंडेशन होता है और उसका भी एक अलग तरीका है कि हाउस आफ कामन्स उनको कैसे हटायेंगा । मेज पार्लियामेटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ २५४ पर दिया हुआ है कि—

"The Clerk Assistant are appointed by the Crown, under the sign manual, on the recommendations of the Speaker, and are removable. only upon an address of the House of Commons."

तो House of Commons को यह स्वतंत्रता और अधिक दी गयी है और जो स्टाफ है वह ३ डिपार्टमेंट्स में विभक्त है । एक हाउस आफ दि क्लर्क के डायरेक्ट अन्डर में होता है, दूसरा स्पीकर के अन्दर में होता है और तीसरा सर्जिन्ट एट आर्म्स के डायरेक्ट अन्डर में होता है । तो इस प्रकार से वहां पर जो डिपार्टमेंटस हैं, उनका समन्वय किया गया है और वहां पर जो सैलरीज व कंडिशन्स आफ सर्विसेज हैं वे एक कमीशन द्वारा रैग्युलेट होती हैं, जैसा कि प्रतिवेदन मे भी सिफारिश हुयी है । मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में दिया हुआ है कि :

" The salaries and conditions of Service of the permanent officers of the House and their staffs are regulated by a Commission set up under the House of Commons Offices Act of 1812."

"and consisting of the Speaker, the Secretaries of State, the Chancellor of the Exchaqer, of the Master of the Rolls, the Attorney General and the Solicitor General (being also Members of the House)."

तो श्रीमन्, सदन की वित्त समिति जिससे माननीय मंत्री जी इतना परेशान हैं, यह समझ र हैं कि उनकें अधिकार कम हो रहें हैं । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जब उस समिति माननीय वित्त मंत्री रहेगें तो कैसे उनके अधिकार कम हो जायेंगे । मैंनें भी वित्त विभा का दृष्टिकोण आपके सामने रखा और आपनें माना । तो इस समिति में जो कार्य होग वह ऐसा नहीं होगा जो नियमो के विरुद्ध हो । आप भी, श्रीमन्, ऐसा नहीं चाहेगें कि कोई अतिक्रमण या अधिक्रमण न हो जिस पर विवाद हो जाय । अमुक प्रकार के पदो को सृजित करने या रखने मे । प्रतिवेदन मेकहा गया है कि जो परम्परा रहेगी । अब इस संबंध मे मैं केवल यह प्रश्न विचारणीय रह जाता है कि यदि कोई पद सचिव का अथवा किसी अन्य अधिकारी का हो तो उसके लिए क्या वेतनक्रम निर्धारित होगा, इसका निर्णय वित्त समिति कर सकेगी । तो मैं समझता हूं कि जिस वित्त समिति में २–२सेक्रेटरी भी और मिनिस्टर भी रहेगें कोई ऊगड़ा नहीं होगा जो तय न हो जाय । तो इसलिये मेरा निवेदन है कि समिति का प्रतिवेदन जैसा कि है इसमें ज्चादा बहस का मामला नहीं है और इसे इसी प्रकार से स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया । मैं इसकी कानूनी बहस में तो नहीं आता क्योकि कानून के अन्तर्गत तो बाल की खाल उधेड़ी जाती है, मैं तो इसके व्यवहारिक, जिसे कामन सेंस कहते हैं, के स्वरूप पर जाता हूं । कामन सेंस एक ऐसी व्यवस्था है जो थोड़ी लुप्त हो जाती है और मुझे हंसी तो इस बात पर आती है कि जब हम इधर बैठ जाते हैं तो बुद्धि सो जाती है और जब हम उधर (विरोध पक्ष में) बैठ जाते हैं तो बुद्धि बहुत ज्यादा जाग उठती है । क्योकि मैं देखता हूं कि इस विषय पर जितना अधिक हल्ला उधर बैठने पर मचाया जाता है उसका उल्टा प्रतिवाद इधर बैठने पर किया जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पाता कि आखिर यहां पर लगातार जो संविधान की धारायें पढ़ी जा रही हैं वह दिल्ली में बात कहां लुप्त हो गई । दिल्ली में लोक सभा का जो पैटर्न है वह करीब करीब जो सिफारिशें हैं इन्हीं के अनुरूप है । वहां प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे । उनके वित्तीय अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हुआ । यहां के वित्त मंत्री का अतिक्रमण हो रहा है । दिल्ली में नहीं हुआ, मैसूर में नहीं हुआ, बिहार में नहीं हो रहा है । आखिर उत्तर प्रदेश में क्या सहूलियत है कि यहां हो जायेगा । जितना ब्यूरोक्रेट चाभी भरकर भेजता है खिलौना उतना ही चलता है । आगे ठप्प । इसमें अतिक्रमण होगा किसी का तो वह होगा ब्यूरोक्रेट का । डेमोक्रेसी को इस देश के अन्दर बचाना है और अगर सफल होना हो तो ब्यूरोक्रेट का जो आधिपत्य यहां जम चुका है वह तोड़ना है । फाइनेन्स मिनिस्टर इस कमेटी मे रहेंगे ।

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे]

जैसा कि माननीय तिवारी जी ने भी कहा कि इंगलैन्ड में चांसलर आफ दि एक्सचेकर रहता है । वैसे ही यहां भी अगर डिफरेंस आफ ओपीनियन हो गया तो भी यहां फाइनेन्स मिनिस्टर उपस्थित हैं। स्पीकर, फाइनेन्स मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर आपस में बैठकर तय कर सकते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि छोटे बाबू, बड़े बाबू, मंझले बाबू, सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी का इसमें नोट नहीं आयेगा। यह केवल बात है। मैं समझता हूं जैसा यह विषय है, मैं तिवारी जी की इस बात से सहमत हूं कि यह किसी दल का नहीं है, यह सदन का है । हम सब सदन के सदस्य हैं । हम सब के ऊपर हैं । इसलिये इस केस में दल और सरकार को छोड़कर बात करने की आवश्यकता है । मैं समझ नहीं पाता कि सदन क्या चीज है । सदन तो सुप्रीम, सावरेन बाडी है । क्या इसके पीछे से कान ऐंठने के लिए ब्यूरोक्रेट की आवश्यकता है । केवल नाम बदलने से काम नहीं होगा । जो एसेन्स है उसको लेना आवश्यक है । इसकी सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि इसको ब्यूरोक्रेट्स के पंजे से छुड़ाया जाना चाहिये । मैं स्पष्ट कह रहा हूं । मैं कानून और शब्दावलियों के चक्कर में नहीं जा रहा हूं। सारी आपत्ति ब्यूरोक्रेट्स को है। ब्यूरोक्रट्स की प्रबलता कितनी है। मैं इसका उदाहरण इस प्रतिवेदन के उद्धरण से देना चाहता हूं। सम्पूर्णानन्द जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपना यह मत प्रकट किया था—

"You have to conecde, what will have to be conceded some day, in any case?

इसका उत्तर ब्यूरोक्रेट्स ने देने की कृपा नहीं की और न ही ध्यान दिया और हम क्या कहें, मंत्री मंडल भी सो गया।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आपने पढ़ा, वह इस प्रकार है—

"Why not concede gracefully today, what will have to be conceded some day, in any case?

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

मैं इसे पूरा पढ़े देता हूं। यह इस प्रकार है—

"What is the objection in principle to the practice obtaining in Delhi? There is no escaping the fact that our Speaker and Chairman are very sensitive in the matter of what they consider to be their independence and Delhi will set the pace for all future conventions and rules supposed to be conducive to such independance. Why not concede gracefully today, what wil have to be conceded some day, in any case?

इस रिपोर्ट का उत्तर आया? ब्यूरोक्रेट कितना प्रबल है। बाधक अगर कोई है तो ब्यूरोक्रेट है । वह प्राबल्य घटना चाहिये । और उस प्राबल्य को तोड़ने की जिम्मेदारी इस सदन के ऊपर है क्योंकि यह सदन सुप्रीम बाडी है। अगर हम इसे नहीं तोड़ते तो हम अपने ऊपर वह कलंक का टीका लगायेंगे जिसका उत्तर भी हम नहीं दे पायेंगे। ब्योरोक्रेसी का प्राबल्य और बढ़ता चला जायेगा।

माननीय आचार्य जी ने उदाहरण दिया कि कोई अध्यक्ष २० करोड़ का बजट बना दे। मैंने कहा कि कौन इतना पागल होगा जो ऐसा कार्य कर देगा। उस समिति में तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, बाद में वह कैबिनेट में भी जायेगा। उन्होंने एक ऐसी हाइपोथेटिकल बात कह दी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । मैं कहता हूं कि इसी तरह अगर कोई मिनिस्टर पागल हो जाय तो ? मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो

परिपाटी दिल्ली से लेकर अन्य राज्यों में भी चली आ रही है उसको हमें स्वीकार करना चाहिये । इस सरकार को ब्योरोक्रेट को मजबूर करना चाहिये कि वह इसे स्वीकार करें । हमारे आचार्य जी इसका कोई उत्तर नहीं दे पाये कि अ ख़िर और राज्यों ने, जिन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है, वहां कार्य कैसे चल रहा है । दिल्ली में कार्य कैसे चल रहा है ? फिर यहां के लिए कौन सी आपत्ति है ? सरकार की ओर से कोई भी वैलिड आर्गूमेंट नहीं दिया गया । यह ब्योरोक्रेसी वाले किताब में जहां पर भी लाल रोशनाई लगा देते हैं, एक अच्छे वकील की तरह, वे उसको यहां पर पेश कर देते हैं चाहे हारें चाहे जीतें । मैं कहता हूं कि यहां क्लाइंट अगर कोई है तो वह सारा सूबा है यह सदन है, न कि ब्योरोक्रेट है । आपको किसकी पैरवी करनी है ?

मैं, मान्यवर, कानूनबाजी में नहीं जाता, व्यवहारिक पक्ष की ओर जाता हूं । यदि आप यह मानते हैं कि विधान सभा सुप्रीम है, तो विधान सभा के अध्यक्ष को सुप्रीमेसी देनी होगी । साथ ही साथ उसके स्टाफ को भी स्वतंत्रता देनी होगी, सरकारी हस्तक्षेप से उनको मुक्त करना होगा । इस ब्योरोक्रेसी के अधीन अगर यहां का स्टाफ रहेगा तो वह ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकेगा, हमेशा उसको पीठ पीछे देखना होगा, सरकार की ओर देख़ना होगा क्योंकि उसको अपने प्रोमोशन की फिक्र होगी, अपनी नौकरी की फिक्र होगी । इस तरह से सारे सदस्यों के अधिकारों का यह हनन होगा । मैंने अवसर देख़ा कि कई बार कितने ही प्रश्न भेजें, वे स्वीकृत नहीं हुये । शार्ट नोटिस क्वेश्चन कई बार भेजे ही नहीं गये । यहां का स्टाफ चाहता है वह स्वीकार किये जायं । मगर चूंकि यह ब्योरोक्रेसी नहीं चाहती, वे अस्वीकार कर दिये जाते हैं । मैं कहता हूं कि इसमें अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वह विरोध पक्ष के अधिकारों का होता है । जो आज इधर सरकार में बैठे हैं, कल उधर भी जा सकते ह । इसलिये सभी को इस प्रश्न पर विचार करना है । सभी के अधिकारों का यह प्रश्न है । यदि माननीय सदस्य अपने अधिकारों की रक्षा चाहते हैं तो यहां के स्टाफ को ब्योरोक्रेसी के कंट्रोल से बाहर करना होगा । तभी सही माने में विरोध पक्ष के अधिकारों को संरक्षण प्रदान हो सकेगा । सरकारी पक्ष तो पूरी सत्ता से सम्पन्न है, जबकि विरोध पक्ष किसी सत्ता से सम्पन्न नहीं है । उसके अधिकारों की रक्षा तो श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा ही हो सकती है । और इसके लिये यह आवश्यक है कि यहां का स्टाफ स्वतंत्र हो । सरकारी नियंत्रण से बाहर हो । इन शब्दों के साथ मैं सदन के सभी आदरणीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस रिपोर्ट को स्वीकार करें ।

श्री कृष्ण चन्द्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त अनुगृहीत हूं कि आपने इस विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया । मान्यवर, यह जो प्रतिवेदन है, यह ब्वायल डाउन हो जाता है दो बातों पर । क्या इस सचिवालय को जिसके द्वारा हमारी विधायिनी शक्ति प्रवाहित होती है इस प्रदेश में, उसको पूर्ण स्वतंत्र एक्जीक्यूटिव से होना चाहिये या नहीं ? और यदि इसको पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिये एक्जीक्यूटिव से तो उसके कौन से कार्य हैं जिनके द्वारा, जिनके करने से उसकी पूर्ण स्वतंत्रता प्रतिबिम्बित होती है । यह दो प्रश्न हैं, जिस पर सदन को फैसला करना है । इस सदन से पूर्व हमारी संसद ने इस सिद्धांत को मान लिया है कि पार्लियामेंट सचिवालय एक स्वतंत्र सत्ता युक्त सचिवालय होगा । मान्यवर, इससे भी पूर्व जब हम अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे, उस समय यह प्रश्न पैदा हुआ कि केंद्रीय असेम्बली का सचिवालय स्वतंत्र होगा अथवा नहीं । मान्यवर, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा । केंद्रीय असेम्बली के राष्ट्रीय तत्वों को और उस महान अध्यक्ष माननीय विट्ठल भाई पटेल को उस सचिवालय की सर्वोत्कृष्ट स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने के लिए ।

मान्यवर, आप उसकी एतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित हैं और मैं भी उस एतिहासिक पृष्ठभूमि से थोड़ा बहुत परिचित हूं । मान्यवर, जिस समय असेम्बली में बम फेंका गया, उस समय साम्राज्यशाही सरकार ने सम्पूर्ण केंद्रीय असेम्बली में अपनी पुलिस और अपनी सेना को

[श्री कृष्ण चन्द्र]

भेज दिया था और यही नहीं, बल्कि गैलरीज क भीतर और सदन में भी पुलिस और सेना का प्रवेश हो गया था । तो उसका विरोध किया था स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल ने और उन्होंन यह आदेश दिया था कि जब तक गैलरीज से, सदन से पुलिस नहीं जाती है, उस समय तक असेम्बली का कार्य स्थगित रहेगा । बस इस तरह से संघष की श्रृंखला चल निकली और अन्त में स्वर्गीय बिट्ठल भाई पटेल की विजय हुई और सेंट्रल असेम्बली सचिवालय की स्वतंत्र सत्ता दिल्ली में स्थापित हुई ।

मान्यवर, जब प्रश्न आया बाद में स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो असेम्बली के सेक्रेटेरिएट की या नहीं तो मान्यवर, डाक्टर अम्बेदकर साहब ने विशेष रूप से इस धारा १८७(२) को उसमें प्रविष्ट कराया और जो इस धारा को प्रविष्ट कराने के पक्ष में उन्होंने तक दिये, यद्यपि वे बहुत लम्बे हैं, किन्तु उनमें से जो रेलेवेंट हैं, उनको मैं पढ़ना चाहता हूं । जो इस प्रकार हैं—

"The President had contended that the Secretariat of the Assembly should be independent of the Executive Government."

इसके बाद जो हमारे न्याय मंत्री ने कहा कि कुछ तो अधिकार रहना चाहिये असेम्बली के सेक्रेटेरिएट पर एक्जीक्यूटिव का और जिसके लिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल का नाम लेकर यह साबित करने की कोशिश की कि सारे अधिकार जो विधायिनी हैं, जो लेजिस्लेटिव असेम्बली सेक्रेटेरिएट और आप के हैं, वे यथार्थ में आपके न होकर राज्यपाल के होने चाहिये ।

आचार्य जी विधि शास्त्री हैं, संविधान का उन्हें बहुत ज्ञान है । मैं कह चुका हूं कि भारतीय संविधान में जाहिरी तौर से कि राष्ट्रपति को और राज्यपाल को भी सारे अधिकार प्राप्त हैं, किन्तु जैसा इंग्लैन्ड का क्राउन है, जिसके नाम से सारे कार्य होते हैं उसी प्रकार से राष्ट्रपति और राज्यपाल की भी स्थिति है । लेकिन जिस प्रकार क्राउन के सारे अधिकार सन्निहित हैं मंत्रिमंडल में, हाउस आफ कामंस में, हाउस आफ कामंस के स्पीकर में, उसी तरह इस लेजिस्लेटिव असेम्बली के सचिवालय का सम्बन्ध है वह सारे अधिकार निहित हैं स्पीकर में, मान्यवर, आपमें । इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । कांस्टीट्यूशन आचार्य जी ने भी पढ़ा है और हमने भी पढ़ा है । जब यह प्राविधान रखने का प्रयास किया गया तो कांस्टीटुएंट असेम्बली में कहा गया था कि यह प्राविधान इसलिए रखने की आवश्यकता पड़ गयी क्योंकि डुअल कंट्रोल नहीं होना चाहिये असेम्बली और पार्लियामेंट की सेक्रेटेरियट पर । एक तरफ एग्जिक्यूटिव कंट्रोल और दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल उनके ऊपर वह नहीं होना चाहिये । इसलिये विधि निर्माताओं ने कहा कि पार्लियामेंट और विधान सभाओं का सचिवालय डुअल कंट्रोल से प्रथक रहे । उसको इंडिपेंड होना चाहिये जिस पर कार्यवाही शक्ति का कोई निमंत्रण न हो । उन्होंने यह उसूल प्रतिपादित ही नहीं किया बल्कि हमारी कांस्टीट्युएंट असेम्बली ने इस उसूल को कार्यान्वित भी किया ।

यह अत्यन्त दुख की बात है कि अंग्रेजों के जमाने में माननीय बिट्ठलभाई पटेल ने केन्द्रीय असेम्बली को सर्वोच्च सत्ता को अधिक प्रसारित किया और मजबूत बनाया, वहां से परम्पराएं प्रवाहित हुईं । लेकिन यह अत्यन्त खेद की बात है कि जब कि अंग्रेजों के जमाने में भी एक उदाहरण उपस्थित कर दिया गया और पार्लियामेंट ने उदाहरण उपस्थित कर दिया और बहुत सी विधान सभाओं ने अपने सचिवालय की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया उत्तर प्रदश की विधान सभा आज तक नहीं कर पायी । १९६६ में यह प्रतिवदन आया आज १९७० है । आचार्य जी ने कहा कि सरकार आज डिटेल्स में जाने के लिये तैयार नहीं है । मैं भविष्यवाणी करता हूं, मुझे संदेह है वह तैयार नहीं होंगे जब तक उधर से इधर नहीं आ जायेंगे और वह दिन दूर नहीं है जब उनको कुर्सिया बदलनी पड़ेंगी, हमसे । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह श्रय वह ले लें । (व्यवधान) आप हम को इस मुसीबत में न डालें आप खुद परिवर्तन कर दें, इसलिये मैं कह रहा हूं ।

मान्यवर, यह मामला अन्यन्त महत्वपूर्ण है कि जितनी भी प्रेसाइडिंग आफिसर्स कान्फ्रेन्स हुई हैं, जब स्टेट असेम्बलीज में इसको इन्ट्रोड्यूस नहीं किया गया, किसी भी वजह से, मंत्रिमंडलों की वजह से, इक्जीक्यूटिव की वजह से या सेक्रेटरीज साहबान की वजह से, जो भी कारण हों, तब यह प्रेसाइडिंग आफिसर्स कान्फ्रेंस में यह निश्चय हुआ कि यह इन्डीपेन्डेन्ट होना चाहिये। मान्यवर, उसके बाद भी यह संभव नहीं हो सका उत्तर प्रदेश में। यह बड़े खेद की बात है कि लगातार यहां के तीन मुख्य मंत्रियों ने इसको स्वीकार किया है। अध्यक्ष महोदय, आपने आचार्य जी से इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार करने के लिये कहते हुए कहा था कि बाद में डिटेल्स के मामले में फैसला हो जावेगा। पन्त जी ने इसको स्वीकार किया, डा० सम्पूर्णानन्द ने इसको स्वीकार किया और गुप्ता जी ने भी इसे स्वीकार किया है कि यह स्वतंत्र होना चाहिये।

मान्यवर, यही नहीं बल्कि तीन बार मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और तीनों बार यह स्वीकार किया गया है। लेकिन इसके बाद भी मान्यवर यह कार्यान्वित नहीं हुआ है, इसलिये अगर आज आचार्य जी कह दें या मंत्रिमंडल के सदस्य कह दें कि हमें इसमें आस्था है, तब भी कोई प्रगति होने वाली नहीं है। यह तो उस दिन से बचना चाहते हैं जब इनके हाथ से विधान सभा सचिवालय निकल जावेगा। मान्यवर, इनके वाक्य और हैं और इनका इरादा और है। इनकी जबान कुछ कहती है और मस्तिष्क कुछ कहता है। मान्यवर, इस कारण यह जो कहना चाहते हैं वह कह नहीं पाते हैं और जो कहते हैं वह इनके दिल की बात नहीं है। श्रीमन्, वह कौन सी बात है जिसके डिटेल्स में बह जा नहीं पाये हैं।

एक सदस्य—

वाह, वाह।

श्री कृष्ण चन्द्र—

वाह वाह नहीं, इसमें ६ वर्ष हो गये हैं वाह वाह करते और हमारा और आपका टर्म भी खतम हो जावेगा और चले जावेंगे। इसलिये कर जाइये पंडित जी महराज।

(व्यवधान)

श्री राजित राम पांडेय—

श्रीमन्, एक शेर है:

यह मिश्रा लिख दिया फिर सोख ने,
महराबे मस्जिद पर।
ये नादां गिर गय सिजदे में,
जब वक्त कयाम आया।।
सख्त जानी कि दाद दे ऐ दोस्त,
जी रहा हूं तेरे जमाने में।

श्री कृष्ण चन्द्र—

इसके जबाव में भी एक शेर सुनाना चाहता हूं। बड़ी मशहूर शेर है:

अब हंसी आती मुझे हजरते इंसान पर,
फेले बद तो खुद करें लानत करें शैतान पर।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि यह प्रतिवेदन यहां पर उपस्थित हुआ है तो आज भी सरकार इस मूड में नहीं है, इस इरादे में नहीं है कि इसी समय यह घोषणा कर दे कि इस सम्पूर्ण प्रतिवदन को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें एतराज नहीं है। लेकिन मान्यवर, मैं समझता हूं कि उन्हें एतराज है। जब वह कहते हैं कि ऐतराज नहीं है तो ऐतराज है। और

[श्री कृष्ण चन्द्र]

जब कहें कि एतराज है तो उसके विपरीत समझना चाहिये। ऐसी कुछ मनोवृत्ति है, में इसको क्या कर सकता हूं। मान्यवर, इसके इंट्रोडक्शन न होने से कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां है और वह यह कि चूंकि इस सचिवालय के संगठन पर अध्यक्ष का नियंत्रण नहीं है तो इसे दूसरे विभागों के समान नहीं माना जाता। हमारे सचिव दूसरे विभागों के सचिवों के समकक्ष नहीं हैं। हमारे स्टेनोग्राफर्स हैं जो सात आठ घंटे यहां हमारे भाषणों की रिपोर्ट लिखते हैं लेकिन वह सबसे कम वेतन पाते हैं। जितना लोक सभा में वेतन है उसका आधा इनका है। हमारे वाच एन्ड वार्ड के लोग है जो दूसरे पुलिस कान्स्टेबिल्स से कम वेतन पाते हैं, मिनिस्टर के चपरासी से भी कम उनका वेतन है। तो इस प्रकार की एनामलीज हैं। जब तक यह सचिवालय स्वतंत्र नहीं होगा, जब तक सर्विस कंडीशन्स नहीं होंगी, जब तक वसूल निर्धारित नहीं होंगे, प्रोमोशन के उस समय तक यही अराजकता यहां पर कायम रहेगी। मान्यवर, इसलिये मेरा निवेदन है कि यह प्रतिवेदन आ ही गया तो अब इसको नहीं टाला जाना चाहिये। अब समय आ गया है जब कि आप हृदय से, उदारता मे इसको स्वीकार कर लें। आपने घोषणा की है कि इस पर बाद में विचार करेंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इस घोषणा पर पुनर्विचार करें और इस प्रतिवेदन को अक्षरशः स्वीकार कर लें।

श्री राम गोपाल संड---

मान्यवर, मैं आभारी हूं। मैं कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम सचिवालय के अन्दर जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके समकक्ष विधान सभा के कर्मचारियों को रखा जाय। पिछले २३ वर्षों से इनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैं माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा कि जो यह तय हुआ है कि एक उप समिति नियुक्त होगी और जो सुझाव देगी। उसके लिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि उसमें वे ही विधायक रखे जायं जो कर्मचारियों के लिये लड़ते हैं और प्रायः जेल भी जाते हैं। इसमें नेगी जी, स्वामी जी आदि को रख दें। यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन इतना कम है, जो रिपोर्टर्स रातों दिन काम करते हैं उनका स्केल २५०-५५० है और उसी के समकक्ष जो दूसरे कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं दूसरे स्थानों पर उनका स्केल ६०० रु० तक है। उनका प्रमोशन होता है और वे १,१५० रु० तक जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो निम्नकोटि के कर्मचारिवर्ग जिनका वेतन क्रम ६५ रु० तक था, उसको रेशनलाइशन कमेटी ने और भी कम कर दिया। पुलिस के अन्तर्गत इसी प्रकार जिन कर्मचारियों को लिया जाता है उनको इनसे अधिक वेतन क्रम दिया जाता है। कुछ लोग चीन और पाकिस्तान की लड़ाई में भी लड़े और वे यहां पर काम कर रहे हैं मान्यवर, उन्हें ६०-१-८० के वेतन क्रम में रखा गया है जबकि पुलिस में उनका वेतन-क्रम इसी कोटि के कर्मचारियों का ७० से ११० है। तो इस प्रकार से इस विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के साथ भेदभाव का व्यवहार होता है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप विस्तृत आंकड़े न दें अपनी बात करें।

श्री राम गोपाल सन्ड---

उन्हें लोक सेवा आयोग से भी स्वतंत्र रखना होगा, उनके सर्विस कडीशन्स और नियम ऐसे रखेंगे जो कम से कम सचिवालय के समान तो हों। मान्यवर, यहां पर १७ स्टेनो चाहिये लेकिन चूंकि हमारे सचिव महोदय सचिवालय के सचिव के समकक्ष नहीं हैं केवल १४ लोग ही उनके यहां यह काम कर रहे हैं। बहुत से रिपोर्टर्स यहां पर कम स्केल होने के कारण यहां से दिल्ली चले जाते हैं क्योंकि वहां पर उनको कहीं ज्यादा अच्छा स्केल दिया जाता है ६५० रु० तक का। मान्यवर, पब्लिक सर्विस कमीशन की परिधि से इन कर्मचारियों को निकालिये। १५ साल हो गये अभी तक उन कर्मचारियों को स्थायी भी नहीं किये हैं। यही नहीं यहां पर काम करने

वाले सुपरिन्टेन्डेन्ट तक भी कन्फर्म्स नहीं हैं। मान्यवर, ४०-४५ वर्ष की आयु के बाद स्मृति शक्ति उतनी तेज नहीं रहती फिर इस आयु के बाद उनकी परीक्षा का प्रश्न उपस्थित होता है तो वे कैसे उसको पास कर सकते हैं ?

मान्यवर, यहां के काम करने वाले कर्मचारी १५, १६ वर्षों से निरन्तर काम करते चले आ रहे हैं परन्तु अस्थायी हैं और उनको परमानेन्ट नहीं किया गया है। इस कारण मुख्य रूप से मेरी समझ में तीन ही बातें हैं, मान्यवर। पब्लिक सर्विस कमीशन की परिधि से इसको स्वतंत्र किया जाय। यहां के लिये सेवा के नियम बनाये जायं। हमारे यहां के सचिव ही लोगों का रिक्रूटमट करें। मान्यवर, आचार्य जी ने कहा कि यदि हम अपना बजट बनायें तो हो सकता है कि वह २० करोड़ रुपयों तक भी हो जाय। मैं समझता हूं, मान्यवर, कि कोई भी अध्यक्ष अथवा नेता विरोधी दल, माननीय कमलापति जी या अन्य कोई भी ऐसा कोई बजट नहीं बना सकता जो १५ या २० करोड़ रुपयों का हो जाय। इसलिये आपसे प्रार्थना है कि इस सचिवालय को लोक सेवा आयोग की परिधि से अलग रखा जाय तभी हम अच्छे लिपिक रख सकेंगे। वाच एन्ड वार्ड को समुचित वेतन मिलेगा तभी यहां के सचिवालय का कार्य ठीक से चलेगा। इन शब्दों के साथ मेरी यही प्रार्थना है कि जो समिति बनने वाली है वह इस तत्थ को भी अवश्य विचार करे।

*श्री गणेश दत्त बाजपेयी (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी न कभी आपकी इस विधान सभा की कार्यवाही कोई पढ़ेगा तो उसका बड़ा मनोरंजन होगा। हमने ३ घंटे में जिन व्यक्तियों की सर्विस कन्डीशन्स पर विचार किया है उनकी संख्या केवल १०२ क्लर्क्स और ६० चपरासी हैं जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट अपने एनुअल बजट में भेज सकता है, यहां इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। सवाल इस बात का है आज १८ वर्षों से इनकी सर्विस कडीशन्स को हम रेगूलेट नहीं कर पाये हैं और जब इस प्रतिवेदन पर विचार हुआ तो हम उसका तात्विक विवेचन करते हैं। हम स्टेट को लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडीसियरी में बांटते हैं। बार्डर लाइन डिस्प्यूट इसलिये हुआ करता है कि एक्जीक्यूटिव की यह टेन्डेन्सी होती है कि वह जुडिशियरी की पावर को भी इरोड करता है और लेजिस्लेचर की पावर को भी इरोड करता है। उससे घुन की तरह लग जाता है और अपनी शक्ति बढ़ाता है। ठीक किसी न किसी रूप में या प्रक्रियाओं में यह बात देखी जाती है।

भारतवर्ष में ही नहीं तमाम पार्लियामेंट्री मुल्क में यह बात पुरानी हो चुकी है कि आपको तटस्थ रहने के लिये और आपका स्थान मर्यादापूर्ण रहे इसलिये यह कतई जरूरी है कि आपका सेक्रेटेरिएट इन्डिपेडेन्ट रहे। दुनिया की हर चीज पर विवाद नहीं होना चाहिये। यह विवाद अगर १०० वर्ष पहले या ७५ वर्ष पहले होता तो उसमें कुछ ताजगी होती। मेरा निवेदन यह है कि जब आचार्य जी मूलरूप से यह मान गये हैं कि लेजिस्लेटिव सेक्रेटेरियट इंडिपेंडेन्ट रहेगा और इसक लिये एक कमेटी बना दी जाय तो इनके सर्विस कन्डोशन्स का, इनके रिक्रूटमेंट का, इनके प्रमोशन क लिये तुरन्त नियम निर्धारण करें, तो यह एक अच्छी बात है और कोई दलगत भावना इसके पीछे नहीं है। अगर यह आज न हो तो इसको जल्द होना चाहिये। मेरा आपसे कवल इतना ही कहना है कि यह कमेटी इनको सारी बे सुविधायें दे तो १५ साल से ओवर ड्यू हैं और प्रतिवेदन को क्रियात्मक रूप देने के लिये तुरन्त कमेटी बनाई जाय जिसके लिये आचार्य जी सहमत हो चुके हैं। कमाल इस बात का है कि बहस को जहां गुंजायश नहीं होती वहां पर हम लोग बहस कर सकते हैं इसलिये हम सब बधाई के पात्र हैं।

एक सदस्य—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपके पास कोई लिस्ट है नामों की तो मेरा नाम भी लिख दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह ऐसा इसलिये है कि आपने कहा था कि एक इधर से लेंगे और एक उधर से लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको भी मौका मिलेगा। माननीय विकल जी ने चूंकि इसको रखा था, इसलिये जब वे खड़े हुये तो उनको वरीयता देनी चाहिये।

*श्री रामचन्द्र विकल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर विवाद बहुत दिनों से चल रहा है और सौभाग्य है कि इस पर आज विचार हो रहा है, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वह इस पर बहस करने के लिये तैयार हुई। आचार्य जी ने जो बहस की उसमें उन्होंने एक सवाल को माना कि सदन का आहूत और सत्रावसान अध्यक्ष के द्वारा होगा, उस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरे मित्र गलत न समझें। मैंने कहा था कि मुख्य मंत्री अध्यक्ष महोदय को आहूत तथा सत्रावसान के बारे में लिखेंगे और अध्यक्ष गवर्नर को।

श्री रामचन्द्र विकल—

आचार्य जी जरा सहनशीलता से बैठे रहें। नहीं समझ सकेंगे तो बाद में मैं समझा दूंगा।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

सरकार की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं उनमें से एक जिम्मेदारी यह भी है। आप मेरे सामने एक ऐसी बात कह रहे हैं जो है नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल—

सरकार की सुनने की भी जिम्मेदारी है। दुर्भाग्य यह है कि आचार्य जी ने मेरा पूरा वाक्य भी नहीं सुना और कई दफा उछल लिये। मैं स्वयं कहने जा रहा था। एक बात उन्होंने यह मानी लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें लगा दीं। मुख्य मंत्री जी गवर्नर को लिखेंगे जो अध्यक्ष की मार्फत जायेगा और राज्यपाल के द्वारा होगा। इसमें दो रायें नहीं हैं लेकिन मैं इतना कहूंगा कि यहां जरा वह एक थोड़ी सी बात का आश्वासन और दें कि यह सदन सरकार से सर्वोपरि है अथवा सरकार बड़ी है। यह एक बड़ा भारी सवाल छूटा हुआ है।

दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस सदन के फैसलों को मानने के लिये तैयार है या नहीं। दुर्भाग्य से कई बातें ऐसी हुईं। सत्रावसान और आहूत के बारे में यह ठीक है कि उन्होंने थोड़ी सी बात मानी लेकिन ऐसी घटनायें न हों और अध्यक्ष को भी थोड़ी सी हिम्मत का परिचय देना होगा जैसा कि पहले हो चुका है। पहले यह घोषणा हो गयी थी कि सदन १२ जुलाई तक चलेगा लेकिन सरकार ३० जून को ही उठकर चली गयी। आज भी आचार्य जी की इंडायरेक्ट भावना यही है कि मुख्य मंत्री सर्वोपरि रहें आहूत तथा सत्रावसान करने में। अगर आचार्य जी की यह मंशा मैं ठीक नहीं समझ पाया हूं तो बाद में वह स्पष्ट कर देंगे। मैं क्लीयर चाहूंगा सत्रावसान और आहूत करने का अधिकार मुख्य मंत्री जी के द्वारा अध्यक्ष को हो। उसमें फिर सरकार यह न करे कि बदल जाय। अध्यक्ष उसके लिये जरा मजबूत हों। जैसे हाउस का फैसला ९० दिन चलने का है सरकार कहीं उसमें उलट-फेर न कर दे। बुनियादी मांग यह है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा सचिवालय जिसके ये सभी माननीय सदस्य अंग हैं, राज्यपाल भी अंग हैं, अध्यक्ष भी हैं तो ये माननीय सदस्य जो इसके अंग हैं उनका फैसला सरकार पर लाजमी होना चाहिये। यह एक सवाल है जो स्पष्ट हो जाना चाहिये। उन्होंने थोड़ी सी बात मान ली, लेकिन क्या हमारे देश के किसी और राज्य में ऐसा होता है जैसा कि यहां होता रहा है ? २२-२३ वर्ष के बाद आचार्य जी कोई बहुत बड़ी बात मानने लगे या कोई बहुत बड़ी कृपा की है तो ऐसी बात नहीं है।

हमारे देश में अन्य राज्यों में सत्रावसान और आहूत अध्यक्ष के माध्यम से हो रहा है और लोक सभा तथा राज्य सभा में तो यह परम्परा बहुत दिनों से चालू है और जो परम्परा अन्य प्रदेशों में पहले से चालू हैं हमारे यहां इस सदन को वह हक भी अब तक नहीं मिल पाया है। आचार्य जी ने वित्तीय मामले में सरकार की दिक्कत बतला दी है। मैं किसी दर्जे तक उनकी बात से सहमत हूं। आचार्य जी ने बहुत सी बातों को माना जो विधान सभा सचिवालय से संबंधित रिपोर्ट में हैं। उनमें से एक तो आहूत और सत्रावसान वाली बात को माना लेकिन उसमें भी उन्होंने जरा सा पंचक लगा ही दिया कि वित्तीय मामला जरा टेढ़ा है। वित्तीय मामले के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है 'कोठी कुठला में हाथ न लगाना घर बार सब तुम्हारा है।' यह अधिकार वह ऐसे ही देना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये वित्तीय कठिनाइयों से संबंधित मामले राज्य सभा और लोक सभा में कैसे हल किये जाते हैं।

मान्यवर, कितना मतभेद वहां पर होता है, वहां पर भी वित्त मंत्री बैठते हैं। यहां पर भी उस समिति में वित्त मंत्री रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे नेता सदन रहेंगे, नेता विरोधी दल रहेंगे और चेयरमैन वगैरह कौंसिल के रहेंगे। तो क्या वित्त मंत्री अपनी कठिनाइयों को वहां पर नहीं रख सकते हैं और उनका निराकरण वहां पर नहीं हो सकता है ? आजकल डेमोक्रसी तो राय पर ही निर्भर करती है। उस समिति के सामने आप अपना दृष्टिकोण ऐसा रखें ताकि सभी लोग उसे मान लें, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि असंभव बातों को मनवाने में कभी भी कोई भी सदस्य किसी प्रकार का जोर नहीं देगा कि असंभव बातों को मान लिया जाय। लोक सभा, राज्य सभा और बाहर के देशों में ये समिति बनी हैं और इसका उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। मैं कहता हूं कि वित्तीय कठिनाइयां तो मिलजुल कर हल की जा सकती हैं। मैं माननीय आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे इस वित्तीय संबंधी झगड़े का बहाना बनाकर इसे टालने की कोशिश न करें। मैं विनम्र शब्दों में उनसे कहूंगा कि जो एक समिति बनाने का उन्होंने सुझाव दिया है उसमें देरी न करें।

जहां तक मंत्रि-परिषद का सवाल है, आचार्य जी ने कहा है कि ६७ से कितनी सरकार आईं और गईं और आगे भी कोई सरकार आयेगी। मान्यवर, यह सन् १९५५ में मंत्रि-परिषद का फैसला हुआ और उस फैसले में यह लिखा हुआ था कि संविधान के अन्तर्गत मंत्री के दायित्व को ध्यान में रखते हुये जहां तक संभव हो सके इन सचिवालयों (विधान सभा एवं विधान परिषद्) के मामलों में भी प्रशासकीय और वित्तीय अधिकार यथास्थिति, श्री अध्यक्ष, श्री सभापति या सचिव, विधान मंडल को सौंपे जायं। इस कार्य में शीघ्रता की जाय। तो मान्यवर, यह सन् ५५ का मंत्रि-परिषद् का फैसला है और उसमें यह भी लिखा है कि इसमें शीघ्रता की जाय। सन् ५५ के बाद आज सन् ७० का आखिरी हो गया है यानी १५ साल हो गये हैं लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। मान्यवर, १२ साल में तो कूड़े की शक्ल भी दूसरी हो जाती है। १२ साल तक रखे रहने पर वह कूड़ा नहीं रह जाता है और इस फैसले को १५ वर्ष हो गये हैं। यदि मैं भूलता नहीं हूं तो आचार्य जी भी तब सरकार में थे। सन् ६७ के बाद से तो वे हैं ही किन्तु उसके पहले भी आचार्य जी का कुछ न कुछ हिस्सा सरकार में रहा है तो मुझे यह आशा नहीं थी कि आज आचार्य जी भी सरकार का बहाना बनायेंगे।.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरे मित्र सुधार लें कि मैं हर एक सरकार में नहीं रहा।

श्री रामचन्द्र विकल—

जिस सरकार में मैं था उस सरकार को छोड़कर । तो मान्यवर, ऐसे गम्भीर सवाल को लेकर इसे टाला नहीं जा सकता है कि हमारी सरकार ने अभी इस पर विचार नहीं किया है । चौधरी गिरधारी लाल जी तो पुराने हैं । मैं समझता हूं कि कोई माननीय सदस्य उनसे पुराना नहीं है । इस पर बहस करन से पूर्व माननीय आचार्य जी उनसे ही राय ले लेते । अतः मान्यवर, में चाहता हूं कि इस सवाल को बहुत देर तक टालना नहीं चाहिये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, वे भूल गये कि नेता विरोधी दल का नाम लेते तो और अच्छा होता ।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मुझे संविद की सरकार में रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और यह सौभाग्य माननीय आचार्य जी को प्राप्त है.....

एक सदस्य—

चौधरी साहब वाले में आप भी तो रहे हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

वह भी तो संविद ही थी ....

श्री रामचन्द्र विकल—

तो सरकार के सामने इसको १५ वर्ष हो गये । डाक्टर सम्पूर्णानन्द के बारे में तो आपने ही बताया लेकिन यह जो रिपोर्ट है इसमें एडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी, वित्त सचिव तथा जो भी विशेषज्ञ हो सकते थे, उन सब की राय आ चुकी है । भूतपूर्व उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल जी अग्रवाल तो उसके सभापति थे, वे भी मौजूद हैं, उनसे भी सलाह ली जाय । जब सबकी राय आपके सामने मौजूद है तो फिर किस बहाने इसको टालने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

इसके बाद श्री जगदीश शरण अग्रवाल, जो पहले अध्यक्ष थे उन्होंने इस संबंध में कुछ कार्य भी किया । उन्होंने उस समय वे समितियां बनायीं । स्टाफ कमेटी के अलावा संयोजन समिति और एक वित्त समिति उन्होंने हिम्मत करके चलायी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कुछ हिम्मत करें । आप ो उसके लिये कौन रोक सकता है । क्या सरकार कभी किसी को अपनी तरफ से अधिकार दिया करती है ? यह सभी जानते हैं । कुछ अधिकार तो मांगने से मिलते हैं लेकिन कुछ अधिकार लिये जाते हैं । अध्यक्ष, अग्रवाल जी ने जो काम शुरू कर दिया था वह काम फिर आप शुरू कर दें ।

इसने अलवा, एक फैसला सभी अध्यक्ष ले चुके हैं । सब ने उस बात को माना है । स्वर्गीय, श्री वर्मा जी, खेर साहब और श्री जगदीश शरण अग्रवाल तीनों ने इस बात को माना है कि विधान मंडल सचिव का पद अनावश्यक है । उसकी जरूरत नहीं है । २–१ साल के लिए कोई आदमी बाहर से आ गया । यहां के सचिवालय से उसका कोई संबंध नहीं और उसको तनख्वाह यहां से सबसे ज्यादा देनी पड़ती है । उसके बारे में सभी ने यह फैसला लिया था कि यह पद अनावश्यक है । इस रिपोर्ट में उसकी चर्चा है । लेकिन फिर भी वह पद चल रहा है । इन फैसलों को अध्यक्ष को लेना पड़ेगा । इसलिये हम चाहते हैं कि इस विधान सभा सचिवालय की रिपोर्ट पर अभी विचार हो । मैं माननीय आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा कि अब उसको १५ वर्ष हो गये हैं । अब और इसको कमेटी बना कर न टालें । इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सदन के सर्वमान्य फैसलों को भी इस सरकार ने नहीं माना । ९० दिन सदन को चलाने का फैसला था उसको भी नहीं माना । सचिवालय की यह रिपोर्ट बड़ी मुश्किल से तो आ पायी है । आपने उसको आज प्रारम्भ भी करा दिया लेकिन फिर कमेटी का नाम लेकर उसको टालने की कोशिश की जा रही है ।

यह ठीक है कि कुछ वित्तीय कठिनाइयां हो सकती हैं। उसके लिए अध्यक्ष, नेता विरोधी दल और वित्त मंत्री बैठ कर सर्वसम्मति से कोई फैसला ले लें। मेरा तो विचार नहीं है कि उसमें किसी को कोई मतभेद होगा। उसके लिये कोई भी सिस्टम बनाया जा सकता है। इस जरा से सवाल के लिये कमेटी के लिए इसको नहीं टालना चाहिये।

जहां तक लोक सेवा आयोग की बात है, वह इस सरकार से नीचे ही है। मेरी निश्चित राय है कि विधान सभा सचिवालय क कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है।

जैसा कि माननीय रामगोपाल जी संड ने कहा कि यहां के कर्मचारियों को प्रातः ६ बजे से रात के ८-८ बजे तक काम करना पड़ता है लेकिन उनके वेतन और भत्ते सचिवालय के कर्मचारियों से कम हैं। देर तक बैठने का भी कोई भत्ता नहीं मिलता। यह केवल इसलिये है कि वे विधान सभा सचिवालय के कमचारी हैं। रिपोर्ट में सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस सवाल को और आगे न टाल कर आचार्य जी इस बारे में शीघ्र निर्णय ले लें और जहां भी वित्तीय कठिनाइयां हों उनको तीनों मिल कर तय कर लिया करें।

श्री बसन्तलाल शर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन पर चर्चा करते समय में आपके द्वारा अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं जहां तक समझता हूं कि प्रजातंत्र प्रणाली में प्रजातंत्र सरकार की परिभाषा माननीय लिंकन ने की है—

"Government of the people by the people for the people"

"जनता की सरकार है, जनता ने बनाई है और जनता के लिये है।" इसके लिये जनता के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाकर यहां आते हैं और यह निर्विवाद है कि हम लोगों के लिए चुनाव लड़ने के लिये जो क्वालीफिकेशन्स रखी गई हैं उनमें भारत का नागरिक होना चाहिये। अवस्था की सिर्फ कैद है और कोई कैद नहीं है। चाहे स्नातक आ जाय चाहे अंगूठा छाप आ जाय। हम लोगों में से ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन उनकी विचार शक्ति अच्छी हो सकती है।

शासन के तीन अंग बतलाये गये हैं। कार्य पालिका, न्याय पालिका और विधायिका। कार्य पालिका में जो ब्यूरोक्रेसी के सदस्य होते हैं वे यूनिवर्सिटी से अच्छी परीक्षाएं पास करके आते हैं और अपने को क्रीम आफ सोसाइटी समझते हैं क्योंकि वे कम्पटीशन्स से आते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक बात हो जाती है कि वे समझते हैं कि जो मूर्ख बिना पढे लिखे यहां चुनकर आ जाते हैं वे हमारे ऊपर शासन करत हैं और यह द्वषभाव उनक हृदय में हर समय जागृत रहता है। अंग्रेजों के जमाने से आज तक यह कोल्डवार चली आ रही है।

मान्यवर, कार्यपालिका और विधायी पालिका की एक प्रतिद्वंदिता प्रारम्भ हो जाती है। मैं न्याय पालिका को अलग किये देता हूं। उसमें वे लोग आते हैं जो न्याय करते हैं। लेकिन एक दफा न्याय पालिका और विधायी पालिका के बीच में भी यहां संघर्ष हो गया था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूरी बेंच को उसमें बैठना पड़ा। यह हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष, स्वर्गीय वर्मा जी के समय की बात है। फिर इसके बाद स्पीकर्स कांफ्रेंस बम्बई में हुई तो बड़े अच्छे-अच्छे विचार आये जो आपने भी पढ़े होंगे। सवाल यह है कि न्याय पालिका समझती है कि हम सब से बड़े हैं, कार्यपालिका समझती है कि हम सब से बड़े हैं लेकिन मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझता हूं कि विधायी पलिका सब से बड़ी है। वह विधायन की निर्माता है, विधायन का सृजन करती है। अब प्रश्न यह है कि जो द्वेषभाव चल रहा है उसके लिये क्या करें क्या न करें।

[श्री बसन्त लाल शर्मा—]

एक प्रश्न है कि हम जो अपने विचार रखते हैं उसके प्रति संविधान में पूर्ण स्वाधीनता है और किसी न्यायालय में वे चैलेंज नहीं किये जा सकते हैं । कोई मुकदमा हमारे ऊपर नहीं चल सकता है । विधान सभा के सचिवालय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सर्वोपरि होते हैं, उनको तथा हम लोगों की सहायता सचिवालय के कर्मचारी करते हैं इन गैलरियों में बैठ हुये आई० ए० एस० आफिसर्स इन लोगों को घूर कर देखा करते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग जिनको भाषा का अच्छा ज्ञान भी नहीं है उनको कानूनी तर्क कौन बताता है । विभाग के कर्मचारियों से ही उनको सहायता मिलती है । हम उनकी जो आलोचना करते हैं तो हमें सहायता करने वाले इस स्टाफ के ऊपर उनका मनोवैज्ञानिक द्वेष होना स्वाभाविक है । मैं इस विधान सभा के अन्दर तीसरी बार चुन कर आया हूं और मैं देख रहा हूं कि विधान परिषद और विधान सभा के एक एक सचिव हैं । इन दोनों के ऊपर एक अंकुश बाहर से लाकर बिठा दिया है। इनकी चरित्र पंजिका भी उसी के हाथ में है । लेकिन कार्य कुछ भी नहीं है, केवल दफ्तर में बैठे रहें । कभी कभी वहां जाने पर वे मिलते भी नहीं है । फिर समझ में नहीं आता कि जब हम स्वतंत्र हैं तो यह ब्यूरोक्रेसी का नियंत्रण इस सचिवालय पर क्यों किया गया है ?

इस पर विचार करना होगा । मैं सन १९५२ से चली आ रही सरकार को महान शिथिलता की संज्ञा देता हूं कि १८ साल के बाद यह प्रतिवेदन हमारे सामने आज आया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे सदस्य जो सरकार में पहुंचे जाते हैं वे अपने को यह भूल जाते हैं कि वे पहले विधान मंडल के सदस्य हैं । उनके मंत्री लिखने के साथ-साथ सिविल लिस्ट में उनके नाम के साथ एम०एल०ए० या एम०एल०सी० पहले लिखा जाता है । वे लोग मंत्रि परिषद् के सदस्य हो जाने के बाद अपने को इस सदन का सदस्य नहीं समझते हैं । अब ऐसी बात भी नहीं है कि बहुत दिनों तक अपने को कोई मंत्रि-परिषद् का सदस्य बनाये रखे । चौधरी चरण सिंह ने ६७ से ऐसी परम्परा यहां पर डाल दी है कि ३,४ महीने से ज्यादा कोई मंत्री रहने नहीं पाया है । यह बात जरूर है कि हमारी कांग्रेस सरकार ५२ से यहां पर चलती रही । उसके मंत्रि परिषद् के सदस्यों ने यह समझा था कि हम उमर भर मंत्री बने रहेंगे और हमको यहां से हटना नहीं है जब तक कि मरेंगे नहीं परन्तु अब ऐसी बात नहीं है । कई बार मंत्रि-परिषद् से हटना पड़ा है। इधर से उधर भी बैठना पड़ता है । इसलिये अब इस विधान मंडल के अधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न है । सबको इस बात को देखना है ।

मंत्रि मंडल के सदस्यों के सामने एक कठिनाई है । मैं उस कठिनाई को सदन के सन्मुख रखना चाहता हूं । वह यह है कि आई०ए०एस० वाले जो उनको लाल रोशनाई से लिखकर रिपोर्ट देते हैं उनको उनके ऊपर चलना पड़ता है । उसके आगे उनकी बुद्धि का प्रयोग कम होता है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य जी ने थोड़ा बहुत घुमा फिराकर अनुच्छेद १८७ के खंड २ का सम्मान किया और उसको माना । वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमको इसमें कोई अड़चन नहीं है लेकिन फिर घुमा-फिराकर कुछ दिक्कत भी सामने रखी । वित्तीय कठिनाई उन्होंने सामने रखी। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारा लेजिस्लेचर स्वयं ही इस मामले में कमजोर है । कल और परसों हमने यहां देखा कि यह हाउस खचाखच भरा हुआ था ट्रायल आफ स्ट्रेंग्थ के लिये । कुर्सी कम हैं तो इधर उधर मा० सदस्य बहुत दिखाई देते थे लेकिन आज जबकि यहां पर यह अधिकार का प्रश्न है तो केवल ७०-८० माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं । लेकिन जो भी माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं मैं उनका आदर करता हूं जो नहीं भी हैं उनका भी आदर करता हूं ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रतिवेदन बड़ी कठिनाई के साथ, बड़े सोच विचार के बाद और बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करके तैयार किया गया है । इसमें डा० सम्पूर्णानन्द की ५ लाइनें अंग्रेजी में हैं । वह इस रिपोर्ट के पृष्ठ ६ पर दी हुई है । उसमें उन्होंने इतनी सारगर्भित बात कही है कि इस रिपोर्ट की सारी भावना इन वाक्यों में आ जाती है । मैं

आपका ध्यान इस रिपोर्ट के पृष्ठ पर ले जाना चाहता हूं। उसमें यह है कि "एक और प्रश्न जो समिति के समक्ष रखा गया है वह इस सचिवालय के आय-व्ययक के संबंध में है। मुख्य सचिव तथा वित्त सचिव ने अपने साक्ष्य में इस बात पर जोर दिया है कि आय-व्यय को संविधान के अनुसार सदन में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उनकी है और वे उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। आय-व्ययक को किस प्रकार तैयार किया जाये, किस रूप में उसको सदन के समक्ष लाया जाय, किस प्रकार उस पर मतदान लिया जाये, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर हाउस आफ कामन्स, लोक सभा तथा राज्य सभा तथा अन्य राज्यों के विधान मंडलों में किसी न किसी रूप में निर्णय हो चुके हैं और इस संबंध में जो परम्परायें पड़ चुकी हैं। समिति की राय में इस संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई उठने की संभावना नहीं होगी।"

उसके बारे में एक अच्छी राय दी है कि स्टाफ कमेटी बनायी जाय जो निश्चय करे कि कितने कर्मचारी इसके अन्दर हों। उसके बाद एक समिति-वित्त समिति बनाने का भी सुझाव दिया गया है। आचार्य जी को उस पर आपत्ति है। मैं उनकी इस आपत्ति से सहमत हूं लेकिन उसमें सुझाव दिया गया है कि वित्त मंत्री, संसदीय मंत्री और नेता विरोधी दल और अध्यक्ष महोदय उस समिति में हों, और मैं समझता हूं कि इससे उनके कार्य में कोई भारी अड़चन नहीं आयेगी क्योंकि इसमें ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जिक्र किया गया है जो सारी परिस्थितियों से परिचित हैं। वे एक या दो या तीन बैठकों में बैठकर उस बजट को तैयार कर लेंगे। यदि इस पर भी आचार्य जी को कोई शिकायत हो तो मैं उनकी बात से सहमत हो जाऊंगा। श्रीमन, वित्त समिति के संबंध में स्वर्गीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने जो कहा है उनकी एक लाइन की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं--"व्हाट इज दि आबजेक्शन इन प्रिंसिपुल टु दि प्रैक्टिस आबटेनिंग इन डेल्ही?" जहां लोक सभा की चर्चा है, लोक सभा के बारे में यह कहा गया है कि लोक सभा का बजट उसके सचिवालय द्वारा तैयार किया जाता है। तदुपरान्त उसे वित्त मंत्रालय को भेजा जाता है। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द की कुछ लाइनें पढ़ कर मैं बतलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि "हमारे अध्यक्ष और सभापति इस मामले में इतने सेंसिटिव हैं कि वे अपनी स्वाधीनता के अधिकार को खूब समझते हैं और इसके प्रतिपादन की क्षमता उनमें आ चुकी है।" तो मैं समझ नहीं पाता कि इसमें हमारे सामने क्या कठिनाई है?

जहां तक वेतन-मान का संबंध है, माननीय राम गोपाल संड जी ने बहुत साफ कह दिया है। वे कुछ नियमों के विरुद्ध चले गये क्योंकि कर्मचारियों का नाम यहां नहीं लेना चाहिये था। उसी के समकक्ष कर्मचारी, जब उसी के समान कार्य को काफी लगन और परिश्रम के साथ काम करते हैं और उससे अधिक परिश्रम करते हैं तो उनमें एक हीन भावना पैदा होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि व्यूरोक्रेसी का यह उदाहरण है कि सरकारी सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी यदा कदा अपने टेबिल पर बैठे हुये सिगरेट का धुआ उड़ाते हुये पाये जाते हैं जब कि हमारे सचिवालय का कोई कर्मचारी अपने दफ्तर में बैठकर ऐसा नहीं करता। वे सुबह ६ बजे आ आते हैं, बल्कि साढ़े ८ बजे ही आ जाते हैं जब कि आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक लगा देते हैं और रात को ६-१० बजे अपने घर जाते ह। उनको दूसरे दिन के लिए एजेंडा तैयार करना पड़ता है, उनको बड़ी जिम्मेदारी है और वे बड़ी परिश्रम से काम करते है।

व्यूरोक्रेसी का अधिकारी तो एक मंत्री को खुश कर अपना जीवन यापन मजे में करता है लेकिन यहां के कर्मचारियों को अपना जीवन यापन के लिए ४२६ सदस्यों को खुश करना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि संविधान के अनुच्छेद १८७ के बनाते समय डाक्टर भीमराव अम्बेदकर के सामने सारी बातें स्पष्ट थीं और अनुच्छेद १६६ उसमें कोई बाधा नहीं डालता। इस प्रतिवेदन में अनुच्छेद १६६ के बारे में साफ है। इसी प्रतिवेदन में १६६ के बारे में भी दिया है और उसका स्पष्ट निराकरण बताया गया है। आप दखें कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद १६६ (२) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

राज्यपाल के नाम पर जारी किये गये और कार्यान्वित किये गये आदेश और अन्य करण उत्तर प्रदेश शासन के सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, या सहायक सचिव के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किये जायंगे ।"

इसके आगे समिति ने प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि "विधान सभा सचिवालय से सम्बन्धित आदेश और अन्य करण विधान सभा के सचिव या सहायक सचिव के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकृत किये जायंगे ।

समिति यह समझती है कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि इस प्रकार की राजाज्ञा शीघ्र जारी कर दी जाय ।"

यह राजाज्ञा के बारे में है और विज्ञप्ति के बारे में भी मैंने अभी जिक्र किया इससे वे तमाम अड़चनें स्वयं ही दूर हो सकती हैं । हमारा समानता का स्तर हो इस संबंध में जो अन्य प्रदेश हैं उनके एक दो उदाहरण आप लें तो वहां कोई कठिनाई आज तक नहीं है। दिल्ली में या हाउस आफ कामन्स में कोई कठिनाई नहीं है तो हमें ही क्या कठिनाई है जब कि १८ और २० साल बीत गये ? इसके अलावा आप पृष्ठ ४५ पर देखें तो इस में लिखा है कि इस पर मध्य प्रदेश की विधान सभा का उदाहरण दिया है । संविधान के अनुच्छेद १८७ (१) के अन्तर्गत प्रशासकीय और वित्तीय मामलों में विधान सभा सचिवालय को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिये अध्यक्ष तथा विधान सभा सचिव के प्रशासकीय और वित्तीय अधिकार क्रमशः मंत्री एवं सचिव के समान निर्धारित किये गये हैं । इसके आगे और साफ है कि "विधान सभा सचिवालय के प्रशासकीय और वित्तीय आदेश उसी सचिवालय के पदाधिकारियों द्वारा राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किये जाते हैं ।" फिर इसके और आगे दूसरी बड़ी अड़चन का भी निराकरण है जो जो पद शासन सचिवालय और विधान सभा सचिवालय दोनों में हैं, उनके वेतन मान समान हैं । अन्य पद के वेतन मान राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष परामर्श से निर्धारित किये जाते हैं । कोई कठिनाई इसके मानने के लिये नहीं है और जल्द से जल्द नियम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

जहां तक समिति की बात है मेरा उससे कोई विरोध नहीं है, बजट सचिवालय बना दे वित्त समिति न बने, वह वित्त मंत्री के पास जाय वहां से कोई काटपीट न हो और जो राय होगी वह हो जायगा । लेकिन अब इस मामले में अधिक समय न लगाया जाय और जल्द से जल्द इस चीज को कार्यान्वित किया जाय और नियम बनाये जायं मेरे विचार इस संबंध में यही हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाजपेयी जी के सुझाव मे सहमत हूं कि इस विषय में अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है और न मैं किसी बहस के लिये खड़ा ही हुआ हूं । मैं केवल एक सन्देह जो मेरे हृदय में पैदा हो गया उसका निराकरण चाहता हूं । यह जो आचार्य जी ने स्पष्टीकरण करते समय आर्टिकिल १८७ के स्पष्टीकरण में वह कुछ थोड़ा सा कहा जो संविधान में निर्देश दिये हैं आर्टिकिल १६३ में, उसमें मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि यहां पर जितने माननीय सदस्य उपस्थित हैं सभी इस बात से सहमत अवश्य हैं कि हमारा जो यह सचिवालय है विधान मंडल का, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिये और उस पर से वित्त विभाग का नियंत्रण समाप्त होना चाहिये और लोक सभा की व्यवस्था के अनुसार यहां भी कार्य हो । जो २ कमेटियां पहले से चल रही हैं जिनका जिक्र विकल जी ने किया वह कमेटियां काम करें, उसमें थोड़ा संशोधन अवश्य हो सकता है लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जब मैंने इस रिपोर्ट को देखन का प्रयत्न किया तो इसमें एडवोकेट जनरल को साक्ष्य के लिये बुलाया गया और जो उत्तर उन्होंने दिया था वैसी ही भूमिका आचार्य जी अदा कर रहे हैं । वह भी यह कहना चाहते थे कि जब गवर्नर कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की राय से आर्टिकिल १६३ के अन्तर्मत काम करते हैं तो किसी भी हालत में मिनिस्ट्री की राय के अतिरिक्त वह कार्य नहीं कर पायेंगे जबकि वह आर्टिकिल १८७ के अन्तर्गत कार्य करेंगे ।

श्रीमन्, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। यह सही है कि हमारे सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन क्रम बहुत कम हैं। यहां के लिपिकों के, रिपोर्टर्स के और गार्ड्स के वेतन बहुत ही कम हैं और उनको सुधारना ही होगा, उनको स्टडी करना है। संविधान की धारा १८७ के अन्दर चूंकि गवर्नर इस विधान मंडल का पार्ट है (इट शैल इन्क्लूड दि गवर्नर) तो वहां पर कहा कि गवर्नर कौन है? गवर्नर को जब आपने डिफाइन किया तो कहा कि गवर्नर वह है जिसके अन्दर सब एक्जीक्यूटिव पावर्स वेस्ट करती हैं। जब यह प्रकट करने के लिये प्रयास किया गया है तो वह संदेह मेरे दिमाग में हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि जब विचार करके अपनी ओर से आप सोचने लगें कि गवर्नर कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की राय से ही कार्य करेगा। इसलिये आर्टिकिल १८७ में जहां पर गवर्नर की पावर्स हैं, वहां पर भी इसको इम्पलाइड समझ कर कि वह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की राय से काम करेगा, इस भ्रम को बदला जाना चाहिये। आप विचार करें, जहां पर इस बात को कहा गया है कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की राय से काम करेगी, वहां इस बात को स्पष्टतया कहते हैं। परन्तु यहां पर इस बात की आवश्यकता नहीं समझी गयी, यहां पर १८७ (२) को देखेंगे। उसके अन्दर स्पष्ट कहा है कि :

"The Legislature of a State may by law regulate the requirement, and the conditions of service of prsons appointed, to the Secretarial staff of the Houses of the Legislature of the State."

और ३ में दिया है--

Until the provision is made by the Legislature of the State under Clause (2), the Governor may, after consulation with the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council....

मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि विधान में यह बात तो ठीक है कि अगर कोई एम्बीग्युटी होगी तो सुप्रीम कोर्ट से साफ हो जायगी लेकिन जब अनुच्छेद १८७ बनाया तो माननीय अम्बेदकर जी ने स्पष्ट किया कि उन्हें १८७ (२) क्यों रखना पड़ा। जब अटोर्नी जनरल ने साक्ष्य दिया तो उन्होंने १८७ (१) के बारे में कहा जहां सैपेरेट सक्रेटेरियल स्टाफ का सम्बन्ध है वह नीचे के प्रोवाइजो से गवर्न होता है जहां पर वह चाहें तो अलग-अलग सेक्रेटेरियट भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं बाई कैमेरल और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में यानी इस सेक्रेटेरियट को इंडिपेन्डेंट नहीं कहा गया। ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने आर्टिकिल १८७ (२) पर गौर नहीं किया है। यह जो पूरा आर्टिकल है यह दोनों लेजिस्लेचर्स की सैक्रेटेरियट या उनके सेपरेशन के बारे में नहीं कहा है। यह तो इस बात की व्याख्या है कि इस सचिवालय को क्या अख्तियार है नियुक्ति और सर्विस कंडिशन्स के बारे में। तो कौन कह सकता है कि उसके अन्दर वित्त इन्वाल्व नहीं होगा, उसमें कर्मचारियों के पेंशन की बात होगी, छुट्टियों की भी बात होगी कि कितनी विद पे देनी होगी और कितनी विदआउट पे देनी होगी। तो १८७ (२) में अगर सर्विस कन्डीशन तय कर सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि संविधान के जो मेकर्स थे उनकी यह मंशा थी कि यह जो सचिवालय है।....

श्री उपाध्यक्ष--

४.३० बज रहे हैं। आप बैठ जाइये।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

अगर आज आप बन्द क रके दूसरे दिन बहस रक्खेंगे तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं उस दिन बोल लूंगा। लेकिन यह न हो कि मैं अधूरी बात कह जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष--

लाल बत्ती होना इस बात का संकेत है कि दो मिनट हैं। दो मिनट में आप कह सकते हैं तो कह दीजिये। अगर सदन कह दे कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव न लिया जाय तो मुझे स्वीकार है। क्या राय है?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि बार-बार यहां से कहा गया। विकल जी की ओर से यह कहा गया कि यह सरकार टालना चाहती है और उप समिति का सुझाव दे रहे हैं। उप समिति का सुझाव माननीय नारायण दत्त तिवारी की ओर से आया था जिसको आचार्य जी ने स्वीकार कर लिया था। मैं नहीं समझता कि सरकार टाल रही है। अगर आप चाहते हैं कि दो दिन बाद विचार होना है तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष--

समय मिले या न मिले मैं नहीं कह सकता।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जैसा आपने कहा कार्य स्थगन प्रस्ताव लेने हैं, लेकिन जो चर्चा चल रही थी, उसके अन्त में मंत्री जी ने आरम्भ में कहा था कि वे भी बोलेंगे और सरकार की तरफ से बातें बतलायेंगे। अगर आप समय देते हैं तो दूसरे दिन का समय निश्चित कर दें। यह शंका हो रही है कि यह टल न जाय। आप इसकी घोषणा कर दें कि कब इसको पूरा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

जो शंका व्यक्त की है डा० बाजपेयी ने, मैं अपनी तरफ से उस विषय में नहीं कहना चाहता लेकिन हाउस आफ कामन्स में ग्रेट ब्रिटेन के स्पीकर का वाक्य पढ़ दूंगा। अंग्रेजी में वह है --

"I should of course tell you that our Speaker did take a very firm line. He said, "I should have officials for the House of Commons who are of the same ability and status as the officials of the Civil Service. We have constantly to deal with the Civil Services on behalf of the House of Commons and if you do not have people of equal ability and status serving the House you will have the House of Commons defeated. I will not let that happen, and if necessary I will go to the House dirct on this matter."

यह मामला उठ गया है। यह ग्रेट ब्रिटेन में हाउस आफ कामन्स में स्पीकर साहब ने इस सदृश सवाल पर कहा कि यह मामला ऐसा है कि हमारे हाउस आफ कामन्स के अधिकारियों की क्षमता और योग्यता उन अधिकारियों के समकक्ष होनी चाहिये जो सिविल सर्विस में हैं। अगर यह चीज नहीं होती है तो हाउस आफ कामन्स डिफीट कर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति को मैं हरगिज, नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं सीधे सदन के सामने जाऊंगा।

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन नहीं करता न कोई याचना करता हूं। लेकिन जैसी कि कुछ शंका अभी की जा सकती है ऐसे विषय पर अगर उचित समझूंगा तो शायद हम ही इस मामले में सीधे आवें। पहले तो मैं नहीं समझता कि सरकार इस पर भागे।

श्री मैनेजर सिंह--

आपने परसों मुझे हाउस को त्यागने से रोक दिया था, वैसे ही आज मंत्री जी को भी जाने से रोक दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)--

आपने जो हाउस आफ कामन्स के स्पीकर की व्यवस्था पढ़ी उसी परम्परा का अनुसरण करते हुए आप भी फैसला दें कि जब तक इस संस्तुति को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक इस सरकार को इस सदन के बाहर नहीं जाने दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था देने की जरूरत नहीं है। सदन जागरूक है। मैं आशा करता हूं कि सरकार सदन की इच्छाओं की पूर्ति कर देगी।

श्री मैनेजर सिंह—

मेरा एक सुझाव है। यह प्रतिवेदन बहुत गम्भीरता के साथ विचार करके बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है कि जिस पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव भी दिये हैं। मेरा सुझाव यह है कि माननीय अध्यक्ष जी या आप, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय वित्त मंत्री बैठ कर इस पर विचार कर लें और एक रूपरेखा तैयार कर लें जिसके अनुसार कार्यवाही चले।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका यह सुझाव है, और भी सुझाव हैं, विचार कर लिया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरे लिये क्या आज्ञा है.....

(व्यवधान)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बहस आगे भी जारी रहनी चाहिये, हम लोगों ने काफी तैयारी की थी, मगर आपने समय नहीं दिया.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति में इसको रखा जायेगा, उसके अनुसार समय दिया जा सकेगा दूसरे किसी दिन।

श्री गोविन्द सिंह—

दूसरे दिन जो सरकारी कार्य हो, उसमें अग्रेतर इस विषय को आप रखने की कृपा करें। इसको सबसे पहले ले लिया जाय दूसरे दिन ही।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यही हम सब लोग भी चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सदन में तो फिर आयेगा ही, मगर इसके लिये समय कार्यमंत्रणा समिति ही तय करेगी।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह—

यह सदन की गरिमा का प्रश्न है। आपने जो अभी हाउस आफ कामन्स का हवाला दिया। उसके अनुसार आप इस विषय को अगल दिन के कार्यक्रम में सबसे पहले रख सकते हैं। यह तो आपके अधिकार में है। आप अपने अधिकार का प्रयोग करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अपने अधिकार का प्रयोग करने का जब प्रश्न सामने आयेगा तब करूंगा। अभी आप ऐसा क्यों समझते ह कि सरकार आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगी। आपके जो सुझाव हैं उस पर कार्य-मंत्रणा समिति विचार करेगी।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, तो मेरा भाषण तो जारी रहेगा, यह तो बता दें

श्री उपाध्यक्ष--

वह नोट हो गया है ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज के नवजीवन में एक गलत खबर छपी है.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप उसे लिख कर दें ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

नेशनल हेरल्ड और नवजीवन में छपी खबरों का तथा आल इंडिया रेडियो की खबर का कोई विश्वास नहीं करता ।

एक सदस्य--

नवजीवन में मेरे लिये लिखा है कि मैंने विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है.....

श्री उपाध्यक्ष--

आपको जो कुछ कहना हो लिख कर दें । इस तरह से नहीं ।

आप कृपया बैठिये । (व्यवधान) अब नियम ५१ आदि के प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह दोनों सदस्य खड़े हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह ठीक नहीं है । आप किसी को इस तरह खड़े करके कहने लगें यह ठीक नहीं है । मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं । आपको जो कुछ कहना है लिख कर दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप नाराज क्यों हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप आरोप लगा रहे हैं.....

(व्यवधान)

इस तरह से यह हाउस नहीं चल सकता ।

(व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

एक मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । व्यवस्था का प्रश्न व्यवस्थित ढंग से आना चाहिये, अव्यवस्थित ढंग से नहीं । किसी को खड़ा रखकर अपनी बात करना ठीक नहीं । सारा कार्य नियमों के अनुसार होना चाहिये ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

अब नियम ५१ के अन्तर्गत ८ सूचनाएं मिली हैं । एक माननीय सुखपाल पांडेय व रामकरन सिंह जी की है--जिला बस्ती के विकास क्षेत्र गौर के भूतपूर्व क्षेत्रीय विकास अधिकारी द्वारा भ्रष्ट तरीके से ट्यूबवेल तथा पम्पिंग सेटों पर धन लेने सम्बन्धी पत्र तथा ग्राम सेवक, श्री राम कृपाल मिश्र की सेवा समाप्ति करने के सम्बन्ध में । इसे दिनांक २२-१२-७० के लिये नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है ।

माननीय दल सिंगार व भीमाप्रसाद का प्रश्न यह था कि आजमगढ़ जिले के तहसीलदार द्वारा एक लेखपाल को, नसबन्दी का केस न दे सकने के कारण अपशब्द कहने, सेवा मुक्ति की धमकी देने आदि के कारण उसकी हुई मृत्यु के संबंध में, इसको स्वीकार नहीं किया गया है ।

श्री राम पूजन पटेल, श्री राजितराम पान्डेय व श्री रामचरन त्रिपाठी का--अर्द्ध कुम्भ मेले, इलाहाबाद में बाघम्बरी अखाड़े को पुनः संगम के उत्तर तथा पश्चिम में जगह देने के कारण दुर्घटना की संभावना के सम्बन्ध में था, उसे भी स्वीकार नहीं किया गया है । अच्छा हो कि यह सरकार को लिख कर दे दें, यह सूचना है आवश्यक हो सकती है । आप सम्बन्धित अधिकारियों को लिख कर दे दें ।

सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रमसिंह, महरमसिंह, ब्रजराजसिंह व रामरतन प्रसाद आदि सदस्यों को--भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड, हरिद्वार द्वारा ली गई जमीन का मुआवजा न देने तथा अप्रयोजनार्थ पड़ी हुई शेष भूमि को भूमि के मालिकों (कृषकों) को न देकर उसे भूमिहीनों में वितरित करने के सम्बन्ध में था, वह भी स्वीकार नहीं किया गया है ।

माननीय रियासत हुसैन जी का-जिला नैनीताल की काशीपुर पुलिस द्वारा काशीपुर गन्ना मिल के मजदूर को पीटने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में था, उसको भी अस्वीकार कर दिया गया है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

अध्यक्ष ने इसके लिए कल कहा था कि कल लिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा, मैं नहीं जानता । बहरहाल यह भी उन्हीं का आदेश है, जो मैं आपको सुना रहा हुं । इसके लिये आप उनसे बात कर लीजिये, हो सकता है कि अभी अवसर हो ।

श्री राजितराम पांडेय, श्री रामपूजन पटेल व श्री रामचरन त्रिपाठी द्वारा नगर महापालिका, इलाहाबाद के कर्मचारी संघ के मंत्री कर्मचारियों की मांगों को लेकर नगर महापालिका इलाहाबाद के कर्मचारी संघ द्वारा भूख हड़ताल करने के सम्बन्ध में प्रश्न दिया गया था, उसे भी अस्वीकार किया गया है।

[श्री उपाध्यक्ष]

श्री नित्यानन्द स्वामी का गंगा की बाढ़ से गंगा नहर में रेत जमा होने के फलस्वरूप नहर तथा बिजली घरों के बन्द होने के सम्बन्ध में था, यह भी अस्वीकृत हुआ है। श्री गंगा प्रसाद का—जिला गोंडा में तरबगंज डुमरियाडीह–मोतीगंज सड़क के निर्माण हेतु धनराशि का प्राविधान हो जाने के बावजूद भी सड़क के निर्माण कार्य को प्रारम्भ न कर सकने के सम्बन्ध में था, जिसे भी अस्वीकार कर दिया गया है।

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९८२–९८४ पर)

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) विधेयक, १९७०

सचिव विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) विधेयक, १९७० जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ ९८५–९९० पर)

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

मैं आपकी अनुमति से सदन को सूचना देता हूं कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा ९ दिसम्बर, १९७० को पारित किया गया था, तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १७ दिसम्बर, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

कार्य सूची में तो यह नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी कौंसिल से आया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

तो कल सुबह रख लेते। इसमें एक दिन का फर्क पड़ जाता है। श्रीमन, यह कल ही से गिना जायगा क्योंकि कि हमें पढ़ने....

श्री उपाध्यक्ष—

यह यहां से गया था। कौंसिल से पास हो कर आया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—
उसमें एक दिन का फर्क हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष—
अब तो रख दिया । जो आप सवाल उठा रहे हैं, कार्य मंत्रणा समिति में रख दिया जायगा ।

किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में गिरावट के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्रीमती कुदसिया बेगम)—
मांग और पूर्ति के साधारण नियम के अनुसार प्रति वर्ष खरीफ और रबी की फसल कटने के बाद खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट होती है । अगर पैदावार अच्छी होती है तो बाजार में उपलब्धता पर्याप्त बढ़ जाने से मूल्यों में गिरावट तेजी से होती है अन्यथा गिरावट साधारण होती है । पिछली रबी में गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ था जिससे प्रदेश में इस अनाज की उपलब्धता पर्याप्त है । भारत सरकार ने इस अनाज के भाव में कोई अत्यधिक गिरावट न हो, और इसका प्रतिकूल प्रभाव कृषकों पर न पड़े और तदनन्तर उनकी उत्पादन की क्षमता न घटे इस उद्देश्य से मूल्य संरक्षण की घोषणा कर दी थी और भारतीय खाद्य निगम के जरिये काफी मात्रा में इस अनाज की खरीदारी की गई, जो कि अब भी जारी है । १९६९–७० की रबी फसल से भारत सरकार द्वारा निर्धारित ५ लाख टन गेहूं की खरीदारी के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक ३ लाख टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है । जिससे इस अनाज के मूल्य में कोई विशेष गिरावट नहीं होने पाई । बाजार में इस समय जो माल आ रहा है और संरक्षण दर से कुछ कम दामों पर बेंचा जा रहा है वह प्रायः घुन लगा हुआ माल है और खरीदारी के गुण निर्दिष्टियों में नहीं आता है । गेहूं के खरीदारी के मूल्य निम्नलिखित हैं:—

उचित औसत किस्म का	मूल्य प्रति क्वि० रु० में
गेहूं सफेद सर्वती व मैक्सिकन	.. ७६.००
देशी लाल गेहूं	.. ७४.००

इस वर्ष खरीफ की फसल भी अच्छी हुई है और ज्वार, बाजरा, मक्का तथा धान की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है । इन अनाजों के दामों में भी अत्यधिक गिरावट को रोकने के लिये भारत सरकार की नीति के अनुसार मूल्य संरक्षण दिया जा रहा है । इन अनाजों की खरीदारी भी भारतीय खाद्य निगम कर रहा है । भारत सरकार ने खरीफ के मोटे अनाजों की खरीदारी का लक्ष्य इस प्रदेश के लिए ७०,००० टन निर्धारित किया था । इसके विरुद्ध करीब ८२,०००टन मक्का खरीदा जा चुका है । यद्यपि लक्ष्य की पूर्ति हो गई है फिर भी भारतीय खाद्य निगम खरीदारी तब तक जारी रक्खेगा जब तक कि मक्का, ज्वार व बाजरा का बाजार मूल्य संरक्षण मूल्य से नीचे रहता है । ज्वार, बाजरा, मक्का व विभिन्न श्रेणियों के धान के खरीदारी मूल्य निम्नलिखित हैं:—

अनाज उचित औसत किस्म	मूल्य प्रति क्वि० रु० में
१—ज्वार, बाजरा व मक्का	.. ५५.००
२—धान बासमती	.. ७२.००
३—धान श्रेणी १	.. ६६.००
४—धान श्रेणी २	.. ६०.००
५—धान श्रेणी ३	.. ५४.००
६—धान श्रेणी ४	.. ५१.००
७—धान श्रेणी ५	.. ४७.००

[श्रीमती कुदसिया बेगम]

धान व बाजरा का बाजार भाव खरीदारी मूल्य से ऊंचा है । केवल ज्वार और मक्का का बाजार भाव संरक्षण मूल्य से कम इसलिये है कि जो ज्वार और मक्का बाजार में आ रहा है वह उचित औसत किस्म का नहीं है और उसमें नमी की मात्रा अधिक है और खरीदारी गुणनिर्दिष्टियों में नहीं आता है ।

मुख्य-मुख्य अनाजों के बाजार मूल्य की तालिका संलग्न है ।

उपर्युक्त उल्लिखित अनाजों के बारे में मूल्य संरक्षण है । चावल के बारे में स्थिति यह है कि इसके दाम पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक है इसलिये चावल की कोई समस्या नहीं है । फिर भी अपनी सस्ते गल्ले की दूकानों की आवश्यकता के लिए तथा भारत सरकार के केंद्रीय भंडार के लिए इसकी खरीदारी राज्य सरकार द्वारा उगाही प्रणाली के अन्दर की जा रही है । खरीदारी का लक्ष्य ढ़ाई लाख टन है और ४५ हजार टन से अधिक खरीदारी हो चुकी है ।

जहां तक खाद, बिजली और सिचाई की दरों का संबंध है स्थिति यह है गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष रसायनिक खादों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुयी है बल्कि अमोनियम सल्फेट के दामों में कमी हुयी है।

इस प्रदेश में बिजली राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सप्लाई की जाती है । (निजी नलकूपों) पंपिग सेटों के लिए बिजली की दर १ जुलाई, १९६८ से १५ पैसे प्रति यूनिट है । उत्तर प्रदेश के मुकाबले बिहार, उड़ीसा तथा गुजरात में (निजी नलकूपों) पंपिग सेटों के लिए बिजली की दरें ज्यादा हैं । परिषद को (निजी नलकूपों) पंपिग सेटों के विद्युतीकरण पर उच्च औसत लागत के कारण लगभग ४०० रु० प्रति (निजी नलकूप) पंपिग सेट पर प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है । परिषद् ने अब तक नये १ लाख (निजी नलकूपों) पंपिग सेटों का विद्युतीकरण कर दिया है । इस प्रकार परिषद को लगभग ४ करोड़ रुपया की हानि प्रति वर्ष हो रही है । कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए ही परिषद् ने बढ़ती हुयी कीमतों के बावजूद भी कृषि कार्यों के लिये दरें नहीं बढ़ाई हैं बल्कि वास्तविकता में दरें सहायतित हैं और बिजली के (निजी नलकूपों) पंपिग सेटों के उपभोक्ताओं से बिजली के उपभोग पर इलेक्ट्रिसिटी डयूटी चार्ज नहीं की जाती है ।

सिंचाई के दरों में भी इस वर्ष कोई वृद्धि नहीं की गयी है । वास्तविकता यह है कि मजदूरी तथा सामानों की लागत बढ़ जाने से सिंचाई निर्माण कार्यों के रख-रखाव का व्यय काफी बढ़ गया है तथा वर्तमान परिस्थितियों में अधिकांश ऐसी सिंचाई परियोजनायें हैं जो वित्तीय रूप में अलाभकारी है और उनसे उतना भी प्रतिलाभ नहीं होता है कि उनसे उन प्रयोजनाओं को वित्त पोषित करने के हेतु लिये गये ऋणों के ब्याज के व्यय को भी पूरा किया जा सके । फिर भी कृषकों की सामान्य भलाई के हित में राज्य सरकार को ऐसी अलाभकर योजनायें भी कार्यान्वित करनी पड़ती हैं। सन् १९५६-५७ से राजकीय सिंचाई साधनों पर लगातार हानि होती आ रही है । यह हानि बढ़ती ही जा रही है और १९५६-५७ की १.४ करोड़ की हानि के स्थान पर सन १९६६-६७ में बढ़कर लगभग १० करोड़ रुपये तक पहुंच गयी थी । इसके बावजूद दरों में कोई विशेष वृद्धि नहीं की गयी।

भारत सरकार एवं योजना आयोग इस बात पर निरन्तर बल देता रहा है कि सिंचाई निर्माण कार्यों पर होने वाली हानि रोकी जाय । प्रदेश में शासन द्वारा नियुक्त की गयी कर जांच समिति ने भी राजकीय नलकूपों तथा प्रदेश की नहरों पर सिंचाई की दरों में वृद्धि सिफारिश की थी । तद्नुसार १ नवम्बर, १९६९ से प्रदेश की प्रमुख नहरों पर २५ प्रतिशत तथा राजकीय नलकूपों पर लगभग ५० प्रतिशत की बद्धि कर दी गयी। शासन द्वारा निर्धारित दरें सहायतित दरें हैं और निजी साधनों से उपलब्ध किये गये पानी की दरों की तुलना में बहुत कम है । वर्तमान सिंचाई दर पर भी राजकीय सिंचाई निर्माण कार्यों पर घाटा हो रहा है । इन परिस्थितियों में वर्तनाम सिंचाई दरों का पूर्ण औचित्य है ।

इस प्रकार खाद, बिजली तथा सिंचाई की दरों में इस वर्ष कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

मुख्य मुख्य अनाजों की प्रदेश की मंडियों में औसत मासिक बाजार भाव की जुलाई, १९७०से तथा गतवर्ष की समकक्ष अवधि की तालिका

खाद्यान्न	जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर		नवम्बर	
	१९६९–७०		१९६९–७०		१९६९–७०		१९६९–७०		१९६९–७०	
गेहूं	८८.१९	७८.८९	८८.८१	७८.२८	८८.५२	७६.२३	८५.९०	७३.९६	८८.९४	७५.०९
चना	१०२.९४	८३.४२	१०२.८७	८२.१८	१०२.२३	७८.८६	९९.६५	७५.४५	१०२.४६	७६.०३
जौ	६५.४३	५४.५२	६५.३९	५१.८८	६९.०९	४७.७३	६५.६५	४५.०७	६६.३०	४४.५५
चावल श्रेणी ३	१२१.७५	१२४.९४	१२१.५३	१२६.७१	११७.७६	१२२.४१	१०५.३६	११७.७०	१०१.२१	१०४.०३
धान श्रेणी ३	६८.९९	६९.५१	६८.४८	६८.१६	६४.७४	६६.९९	५४.६६	५८.०७	५४.६२	५६.०६
मक्का	७०.१६	६६.५५	७०.९३	६०.४६	६३.७९	५१.६६	५५.५८	४९.८९	५६.२८	५०.८४
ज्वार	७९,९०	६४,०५	७३.१६	५९.१३	७१.३५	५९.५०	६१.५७	४०.००	५६.२०	४९.७६
बाजरा	९२.४६	७३.३७	८८.९३	७३.७४	८६.४२	६६.००	६६.३९	५१.७८	६५.०७	६१.४५

किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में गिरावट अन्तर्गत वक्तव्य

के सम्बन्ध में नियम ५१ के ९३७

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर जो मेरा मकसद था यह देने का और आपने स्वीकार किया नियम ५१ के अन्तर्गत तो मैंने यह दिया था कि किसानों का गल्ला सस्ता हो गया है जब कि दूसरी चीजों को जो कि खेती के लिये आवश्यक हैं जैसे लोहा, खाद, बिजली उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं । गल्ले की कीमत कम है और दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं । इससे किसानों की कमर टूट गयी है । इसके लिये सरकार क्या कर रही है ? मैंने जो प्रस्ताव दिया था वह साफ है । मंत्री जी ने जो पढ़ा उसमें यह है कि इतने कुंतल चावल है, इतने कुंतल गेहूं है । यह सभी सदस्यों को मालूम है । लेकिन किसानों को जो सामान खेती के लिए खरीदना पड़ता है उसके मूल्यों को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, यह मुख्य बात है ।

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री धर्मबीर)—

माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको अगर गौर से पढ़ें तो स्थिति साफ हो जाती है । अब यह कि गल्ले के भाव गिर रहे हैं और सिंचाई व बिजली की दरें बढ़ रही हैं तो उसके लिए सरकार क्या कर रही हैं, इसके लिये मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि हमारा ध्यान उन सारी चीजों की तरफ है । यह हमारे ध्यान में है कि अधिक से अधिक सुविधायें किसानों को मिलें । पिछले वर्षों के बाद इस वर्ष सिंचाई या बिजली के रेट नहीं बढ़ाते गये हैं। अभी नयी-नयी सरकार आयी है । इस सारी परिस्थिति को देखते हुए कि हमें कुछ ही समय हुआ है थोड़ा समय चाहिये । लेकिन फिर भी हम किसानों की कठिनाइयों के प्रति जागरूक हैं ।

श्री त्रिवेणी—

२५ फीसदी नहर और ५० फीसदी टयूबवैल की दरें बढ़ी हैं । आपको आये तो एक दो महीने हो गये । उस तरफ आप क्या कर रहे हैं ?

श्री धर्मवीर—

इस संबंध में मैं फिर उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि प्रदेश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा बिजली को देने का प्रयास हम अवश्य करेंगे। इसके लिये प्लानिंग कमीशन ने भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है । ४०० रु० सालाना का हमारा नुक्सान हो रहा है । हम और साधन जुटाने का प्रयत्न कर रहे हैं । जैसे ही वे साधन उपलब्ध हो जायेंगे हम उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देंगे ।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किसानों की हालत बड़ी खराब है और ऐसी स्थिति में क्या आप दाम नीति अपनायेंगे ? आज गल्ले का भाव बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है। किसान की जरूरतों की जो चीजें हैं जैसे कि कपड़ा, लोहा, सीमेंट आदि तथा बिजली, उसके दाम बहुत ज्यादा हो गये हैं । किसान को बिजली और सिंचाई की बढ़ी दरों को देना पड़ रहा है । जहां पहले वह ६ रु० बीघा देता था वहां पर अब उससे २० रु० बीघा लिया जा रहा है । पहले किसान रुपये में ३ पाव गल्ला बेंचता था परन्तु आज यह हो गया है कि उसको एक रुपये में ३ सेर बेंचना पड़ रहा है । मान्यवर, आपका संबंध और ध्यान ज्यादातर शहरों की तरफ है और देहातों की तरफ नहीं है ।

श्रीमती कुदसिया बेगम—

गेहूं के दाम सरकार गिरने नहीं देगी । प्राइस सपोर्ट पालिसी केंद्रीय सरकार की फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया के माफत लागू है जिसमें गल्ला खरीदा जा रहा है । गवर्नमेंट ने

अपनी कीमत मुकर्रर की हैं और उसी कीमत से गल्ला खरीदा जा रहा है ताकि किसानों को कोई नुक्सान न हो ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, अभी मंत्री जी के वक्तव्य में यह कहा गया है कि जब पैदावार अच्छी होती है तो खाद्यान्नों के मूल्य कुछ गिर जाते हैं । गेहूं के भाव ७६ रु० और ७४ रु० प्रति कुंतल हैं । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि गेहूं के दाम तो ७६ रु० और ७४ रु० हैं जब कि फसल बहुत अच्छी हुई है । स्टोर्स हैं उनसे १८० रु० प्रति कुंतल के दाम क्यों वसूल कर रहे हैं ।

श्री धर्मवीर--

बाजार में साधारण गल्ले के भाव में और बीज के भाव में अन्तर होता ही है।

श्री चेतराम गंगवार--

मैंने बीज नहीं कहा, श्रीमन् ।

श्री भानुप्रसाद सिंह (जिला बरेली)--

मान्यवर, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया खरीदारी कर रही है जिससे किसानों को राहत मिले । कितने परचेजिंग सेंटर आपके यू०पी० में काम कर रहे हैं ? मेरा सुझाव है कि ये नाकाफी हैं कि ये केवल यह कह देना कि दो चार बड़ी मंडियों में इस तरह की खरीदारी का काम कर रहे हैं उससे प्रदेश के किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है । अगर उनको वास्तव में राहत देना है तो परचेजिंग संटर्स की संख्या को ज्यादा करना होगा ताकि किसी काश्तकार को १० मील से ज्यादा जाकर अपना गल्ला बेंचना न पड़े । क्या सरकार इस प्रकार की कोई व्यवस्था करेगी ताकि १० मील के अन्दर ही फूड कारपोरेशन का परचेजिंग सेंटर काम करने लगे ?

श्रीमती कुदसिया बेगम--

मान्यवर, गल्ला खरीदने के लिए काम हो रहा है । इसके लिये मंडियां कायम कर रखी हैं और मुख्य मंडियां काम कर रही हैं । देहातों से गल्ला आता है और यहां पर उसको खरीदा जाता है । गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक मुख्य सचिव यहां रहता है लखनऊ में जिससे हमारे अफसरान हर वक्त मशविरा करते रहते हैं । यह कहना गलत है कि मंडियां नहीं खुली हुई हैं और गल्ला नहीं परचेज हो रहा है । मैं सिर्फ एक सेंटर गई थी देखने के लिए वाराणसी में मैंने वहां गवर्नमेंट आफ इंडिया के फूड कारपोरेशन के गोडाउन्स देखें जो कि भरे हुये हैं । वहां बराबर गल्ला चला आ रहा है । वहां एक डिप्टी डाइरेक्टर रहता है जिसने मुझे ३ गोडाउन्स दिखाये जो कि करीबन भरे हुये हैं। यह सब इसीलिये किया गया है और प्राइस और सपोर्ट की पालिसी के लिये खरीदा जा रहा है । यह कहना कि गल्ला नहीं खरीदा जा रहा, बिलकुल गलत है।

जहां तक सिंचाई के रेट्स का ताल्लुक है १.४ करोड़ से १० करोड़ रुपय की हानि सरकार को हो चुकी है लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई वृद्धि नहीं की है । केंद्रीय सरकार बराबर इस बात पर जोर दे रही है और इसके बावजूद भी रेट्स नहीं बढ़ाया गया है ।

श्री त्रिवेणी--

जो सिंचाई के रेट्स बढ़ चुके हैं उससे किसानों की कमर टूट रही है। ५० प्रतिशत ट्यूबवेल्स पर बढ़ा दिया गया है। क्या कोई स्कीम है उनके रेट्स घटाने की ?

श्री धर्मवीर--

जी नहीं।

श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)--

किसानों के गल्ले बढ़ाने की कोशिश की जा रही है लेकिन किसानों को जो मिलने वाली सुविधायें हैं, जैसे खेती के औजार हैं, खाद है, तो क्या सरकार उनको सस्ते दाम पर देने की कोई योजना बना रही है?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तफसीली सवाल हुआ (व्यवधान)

एक सदस्य--

जैसा अभी कहा गया कि फूड कारपोरेशन गल्ला परचेज कर रही है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि फैजाबाद में ऐसे कितने सेंटर्स खोले गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तफसीली सवाल हुआ। अगर माननीय मंत्री जी बता सकें तो बता दें।

श्री धर्मवीर--

अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती शांति देवी (जिला बदायूं)--

मंत्राणी जी यह बताने की कृपा करेंगी कि कौन-कौन सी जगह सीड स्टोर खोले गये हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तफसीली सवाल हुआ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आपने सदन का समय बढ़ा दिया है ? ५ बज चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

१५ मिनट का समय मैं स्वयं बढ़ा सकता हूं। फिर हमारे सामने एजेंडा है, समय तो स्वतः ही बढ़ जाता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)--

व्यवस्था का प्रश्न है। आप व्यवस्था दें कि एक सदस्य को कितनी बार उठना बैठना पड़ेगा ताकि वह आपका ध्यान आकर्षित कर सके ?

श्री उपाध्यक्ष--

उठना बैठना न पड़े उसके लिये दूसरा तरीका वही है जो यहां हो रहा है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)--

इसमें जो मुकाबला किया गया है वह गुजरात, उड़ीसा तथा बिहार से जो अंडर डेवलप्ड प्राविंसेज हैं, पंजाब तथा हरियाना से क्यों नहीं किया गया ? दूसरे जो परचेजिंग एजेंसीज हैं उन्हीं के द्वारा गल्ला क्यों खरीदवाया जाता है अगर स्टेट मारकेटिंग सोसाइटीज के द्वारा क्यों नहीं खरीदा जाता ?

श्री धर्मवीर--

बिहार, गुजरात का दृष्टांत इसलिये दिया कि हर प्रांत की अपनी-अपनी स्थिति अलग-अलग है । एक उदाहरण दिया गया कि इस प्रकार वहां से हमारे रेट कम हैं । जहां तक और मंडियों अथवा एजेंसियों का सवाल है कि उनके द्वारा क्यों नहीं खरीदा जाता गल्ला तो इस सब पर केंद्रीय सरकार कंट्रोल करती है और उसमें हमारा कोई दखल नहीं है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ।

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)--

काश्तकारों को बिजली तो केवल ४ घंटे दी जाती है और साल में १२०० रुपये उनको १० हार्स पावर पर देने पड़ते हैं तो सरकार इस पर विचार करे कि जितनी बिजली उनको दी जाती है उतना ही पैसा उनसे वसूल करे ।

श्री धर्मवीर--

यह एक टेक्निकल मामला है अगर यह ऐसी बात नहीं है जिसको रोका जा सके । जब बिजली दी जाती है तो निर्धारित समय में वह एक रफ्तार से चलती है । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उस तरफ हमारा ध्यान है लेकिन इस संबंध में समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से उनको अधिक से अधिक सुविधा दी जाय । कोशिश यही है कि उनको अधिक से अधिक बिजली मिल सके जितनी कि उनको आवश्यकता है । अभियन्ता से बात हुई तो उनका कहना था कि यह ऐसी चीज नहीं है कि जब चाहें कंट्रोल कर लें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

गल्ले के मूल्यों को नियंत्रण करने में सबसे बड़े बाधक अढ़तिये और साहूकार होते हैं, इसलिये क्या सरकार उनको नियंत्रित करने के लिये कोई कदम उठायेगी ?

श्री धर्मवीर--

मैं बतला चुका हूं कि केन्द्रीय सरकार का इस सब पर नियंत्रण है और परचेंजिंग सिस्टम तथा एजेंसी उसी के द्वारा निर्धारित की हुई है । उत्तर प्रदेश सरकार का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

सदन के समक्ष प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । मंत्री जी ने फरमाया कि मंडियों में गल्ला खरीदा जाता है, वह सस्ते भाव पर नहीं मुनासिब भाव पर खरीदा जाता है । बस्ती जिले में कोई उद्योग धन्धा नहीं है । कृषि ही वहां पर प्रधान उद्योग है । बस्ती जिले में अगर गेहूं बेचना है तो किसान चारों तरफ दौड़ते हैं । अब एक मंडी जो बस्ती जिले में ५० मील की दूरी पर है उससे कैसे यह नियंत्रण हो सकता है ? नतीजा यह होता है कि किसान जब

[श्री राजकुमार शास्त्री]

आवश्यक सामग्री खरीदने जाता है तो उसे मंहगे दाम देने पड़ते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई की पदावार गल्ले को सस्ते दाम पर बेचना पड़ता है । इससे समाधान नहीं होता । मंडियों में अगर नियंत्रित प्राइसेज ह तो सवाल यह हैं कि कितनी मंडियां उसके लिय हैं जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं ?

श्री धर्मवीर--

बड़ी-बड़ी मंडियों से हुई.... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा (व्यवधान)

श्री राम कुमार शास्त्री--

सरकार का फर्ज है कि इसको नियंत्रित करे ।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

अगर माननीय सदस्य किसी मन्डी की बाबत कहेंगे कि वहां पर गल्ला ज्यादा है और वहां से खरीदा नहीं जा रहा है तो हम फूड कारपोरशन आफ इंडिया से सिफारिश करेंगे कि वहां से गल्ला खरीदा जाय ।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक समय में एक ही व्यवस्था चलेगी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५ को यदि आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सभा का उपवेशन ११ बजे पूर्वाह्न से ५ बजे अपराह्न तक होगा । परन्तु विशेष परिस्थितियों में सदन संकल्प द्वारा उपवेशन के समय को बढ़ा सकेगा । अध्यक्ष स्वयं भी उपवशन का समय १५ मिनट के लिय बढ़ा सकेंग .....

श्री उपाध्यक्ष--

१५ मिनट मैंने बढ़ाये हैं । अभी तो वह भी नहीं हुये ?

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

आप मेरी बात सुन लें । तो किसी माननीय सदस्य ने कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं किया और आपको अधिकार है कि आप १५ मिनट सदन का समय बढ़ा सकेंगे और अब वह १५ मिनट भी समाप्त हो रहे हैं । ऐसी दशा में नियमतः ५ बजकर १५ मिनट के बाद भी सदन चलेगा ?

श्री त्रिवेणी--

मैंने तो प्रस्ताव कर दिया कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय .....

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, इसके बाद एक मेरी सूचना पर जो कि राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में है, आप उसे अवश्य ले लें ....

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

उपाध्यक्ष महोदय, कल ही माननीय अध्यक्ष महोदय चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में विवाद के लिये २ घन्टे के समय की सूचना द चुके हैं कि आज उस पर २ घन्टे तक बहस होगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं तो कह ही रहा हूं कि इसमें कुछ समय निर्धारित नहीं किया गया है (व्यवधान) अब हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीयकरण के बारे में तो एजेन्डे में दिया हुआ है। समय का उल्लेख उसमें नहीं है अतः आप जितनी देर तक इसमें बहस करना चाहें आपकी इच्छा पर है ।

श्री त्रिवेणी--

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय ने खाद्य मंत्री द्वारा मेरे प्रश्न का जवाब न दिये जाने पर, नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये उसे स्वीकार किया था । अतः उसके लिये आप समय दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

केवल वक्तव्य के लिये कहा था २-४ घन्टे की बहस के लिये नहीं स्वीकार किया गया है । अब हम आगे चलेंगे .....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । एक ही वक्तव्य के अन्तर्गत सरकार की सारी अवमूल्यन नीति के बारे में आप जान लें, यह नहीं हो सकता । जब मैंने देखा कि यह सदन चले या न चले, इस बारे में प्रश्न उठा दिया गया तो मैंने समझ लिया कि इसको समाप्त करके आगे चला जाय । अब हम मद ११ पर आत हैं ।

श्री गोविन्द सिंह--

श्रीमन्, आपने मुझे बुलाया था ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

माननीय शम्भूनाथ चौधरी ने नियमों का हवाला दिया । उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया । क्या नियम व्यपगत हो गया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

समय के बारे में कार्यमंत्रणा समिति ने तय किया और वह सवाल सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ और उसने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विवाद को तय किया गया । इसलिये उसके खत्म होने तक यह सदन चलता रहेगा ।

श्री बसन्तलाल शर्मा--

लेकिन श्रीमन्, नियमों में लिखा हुआ है कि सदन का समय संकल्प के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव के द्वारा कोई समय नहीं बढ़ाया गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आवश्यकता नहीं समझता । माननीय गोविन्द सिंह को मैंने बुला लिया था, उसी बीच में एक व्यवस्था का प्रश्न उठ गया । इस लिये उनको एक प्रश्न पूछने का अवसर और दिया जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसानों को उनकी पैदावार का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है बीच में अढ़तिया उसको लूट लेते हैं, क्या सरकार गल्ला व्यापार को अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब हो चुका है ।

राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त उपमंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन मान उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक १-४-१९६५ से तथा कुछ मामलों में १-४-१९६८ से पुनरीक्षित किये गये हैं । समिति ने वेतनमानों का अभिनवीकरण करने के लिये जो व्यापक सिद्धान्त अपनाया था वह था समान प्रकार के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के लिये यथासम्भव समान परिलब्धियां सुनिश्चित करना । उक्त सिद्धान्त के आधार पर समिति ने वेतनमानों का जो ढांचा तैयार किया उसे सामान्यतया शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया । राज्य सरकार में विभिन्न श्रेणी के पदों के वेतनमान सदा ही भारत सरकार के अधीन विभिन्न पदों के वेतनमानों से भिन्न रहे हैं ।

मंहगाई भत्ते के संबंध में भी स्थिति यही रही है कि राज्य सरकार की दरें भारत सरकार में दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते की दरों से सदा भिन्न रहीं हैं । राज्य कर्मचारियों की यह मांग एक अवधि से रही है कि उनके मंहगाई भत्ते की दरें भारत सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते के समान निर्धारित की जायं । इन मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने, जनवरी, १९६७ में "एक सदस्यीय मंहगाई भत्ता जांच आयोग" इलाहाबाद उच्च न्यायलय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री आर० एन० शर्मा की अध्यक्षता में नियुक्त किया था । उक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट ३१ मार्च, १९६७ को प्रस्तुत की थी । आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारिगों को ३१-३-१९६१ के बाद बढ़ाये गये समान दरों पर राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी । इस पर राज्य सरकार ने, अन्य बातों के अलावा, यह निर्णय लिया कि क्योंकि आयोग ने इस तथ्य को अंतिम रूप से मान लिया था कि राज्य सरकार के अधीन नये वेतनमान वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा १९६०-६१ के मूल्य स्तर पर तैयार किये गये थे । यह स्मरणीय है कि अप्रैल, १९६० से मार्च, १९६१ तक १२ माह की अवधि का सूचकांक १२४ था । इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कर्मचारियों को ऐसी नयी दरों पर महंगाई भत्ता दिया जाना स्वीकार किया जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जीवन निर्वाह व्यय में १२४ अंक के ऊपर वृद्धि होने पर देय होता । शासन ने यह भी निर्णय लिया कि

महंगाई भत्ते की नयी दरों का लाभ केवल ६०० रु० तक मासिक वेतन पाने वालों तक ही सीमित रखा जाय जिसमें ६३६ रु०तक सीमान्त समायोजन दिया जायगा तथा ६३७ रु०से ६०० रु० वेतन श्रेणी के लिये पुराने दर से ही मंहगाई भत्ता दिया जायगा। तत्पश्चात् मंहगाई भत्ते की नयी दरें दिनांक १ अप्रैल, १९६७ से लागू की गयीं। तृतीय वेतन आयोग की अंतरिम संस्तुति पर भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिनांक १-३-१९७० से अंतरिम सहायता स्वीकृति की है यह अंतरिम सहायता भारत सरकार में दी जाने वाली महंगाई भत्ते की दरों का अंग नहीं है। अंतरिम सहायता को अपने कर्मचारियों को स्वीकृत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये है जिन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मूल्य सूचकांक के आधार पर जो महंगाई भत्ता दिया जाता है उसमें आज भी अन्तर है, उसके लिये निरीक्षण करायेंगें ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--

जहां तक निरीक्षण कराने का संबंध है वह तो होता ही रहता है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

क्या मंत्री जी को ज्ञान है कि जब केन्द्र का वित्त कमीशन यहां आया था तो उसके सामने राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता देने का सवाल रखा गया था। उस समय कमीशन ने कहा था कि समान दर पर भत्ता दें और अपने रिसोर्सेज केन्द्र को भेंजे। लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार ने न तो रिसोर्सेज के बारे में केन्द्रीय सरकार को बताया और न मंहगाई भत्ता ही केन्द्र के समान दिया ?

श्री कैलाश प्रकाश--

जहां तक वित्त कमीशन को इस प्रदेश के संसाधनों के बारे में बताने का सवाल था। वह बता दिये गये थे और उन्होंने अपनी संस्तुति भी दे दी थी। यह महंगाई भत्ता नहीं ह बल्कि अंतरिम सहायता जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी गई है वह अब दी गई है। मुख्य मंत्री जी ने कहा भी था कि आपने जो अपने कर्मचारियों को सहायता दी है उस सिलसिले में हमारे राज्य के कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं हमको इसके लिये सहायता दी जाय। लेकिन उन्होंने सहायता देने से अभी इंकार कर दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि यह मंहगाई भत्ता नहीं है बल्कि अंतरिम सहायता है तो क्या मंत्री जी कन्द्रीय सरकार से स्पष्टीकरण करेंगे कि मूल्य सूचकांक २१२ से ऊपर न्यूटेरेलाइज किया गया है क्या उसमें मंहगाई भत्ते का अंश नहीं है ? यदि है, तो क्या राज्य सरकार अंतरिम सहायता देने के लिये तैयार होगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--

जहां तक केन्द्रीय सरकार से यह मालूम करने का संबंध है कि जो अंतरिम सहायता वहां दी गई है उसका क्या अर्थ है तो यह मालूम कर लिया जायेगा। किन्तु गजेन्द्र गडकर आयोग की संस्तुति के अनुसार अगर सूचकांक दस बढ़ जाता ह किसी अवधि में तो मंहगाई भत्ते पर वहां विचार

[श्री कैलाश प्रकाश]

किया जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है वह सूचकांक उस अवधि म बढ़ा नहीं किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इसी लिये एक अन्तरिम सहायता स्वीकृत की है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

मैं यह जानना चाहती हूं कि इसको १० वर्ष हो चुके हैं तो इस समय कास्ट आफ लीविंग के इन्डेक्स को ध्यान में रखते हुये और उस परसन्टेज को देखते हुये क्या अन्तरिम सहायता देने की आवश्यकता सरकार अनुभव करती है ?

श्री कैलाश प्रकाश--

इसी सदन में मैं प्रात:काल उत्तर दे चुका हूं कि जहां तक अन्तरिम सहायता देने का सम्बन्ध है वह संसाधनों से संबंधित है और संसाधनों के ऊपर सरकार विचार कर रही है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गुप्ता सरकार ने जिस वेतन आयोग का गठन किया था वह वेतन आयोग किन कारणों से भंग कर दिया गया और अब फिर वेतन आयोग गठित करने में सरकार को क्या कठिनाई ह ? जबकि सभी घटकों के सदस्य इसकी मांग करते रहे हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--

माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि माननीय गुप्ता जी जब मुख्य मंत्री थे तो सरकार ने एक वेतन आयोग गठित किया था किन्तु तत्पश्चात् जब उसका अध्ययन किया गया तो यह समझा गया कि आयोग की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारी जानकारी प्राप्त है। जो सहायता देनी होगी वह बिना आयोग के भी दी जा सकती है। इसलिये उस आयोग की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

राज्य कर्मचारी पिछले ६७ से बराबर इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनका वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ाया जाय। सरकार उसको मान ले और उसके ऊपर सरकार कुछ कर डाले लेकिन पिछले दिनों से बराबर आश्वासन दिये जाते हैं कि आयोग गठित किया जा रहा है, उसके बाद सहायता देने की घोषणा करेगी और महंगाई भत्ता दिया जायगा। अब हाल ही में अखबारों में पढ़ा कि उनका आन्दोलन चलने वाला है और वे सदन के चारों ओर घूम रहे हैं। तो यह निश्चय पूर्वक आश्वासन दीजिये कि क्या राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को पूरा करने के लिये आयोग गठित किया जायगा और यह भी आश्वासन दीजिये कि जितना भी मंहगाई भत्ता देना है वह १०, ५ दिन के अन्दर दे दिया जायगा ?

श्री कैलाश प्रकाश--

मैंने जैसा कि अभी कहा था कि दोनों प्रश्नों पर, जो माननीय सदस्य ने उठाये हैं, आज ही प्रात:काल इस सदन में उत्तर दे चुका हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य के अन्तिम पैरा में यह कहा है कि शासन के पास अपने कर्मचारियों के कुछ सेवा संगठनों की ओर से राज्य शासन द्वारा भी उपरोक्त अन्तरिम सहायता

को अपने कर्मचारियों को स्वीकृत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं जिन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो मन्त्री जी बतलायेंगे कि वह निर्णय कब तक करने का विचार है और न करने में उनको क्या कठिनाई है ?

श्री कैलाश प्रकाश---

कब तक यह निर्णय हो जायगा इसको कहना कठिन है लेकिन मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि उनकी मांग के ऊपर जो विचार हो रहा है वह संसाधनों से संबंधित है और आज प्रातःकाल ही उत्तर में यह मैं कह चुका हूं।

श्री रामगोपाल संड---

मेरी सूचना को सही मान कर क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जब माननीय मुख्य मंत्री २० अक्तूबर को प्रयाग गये थे तो मैं सरकारी कर्मचारियों का एक शिष्ट मंडल लकर उनके पास गया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि गुप्ता सरकार ने सन् ७० की जनवरी में जो वेतन आयोग का गठन किया था उसका एक सदस्य मैं भी था और कर्मचारियों क साथ मेरी बड़ी हमदर्दी है और हम जल्दी हो वेतन आयोग का गठन करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश---

मुख्य मंत्री जी यदि कोई आश्वासन दिये होंगे तो वे सरकार का नेतृत्व करते हैं। यदि वे आश्वासन देंगे और दिये होंगे तो यह सरकार उसको तो मानेगी ही। किन्तु आश्वासन दिया उन्होंने या नहीं यह प्रश्न अपनी जगह पर उपस्थित रहता है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

माननीय मुख्य मंत्री सदन में बैठे हुए हैं, इनसे उसका उत्तर दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

कोई जरूरी नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य जो इस सदन के आदरणीय सदस्य हैं, उन्होंने अपनी जानकारी पर यह सूचना दी है कि मुख्य मंत्री ने उनके सामने कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया है कि वेतन आयोग का गठन होगा, तो यह अच्छा होता अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर प्रकाश डालते। यदि उन्होंने आश्वासन दिया तो इसको उत्तर में बतला दें और यदि नहीं दिया तो कह दें कि आयोग का गठन सरकार के विचाराधीन नहीं है। अच्छा होगा कि मुख्य मंत्री जी ही इसका स्पष्टीकरण दें कि क्या उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था या नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

अच्छा हो कि मुख्य मंत्री जी यहां सदन में मौजूद हैं तो वे ही इसका स्पष्टीकरण दें क्योंकि इससे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर वे कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)--

माननीय सदस्य पूछते हैं कि जो शिष्ट मंडल माननीय मुख्य मंत्री से मिला था तो उसे उन्होंने आश्वासन दिया था या नहीं ? यदि नहीं तो उनसे क्या कहा था ?

मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)--

करीब दो महीने की बात है जिसका अभी जिक्र किया गया है। मुझे शब्द तो स्मरण नहीं हैं लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो सुझाव देता है उसको समझने के लिये मैं हमेशा तैयार रहता हूं ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

माननीय वित्त मन्त्री जी ने अभी फरमाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सहायता देने से इन्कार किया है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुश्तरका तरीके से माननीय मुख्य मंत्री ने इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के लिये, यहां के डेवलपमेंट के लिये केन्द्रीय सरकार के सामने मांग की थी या महंगाई भत्ते के लिये भी उन्होंने कहा था ?, इसको जरा स्पष्ट कर दें ।

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह--

जहां तक केन्द्रीय सरकार से बात करने का अवसर मिला, वह तो एक बार मैं जब दिल्ली गया था तो वहां के वित्त मंत्री से बातचीत हुई थी और उस वक्त मैंने सब जरूरतों को देखते हुए कहा था कि हमें १०० करोड़ रुपये ज्यादा चाहिये। उस वक्त मैंने खासतौर से प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के उत्थान के सन्दर्भ में ही इस राशि के लिये कहा था।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मंत्री जी के वक्तव्य से सम्बन्धित, जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि भिन्न-भिन्न राज्य कर्मचारियों के संगठनों द्वारा कुछ मांगें उनके पास आईं और आज भी उनका मसला उन के सामने है। माननीय गुप्ता जी के मुख्य मंत्री काल में एक आयोग गठित करने की एक घोषणा भी की गई थी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुये मंत्री जी को कमीशन बनाने में क्या दिक्कत है और वह उसकी नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--

मैं तो उत्तर दे चुका और मुख्य मंत्री जी ने भी कह दिया कि जो सुझाव आते रहते हैं उन के ऊपर वह सदा ही विचार करने के लिये तैयार रहते हैं। आज की जो स्थिति है उसके बारे में मैंने प्रातःकाल ही अपने उत्तर में बता दिया था, मैंने स्पष्ट कह दिया था कि अभी आयोग के गठन का कोई विचार सरकार के सामने नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे केवल दो ही प्रश्न करने दिये जबकि मैंने ही नियम ५१ में इस प्रश्न को उठाया था, आप कृपया इतना न्याय तो करें कि जिसकी सूचना पर प्रश्न आया हो उसको तो अधिक अवसर दिया करें.....

श्री उपाध्यक्ष--

पूरा समय आप को ही नहीं दिया जा सकता। इस तरह का कोई नियम नहीं है। आप इस तरह का आक्षेप नहीं कर सकते। आप हर समय आक्षेप करते हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मेरा आशय यह है कि कुछ तो अधिक समय दिया करें....

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप फिर सवाल करेंगे तो समय दिया जा सकता है, चूंकि आप का प्रश्न था इस लिये आखिरी मौका आप ही को दे दिया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जस्टिस शर्मा की रिपोर्ट में इस सिद्धान्त को माना गया है कि समान काम के लिये सभी कर्मचारियों को समान महंगाई भत्ता मिले । इस के अर्थ यह थे कि महंगाई भत्ते की दरें समान की जायंगी और उस रिपोर्ट को यह सरकार सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर चुकी है, यह इस उत्तर में निहित है लेकिन इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद भी आज जो अन्तर महंगाई भत्ते की दरों में है उस अन्तर के बारे में आप का दृष्टिकोण यह है कि वह १२४ सूचकांक के ऊपर बढ़ाया गया था सन् ६०-६१ के और हमार राज्य सरकार के कर्मचारियों का कहना यह है कि आप का यह दृष्टिकोण गलत है तो क्या इन दोनों दृष्टिकोणों का फैसला करने के लिये मंत्री जी राज्य सरकार कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर, उनके दृष्टिकोण को सुनकर केन्द्र के महंगाई भत्ते के समान यहां का महंगाई भत्ता स्वीकार करने के लिये तैयार हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जहां तक राज्य कर्मचारियों के शिष्टमंडल से मिलकर कुछ समझने का सम्बन्ध है वह तो किसी भी समय मुख्य मंत्री जी के पास आ कर अपनी बात बता सकते हैं, वह सदा ही उनकी बात सुनने को तैयार हैं । जहां तक माननीय सदस्य ने समान काम के लिये समान वेतन की बात कही वह पहलू तो मेरे इस बयान के पहले प्रस्तर में है जो वेतन अभिनवीकरण के सम्बन्ध में है। जहांतक महंगाई भत्ते की बात है मैंने निवेदन किया कि केन्द्रीय सरकार ने भी इसे महंगाई भत्ता कहकर नहीं दिया है बल्कि उन्होंने भी अन्तरिम सहायता ही दी है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा उत्तर नहीं आया ।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में विवाद

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना राजनीति का नहीं है जितना प्रदेश के बिगड़े हुये आर्थिक ढांचे का है और उसको बनाने का है । यह राष्ट्रीयकरण का सवाल कोई बरस, दो बरस से नहीं पैदा हुआ है । १४ अगस्त, सन् ४६ को इसी सदन में स्वर्गीय सम्पूर्णनन्द द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव इसी सदन ने सर्व सम्पत्ति से पारित किया था और यह तय किया था कि केपिटलिज्म को लिक्विडेट करनेके लिये यह विधानसभा हर कदम उठायेगी और जितनी जल्द हो सकेगा उतनी जल्द सूबे की बहबूदी के लिए और पूंजीवाद को समाप्त करने की कोशिश की गयी । १९४६ के जमाने की विधान सभा में हर प्रकार के लोग मौजूद थे । उसी जमाने में इस सदन में एक और प्रस्ताव पास किया था जिसके जरिये २० लाख जमींदारों की जमीदारी समाप्त की गयी थी । यह २० लाख जमीदार भी बहुत नाराज थे लेकिन इस सदन ने उस काम को पूरा किया और आज प्रदेश का सवा करोड़ किसान उस जमीदारों के जुए से छूट गया । उस समय यह भी सोचा गया था कि उत्तर प्रदेश सारे भारत में जमीदारी उन्मूलन में अगुआ रहा है तो इस को पूंजीवाद को समाप्त करने में भी अगुआ ही रहना चाहिये और इस उद्देश्य से यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

उसके बाद इस पर विचार नहीं हुआ और चीनी मिलों को बहुत छूट मिली, उन्होंने बहुत धन कमाया। सन् १९५० में नयी योजना बनने लगी और उत्तर प्रदेश और बिहार के चीनी मिल मालिकों के उत्पीड़न से सारा देश क्षुब्ध हुआ। चीनी खाने वालों ने चीनी मिल मालिकों का जो पाप था, जो उनका शोषण था, उसके खिलाफ एक जेहाद किया और भारत सरकार ने यह फैसला किया कि अब चीनी मिलें उत्तर प्रदेश तथा बिहार में नहीं खोली जायेंगी और नतीजा यह हुआ कि निजी चीनी मिलों के अत्याचार की वजह से सारे देश में उत्तर प्रदेश की बहुत बदनामी हुयी और उत्तर प्रदेश इस उद्योग को दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया गया।

(इस समय ५ बजकर ४४ मिनट परअधिष्ठाता, श्री नित्यानन्द स्वामी, पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, उस जमाने में १०० से कुछ ज्यादा फैक्टरियों थी जो उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिकांश थीं। पिछले वर्ष २१३ फैक्ट्रियां चलीं। इनमें से १०० फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं और ११३ बाहर हैं। इस सम्बन्ध में दूसरी बात भी ध्यान में रखनी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों के उत्पीड़न से भारत सरकार को यह फैसला करना पड़ा कि जो नयी चीनी मिलें खोली जायेंगी, वह कोई निजी नहीं खोली जायंगी और श्रीमन्, आप देखेंगे जो २१३ फैक्ट्रियां पिछले साल चलीं उनमें से ६९ फैक्ट्रियां सहकारिता क्षेत्र में थीं।

श्रीमन्, ४९ लाख टन की कैपेसिटी चौथी पंच वर्षीय योजना में हो जायगी सारे भारतवर्ष में। इसमें से २२ १।२ लाख टन कैपेसिटी कोआपरेटिव सैक्टर में होगी। ४९ फैक्ट्रियां और लगी हैं। ये सारी की सारी कोआपरेटिव सेक्टर में जायेंगी। सारे भारतवर्ष में जब २६२ फैक्ट्रियां चलने लगेंगी, उस वक्त १०० फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश और बिहार में निजी क्षेत्र में होंगी और श्रीमन्, २६२ में ११३ फैक्ट्रियां कोआपरेटिव सेक्टर में होंगी। एक सौ फैक्टरियां उत्तर प्रदेश और बिहार में और केवल ११३ फैक्टरियां सारे भारतवर्ष में निजी क्षेत्र में रह जायेंगी। श्रीमन, जो कोआपरेटिव सैक्टर में फैक्टरियां हैं---आपके पड़ोस में जो फैक्टरी है उससे मुकाबिला कर देना चाहता हूं। यह बाजपुर में ई। जब पिछले साल सरकार ने गन्ना पेरने के लिये तरह तरह के इनामात फैक्टरियों को दिये, एक्साइज डयूटी में छूट हुई और हमने इस बात के लिये जोर डाला केन्द्रीय सरकार पर कि इस माल को छूट दे। हमने पर्चेज टैक्स छोड़ा। उस जमाने में गन्ने की कीमत कम दी इन निजी फैक्टरियों ने। बाजपुर ने अपने पूरे गन्ने को क्रश किया और क्रश करने के बाद सम्भवतः ७५ पैसे या एक रुपये प्रति क्विन्टल जो स्टैटुटेरी प्राइस थी उससे ज्यादा दिया। अपने मजदूरों को दो महीने की तनख्वाह इनाम के तौर पर दी। मैं उत्तर प्रदेश की मिसाल दे रहा हूं ताकि वह ज्यादा आसानी से सरकार के पास बात पहुंच पाये और दूसरे के पास भी। यह न केवल उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव फैक्टरियों ने ज्यादा कीमत दी, महाराष्ट्र में, हरियाना में, आन्ध्र में, मद्रास मेंजहां कहीं भी कोआपरेटिव फैक्टरियां हैं वे कमोवेश हर जगह किसानों को ज्यादा राहत देना, कीमत देना और हर प्रकार की सुविधा देना ये आज कर रही हैं।

श्रीमन्, मैंने क्यों पिछले साल यह बात उठायी? पिछले साल बात इसलिये उठायी। गुन्डराव एक कमेटी बनी, भारत सरकार ने एक कमेटी बिठाई जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की फैक्टरियां बहुत दुर्बल हैं, बहुत पुरानी हैं, इनको रैनोवेट करने के लिये उनको माउर्नाइज करने के लिये, रिहैबिलिटेट करने के लिये आवश्यकता है कि इनकी सारी कार्यवाहियों पर विचार करे और रिकमैन्ड करे कि सरकार को क्या करना चाहिये। केवल उत्तर प्रदेश के लिये ३० करोड़ रुपये की मांग हुई और यह कहा गया कि अगर दूसरे प्रदेश के मुकाबिले में फैक्टरियों को लाना है तो तीस करोड़ रुपये कर्जा रख दो और रिहे बिलिटेट और माडर्नाईज करो ताकि अच्छा मुनाफा कमा सकें और अच्छी तरह चल सकें। श्रीमन, एक परिषद् बनी। उस जमाने में माननीय गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे और उस परिषद् के सामने पहली मीटिंग हुई।

श्रीमन्, उसी मीटिंग में यह सवाल उठा कि गुन्डुराव कमेटी के जरिये जो रिकमेन्डेशन हुई है उसके लिये धन की आवश्यकता है। धन का प्रबन्ध करना चाहिये और इन पुरानी फैक्टरियों को इस रुपये को देकर इनको रिहैबिलेटेट करना चाहिये। श्रीमन्, उनके मन में यह बात आई कि तीस करोड़ रुपया जो दिया जा रहा है सम्भवतः वह इनको पब्लिक सेक्टर में खर्च करके इन फैक्टरियों को रैनोवेट जरूर किया जाय लेकिन इस जनता और कन्ज्यूमर का जो शोषण हो रहा है उस शोषण को रोका जाय। इसी ख्याल से यह प्रस्ताव आया। सारे देश ने इसको पसन्द किया और ४६ की जो बात थी उसको देखते हुए और सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम जो पिछड़े चले जा रहे हैं इसके लिये अहम कदम उठाने चाहिये।

श्रीमन्, यह तो सर्वसम्मत से, सभी मानते हैं कि भारतवर्ष में शायद एक प्रदेश हमसे पिछड़े हुए लोगों में से है नहीं तो सारे भारतवर्ष में सबसे अधिक पिछड़े हुए हम हैं। यह विचार करने की बात है। माननीय मुख्य मंत्री इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि बेकवर्ड लोगों को आगे बढ़ाया जाय। मैं समझता हूं कि बैकवर्ड लोगों को इस तरह आगे बढ़ने वाले लोगों से कितनी छलांग आगे हम ले जायेंगे। श्रीमन, यहां पर जब फैक्टरी स्थापित हुई थीं तो उनको एक संरक्षण दिया गया था, यहां पर बाहर की चीनी बिकने नहीं पाती थी। इस का नतीजा यह हुआ कि इन चीनी मिल वालों ने जितना धन यह कमा सकते थे वह कमाया। आज इनकी स्थिति यह है कि जिस तरह से जब आदमी ज्यादा कुकर्म करता है तो स्वयं मरने लगता है, यह स्वयं आज मरने की स्थिति में आ गयी हैं। आज हमारे यहां की फैक्टरीज बाहर के प्रदेशों के मुकाबले में कहीं भी नहीं ठहर सकतीं। यह आगे तभी बढ़ सकती हैं जब जनता की सहानुभूति इनके साथ होगी। जो उपक्रम अन्य प्रदेशों की चीनी मिलें दे रही हैं, जब यहां की चीनी मिलें भी वे देंगे तभी यह आगे बढ़ सकेंगी। उसके लिये आपको इन किसानों को संरक्षण प्रदान करना होगा।

आपके यहां ७१ फैक्टरियां हैं। इनमें से ४ कोआपरेटिव सेक्टर में हैं। हमारे प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि एक जो नयी फैक्टरी जो बनने जा रही है वह भी प्राइवेट सेक्टर में खुल रही है। इन ६७ फैक्टरियों में से अधिकांश का हैड आफिस बम्बई, कलकत्ता, या दिल्ली, आदि जगह पर है। इस प्रकार जो इन्काम टैक्स वे देते हैं और उसका हिस्सा वहां की सरकारों को ही मिलता है, उत्तर प्रदेश की सरकार को एक पैसा भी उनकी इन्कम का नहीं मिल पाता। वहीं से उनकी इन्कम का असेसमेंट होता है। उनकी इन्कम का जो रेशियों भारत सरकार वहां की सरकारों को देती है वह आपको नहीं मिल पाता क्योंकि उनका हैड आफिस दूसरी जगह है। इनकी देश भक्ति यह है कि आज भी १६ करोड़ रुपया इनके ऊपर बकाया है। कल इसी सदन में कहा गया कि इनके ऊपर १६ करोड़ ८८ लाख रुपया बकाया है।

(व्यवधान)

इसमें एक बकाया तो १६५८--५६ की है करीब १ करोड़ की। मैं तो यह कहता हूं कि कोई भी सरकार आयी, इन लोगों ने अनुचित लाभ उठाया। आज इनसे हम सचेत होने को कहते हैं। एक बार जब राष्ट्रीकरण का प्रश्न यहां पर आया तो चौधरी चरणसिंह जी ने उसका स्वागत किया, बड़ा आशीर्वाद दिया, जब हमारी और चरणसिंह जी की सरकार थी मिलीजुली। उस समय यह प्रश्न नहीं था कि भारत सरकार करेगी...

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)--

चरणसिंह जी ने टेक ओवर शब्द इस्तेमाल किये थे।

श्री गेंदा सिंह--

मैं कह रहा हूं कि पहली बार उन्होंने यह कहा और उन्होंने कृपा करके मुझे भी उस कमेटी में एक मेम्बर रखा। बड़ी आशा बंधी और मैं समझता था कि अब काम पूरा होने वाला है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस समय कभी यह बात नहीं सोची गई

[श्री गेंदा सिंह]

थी कि भारत सरकार इस बारे में हुक्म देगी, तो यह कदम उठाया जाएगा। आज यह कहा जाता है कि हम इस मामले को भारत सरकार के सामने छोड़ना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि भारत सरकार के सिर में दर्द नहीं है, सिर में दर्द है तो उत्तर प्रदेश सरकार के। इस कोढ़ के रहते आज उत्तर प्रदेश में २५ लाख किसान लूटा जा रहा है। आखिर भारत सरकार पूरे देश की फैक्टरियों के लिये कदम क्यों उठाये? उत्तर प्रदेश में तो पूरे भारत वर्ष से सबसे ज्यादा ६८ मिलें हैं। भारत सरकार सारे भारत का बोझ अपने सर पर क्यों ले, उसे क्या पड़ी है कि जो वह बैठे ठाले मुसीबत मोल ले। आवश्यकता हमें है, तो हमें ही कदम उठाना चाहिये। यदि इस तरह का भाव आप प्रकट करते हैं कि कांस्टीट्यूशन में गड़बड़ी है, तो मुकदमा लड़ने कौन जाएगा। मैं पूछता हूं कि कौन मामला ऐसा है जिसमें मुकदमेंबाजी नहीं हुई। प्रिवीपर्स समाप्त हुआ तो उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया और उसने उसे फिर से बहाल कर दिया किन्तु क्या केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानकर चुप बैठी रहेगी? नहीं।

आज जनता की मांग को, उसकी भावनाओं को पूरा करने के लिये कमर कस कर सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। जो कि लाखों गरीबों को चूस चूस कर बर्बाद कर रहे हैं। इससे पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम होगा और यदि इसमें मुकदमेंबाजी होगी तो भी कोई हर्ज नहीं। जमींदारी एबालीशन में भी मुकदमेंबाजी हुई और हमें अपने संविधान को बदलना पड़ा। इस मसले में एटार्नी जनरल ने अपना अभिमत प्रकट किया है कि इस कार्य को प्रदेश की सरकार भी कर सकती है और सेन्टर की सरकार भी कर सकती है। तो पहले प्रदेश की सरकार करे और उसके मार्ग में यदि कोई रोड़ा आए तो भारत सरकार उसकी मदद करे। भारत सरकार यदि कोई बाधा डालेगी उसमें, तो उसी की बदनामी होगी। आज सारे देश में जितने बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, वे सब चीनी मिलों के साथ हैं।

बिड़ला, झुन झुनवाला, डालमिया बजाज, थापर, रूइया, सकसेरिया, कनोरिया, मजीठिया, नेवटिया, मोदी, खेतान, राजा पीलीभीत, मोहन सर श्रीराम, जैपुरिया, तुलसी दास किलाचन्द, नांरग, नाहनी तथा सूरजमल सभी इन चीनी मिलों के साथ हैं। इन्होंने इतने अन्यायपूर्ण ढंग से पैसा कमाया है, जिसकी कोई हद नहीं। यह राजनीति के ऊपर हावी हैं और एक हउआ बने हैं। रामधारी जी को मालूम है कि उनका कितना राजनीति में दखल है। आप उनसे पिंड छुड़ा लें, क्योंकि यह खूंटा गाड़ कर प्रदेश में बैठे हुए हैं और जगह तो पहले मजदूरों की बात सुनी जाती है कच्चे माल की कीमत दे कर गोदाम में रखना पड़ता है, चाहे जूट हो, या रूई हो या मूंगफली हो। लेकिन यह कच्चा माल खेत में खड़ा रहता है, उस वक्त तक जब तक इनके कारखाने में न पहुंच जाय और कोई कच्चा माल नहीं है जिसकी कीमत छः महीने साल भर के बाद दी जाय। लेकिन यही एक ऐसा कच्चा माल है, जिसे किसान अपने सर पर लिए हुए उनके कारखाने में दे आता है, और कहते हैं कि इसकी कीमत साल भर बाद देंगे। १९ करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बाकी है जिससे ७ करोड़ रुपया सरकार का है। उत्तर प्रदेश सारे भारत का हृदय है। अगर उत्तर प्रदेश से आपने इन को नहीं खत्म किया और अगर इतना मौका दिया कि २० करोड़ रुपया दे कर सरकार को खरीदें, अगर यह कायम रहेंगी तो इस देश में प्रजातन्त्र को खतरा है। इस लिए जरूरी है कि इन फैक्टरियों को नैशनलाइज करें, पब्लिक सेक्टर में लेकर इनको चलाएं और डेमोक्रेसी को बचाएं।

श्री अधिष्ठाता—

पहले मंत्री महोदय संक्षिप्त वक्तव्य देंगे। उसके बाद चर्चा होगी।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय वीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। कमेटी की रूपरेखा वर्मा जी बता दें तो उसमें सदन का समय कम लगेगा। वर्मा जी पीछे के बजाय पहले बोल लें।

श्री अधिष्ठाता---

नियम के अनुसार पहले मंत्री महोदय संक्षिप्त वक्तव्य देंगे। उसके बाद चर्चा होगी। माननीय वीरेन्द्र वर्मा भी बोल सकते हैं।

*विद्युत मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी किसी काम से चले गये। वही कहने वाले थे। इस सदन का, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के, हर सदस्य यह चाहता है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो और हम इस बात को चाहते हैं। लेकिन इस सरकार ने बार-बार लिखा कि राष्ट्रीयकरण अखिल भारतीय स्तर पर किया जाय। यह नहीं कि यू० पी० की चीनी मिलों को आप ले लें और दूसरे प्रदेशों की चीनी मिलों को न लें।

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)---

क्या नुकसान होगा बताएं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

आप मेरी बात सुन लें आप वकील आदमी हैं। आप मेरी बात से ऐग्री करेंगे।

श्री अधिष्ठाता---

वकील तो हमेशा डिसऐग्री करता है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

२०५ चीनी फैक्टरियां हैं जिनमें ७१, ६३ कोआपरेटिव सेक्टर में हैं। हमारे यहां २०५ में से ७१ हैं। उनमें तीन कोआपरेटिव सेक्टर में हैं। यह क्यों हो कि यू० पी० की फैक्टरियों का राष्ट्रीयकरण हो और दूसरी जगह न हो? गेंदासिंह जी चले गये। उन्होंने एक कोआपरेटिव फैक्टरी का उदाहरण दिया। लेकिन दो-दो कोआपरेटिव फैक्टरियां हैं, एक सरसावा और दूसरी बागपत। उनका उदाहरण नहीं दिया। सरसावा शुगर फैक्टरी नुकसान में चल रही है। वहां अथोराइज्ड कंट्रोलर है। बागपत की फैक्टरी में निरन्तर ऐसा रहा कि २५ लाख रुपया नहीं दे सकी, अगले साल देना पड़ा। अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं। बाजपुर की फैक्टरी, वहां गन्ना ज्यादा पैदा होता है। उसमें फायदा होता है। कुछ नुकसान भी देती है। इस सरकार ने भारत सरकार से यह कहा कि आप अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीयकरण कर दें। यदि यह संभव न हो तो हमको अथोराइज कर दें कि हम राष्ट्रीयकरण कर सकें। अटारनी जनरल ने कहा कि आप कर सकते हैं लेकिन हमारे एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम नहीं कर सकते हैं। तो उनको हमको अथोराइज कर देने में क्या दिक्कत थी?

आप देखेंगे कि टैक्सटाइल फैक्टरीज के लिये काटन टैक्सटाइल कारपोरेशन बनाया गया है जिसमें हम जो सिक टेक्सटाइल मिल्स हैं उन को लेकर चला सकते हैं। तो हमने बार बार लिखा कि आप हमें अथोराइज कर दें क्योंकि हमारे एडवोकेट जनरल और अटारनी जनरल की ओपीनियन में फर्क है। यह नहीं भारत सरकार ने एक कमेटी बिठाई है और उसमें जहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

और चीजें रक्खी गयी हैं, यह भी रक्खा गया है कि भारत में राष्ट्रीयकरण किया जाय। यह कमेटी काम कर रही है। अगर उस कमेटी की राय हो कि शुगर फैक्टरीज का नेशनलाइजेशन हो तो हम तो यह चाहते ही हैं। हमारी कैबिनेट में इस सम्बन्ध में रेजोल्यूशन भी पास हुआ था। फर्क सिर्फ यह था कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी यू० पी० गवर्नमेन्ट राष्ट्रीयकरण कर दे चाहे हम उसको कर सकें या न कर सकें। जैसाकि मैंने अभी कहा भारत सरकार ने अपने आप एक कमेटी बिठाई है उस की राय आने दीजिये।

(इस समय ६ बजकर १० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अगर वह अखिल भारतवर्ष के ढंग पर चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करनां चाहेंगे तो हम स्वागत करेंगे लेकिन एक बात यह है कि राष्ट्रीयकरण यहां हो, जैसा कि गेंदा सिंह जी ने गुन्डुराव कमेटी की रिपोर्ट क सम्बन्ध में कहा था कि कुछ फैक्टरीज ऐसी हैं कि वह बिलकुल काम नहीं करती हैं और उन को बदलना पड़ेगा तो आखिर.....

श्री गेंदासिंह--

श्रीमन्, कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जिस को इन्होंने गुप्त रक्खा है। अब इन्होंन इसक बारे में कहा है तो मुझे भी इजाजत हो कि मैं भी कुछ कहूं।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यह तो आपने जिक्र किया था। आपने अपनी स्पीच में कहा था। वर्मा जी बतलायेंगे कि रिपोर्ट में क्या था? मैं फिर कहता हूं कि हम निश्चित चाहते हैं कि अगर भारतवर्ष के लेविल पर शुगर फैक्टरीज का राष्ट्रीयकरण हो तो हमारे प्रदेश में भी हो, हम इसका स्वागत करेंगे। यह नहीं कि यू० पी० में हो और बिहार में न हो और अगर ऐसा राष्ट्रीयकरण होगा तो रुपया कहां से आयगा?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

अगर खाली यू० पी० में राष्ट्रीयकरण हो जाय तो नुक्सान क्या होगा?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

उत्तर प्रदेश कर ही नहीं सकता है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, जो चर्चा का विषय यहां पर उपस्थित है मैं यह महसूस करता हूं कि जो प्रदेश की ज्वलन्त समस्यायें हैं उनमें यह सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे यह आशा थी कि यह यह संविद सरकार जिसमें बड़े बड़े क्रान्तिकारी और समाजवादी घटक हैं, उनके कार्यक्रम में ६ १/४ एकड़ तक मालगुजारी माफ करने के बाद यह पहला कायक्रम होगा कि प्रदेश की चीनी मिलों का प्रदेशीयकरण किया जाय। मुझे आशा थी कि हमारे मुख्य मन्त्री जी, जो पुराने समाजवादी हैं, संघर्ष अखबार के संपादक रह चुके हैं और प्लानिंग कमीशन में भी समाजवादी विचाराधारा के रहे हैं, पहला कदम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करना होगा। मुझे आशा थी कि मेरे सम्मानित मित्र गृह मंत्री जी, जो प्रगतिशील विचाराधारा के हैं और जिनके नेतृत्व में वीरेन्द्र वर्मा कमेटी बनी जिसका नाम इतिहास में लिखा जायेगा, स्वयं समर्थ होंगे इस बात के लिए कि वह सरकार को मजबूर करें उनकी रिपोर्ट को स्वीकार करने और उसपर अमल करने के लिए। लेकिन, श्रीमन्, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन तीन घटकों के होते हुए और उनकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राय के होते हुए भी यह घोषणा नहीं कर सके। मुख्य मंत्री जी के समाजवादी विचार रखे रह गये। जो समाजवादी कदम पहले उठाया गया था इस सरकार ने उसे पीछे खदेड़ दिया। जब हम सरकारी पक्ष में थे और मुझे बजट भाषण करने का सौभाग्य मिला था तो संगठन कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं। तुरन्त कीजिये। प्रस्तावों के जरिये, भाषणों के जरिये कहा गया कि राष्ट्रीयकरण करने की मंशा नहीं है।

आज कांग्रेस (संगठन) मुख्य घटक हैं। अब वह प्रस्ताव कहां गया जो राष्ट्रीयकरण के बारे में था। इसका तथ्य क्या है। तथ्य यह है कि हमको अधिकार नहीं है। कहीं एडवोकेट जनरल का नाम लेते हैं, तो कहीं एटारनी जनरल का। अभी तीन दिन हुए हमने विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को लिया है और एक करोड़ ३१ लाख का मुआवजा देकर एक शुगर फैक्टरी को लिया है। उसी संविधान के अन्तर्गत, वही प्रदेशीय सरकार एक फैक्टरी को ले सकती है और दूसरी के लिए कहती है कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं ले सकते। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं और उनका पार्टी भारतीय क्रान्तिकारी दल है, मुझे यकीन है, वे राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व सरकार ने जो फैसला किया था उस पर यह सरकार कायम है या उसे बदल दिया है। वह फैसला जो लिया था वह गुप्त नहीं है, वह प्रेस कांफ्रेन्स और सरकारी प्रेस नोट में आ चुका है और वह फैसला यह था कि केवल एक साल के लिये राष्ट्रीयकरण को रोका जा रहा है। फैसला यह था कि पहली जुलाई, १९७१ से राष्ट्रीयकरण किया जायगा। वह उस समय एक साल के लिए रोका गया था और फैसला यह था कि इस बीच में एक कानून बनाया जायगा राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में और राष्ट्रीयकरण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जायगा। फैसला यह था कि एक शुगर कारपोरेशन की स्थाम्ना की जायगी जिसका एक करोड़, दो करोड़ का शेयर कैपिटल होगा। यह अखबारों में प्रकाशित हुआ। इस साल के बजट में ७० लाख का प्रावि धान भी है।

मान्यवर, यह भी फैसला हो गया था कि जो फैक्टरी अथोराइज्ड कंट्रोलर के द्वारा चलती हैं वह आथोराइज्ड कंट्रोलर के द्वारा न चलकर शुगर कारपोरेशन के द्वारा चलेंगी। किच्छा की फैक्टरी को भी शुगर कारपोरेशन चलायेगी। यह फैसले गवर्नमेन्ट के जरिये ऐलान हो चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व सरकार ने जिसका भारतीय क्रान्तिकारी दल भी एक महत्वपूर्ण अंग था उस सरकार ने यह फैसला लिया था और यह मंत्रिमंडल का फैसला था। फिर एक डिपार्टमेंट के जरिये हम उसको अनुचित कर्प्यवाही के लिये स्थगित करते हैं। भारत सरकार की जब रिपोर्ट आयगी उस को करेंगे। भारतीय क्रान्ति दल ने क्या फैसला किया? पूर्व फैसल में भी वह सम्मिलित थी और फिर किस प्रकार का उसने फैसला लिया है। जब माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी की सरकार थी और जो तीन महीने रही नवम्बर से लेकर १० फरवरी तक उस सरकार ने भी यह एलान किया था और माननीय मंत्री संसदीय कार्य में भी यह एलान किया था कि हमारी भी यह नीति है २०, २५, ३० फैक्ट्रीज को लेंगे और उनका कोआपरेटाइजेशन करेंगे। अपनी नीति को इस सरकार ने बदल दिया है, इस नीति को संगठित कांग्रेस की जो नीति थी उसने बदल दिया है। यह निर्णय हुआ था एटारनी जनरल से ऐडवोकेट जनरल को मिलाया जायगा और अगर राय नहीं मिलेगी तो हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जायेंगे। कोई कार्य नहीं हुआ। मैं नीयत पर हमल नहीं करता और न यह मेरा स्वभाव ही है। मैं किसी की व्यक्तिगत नीयत पर हमला नहीं करता। हम इस बहाने को लेकर चल नहीं सकते हैं। कोई सरकार यह बहाना ले कि जब सारे देश में चीनी मिलों का राष्ट्रीय करण होगा तब हमभी करेंगे तो फिर उसका श्रेय क्या रहा।

जो भारत सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेगी तो फिर वह आपके कन्ट्रोल में नहीं रहेगी बल्कि भारत सरकार के हांथ में सारी चीजें रहेंगी। शुगर कारपोरेशन आफ इन्डिया बन जायगा। यही बात थी तो हमने यह क्यों नहीं कहा कि जब सारे भारत में सवा ६ एकड़

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

का लगान माफ हो जायगा तब हम भी इस प्रदेश में इसको करेंगे। यह तो स्टेट का सब्जेक्ट है और इसको हम कर सकते थे। जिस प्रकार से एक्वीजीशन आफ प्रापर्टी का सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है और सार्वजनिक हित में हम कोई भी प्रापर्टी एक्वायर कर सकते हैं क्योंकि राज्य सरकार का अधिकार है कि प्रापर्टी एक्वायर कर सकती है उसी प्रकार से वह ऐसा भी कर सकती थी। मार्टिन बर्न कम्पनी को यहां पर हमने क्या देखकर लिया था? उसका हेड-क्वार्टर तो कलकत्ता में है। अब हम यहां पर भी उनको लेने जा रहे हैं। किस विधान के अनुसार हमने ऐसा किया। जिस प्रकार से हम मार्टिन बर्न को ले सकते हैं उसी प्रकार से हम बिरला, जैपुरिया, कारखानों को भी ले सकते हैं। हमारा जो संकल्प था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे आज वह संकल्प हमारा क्या हो गया। अगर भारत सरकार भी राष्ट्रीयकरण करती है उस समय भी सुप्रीमकोर्ट में इसको ले जाया जा सकता है। एक-दो बार में वह अल्ट्रा-वायरस हो जायगा। हमारा संविधान ऐसा है कि उसमें ऐसी कोई न कोई बात है, उसमें इतनी कम्प्लेकसिटी है कि कहीं न कहीं उसमें जब चेंज होगा, फिर अल्ट्रावायरस होगा और फिर उसके अनुसार हमको करना पड़ेगा।

माननीय गृह मन्त्रीजी उस कमेटी के चेयरमैन थे, मेरी अपनी राय यह है कि इस सम्बन्ध में उनका बोलना कुछ उचित नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं उनकी विचारधारा को। मैं तो सरकार से केवल यही मांग करूंगा कि यह सब पार्टियां इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त कर चुकी हैं और सब राष्ट्रीयरण के पक्ष में हैं तो हर्ष के साथ भविष्य की ओर अग्रसर करते हुये जो उत्तर प्रदेश की मुख्य इन्डस्ट्री है उसको सरकार अपने हाथ में ले ले। मान्यवर, गुंडूराव कमेटी के अनुसार हमको २८ करोड़ रुपया लगाना है, फैक्ट्रियों पर मिल मालिक पैसा नहीं लगा रहे हैं। १८-१९ फैक्ट्रियों पर अथोराइज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त कर चुके हैं और कल ही १० फैक्ट्रियों पर नियुक्त हुये हैं। सरकार को करोड़ों रुपये की गन्ने की बकाया वसूली के लिये गारंटी दे रही है। चीनी मिलों के पुनर्निर्माण के लिये भी सरकार को रुपया देना है। जब सरकार को सब ही कुछ करना है तो सरकार ही उन मिलों को क्यों नहीं चलाती? इन शब्दों के साथ मैं यह मांग करता हूं कि प्रदेश की चीनी मिलों का प्रदेशीयकरण किया जाय।

*श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की यहां चर्चा चल रही है। माननीय गेंदा सिंह जी, माननीय तिवारी जी और माननीय शांति प्रपन्न शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, लेकिन मैं उस पर अधिक विचार व्यक्त नहीं करना चाहता। मैं तो केवल यह कहूंगा कि राष्ट्रीयकरण जिस दिनसे होगा, उस दिन से देखा जायगा, लेकिन उसके पूर्व जो किसानों की समस्या है उस को सुलझाई जाय। पिछले साल हमारे चौधरी चरण सिंह की सरकार ने १९ फैक्ट्रियों पर रिसीवर नियुक्त किये थे, अगर आप रिकार्ड उठाकर देखें तो मालूम होगा कि जिन-जिन फैक्ट्रीज पर रिसीवर नियुक्त किये थे वह सब घाटे में चल रही हैं। मैं रामपुर की चीनी मिल का मामला पेश करता हूं। जिस दिन यहां रिसीवर अपाइन्ट हुआ था और गवर्नमेंट के अन्डरटेकिंग में आई थी उस दिन १३ लाख रुपए किसानों का बकाया था और आज ६५ लाख रुपये किसानों का बकाया है। इस तरह से, मान्यवर, हम देख रहे हैं कि किसानों का रुपया जो बकाया है उसको कोई देनदार नहीं है। और वह लगातार परेशान हो रहे हैं। तो पहले हमें किसानों की परेशानी दूर करनी है न कि राष्ट्रीयकरण जिसका यहां पर शोर मचाया जा रहा है।

माननीय तिवारी जी ने केन्द्र की बात कही। इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन ऐक्ट की धारा १६ से १८ में यदि केन्द्रीय सरकार राज्य के अन्तर्गत शुगर फैक्ट्री में मिस-मैनेजमेंट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझती है तो पैनल बैठाती है और अगर पैनल यह तय कर दे कि मिस-मेनेजमेंट है तो अथोराइज्ड कन्ट्रोलर अपाइन्ट किये जा सकते हैं,। मान्यवर, यहां यू० पी० में कन्ट्रोलर अपाइन्ट किये गये उसमें लगातार घाटा दिखाया गया और वे भी सही ढंग से नहीं चला सके। केवल एक फैक्ट्री देहरादून में है जहां के अथाराइज्ड कन्ट्रोलर ने ४ साल मेहनत करके कुछ एफीसिएन्सी दिखाई है, बाकी सब ऐसी ही हैं। आज दिन पर दिन स्थिति बिगड़ती चली जा रही है जहां जहां रिसीवर अपाइन्ट हुये हैं। कहने का मतलब यह है कि चौधरी साहब ने यह कहा था कि एक जुलाई तक शुगर फैक्ट्री टच नहीं की जायेंगी जिससे उस बीच में कम से कम मिल मालिको को एक बार मौका मिल जाय कि वह अपनी एफीसिएन्सी को बढ़ा सकें चाहे वह रुपये का प्रबन्ध बैंक्स से करें या कहीं से करें उन किसानों का बकाया दे सकें। किसानों की समस्याओं को सामने रख कर विचार करना चाहिये।

जैसा अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि १७–१८ फैक्ट्रियों पर अथाजाइज्ड कन्ट्रोलर अपाइन्ट हो चुके हैं और ७–८ पर होना बाकी हैं। ८ पर बाकी हैं। इस नुकसान पर हमको विचार करना चाहिये। मुख्य रूप से तो मुख्य मंत्री को प्रकाश डालना चाहिये जिनके पास शुगर कंन का विभाग है। १ जुलाई तक स्वतंत्र रूप से कार्य करने को कहा है तो इस तरह की चीजें क्यों क्रियेट की जा रही हैं जिनसे कृषकों को हानि हो। इतना कह कर मैं समाप्त करूंगा कि राष्ट्रीयकरण पर तीन आदमियों की कमेटी ने अपने विचार प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखे हैं। बहुत लम्बी चौड़ी बात होगी केन्द्र और प्रदेश के सोलिसिटर जनरल तथा एडवोकेट जनरल की राय का अलग-अलग होना, उस पर भी डिसाइड किया जा सकता है। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

*श्री रामचन्द्र विकल––

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सन् १९४६ से चला और इस सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ। स्वर्गीय सम्पूर्णानन्द तथा सदन का पूरा समर्थन इसे प्राप्त है। सन् १९४६ से लेकर आज तक इसका विभिन्न स्वरूप होता रहा। अभी भी शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने मुख्य मंत्री की तरफ से यह शुरू में कहा कि वह कोई राष्ट्रीयकरण के विरोधी नहीं हैं और वह उसे करना भी चाहते हैं लेकिन केन्द्र उनको यह काम करने नहीं देती, जहां और काम नहीं करने देती,। मैंने कल भी कहा था और अब तो मेरी यह निश्चित राय बन गयी है कि एक रोज पूरे इस सदन में विवाद हो जाय इस विषय पर कि केन्द्रीय सरकार से हमारी यह सरकार और पहले की सरकारें क्या-क्या मांगती रहीं और उसने क्या नहीं दिया और दूसरे केन्द्रीय सरकार ने क्या-क्या दिया और उसका उपयोग यहां नहीं हुआ। अब यह एक तरीका सा हो गया है कि हर सवाल केन्द्र के नाम पर टाल कर प्रदेश की जनता को गुमराह किया जाय। अच्छा हो एक दिन इस पर अलग से विवाद हो जाय।

राष्ट्रीकरण को प्रदेश की यह सरकार मानती है और अभी माननीय शर्मा जी मान भी रहे थे। कल या परसों विष्ट शुगर इंडस्ट्री को सरकार ने लिया भी है यह कह कर कि वह नुकसान में है और वह चल नहीं पा रही है क्योंकि उसकी मशीनें खराब हैं। तो नुकसान वाली मिल को यह सरकार लेना चाहती है और ले लिया और कल परसों सदन से पास भी करा लिया लेकिन जो मिलें पहले से मुनाफे पर चल रही हैं उन को केन्द्र के नाम पर यह सरकार टालना चाहती है। मैं चाहता हूं कि सरकार स्पष्टनीति बतलाये। एक कमेटी वर्मा जी के सभापतित्व में बैठी। पता नहीं वर्मा जी क्या बतलायेंगे? कहा गया कि चौधरी साहब ने राष्ट्रीयकरण की बात कभी नहीं कही। वह कहते थे कि हम टेक ओवर जरूर करेंगे। टेक ओडर का क्या अर्थ होता है? मैं समझता हूं कि वर्मा जी उस स्वरूप को जरूर बतलायेंगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम चन्द्र विकल]

क्योंकि उस कमेटी के वह चेयरमैन थे। गेंदा सिंह जी भी उस समय कैबिनेट में थे लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जा रहा है तो ऐसा क्यों है ?

वर्मा जी ने कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में पहले यह घोषणा की थी कि एक महीने में रिपोर्ट आ जायगी। गेंदा सिंह जी केबिनेट के मेम्बर थे और पृथ्वी नाथ सेठ राज्य सभा के सदस्य थे और उस समय केन्द्र तथा राज्य सरकार में एकता थी। चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर थे। वर्मा जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे। आशा थी कि एक महीने में कमेटी की रिपोर्ट आ जायगी। फिर कहा कि कुछ दिक्कत पड़ गयी और दिक्कत बढ़ती गयी। वह सरकार चली गयी। रामधारी शास्त्री जी तिवारी जी जब बोल रहे थे तो बार-बार कह रहे थे कि आप भी तो यहां थे लेकिन आप नहीं कर पाये और उधर चले गये। मेरा उनसे कहना है कि कहीं उनका भी तो इधर आने का इरादा नहीं है? आप स्पष्ट कहिये कि आपका इरादा राष्ट्रीयकरण करने का है या नहीं है, केन्द्र का बहाना न लें। दूसरे जो रिपोर्ट वर्मा जी ने गोपनीय रखी है उसे प्रकाशित करें। समाजीकरण का इरादा हो। या उसका सहकारीकरण हो या जो भी करण उनके दिमाग में हो, उसको आज यहां साफ कर दें सदन के सामने उस करण को पेश कर दें।

दूसरी बातें मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने घाटे की उपमा दी है कि फलां-फलां फैक्टरियां घाटे में हैं। हम बहुत दिनों तक ऐसा कह कर नहीं टाल सकते हैं। गोरखपुर में खाद की फैक्टरी लगी हुई है। मुझे खुशी हुई इस बात को सुना कर वह फैक्टरी मुनाफे में चल रही है। मैं कहता हूं आखिर उसी फैक्टरी में क्यो मुनाफा हो रहा है अन्य में क्यों नहीं हो रहा है। जब मैंने पूछा कि आखिर यह मुनाफे में कैसे चल रही है तो कहा गया कि वहां पर मजदूरों को समय से वेतन दिया जाता है, उनको बोनस दिया जाता है और अन्य सारी सुविधायें दी जाती हैं इसलिए वह फैक्टरी मुनाफे में चल रही है। उस समय तक घाटा हो सकता है। टैक्सों का बोझ आप हटाते चले आ रहे हैं और जब मार्गों का राष्ट्रीयकरण आप करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि घाटा हो गया। तो ऐसा कह कर उसे टाला नहीं जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का घाटा तब तक होता है जब तक कि गवर्नमेंट हाफ हार्टेड काम करती है। जब वह किसी काम को करने में पक्का इरादा कर लेती है तो उस काम में कभी घाटा नही होता। इसके लिये लोगों का दिल साफ होना चाहिए। मिल मालिकों और सरकारी कर्मचारियों की धांधलेबाजी से घाटा होता है अन्यथा कभी घाटा नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र को देख लीजिये। मैं तो वहां नहीं गया हूं, शायद माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी गये हों और वहीं से आकर के शायद उनको प्रेरणा मिली हो। वहां सहकारिता के आधार पर फैक्टरियां चलाई जाती हैं और इस कारण वहां पर फैक्टरियों को मुनाफा हो रहा है। केन्द्र की बात यदि हम छोड़ भी दें तो महाराष्ट्र को लें उसका अनुकरण करें और देखें कि उस प्रदेश में कितनी इन्डस्ट्री बढ़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात में अपने को भी जोड़ देता हूं और अलग नहीं हूं अगर किसी गांव में मवेशियों में बीमारी हो जाती है तो वे किसी भैंसे को अच्छी तरह से सजधजा करके दूसरे गांव में छोड़ देते हैं जिसका अर्थ यह हुआ कि उस गांव के मवेशियों को जो बीमारी है वह दुसरे गाँव में चली जाय। उसी प्रकार यह प्रादेशीय सरकर भैंसे को सजाधजा कर केन्द्र के ऊपर छोड़ रही है। यह प्रदेश इस संबंध में अधिक पिछड़ा हुआ रहा। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय माननीय गुप्ता जी भी सौभाग्य से सदन में उपस्थित हैं मैं चाहता हूं कि उनका भी इस संबंध में दृष्टिकोंण आ जाना चाहिए क्योंकि उनकी तरफ से कई बार घोषणायें हुई हैं और केंद्रीय सरकार और इस प्रदेश की सरकार दोनों के बारे में वे कुछ कह सकते हैं। उनकी सरकार भी प्रदेश में रही है और वे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, पोलिटिक्स में भी रहे हैं। अतः आज वे इस महत्वपूर्ण बहस के दौरान सदन में मौजूद हैं तो मैं चाहता हूं कि सरकार की इस नीति के बारे में, और उसके निश्चित दृष्टिकोंण के बारे में तथा उस गुप्त रिपोर्ट के बारे में कहें।

अन्त में मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें एक दिन विवाद के लिये रख दें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो निश्चित सुझाव अप देंगे हम अपको सहयोग देंगें। प्रदेश कीयोजना ओं के बारे में, विकास के बारे में, उन्नति के बारे में आप यदि प्रयत्नशील हैं तो हम आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। अब इस पर देरतक नहीं बोलना चाहता हूं।

श्री गनेश दत्त बाजपेयी (जिला कानपुर)—

(श्री बांके लाल के बुलाये जाने पर) इस समय सदन के सामने जो प्रश्न है अगर उस पर माननीय वर्मा जी अपने विचार देते तो अच्छा होता। उससे डिबेट बहुत सार्थक हो आती। वरना सब लोग वैसे ही बोलते रहेगें और वे बाद को जवाब दे देंगे और उस पर हम कोई प्रश्न भी नहीं कर पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गेंदा सिंह के बोलने के पश्चात् यह प्रश्न उठाया था। उनको बुलाया गया लेकिन वे बोले नहीं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय गेंदासिंह ने जो विचार रखे वे सही हैं, चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। लेकिन जहां तक मुझे मालुम है गन्ने का दाम सेन्ट्रल गवर्नमेंट तय करती है, उनकी व्यवस्था वह करती है फिर चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण सवाल बिहार और उत्तर प्रदेश में यहां की सरकारों पर छोड़ा जाता है सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर देती है क्या वह समर्थ नहीं है ? जिस प्रकार प्रवी पर्सेज जो कि उन्होंने आर्डिनेन्स जारी करके खत्म कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। इस प्रकार की बेइज्जती यह सरकार उठाना नहीं चाहती। हम लोग जब राष्ट्रीयकरण करेंगे ती ऐसे ढंग से करेंगे कि किसी को कोई गुंजाइश ही न रहेगी सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं होगी।

मैं एक सवाल माननीय गेंदासिह जी और भूतपूर्व वित्त मंत्री जी से पूछता हूं कि जब कैबीनेट में पिछली सरकार में वे बहुमत में थे तो क्यों नहीं उन्होंने उस समय राष्ट्रीयकरण कर दिया था ? तत्काल उस फैसले को लागू क्यों नहीं किया, एक साल के लिये उसको क्यों रख छोड़ा ? क्या उस समय उनको राष्ट्रीयकरण की अक्ल नहीं आई थी, जो आज आई है ? उस वक्त यह अक्ल कहां चली गई थी ? १० आदमी बी० के० डी० के थे और १३ उनके थे ? अब वे कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट को क्या रोक है वह क्यों राष्ट्रीयकरण नहीं कर रही है। इसमें भी एक राजनैतिक चाल है जिसकी वजह से चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है। कुछ दिनों बाद लोग सरकार में रहे उनसे सौदेबाजी करते रहे। सौदेबाजी में वह मामला खटाई में पड़ गया। हम लोग सौदेबाजी नहीं करेंगे। हम लोग इमानदार हैं। राष्ट्रीयकरण करेंगे लेकिन समझबूझ कर करेंगे।

आप लोग जो गड़बड़ी कर गये हैं उसकी सफाई करनें में भी तो समय लगेगा। जबकि आपके समय में राज्यपाल के अभिभाषण में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात आ गई थी तो फिर आपने राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया ? आपको उस समय राष्ट्रीयकरण करने का काफी मौका था। उस समय तो किया नहीं लेकिन आज आप लोग रोना रोते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि अगर किसी की जायदाद ली जायगी तो उसको एक्वीटेबिल कंपेन्सेशन दिया जायगा। मुआवजा देने के लिये रुपया कहां से आयेगा ? आप संविधान में परिवर्तन ले आइये कि बिना मुआवजा किसी की भी संपत्ति ली जा सकती है। यह भी इन्दिरा जी के हाथ में है। आप संविधान में परिवर्तन कर दें ताकि चीनी मिल वाले लूट न सकें।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

मैं पूछना चाहता हूं कि आपके ये ज्ञान चक्षु कब से खुल गये ?

श्री बांके लाल—

जब से आप उधर चले गये। (व्यवधान) और आपके ज्ञान चक्षु बन्द हो गये, हमारे खुल गये। पैसा कहां से आयेगा। इसके लिये संविधान में परिवर्तन किया जायगा तभी चीनी मिलें ली जा सकती हैं बिना मुआवजे के। हमारी स्टेट इस स्थिति में नही हैं कि करोड़ों रुपया इन सड़ी गली मिलों को देकर लिया जाय। एक बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और अन्य मंत्रियों से कहूंगा कि किसानों का जो १८ लाख रुपया गन्ने का बकाया है उसको जल्द से जल्द दिलाने की व्यवस्था की जाय। पैसा कहां से आयेगा? यह मुख्य सवाल है। जब विधान में परिवर्तन किया जायेगा कि चीनी मिलें बिना मुआवजे के ले ली जायं तभी ली जा सकती हैं। हमारे यहां से जमींदारियां खत्म की गयीं और उसका जमींदारों को मुआवजा देना पड़ा और किसानों पर दस गुना लगान लगाना पड़ा। बिना मुआवजे के चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय यह बात कहां से होगी। यह दिल्ली से होगी। इसीलिये एस०एस०पी० कहती है कि संविधान में परिवर्तन कर दिया जाय तब यह चीज होगी। आप लोग जितनी तेजी से चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये कहते हैं यदि उतनी तेजी से अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचायें तो यह काम हो सकता है क्योंकि वहां पर आपकी इंदिरा जी गद्दी पर बैठी हुई हैं। वह तत्काल कर देंगी। मैं राष्ट्रीयकरण का समर्थन करता हूं लेकिन चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने का यह अवसर नहीं है।

*श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में मैं अपने विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। अभी यह कहा गया २०५ मिलों में से ६३ कोआपरेटिव सेक्टर में हैं और बाकी प्राइवेट सेक्टर में चल रही हैं। इनकी विवेचना तो माननीय वर्मा जी करेंगे और बतायेंगे कि उन्होंने क्या स्टडी की है? कोआपरेटिव सेक्टर में मिलें मुनाफे में चल रही हैं या घाटे में इसको देखना होगा। एक राम चन्द्र एण्ड संस शुगर मिल बाराबंकी में है। उसमें रिसीवर बिठाया गया है। वह किसी की जेब का आदमी नहीं है और वहां पर इस नियत से बिठाया गया है कि जो परसेंटेज निश्चित किया गया है वह सीधे यहां पर आ जाया करे। इसके विषय में मैंने पहले भी कुछ शब्द कहे थे और मांग की थी कि इसकी जांच की जाय लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक कुछ नहीं किया गया है।

प्रादेशिक सरकार और केन्द्रीय सरकार के बारे में बार-बार कहा जाता है और जब चाहे इंदिरा गांधी का नाम ले लिया जाता है। पाताल और इन्द्रलोक की लड़ाई रखना ठीक नहीं है। आप जनता को गुमराह करने के लिये ऐसे शब्दजाल का प्रयोग करते हैं। इससे सदन की गरिमा को बढ़ावा नहीं मिलता है। केवल ४२४ माननीय सदस्य हैं। उनके अलावा भी दुनिया है जिसने चुनकर आपको यहां पर भेजा है। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों स्पीकर महोदय ने यह कहा था कि यह बड़े लज्जा की बात है कि यहां पर हस्ताक्षर करना या तरकारी मण्डी बनाने की चेष्टा की जाय। जो आप गलत परंपरा डालते हैं इसका पब्लिक के ऊपर असर पड़ता है। यहां जो विजिटर्स गैलरी में लोग आते हैं यह चर्चा करते हैं। यहां पर जो पत्रकार बैठते हैं, जो आपके भाषण नोट करते हैं उनके ऊपर भी गलत प्रक्रिया होती है। आप जो भी चीज कहें वह शालीनता के साथ कहें।

इंदिरा जी के बारे में कहने लायक आपका मुंह नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी के लिये आपके मुंह में शब्द नहीं आ सकते हैं। उस वीरांगना ने सारे भारत में जनतंत्र का डंका पीट कर दिखाया है। आप खादी की टोपी लगा कर हिम्मत के साथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं निकल सकते थे। उस वीरांगना ने ऐसा कार्य किया है कि कांग्रेस के प्रति फिर वही श्रद्धा पैदा हो गई है। आज आप बाजार में पब्लिक के बीच खद्दर की गांधी टोपी लगाकर निकल सकते हैं। गांधी जी के नाम से जितना आपने शोषण किया था और जिस शोषण के अधीन आपने ऐसे-ऐसे कार्य किये थे कि पब्लिक आपसे घृणा करती थी इंदिरा जी की बदौलत आज आपने फिर वही प्रतिष्ठा उपार्जित की है। उस प्रतिष्ठा की बदौलत आज आप गांधी टोपी लगाकर बाहर निकल सकते हैं। यह राष्ट्रीयकरण का प्रश्न चाहे आप करें या केंद्रीय सरकार करे लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चेलेन्ज किया जायगा तो क्यों नहीं हिम्मत करते ? क्यों आप मुंह छिपाते हैं और इधर-उधर की बात करते हैं ? क्यों सेन्ट्रल गवर्नमेंट का नाम लेकर हिम्मत नहीं करते हैं और मुंह छिपाते हैं ? अगर आप में हिम्मत है आपमें दम है और जनता का भला चाहते हैं, अगर किसानों का भला चाहते हैं, अगर प्रदेश का भला चाहते हैं, अगर ६ करोड़ प्रदेश की जनता के हिमायती हैं तो क्यों नहीं दम ठोक कर आगे आते ? क्यों नहीं राष्ट्रीयकरण डिक्लेयर करते ?

जहां तक मुआवजे का सवाल है मैं कहता हूं कि सच्चे हृदय से आप जनता से कहें और जनता से चन्दा मांगे तो राष्ट्रीयकरण में जो रुपया लगेगा उसको वह जनता देगी। वह रुपया पब्लिक आपको दे सकती है। मगर आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस सदन को गुमराह करने का यह तरीका आपको बन्द करना पड़ेगा। जहां तक राष्ट्रीयकरण का सवाल है अगर आज आप राष्ट्रीयकरण करते हैं तो इसका श्रेय आपको मिलेगा। इतिहासकार जो प्रदेश का इतिहास लिखेंगे उसमें आगे आने वाली संतान आपको अच्छे शब्दों में याद करेगी और अगर आप राष्ट्रीयकरण नहीं करते हैं तो मैं पहले कह चुका हूं और आज फिर कहता हूं कि राष्ट्रीयकरण आपको बन्दूक की नोक पर करना पड़ेगा। कोई ताकत नहीं है कि उसको आप रोक सकें। मैं तो यह समझता हूं कि राष्ट्रीयकरण आप यहां पर न करके, आप चाहते हैं कि चीनी मिलों के बहाने यहां पर नक्सलवाद को पैदा किया जाय।

मैं कहता हूं कि आपकी छाती पर बन्दूक और राइफल रखकर आपको मजबूर होकर यह करना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो सरकारी बेंचों पर बैठे हुए हैं, आप और हम यदि इस प्रदेश का भला चाहते हैं और यदि आप और हम यहां पर प्रदेश के उत्थान और विकास के लिये आए हैं तो मेरा नम्र निवेदन है कि आप ठण्डे दिमाग से इस बात पर विचार करें और राष्ट्रीयकरण डिक्लेयर करें। जब आप कहते हैं कि हम राष्ट्रीकरण चाहते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको राष्ट्रीयकरण के लिये रोकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एटार्नी जनरल है वह कहता है कि यह प्रदेश का विषय है। प्रदेश इसको कर सकता है। यहां का एडवोकेट जनरल कहता है कि यह सेन्टर का विषय है और सेन्टर इसको कर सकता है तो इससे मुझे सरकार की नीयत पर शक होता है। किसी व्यक्तिगत नीयत पर नहीं बल्कि सरकार की नीयत पर संदेह पैदा होता है कि आप करना नहीं चाहते हैं बल्कि आपने अपने ए० जी० को ऐसे व्यूज दिए हैं कि राष्ट्रीयकरण नहीं करना है इसलिए ऐसे तर्क और दलीलें पेश करो ताकि हम सदन के सामने उसे रख सकें आप सदन में कह सकें कि यह राष्ट्रीयकरण जो है वह सेन्ट्रल सरकार का विषय है।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर क्या बात है जो वे राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते हैं। यहां के मंत्रियों में और शुगर मिल के मालिकों में बहुत बड़ी साजिश है। और यह साजिश क्या है ? पिछली संविद सरकार जब थी तो करीब ३५ लाख रुपया इन शुगर मिल के मालिकों ने उनको दिया कि लीजिए हुजूर, आगे आने वाले मध्यावधि चुनाव में खर्च करने के यह काम आवेगा। तो उस समय ३५ लाख रुपये का यह तोहफा दिया गया और आज फिर सौदेबाजी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया इन शुगर मिल मालिकों से मिले। मेरी सूचना है कि फिर ५० लाख रुपये की मांग इनसे की गई है। मुझे एक शुगर मिल के आदमी ने ही बतलाया है कि मिश्रा जो आप क्या बात करते हैं, सरकार हमारी खरीदी

[श्री मदन मोहन मिश्रा]

हुई है, ये सब हमारे हाथ बिके हुए हैं, हम इनको फाइनेंस करते हैं, हम इनको रुपया देते हैं, हम इनके दावतों पर रुपये खर्च करते हैं और मेरी सूचना यहां तक है कि कल और परसों जो यहां पर खाना आया था वह भी एक शुगर मिल के प्रोप्राइटर की तरफ से दिया गया था। यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि जब इतना काला धब्बा इनके ऊपर पड़ा है तो इनमें क्या साहस हो सकता है कि ये शुगर मिलों का नेशनलाइजेशन करें ? क्योंकि जब कोई किसी से रुपया लेता है, तो उसकी नजर नीची हो जाती है। नए मुख्य मंत्री जी जो आए हैं, वे तो सीधे-सादे आदमी हैं, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन ऐसे लोग जो यहां पर पहले से मौजूद हैं और २२ वर्ष से इन कुर्सियों को सुशोभित कर रहे हैं। उन्होंने इन कुर्सियों को सुशोभित करते हुए जनता के गले को काटा है। आगे आने वाली संताने इनको कभी माफ नहीं करेंगी। इनमें एक-एक से बदला लिया जायगा। यहां के नौजवान देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आपने जनता की कितनी भलाई की है। पुराने तरीकों को बदलना होगा।

कुंडुराव कमेढी की रिपोर्ट को बाहर लाने की हिम्मत क्यों नहीं करते, क्यों उसको अपनी पाकेट के अन्दर रखे हुए हैं ? अभी पिछली सरकार ने भी एक कमेटी बनाई थी जिसमें माननीय गेंदासिंह जी भी मौजूद थे। वे तो शरू से ही तड़प रहे हैं कि इन शुगर मिलों का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। अगर आपमें साहस है तो क्यों नहीं उस रिपोर्ट को सदन के सामने लाते ? सदन से अच्छा और कौन स्थान होगा जहां आप उसे लायेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो उसे लावें। जब सरकार को कुछ रुपये लेने की कामना हुई तो वह रेट को बढ़ाने का ढंग बना लेती है। जहां ५०० टन शुगर आना है वहां २५० टन ही आया और वैसी परिस्थिति में रातोरात शुगर के दाम बढ़ जाते हैं। पूछने पर बतलाया जाता है कि कम शक्कर आया था इसलिए दाम बढ़ गए। यह भी कहा जाता है कि हमारे मंत्री जी आए थे जिन्होंने कहा कि कांफ्रेस करने के लिये चन्दा चाहिए तो चन्दा कहां से आयेगा। चन्दा तो जनता के गले को काटकर ही दिया जा सकता है। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके अपनी इन हरकतों को बन्द कीजिए क्योंकि पब्लिक आपकी इन हरकतों को जान चुकी है।

आपको जो एक मुख्य मंत्री मिलेहैं वह काम करने वाले हैं और नैतिक और सात्विक गुण उनमें हैं लकिन आप लोग उनको भी करप्ट कर रहे हैं, आप इस साजिश में लगे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि आप यहां पार्लियामेन्ट छोड़कर आए हैं इसलिये आप यहां कोई नई चीज कीजिए। इस तरह से प्रधान मंत्री इंदिरा जी के खिलाफ कीचड़ उछालने पर जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। यहां पर प्रिवी पर्स के बारे में कहा गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवी पर्सेज के मामले में जो कार्यवाही हुई थी उसको अवैध करार दिया है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हुआ हो लेकिन जनता का कोर्ट उसको वध करार देगा, वही सबसे बड़ा कोर्ट है, उससे बड़ा कोई और कोर्ट नहीं है। अगले चुनावों में आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी को सबसे बड़ी विजय मिलेगी, उन्होंने नंगा चित्र आपका जनता के सामने रख दिया है कि आप क्या चाहते हैं और जनता क्या चहती है। उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन कर के दिखा दिया है और एक रास्ता हमें दिखाया है कि आप भी हिम्मत करके अब आगे आइए और चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कीजिए। अगर आप आहते हैं कि अच्छा शासन दें, अगर आप चाहते हैं कि जनता का जीवनस्तर ऊपर उठे और जिसके साथ आपने २२ साल तक खिलवाड़ की है, तो आपको इंदिरा गांधी के बताए हुए मार्ग पर ही चलना होगा और तभी देश का और आपके प्रदेश का कल्याण हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने स्थान को ग्रहण करता हूं।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

यह जो चीनी मिल के राष्ट्रीकरण का प्रश्न है इस पर मैं भी अपने थोड़े से विचार व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ थोड़े से मेरे सुझाव हैं वे भी मैं पेश करूंगा। हमारा दल राष्ट्रीयकरण

के पक्ष में है। अभी हमारे साथी श्री गेंदा सिंह जी ने इस विषय पर एक लम्बा चौड़ा भाषण किया और उसमें यह कहा कि पूंजीपतियों की वजह से यह सरकार राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहती। मैं उनसे निहायत अदब से गुजारिश करूंगा और उनसे पूछना चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि पूंजीपतियों को कौन ज्यादा पालता है। अभी इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया लेकिन आप गांव के रहने वाले हैं और यहां बहुत से गांव के रहने वाले लोग हैं लेकिन इस राष्ट्रीयकरण से उन गांव के लोगों का क्या लाभ हुआ। हमारे स्वर्गीय लोहिया जी ने इस चीज को पहले उठाया था। हमारी पार्टी इस राष्ट्रीयकरण की हिमायती है, हम उसके लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे जब तक यह राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, उसको भी हम सवा ६ एकड़ की तरह ही करायेंगे लेकिन आप इस पर जरा गौर करें कि इस राष्ट्रीयकरण के रास्ते में कौन रोड़ा अटका रहा है, हमारे साथी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कही लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उससे किसका लाभ हुआ है, इंदिरा जी कौन सी नई रोशनी लाई और हमारे गांवों के लोगों को उससे क्या फायदा पहुंचा ? मैं बताना चाहता हूं कि इस बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हमारे यहां हंडिया में एक स्टेट बैंक है उसके द्वारा किसानों को कोई कर्ज आदि की सुविधा नहीं मिली। वह बात दूसरी है कि आपके जो कुनबे या रिश्तेदार लोग होंगे उनको कुछ लाभ हुआ, लेकिन गरीब किसानों को उससे कोई राहत नहीं मिली है।

जो बंबई का आपका अधिवेशन हुआ उसमें इंदिरा जी की और आप की कुछ नाइत्तिफाकी हुई और वहां राजनीतिक चालें चली गईं और आपने इस नारे को लेकर मुखालिफ पार्टियों को दबाने की साजिश की। हमने आपके एटर्नी जनरल और श्री कन्हैया लाल मिश्र का बयान अखबारों में पढ़ा तो उससे नक्शा साफ हो गया, उन्होंने साफ कहा कि यह राष्ट्रीयकरण केवल मरकजी हुकूमत से ही कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह अधिकार मरकजी सरकार को ही है कि वह इन मिलों का लोहा ले, ईंटें ले या बालू ले या सब कुछ ले लेकिन इस सरकार को वह अधिकार नहीं है। चीनी के दाम निर्धारण करने का कार्य केंद्रीय सरकार का है। जिन इंदिरा गांधी की आपने बड़ी दुहाई दी है, बड़ा ढिंढोरा पीटा है, उन्होंने ही एक ओर तो राष्ट्रीयकरण का नारा बुलन्द किया और दूसरी ओर उन्होंने ही गोआ में जब खाद के कारखाने के खुलने का प्रश्न आया तो बिरला जैसे पूंजीपति को इजाजत दे दी और ५५ करोड़ रुपया सरकार के खजाने का दिया।

श्रीमन्, यही नहीं जब माननीया इंदिरा गांधी कानपुर में आयीं तो उसका स्वागत श्री जैपुरिया और पदमपत सिंहानिया ने किया। हम तो जानते हैं कि उनका क्या समाजवाद है ? हम तो इस सदन में साइकिल चला कर आए हैं। आप लोगों ने २० साल तक मुतवातिर लोगों को गरीबी दी। जिस समय हम लोगों ने राष्ट्रीयकरण का सुझाव रखा था, उस समय हमारे बुजुर्ग माननीय कमलापति त्रिपाठी जी सर्वेसर्वा थे। लोगों ने चाहा कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो लेकिन केंद्रीय सरकार की राजनीतिक चाल से राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ और फिर यहां पर एक कमेटी बना दी गई। अगर आप चाहते हैं कि इनका राष्ट्रीयकरण हो, तो हो सकता था, उस समय कमेटी बनाकर जो अड़ंगा लगा दिया वह न लगाते। इंदिरा गांधी जी चाहती हैं कि हम किसी तरह से समाजवाद के झूठे नारे देते रहें और हमारा नारा इंदिरा गांधी न चुरा लिया और नारा देकर देश को धोखा देना चाहती हैं। आज हमारे बीच में आचार्य नरेन्द्र देव, डाक्टर लोहिया और बहुत से अन्य लोग नहीं हैं जो समाजवाद और राष्ट्रीयकरण चिल्लाते-चिल्लाते इस सदन से इस्तीफे देकर चले गये थे। आज हमारे माननीय कमलापति जी त्रिपाठी, जिन्होंने माननीय आचार्य नरेन्द्र देव की बात नहीं सुनी, राष्ट्रीयकरण का नारा दे रहे हैं। तो दोस्तो, आप लोगों ने राष्ट्रीकरण नहीं होने दिया और न होने दे रहे हैं, आप लोग समाजवाद व राष्ट्रीयकरण के दुश्मन हैं।

गृह मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

मान्यवर, श्री गेंदा सिंह जी ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न आज ही नहीं उठाया, पिछले २० वर्षों से वे उसे उठाते रहे हैं। और मैं भी उनके उन विचारों से, चूंकि मैं भी गन्ने

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

का उत्पादक रहा हूं, सहमत रहा हूं और उनको प्रतिपादित करता रहा हूं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि २४ जुलाई को चौधरी चरण सिंह जी ने इस सदन में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की प्रस्तावना की थी और मिनिस्ट्री में आने के तुरन्त बाद ही २१ फरवरी को उन्होंने ३ सदस्यों की एक समिति भी बनाई थी जो मेरी ही अध्यक्षता में थी और जिसमें माननीय गेंदा सिंह जी और. माननीय पृथ्वीनाथ सेठ, एम० पी० भी सदस्य के रूप में थे। माननीय विकल जी ने कहा कि हम एक महीने में रिपोर्ट नहीं दे सके। वह कमी हम स्वीकार करते हैं। विषय बहुत विस्तृत था। पिछली एक जून को हमने वह रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री जी को दे दी। वह आज भी गोपनीय है और उसका प्रकाशन भी कैबिनेट की राय से ही हो सकता है। इसलिए उस सिलसिले में बहुत कुछ कहना मुनासिब न होगा।

हम लोगों ने पहली जून को भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी को अपनी रिपोर्ट दी थी।

उससे पूर्व ही तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने २२ मई, १९७० को प्रधान मन्त्री जी को यह पत्र लिखा था कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही वे कार्यवाही करें और राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में उत्तर दें। केवल २२ मई को ही नहीं, प्रश्न की गम्भीरता और इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने २२ मई, ८ जुलाई, १३ जुलाई, १५ जुलाई, २७ जुलाई, ३१ जुलाई, २ अगस्त, ३ अगस्त, ६ अगस्त, १६ अगस्त यानी इतने पत्र केन्द्रीय सरकार के खाद्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री जी को लिखे कि इस सिलसिले में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लें। तीन आदमियों की एक कमेटी भी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने निश्चय कर दिल्ली भेजा, जिसमें माननीय तिवारी जी भी थे और उस समय के कृषि मन्त्री और स्वायत्त शासन मन्त्री श्री रावत जी थे, ताकि जल्द से जल्द इस सम्बन्ध में निर्णय भारत सरकार से लिखा दें। लेकिन निर्णय न लिया जा सका। ३१ जुलाई को भारत सरकार के खाद्य सचिव की तरफ से एक घोषणा निकली कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी भारत सरकार के साथ साथ मिलों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। इस सम्बन्ध में पुनः उत्तर प्रदेश की तत्कालीन कैबिनेट की मीटिंग हुई।

श्री रामचन्द्र विकल--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। बहुत उत्सुकता थी, हमको कि वह रिपोर्ट आ जायेगी। माननीय गृह मन्त्री ने फिर गोपनीय बता दिया। श्री पृथ्वीनाथ सेठ, राज्य सभा के मेम्बर जिस कमेटी के मेम्बर रहे हों, वह रिपोर्ट गोपनीय नहीं हो सकती। कैबिनेट का फैसला हम नहीं सुनना चाहते। जो रिपोर्ट गोपनीय नहीं होनी चाहिये उसको बताने में क्या दिक्कत है? उस रिपोर्ट को आ जाना चाहिये मैं आप से यह व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी व्यवस्था यह है कि वह इस सदन की कमेटी नहीं थी। वह गवर्नमेंट द्वारा गठित कमेटी थी और उसके बारे में मैं मजबूर नहीं कर सकता हूं कि वह उसको रक्खें।

श्री रामचन्द्र विकल--

उसकी घोषणा इस सदन में हुई है वह कमेटी इस सदन की मानी जायेगी। अगर बाहर की मान लेंगे तो एक नया सवाल पैदा हो जायेगा। इसी सदन में घोषणा हुई है एक बार नहीं अनेक बार।

श्री उपाध्यक्ष--

कैसे इस सदन की कमेटी हो सकती है जब इस सदन की राय नहीं थी और उसमें एक ऐसा सदस्य भी था जो इस सदन का सदस्य नहीं है?

श्री रामचन्द्र विकल--

उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी व्यवस्था पर पुनः विचार करें। इस सदन में घोषणा हुई, कमेटी बनी, वह गोपनीय नहीं हो सकती। मन्त्री जो न बतायें वह दूसरी बात है। उस रिपोर्ट पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

उस रिपोर्ट के बारे में गवर्नमेंट ही कह सकती है कि वह चीज गोपनीय है या नहीं।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)--

क्या ऐसा भी हो सकता है कि सरकार से सम्बन्धित कोई ऐसी रिपोर्ट हो जो इस सदन के सदस्यों के लिए गोपनीय हो और बाहर के सदस्यों के लिए न हो? मैं समझता हूं कि सरकार से सम्बन्धित कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता जो गोपनीय हो सकता है इस सदन के लिए। यह शब्दों का गलत प्रयोग करना है।

श्री उपाध्यक्ष--

इस में आप थोड़ा सा भ्रम कर रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, इनकी तो श्री पृथ्वीनाथ सेठ से दोस्ती थी.....(व्यवधान)।

श्री उदित नारायण--

श्रीमन्, मेरा नाम लिया, मुझे कहने दीजिये ...

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने रोक दिया उनको। आप भी कृपया बैठें।

एक सदस्य--

इस पर आप रूलिंग कल दे दें, अपनी व्यवस्था आज न दें। (हंसी)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, ३१ जुलाई, को केन्द्र के खाद्य सचिव की तरफ से एक घोषणा की गयी कि केन्द्र के साथ-साथ प्रदेश की सरकार भी इन मिलों का राष्ट्रीयकरण कर सकती हैं। फिर हम तीनों आदमी, यानी मैं, माननीय नारायणदत्त तिवारी और माननीय जयराम वर्मा, दिल्ली गये। वहां पर प्रधान मन्त्री जी से मिले, खाद्य मन्त्री से मिले, उद्योग मन्त्री से भी मिले और हम लोगों ने एटार्नी जनरल तथा सोलिसिटर जनरल की रिपोर्ट भी ली और यहां उस पर विचार विमर्ष भी किया। ऐडवोकेट जनरल साहब भी बुलाये गये। श्री कन्हैयालाल मिश्र हिन्दुस्तान के माने हुये प्रसिद्ध ऐडवोकेट हैं। उनकी राय और अटार्नी जनरल की राय एक न हो सकी। इसलिए ३ अगस्त को फिर हमने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा कि यह उचित होगा कि अटारनी जनरल और ऐडवोकेट जनरल दोनों को एक स्थान पर बिठाकर इस मतभेद को दूर किया जाय और उसका कोई रास्ता निकाला जाय। अगर फिर भी मतभेद बना रहे तो संविधान के आर्टिकल १४३ के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट की राय ले ली जाय। लेकिन कुछ भी न हो सका। मामला जहां का तहां पड़ा रहा। २५ दिसम्बर, १९६९ को जब बम्बई में नयी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें केवल उत्तर प्रदेश के लिए चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार भी चाहती है कि राष्ट्रीयकरण किया जाय, उत्तर प्रदेश की सरकार, जिस में नयी कांग्रेस, बी० के० डी० के साथ थी, भी इसे चाहती थी कि मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय या टेक ओवर हो जाय, किन्तु फिर भी कुछ नहीं हो पाया। मैंने जरा सा आप की जानकारी के लिए यह निवेदन किया कि इसमें ऐडवोकेट जनरल और अटार्नी जनरल की राय में मतभेद था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह भी प्रधान मन्त्री को लिखा कि इन दोनों की जो राय है उसे संसद के पटल पर रख दिया जाय ताकि माननीय सदस्यों को सही जानकारी हो जाय। इतना सब कुछ होने के बाद भी, मुझे इसका अफसोस जरूर है, नयी कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलापति त्रिपाठी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, सितम्बर महीने से लगातार इस बात के कहने का प्रयास करते रहे कि भारतीय क्रान्ति दल इन मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहता और रुकावटें डाल रहा है, जब कि स्थिति यह थी जो मैंने आपके सामने अभी बतलायी है।

जहां तक सालिसिटर जनरल और एटारनी जनरल की राय है, उनके कुछ आवश्यक अंश को मैं सदन के सामने पढ कर सुना देना चाहता हूं और यह उचित ही होगा। आप देखें उन्होंने शूगर इन्डस्ट्री और शुगर अन्डरटेकिंग दोनों में डिस्टिंक्शन किया है।

"It made a subtle distinction between sugar industry and sugar under takings. The Solicitor-General held that the State Legislature cannot make laws with respect to sugar industry which parliament alone can do but it has concurrent powers with Parliament to make laws with respect to acquisition of sugar undertakings as also trade and commerce in, and production, supply or distribution of sugar. He concluded his opinion with the advice."

"Since the Parliment alone is competent to make laws with respect to sugar industry it would be futile for the State Government to acquire any sugar undertakings."

सालिसिटर जनरल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि यह अधिकार स्वयं इन्डस्ट्रीज रेगुलेशन ऐण्ड डेवेलपमेंट के मातहत पार्लियामेंट को है, प्रदेश को नहीं। यह भी कि यदि आप नेशनलाइज करना चाहें तो यह अधिकार उनका है। जहां तक ऐडवोकेट जनरल की राय की बात है, उसको भी एक दो शब्दों में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा--

"He was clearly of the opinion that, while acquisition of individual factories may be justified, if it is for a purpose other than nationlisation and State control, a wholesale acquisition of sugar factories for the purpose of nationalisation of the sugar industry, would not be within the competence of the State Legislature."

तो पंडित कन्हैयालाल मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार किसी एक शुगर फैक्टरी को या अन्डरटेकिंग को ले सकती है, लेकिन तमाम शुगर इन्डस्ट्री को नहीं और वह भी नेशनलाइजेशन की दृष्टि से नहीं ले सकती है।

अब अटार्नी जनरल ने इस बारे में क्या कहा उसे भी आप देखें, तो स्थिति बहुत स्पष्ट हो जायेगी --

"Attorney General him self who tendered his advice later, conceded, would necessarily have to prvide "for the State running the business of such undertakings" and would thus tresspas into the domain of Industry' and affect the control of the Union Government over it."

मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि यह स्पष्ट विचारधारा ऐडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश को रही है, और बल्कि वार्निंग भी दी गयी थी उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसे मैं रखना चाहूंगा। तो "आई शुड वार्न", ऐसा कुछ कहा है, इसमें समय लग जायेगा, लेकिन इसी में वह भी है।

शुगर इन्डस्ट्री को लेना किसान, मजदूर और देश के हित में है, यह मैं स्वीकार करना चाहता हूं। यह मेरी विचारधारा है और यह मेरा कनविक्शन भी है। मैं इस सिलसिले में महाराष्ट्र भी गया और वहां पर मैंने देखा कि वहां पर शुगर फैक्टरियां बड़े मुनाफे पर चल रही हैं। वे किसानों को गन्ने का अच्छा मूल्य दे रही हैं और मजदूरों को बोनस दे रही हैं अपने यहां के प्राइवेट इन्डस्ट्रीज के मुकाबले में कहीं अच्छे हिसाब से। इसलिए मैं उनके हक में हूं और रहा हूं।

२८ सितम्बर, को जब भारत सरकार ने एक कमीशन की घोषणा की। जिसका निर्माण माननीय फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने किया, लेकिन उसके पहले दिसम्बर, ६८ में भूतपूर्व खाद्य मन्त्री श्री जगजीवन राम जी ने एक इसी प्रकार के कमीशन का गठन करने की घोषणा की थी। जिसने कहा है हिन्दुस्तान भर में उसने उनके राष्ट्रीयकरण का मामला उठाया है, उस के हर पहलू पर विचार कर के भारत सरकार को रिपोर्ट देगी। २८ सितम्बर को यह कमीशन बैठता है उन्हें लेने के बारे में और दिसम्बर में भी उसके पूर्व ऐसी घोषणो की गयी थी।

गो इस बीच में कांग्रेस ने २५ या २६ दिसम्बर को बम्बई में प्रस्ताव किया था। मैं बड़े अदब से अपने मित्र गेंदा सिंह जी, नारायणदत्त जी और त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि अगर केन्द्र की सरकार चाहती थी कि उत्तर प्रदेश की फैक्टरियों का राष्ट्रीयकरण हो, उत्तर प्रदेश का सर्वसम्मत निश्चय तो था ही।

प्रश्न केवल यह था कि ऐडवोकेट जनरल और अटार्नी जनरल की राय नहीं मिलती थी। फिर भी इस नीयत से कि जल्दी मामला तय हो जाय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न जा सके, निर्णय लेकर वह कदम उठा लिये जायें, जो जनहित में हों, जिससे मुकदमेबाजी अवायड की जा सके, लेकिन यह नहीं हो सका। पता नहीं क्यों इस प्रकार की घोषणा कर दी गयी कि सारे देश के लिए और क्यों नहीं जब प्रस्ताव केवल उत्तर प्रदेश के लिए किया था, तो क्यों भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को यह अधिकार दे दिया था कि, और अगर नहीं देना चाहती थी, जब नयी कांग्रेस ने यह रेजोल्यूशन पास किया था तो क्यों नहीं जब पार्लियामेंट या असेम्बली नहीं हो रही थी तो उसी समय आर्डिनेंस पास कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए ? तो केवल पालिटिकल दृष्टि से यह बात उठाना, न शुगर फैक्टरी के राष्ट्रीयकरण के हित में है, न किसान और मजदूर के हित में है। पालिटिक्स के हित में जरूर है। पालिटिकल प्रोपेगैन्डा के हित में जरूर है। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने एक बुकलेट छः पेज की, जिस समय वह मुख्य मन्त्री थे, १८ अगस्त को निकाली। जिसमें उन सभी तथ्यों को प्रकाशित कर दिया था। उसके सिलसिले में किसी ने उस पर टीका-टिप्पणी नहीं की थी। ये सारे तथ्य मैं माननीय सदस्यों की रोशनी में लाना चाहता हूं। अगर हम सब चहाते हैं कि उनका राष्ट्रीयकरण हो तो फिर कमेटी बैठाने की क्या आवश्यकता थी ? सारे देश के पसपेक्टिव में इस को सोचने के लिए, प्रस्ताव पास कर रहे थे उत्तर प्रदेश के लिए बम्बई में प्रदेश की सरकार भी तैयार थी। रुकावट क्या थी ? हमें अधिकार दे देती। हमें अधिकार न देती तो अपने आप कर देती। रुकावट कौन था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मैं इस बहस में भाग न लेता, लेकिन हमारे मित्र माननीय वीरेन्द्र जी ने मेरा नाम ले लिया। इस कारण मुझे कुछ थोड़ा सा आपकी सेवा में निवेदन करने की आवश्यकता पड़ गयी। मैं चेष्टा करूंगा कि ७-४० पर खत्म कर दूं और सदन का अधिक समय न लूं।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उन्होंने जो बात कह दी कि यह प्रश्न किसानों का है, न मजदूरों का है, न पोलिटिकल है, यह सुनकर मुझे बड़ा खेद हुआ है । वीरेन्द्र जी उन व्यक्तियों में रहे हैं जो कि गेंदा सिंह जी से कम आग्रह नहीं करते थे कि शुगर फैक्टरियों को यहां नेशनलाइजेशन हो जाय । जब मैं मुजफ्फर नगर गया तो उन्होंने एक बड़ी रैली जो एक लाख किसानों की थी में बड़ी शान से कहा था कि हमने यह रैली की है । हम इसको करवा के छोड़ेंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

अब भी हक में हूं, पंडित जी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

धन्यवाद आपको । इस सदन में नेशनलाइजेशन के मामले में जब यह सवाल उठा था तो गुप्ता जी की सरकार थी । उन्हीं सरकारी बेंचों से गेदा सिंह जी ने यह प्रश्न उठाया था । हमारी पार्टी में भी वह प्रस्ताव पास हुआ । इस सदन में प्रस्ताव रखा गया था । सरकार गुप्ता जी की थी । करीब सर्वसम्मत वह प्रस्ताव स्वीकार हुआ । उस समय वीरेन्द्र जी इस पक्ष में बैठते थे । उन्होंने बहुत जोर से समर्थन किया उसका । चौधरी चरण सिंह ने भी खड़े हो कर बहुत अच्छी तरह से उस प्रस्ताव का समर्थन किया। मैं तो केवल आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह दलगत प्रश्न नहीं है । यह कहना कि राजनीति और प्रोपेगैन्डा के लिए किया जा रहा है, ठीक नहीं है और मैं वर्मा जी से यह आशा नहीं करता था ।

मान्यवर, यह प्रस्ताव आज से नहीं बहुत दिनों से चला आ रहा है । जब गेंदा सिंह विपक्ष में थे तब भी था । उत्तर प्रदेश में कम से कम २५ लाख किसानों के परिवार ऐसे हैं जो ईख उत्पादन करते हैं । अगर एक परिवार में चार आदमी भी मान लिये जायें तो एक करोड़ व्यक्तियों की इस से परवरिश होती है । मैं इस इन्डस्ट्री की तफसील में नहीं जाना चाहता हूं । मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि जब गुप्ताजी की सरकार ३ महीने की थी तो उस समय और उस के पहले भी चौधरी चरण सिंह जी का वक्तव्य निकला था । बम्बई कांग्रेस में जब यह प्रस्ताव पास हुआ था कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, बिहार भी चाहता था, पर यह हुआ कि आप अपने यहां स्वीकार कीजिये । हमारे यहां की कार्य-कारिणी ने उसको मंजूर किया था ।

मैं यह भी याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो इस के प्रस्ताव को बम्बई में पास होने के पहले जब १९६९ में गुप्ता जी की सरकार बनी थी मंत्रिमण्डल ने तभी इस को पास किया था, और वह यह था कि भूस्वामित्व शुगर फैक्टरीज का समाप्त किया जाय । भारत सरकार से यह प्रार्थना की गयी थी कि वह इस दिशा में कदम उठावे । तो यह साफ था कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल गुप्ताजी के नेतृत्व में इसके पक्ष में था कि यहां पर जो व्यक्तिगत स्वामित्व शुगर फैक्टरीज का वह है वह समाप्त किया जाय । उसके बाद बम्बई में अधिवेशन हुआ था जहां पर कि यह प्रस्ताव पेश हुआ था और बहुमत से स्वीकार हुआ था । उसके बाद पहले व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह जिन्होंने वक्तव्य देकर उसका स्वागत किया था और कहा था कि कांग्रेस ने सही दिशा में कदम उठाया है । यह अखबारों में निकला था । उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में श्री चन्द्र भान् गुप्त की सरकार ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी सांठ-गांठ मिल मालिकों से रहती है । इस के बाद उन की सरकार बनी । हमारे दल के लोग भी उस में सम्मिलित थे । तीन व्यक्तियों की कमेटी बनी । मुझे यह भूमिका इसलिए करनी पड़ी कि कोई दल ऐसा नहीं है जो कि इसका विरोधी रहा हो । गुप्ताजी पर आक्षेप हुआ, लेकिन वह भी इस मांग को स्वीकार करते थे । हमारे समाजवादी और प्रगतिशील लोग भी इस के पूर्व इस को स्वीकार करते थे । बांकेलाल जी के विचार बदल गये हैं पहले कुछ और थे । तो उत्तर प्रदेश में यह दलगत प्रश्न नहीं है, सभी दल इस राय के हैं ।

जिन तीन व्यक्तियों की रिपोर्ट बनी उसकी रूपरेखा नहीं आयी। उन्होंने इस सम्बन्ध में जिक्र भी किया लेकिन हमारे पटल पर वह नहीं है। तो यह सदन के साथ न्याय नहीं है। जो जिन पत्रों का जिक्र किया गया है वह रख दिये जाने चाहिये और प्रधान मन्त्री और भारत सरकार से जो पत्र-व्यवहार हुआ है उनको भी यहां आना चाहिये। प्रधान मन्त्री से कई बार मैंने भी बात की है। तो पता लगा कि उन को भी जैसी कि यहां कठिनाई है वैसी ही कठिनाई है। वहां के जो बड़े-बड़े वकील हैं, उन्होंने यह राय दी कि केवल उत्तर प्रदेश में भारत सरकार कर नहीं सकती क्योंकि वह डिफरेंशियेशन हो जायगा, कान्स्टीट्यूशन के मुताबिक नहीं होगा। उनके सालीसीटर जनरल थे, अटारनी जनरल थे, प्रधान मन्त्री थे, उनके सामने मसला यह पेश हुआ और उन्होंने राय दी कि इस के लिए अलग बिल लाना पड़ेगा। जो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन ऐक्ट है वह केवल इस लिए है कि इन्डस्ट्री को लेकर डेवलप कर के, सुचारु रूप से चलाकर फिर मालिक को वापस दे देना होता है। इस लिए शुगर को निकालने के मायने यह होंगे कि एक अलग से बिल लावें। यह बिल केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं ला सकते क्योंकि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक यह भेदमूलक बर्ताव हो जायेगा। यह बात उन के दिमाग में थी।

मैंने वहां भी कहा और यहां भी कहा और यह कहना गलत है कि मैंने यह प्रयास आरम्भ किया कि भारतीय क्रान्ति दल अड़ंगा डाल रहा है। जो भी उस समय की सरकार ने किया, भला या बुरा, उस से मैं बरी नहीं हो सकता। एक साल के लिए उन्होंने फैसला किया। किसने उसका विरोध किया, किसने उसका समर्थन किया, यह मैं नहीं जानता। लेकिन कैबिनेट ने फैसला लिया तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। वहां जो निर्णय हो जाता है वह सर्वसम्मत निर्णय माना जाता है और अगर कोई मिनिस्टर कहता है कि मैं इस से इत्तफाक नहीं करता, तो उसे पहले इस्तीफा देना चाहिये, तो वहां कलेक्टिव टीम होती है। कई मसले आये जिनकी हमने मुखालिफत की लेकिन जब मन्त्रिमण्डल ने कोई बात स्वीकार कर ली तो हमें भी स्वीकार करनी पड़ी। यह एक स्वस्थ परम्परा है पार्लियामेंटरी मंत्रिमण्डल की। उस से मेरा मतलब नहीं। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मेरा तो यही ख्याल था और कहा भी कि इतना बड़ा नीति का प्रश्न था, इस को इस तरह से समाप्त नहीं करना चाहिये था। मेरी राय यह थी कि सारी पार्टीज को बुलाना चाहिये, चाहे समाजवादी हो, भारतीय क्रान्ति दल हो या कांग्रेस (संगठन) का दल हो। सब की नीति रही कि राष्ट्रीयकरण हो और अगर किन्हीं कारणों से नहीं हो सकता और टालना है तो सब को बुलाना चाहिये।

हमारे लिए तो, मान्यवर, नीति का प्रश्न इसलिए भी था कि बम्बई अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। यहां बड़ी धूम-धाम से मुख्य मन्त्री ने कहा था कि सही कदम है। गुप्ता जी इस को नहीं कर सकते थे, हम करेंगे। साल भर के लिए टालने का मतलब यह हुआ कि यह टला तो टला। भारत सरकार से कहने की बात है तो आज भी कहा जा सकता है कि वह राष्ट्रीयकरण करें। मैं कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार राजी है तो हम चलने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार समझती है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और भारत सरकार को करना चाहिये तो यहां के मन्त्रि परिषद् से रेजोल्यूशन होना चाहिये कि हम अनुरोध करते हैं कि राष्ट्रीयकरण किया जाय...

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह तो प्रस्ताव हो चुका है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वह तो यह हुआ है कि हम नहीं कर सकते, भारत सरकार कर सकती है तो कर दे।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

जब आपकी पार्टी और बी० के० डी० सरकार में थी उस समय आपने इसको क्यों नहीं किया? इसको करवा लिया होता।

श्री कपलापति त्रिपाठी--

क्यों नहीं करवा लिया, यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। अगर हमको अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है तो यह निश्चित है कि यह कदम उठाना जरूरी है और अगर आज तक नहीं हुआ तो आगे नहीं करेंगे, तुम नहीं कर सके तो हम नहीं करेंगे या फिर तुम दोषी हो यह ठीक नहीं। मैं किसी को दोषी नहीं बता रहा हूं। यह सर्वसम्मत बात है। शान्ति-प्रपन्न भाई ने कहा और वीरेन्द्र जी भी कह रहे हैं। मैं जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी को नहीं जानता कि उनकी क्या नीति है इसको आप जाने और आपकी पार्टी जाने। यहां के मंत्रिपरिषद् से अनुरोध होना चाहिये कि शुगर फैक्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण किया जाय। मैं अपनी ओर से आश्वासन दूं कि यदि इस सरकार की ओर से जो कोई भी प्रयास इस दिशा में किया जायगा हम पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं।

हर इस प्रकार के कार्य को करने के बाद मुकदमें तो हुआ ही करते हैं और उसको कोई टाल नहीं सकता। जब जमींदारी का उन्मूलन हुआ तो ६ साल तक मुकदमें चले और उसके बाद जमींदारी एबालीशन ऐक्ट पास हुआ। अभी तक भी उसके कुछ केसेज किन्हीं स्थानों में चल रहे हैं। बैंक नेशनलाइजेशन हुआ उसमें मुकदमा हुआ। प्रिवी पर्सेज में मुकदमा हुआ। हमारे बांके लाल जी कहते हैं कि संविधान में संशोधन जरूरी है। वह इतनी मामूली बात नहीं है। आप अपने मुख्य मंत्री जी से पूछ लें कि दो तिहाई मतों की इसके लिये आवश्यकता होती है। अभी यह प्रिवी पर्स का मामला है, प्रापर्टी राइट का मामला है और हो सकता है कि संविधान में संशोधन करना बड़े। इसलिए यह इतनी आसान बात नहीं है। मुकदमा तो होगा ही। यह एक कदम था जिसको हम उठा लेते मुकदमा तो होता ही। न जाने कितने आर्डर्स आपके होते हैं जो अल्ट्रावायरस होते हैं। सरकार कर्मचारियों के खिलाफ ऐक्शन लेती है, रिटायर करती है, या कोई ऐक्शन लेती है उसमें भी रिट का मुकदमा चलता है और फैसला हो जाता है कि सरकार का यह आदेश गलत है। न्याय पालिका बैठी है। किसी के हित को ठेस लगती है तो वह मुकदमा तो दायर करेगा ही और उसका सामना भी होता है। यह एक बड़ा कदम था यदि इस पर भी कोई कुछ करता तो उसको भी निपटा जा सकता था। जब हम मान बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह ने कहा है कि यह हमारे यहां की आर्थिक नीति से संबद्ध है तब हमको इस पर कदम उठाना चाहिए। मुकदमें तो होते ही रहेंगे। अब मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब किसी को कुछ कहना तो है नहीं। इसलिये अब हम कल ११ बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ४१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१७ दिसम्बर, १९७०।

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५६ पर)

फैजाबाद, लखनऊ, बाराणसी तथा गोरखपुर मण्डलों के आयुक्तों द्वारा १ सितम्बर, १९६९ से ३० जून, १९७० तक स्वीकृत, अस्वीकृत तथा रिमाण्ड की गई सरकारी कर्मचारियों की अपीलों की संख्या का विवरण ।

आयुक्त	स्वीकृत की गई अपीलों की संख्या	अस्वीकृत की गई अपीलों की संख्या	रिमाण्ड की गई अपीलों की संख्या
१	२	३	४
फैजाबाद	..	५	—
लखनऊ	१	—	—
वाराणसी	२	—	—
गोरखपुर	४	१	—
योग	७	६	..

नत्थी "ख"

(देखिए तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६६ पर)

दिनांक १-४-१९७० से २०-७-१९७० के बीच स्थानान्तरित किये गये जिला मैजिस्ट्रेटों/पुलिस अधीक्षकों की सूची

जिला मैजिस्ट्रेट--सर्वश्री--

१--एस०के० विश्वास	.. ..	गाजीपुर
२--वी०एन० चन्ना	.. ..	बिजनौर
३--मुन्नीलाल	.. ..	उन्नाव
४--पी०सी० श्रीवास्तव	.. ..	जालौन
५--गिरीश चन्द्र	.. ..	पिथौरागढ़
६--जे० एन० प्रधान	.. ..	शाहजहांपुर
७--एस०एस०सिद्धू	.. ..	कानपुर
८--पी०सी० जन	.. ..	बरेली
९--पी०एन० चतुर्वेदी	.. ..	लखनऊ
१०--सयद शमशाद अहमद	.. ..	नैनीताल
११--माता प्रसाद	.. ..	अल्मोड़ा
१२--गुलाम हुसैन	.. ..	गोरखपुर
१३--डी० सी० दुबे	.. ..	मैनपुरी
१४--रामचन्द्र टकरू	.. ..	एटा
१५--के० पी० बहादुर	.. ..	बुलन्दशहर
१६--आर० के० गोयल	.. ..	मथरा
१७--राजेन्द्र नाथ	.. ..	जौनपूर
१८--राम चरन	.. ..	बलिया
१९--डी० पी० आर्य	.. ..	मिर्जापुर
२०--अनूप सिंह	.. ..	गोंडा
२१--जे० एल० बजाज	.. ..	बहराइच
२२--योगेश चन्द्र	.. ..	पीलीभीत
२३--राजेन्द्र कुमार	.. ..	खीरी
२४--ए० एन० सहगल	.. ..	रामपुर
२५--आर० के० शर्मा	.. ..	फैजाबाद

पुलिस अधीक्षक--सर्वश्री--

१--एच०सी० शाह	.. ..	गोरखपुर
२--के० एल० वत्स	.. ..	फतेहगढ़
३--सी० एल० वसन	.. ..	लखनऊ
४--बी० पी० कपूर	.. ..	इटावा
५--जे० एन० अवस्थी	.. ..	एटा
६--नाथू लाल	.. ..	मिर्जापुर
७--जे० पी० राय	.. ..	वाराणसी
८--के० एस० त्रिपाठी	.. ..	बस्ती
९--एस० एन० घोष	.. ..	सहारनपुर
१०--के० पी० श्रीवास्तव	.. ..	वाराणसी
११--ए० सी० चतुर्वेदी	.. ..	फतेहपुर
१२--आर० सी० दीक्षित	.. ..	वाराणसी

[पुलिस अधीक्षक—]

सर्व श्री—

१३—ए० ए० जैदी	..	..	प्रतापगढ़
१४—के० डी० दीक्षित	..	..	कानपुर
१५—डी० आचार्य	..	..	बिजनौर
१६—त्रिपुरेश त्रिपाठी	..	..	जालौन
१७—बी० एन० शर्मा	..	..	उन्नाव
१८—ओम प्रकाश	..	..	बाराबंकी
१९—ओंकार शर्मा	..	..	हरदोई
२०—आर० पी० दुबे	..	..	बलिया
२१—जे० एस० टिंगल	..	..	फजाबादा
२२—ए० एन० कौल	..	..	लखनऊ
२३—विजय सिंह	..	..	आजमगढ़
२४—टी० एन० मिश्र	..	..	मेरठ
२५—इकबाल कृष्ण	..	..	बुलन्दशहर
२६—वाई० एन० सक्सेना	..	..	मथरा
२७—लक्ष्मण प्रसाद	..	..	कानपुर
२८—आर०सी० दीक्षित	..	..	प्रतापगढ़
२९—आर० पी० सरोज	..	..	लखनऊ
३०—ए० एन० तिवारी	..	..	देवरिया
३१—एस० एस० पवार	..	..	नैनीताल

नत्थी "ग"

(देखिए तारांकित प्रश्न ८५–८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७१ पर)

परिशिष्ट १

१ अगस्त और सितम्बर, १९७० में बाढ़ और अतिवृष्टि से हुयी क्षति का विवरण

जिले का नाम	जीवन हानि		धन हानि				कुल क्षति रु० में स्तम्भ ५, ६ व ७ का योग
	मनुष्य	पशु	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों का मूल्यांकन	फसलों की क्षति का मूल्यांकन	अन्य सम्पदा को हुई क्षति का मल्यांकन	
१	२	३	४	५	६	७	८
				रु०	रु०	रु०	रु०
१—कानपुर	३४	१७७	३५,६६२	४८,१६,५४२	३४,०१,६६६	१,४८,८२०	८३,७०,३३१
२—फतेहपुर	३६	२,६६४	१,२६,१४६	३,१५,५२,२००	२,१६,३६,०००	१४,२१,५००	५,४६,१२, ७००
३—इलाहाबाद	३०	३६७	८८,६३४	४,१६,६४,०८५	३,६६,४४,६००	२५,२२,३००	८,१४,३०,६८५
४—बांदा	३	१६	१६,२२१	३३,०७,७५७	२१,६१,६६३	६,०५,६४४	६,४०,५३,६४१
५—हमीरपुर	१	१२२	८,४१६	१७,००,०००	७८,०५६	१,३३,०००	१६,११,०५६
६—वाराणसी	१	—	६३८	१,२८,४००	३२,२७,०००	—	३३,५५,४००
७—मिर्जापुर	२	३	३१५	६५,१६६	२६,६३,६२०	२६,४८०	३०,५५,५६६
८—बलिया	४	—	१,२८४	४,१५,५५०	१,५०,६७,८००	४,४६,१४०	१,५६,६२,४६०
६—गोरखपुर	३	३	१,६३३	४,४३,३४६	३,१२,५१,०६०	१,१३,३००	३,१६,०७,७३६
१०—बस्ती	—	—	७१३	१,६१,१४०	१,४८,१०,३६४	२५,१६,०००	१,७४,६०,५३४
११—आजमगढ़	२	—	१,०६४	१,२१,०३०	७०,२५,४१०	४००	७१,४६,८४०
१२—देवरिया	—	—	१,३१३	१,६१,७००	५८,५२,६१५	२,०५,०००	६२,१६,३१५

१३--लखनऊ	२९	८७	४८,८०९	१,३८,५०,०३२	१,१६,८८,०००	–	२,५०,५०,०३२
१४--उन्नाव	२३	४९	६८,७६०	२,९८,६६,२००	६३,९९,०००	७,९२,२१७	३,७०,५७,४१७
१५--राय बरेली	२२	९३	१,०६,००९	५,७५,१६,९९४	५,५३,०४,१७९	१४,७४,६१५	११,४२,९५,७८८
१६--सीतापुर	४	१	९९३	९९,३६०	१,२८,१६,५००	–	१,२९,१५,८६०
१७--खीरी	–	–	–	–	९,१७,०००	–	९,१७,०००
१८--फैजाबाद	–	–	८५३	४,०२,४००	३,६१,४०,०००	७,१२,४५०	३,७२,५४,८५०
१९--गोंडा	६	६	१०,६७५	२१,००,०००	२,५०,००,०००	३,७२,०००	२,७४,७२,०००
२०--बहराइच	२	१०	७,९२१	२१,०२,१९५	१,४३,५०,८६०	३,६३,०००	१,६८,१६,०५५
२१--सुल्तानपुर	७	१०	६,९५१	४,७४,२२८	१४,९६,०००	३,४१,२२७	२३,११,४५५
२२--प्रतापगढ़	१७	५५	३८,०००	१,००,००,०००	२,२५,००,०००	१०,०४,०००	३,३५,०४,०००
२३--बाराबंकी	३१	३६	१,११,३०८	१,६४,८३,११७	२,३३,९३,१२०	१९,५१,७००	४,१८,२७,९३७
२४--जौनपुर	१२	२०	११,३१७	१७,२५,०००	२,५०,९०,०००	५,८०,०००	२,७३,९५,२००
२५--गाजीपुर	४	२	२६६	८५,५२०	४२,७३,९००	२५,०००	४३,८४,४२०
योग ..	२७३	३,७२१	६,९४,२३४	२१,९५,४४,६९५	३८,३८,५२,०७९	१,६०,६१,०९३	६७,४९,८७,५६७

परिशिष्ट २

अगस्त और सितम्बर, १९७० में बाढ़ पीड़ितों को दी गयी सहायता का विवरण

जिले का नाम	प्रदत्त सहायता के लिए आवंटन			अन्य सहायता जो दी गई
	अहेतुक सहायता, गृह निर्माण सहायता तथा विद्यार्थियों की फीस के लिए आवंटन	प्रकीर्ण व्यय के लिए आवंटन	तकावी का आवंटन	
१	२	३	४	५
१--कानपुर	१२,१६,०००	१२,०००	४,२५,०००	..
२--फतेहपुर	४४,७३,०००	७,०००	१३,००,०००	..
३--इलाहाबाद	४६,६३,०००	३२,०००	१,५०,०००	पीड़ितों को निःशुल्क औषधि, दुग्ध, चना, गुड़, आटा, तेल, दियासलाई वितरित की गई ।
४--बांदा	१,०६,२५०	६,०००	१,००,०००	प्रभावित ग्रामों में वसूली स्थगित की गई ।
५--हमीरपुर	७,३८,५००	४,५००	३,४०,०००	..
६--वाराणसी	६०,०००	१८,०००	३०,०००	२८ मंझोली नांवों का आवागमन के लिये प्रयोग हुआ ।
७--मिर्जापुर	४६,०००	१०,५००	४०,०००	..
८--जौनपुर	८,७०,०००	३२,०००	२,८०,०००	पीड़ितों को आटा, चावल, दाल, नमक, दियासलाई, तेल, लाई, गुड़, चना बांटा गया ।
९--गाजीपुर	६०,०००	२२,०००	१,३०,०००	१,००० रु० बांटे गए ।
१०--बलिया	१,०२,०००	२६,०००	२,००,०००	१७,८०० रु० में अन्य मदद ।
११--गोरखपुर	३,८३,०००	१,०१,०००	४०,०००	३,६७७ रु० बांध मरम्मत, ९६,६४४ रु० नावों पर व्यय, ५०,००० रु० सड़कों और पुलों पर व्यय ९३,५६०.३५ रु० पैसे लगान में छूट ।

१२--बस्ती	३,४५,०००	३०,०००	१,४०,०००	पीड़ितों को ४,००० रु० की दवा दी गई। प्रधान मंत्री कोष से ४,००० रु० दिए गए।
१३--आजमगढ़	१,८३,०००	७,०००	१,४०,०००	..
१४--देवरिया	१३,७६,०००	८५,०००	१,६०,०००	बलगर गेहूं ४,१२० बोरे बांटा गया।
१५--लखनऊ	१६,२३,०००	१६,०००	३,००,०००	प्रधान मंत्री कोष से २०,००० रु० रेडक्रास मुख्य मंत्री कोष से ६,७०० रु०---------- ४८० कपड़े, २००मी०कपड़े १०,००० टैबलेट।
१६--उन्नाव	४२,५४,०००	६,०००	१,२०,०००	..
१७--राय बरेली	७६,६७,०००	२०,०००	६,५०,०००	..
१८--सीतापुर	३३,०००	५,०००	५०,०००	..
१९--खीरी .	२६,०००	३,०००	६,००,०००	..
२०--फैजाबाद	४६,०००	२,०००	..	१,३२,८६,३६१ रु० की वर्षीय देयों की वसूली प्रभावित क्षेत्रों में स्थगित।
२१--गोंडा	१०,४१,०००	१८,०००		– ४,००० रु० प्रधान मंत्री कोष से और ६,४८,००० रु० वितरित किया जा रहा है।
२२--बहराइच	८,६१,०००	१५,०००	१,००,०००	१८,०६,१०७.६५रु० सरकारी देयों की वसूली स्थगित, १७,००,०००रु० का गृह निर्माण अनुदान, ८०,००० रुपये विद्यार्थियों की फीस बांटने की कार्यवाही हो रही है।
२३--सुल्तानपुर	१,५०,०००	७,०००	५,०००	..
२४--प्रतापगढ़	१५,८६,०००	११,०००	३,००,०००	खाद्यान्न, दुग्ध, पाउडर, मिट्टी का तेल आदि बांटा गया।
२५--बाराबंकी	८,४१,०००	२५,०००	८०,०००	क्रिश्चिएन एसोसिएशन ने ३५० बोरा गेहूं, ८०० गैलन सोयाबीन का तेल बटवाया।
योग	३,२६,६४,७५०	५,२४,०००	६२,१०,०००	

नत्थी 'घ'

(देखिये ता० प्र० १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७४ पर)

बाढ़ एवं कटान से प्रभावित ग्रामों की सूची, तहसील घोसी, विकास खण्ड दोहरीघाट, जिला आजमगढ़

क्रमांक	नाम ग्राम	क्रमांक	नाम ग्राम
१	मूसा डोही	१९	राय पट्टी
२	चक भूसाडोही	२०	माधोपुर
३	परसिया जयरामगिर	२१	नस्लापुर
४	मोलनापुर	२२	जमीन सारंगपुर
५	बुरोहा	२३	सिकरी कोल
६	कुंवर पुरवा	२४	डूंडिया डिलिया
७	चौहानपुर	२५	सूरजपुर
८	मझौवा	२६	रसूलपुर
९	धरमपुर विशुनपुर	२७	रोशनपुर
१०	सिसवा	२८	सरकोरा
११	गजियापुर	२९	इमलीडीह
१२	दुवारी	३०	गौरीडीह
१३	सिनपुर उर्फ मुग्गीचौरी	३१	ताहीरपुर
१४	कचिला नरायनपुर	३२	हरदिया
१५	धवरिया	३३	सदरिया उर्फ सेमरा
१६	रामपुर मु० मलकौली	३४	सरहरा जमीन सरहरा
१७	मुरार मु० लोकया	३५	आराजी देबारा नौली
१८	कमन	३६	किरतपुर
		३७	धनौली रामपुर ।

नत्थी ङ

(देखिये अता० प्र० ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७५ पर)

तहसील का नाम	ग्राम का नाम	जन संख्या सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार	कोड नम्बर
१	२	३	४
करछना तहसील	१—पुरवा खास ..	१०४७	५४५
	२—रामपुर ..	६३०	५५१
	३—मुगारी ..	२४२५	५६०
	४—पनासा उपरहार	३५६७	६१६
	५—चाका ..	११६६	४५६
	६—चक बवेरवा ..	१२८८	४७८
	७—डमोन ..	१०५८	४४२
	८—इरादन गंज ..	६२८	४२१
	९—जारी बाजार ..	६६६	२७१
	१०—महवई ..	६०१	५०३
मेजा तहसील	१—बक चुनु ..	१०३०	११
	२—भढौली ..	१३०६	१६६
	३—कठौली ..	२०१६	८
	४—कोन्वार ..	११७८	२११
	५—राम नगर ..	३६६३	२८
	६—तरौन ..	१३६४	१०
	७—ऊंच डीह ..	२०२६	३३
सोरांव तहसील	१—आदमपुर ..	१३४८	१२४
	२—अलावलपुर ..	१५३६	५७८
	३—आनापुर ..	१२१११	१५१
	४—अधियारो ..	११४६	२६
	५—बरई हरख ..	२२५४	३२६
	६—धीनपुर ..	२८६४	२८८
	७—कन्जिया ..	१४२३	११३
	८—मरखामई ..	८३६	२८१
	९—सुल्तानपुर खास	२१४०	२८२
	१०—थरवई ..	२१४६	४५१
फूलपुर तहसील	१—आरा पट्टी ..	६२६	११
	२—अरवासी ..	१२८८	३१२
	३—बगई खुर्द ..	१०१३	२१२
	४—बीरापुर ..	१०५०	५३८

१	२		३	४
	५—चिलोन्डा	..	९४५	३५०
	६—दलापुर	..	११६६	४४६
	७—धराहरा चकिया		१०५७	३६७
	८—बशमहुआ	..	१००७	२०९
	९—हेतापढ्ढी	..	१३४३	१९३
	१०—हसनपुर	..	७७१	८१
	११—कनेठी	..	१३८३	२३५
	१२—कटका	..	१००२	४६२
	१३—कुशुगुर	..	१३०१	१८६
	१४—लतीफपुर	..	१०१४	३१७
	१५—लिलहट	..	३७९	२५१
	१६—पैगम्बरपुर	..	१२०२	१८७
	१७—पाली	..	६६१	२२९
	१८—पुरूषोत्तमपुर	..	११०९	२०९
	१९—तारडीह	..	१९६७	२३३
	२०—अभईपुर	..	१०१०	१२५
	२१—दमगरहा	..	१२७५	९३
	२२—सिंगरामऊ	..	८३०	३७०
हण्डिया तहसील	१—बजहा मिश्रान	..	१५२८	४४०
	२—बजोती	..	१७९०	८५
	३—बमेला	..	१०८५	५०६
	४—बरहस्ताकला		१०७७	३४६
	५—बर्सागत	..	९७४	२७
	६—बेलासिधमऊ		१०४८	५३८
	७—मगवारा	..	१८२३	३
	८—मिस्की	..	१८११३	४६७
	९—मिस्ती	..	१४४३	६१५
	१०—बिन्दा	..	१०८२	४३३
	११—दमथरहा	..	१३४५	३०४
	१२—धोबहा	..	८५४	३१९
	१३—बुबकीकला		७५१	५०४
	१४—दुलापुर	..	१००६	५०३
	१५—दुमदुमा	..	२२१५	४९८
	१६—हिरामनपुर	..	१०७२	४८५
	१७—जगदीशपुर	..	१२१८	५५
	१८—जरावा	..	१३०९	१६२
	१९—कहरा	..	८२२	१६५
	२०—कटेहरा	..	१२७९	४०४
	२१—खइचा	..	१४२०	५७३
	२२—खानपुर	..	२०१२	११
	२३—केरान	..	११४४	१३

१	२		३	४
हण्डिया तहसील	२४—महुआडीह	..	१२०	१७०
	२५—मलैथू	..	६४५	४७२
	२६—हरीपुर मरों		६५०	३७८
	२७—मिश्री	..	८६६	१८५
	२८—मगरांव	..	२१३२	५०७
	२९—नासिर पट्टी		१००२	५६
	३०—नेदला	..	६३३	८२
	३१—बेगैना	..	६८५	२६२
	३२—राम नगर		१००१	६१६
	३३—राम नाथी		८८७	६१२
	३४—सदरेपुर	..	१००१	२४२

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९३४ पर)

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार। 1908 का अधिनियम संख्या 16 में नयी धारा 18-क का बढ़ाया जाना ।

1—(1) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

2—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 18 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

रजिस्ट्री के लिए दस्तावेजों के साथ उनकी एक सही प्रति संलग्न की जायगी ।

"18-क—(1) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर के लिये उपस्थापित किसी भी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करेगा जब तक कि ऐसे दस्तावेज की एक सही प्रति और धारा 19 में अभिदिष्ट कोई दस्तावेज होने की दशा में उसमें अभिदिष्ट अनुवाद की भी एक सही प्रति साथ न हो ।

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रति कारबन प्रति नहीं होगी, और कागज के केवल एक ओर स्वच्छ रूप से हस्तलिखित, मुद्रित या टंकित होगी, अथवा टंकित विषय की साइक्लोस्टाइल प्रति होगी और वह ऐसे नियमों क अनुसरण में, यदि कोई हो, तैयार की जायगी, जो तदर्थ बनाए जांय, और उसमें नियत रीति से ऐसी घोषणा निहित होगी कि उक्त प्रति, यथास्थिति, दस्तावेज या अनुवाद की सही प्रति है ।"

धारा 52 का संशोधन ।

3—मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—उक्त पुस्तक में दस्तावेज की नकल की जाने के अन्तर्गत उस पुस्तक में उसकी प्रति चिपकाना भी है ।"

धारा 62 का संशोधन ।

4—मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—उक्त रजिस्टर में अनुवाद के उतार लिए जाने के अन्तर्गत उस रजिटर में एसे अनुवाद की प्रति चिपकाना भी है ।"

धारा 69 का संशोधन ।

5—मूल अधिनियम की धारा 69 में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिए जायं, अर्थात्—

(जज) धारा १८-क और १९ के अधीन परिदत्त की जाने वाली प्रतियां और अनुवाद तैयार करने और उन्हें सही तथा विश्वस्त प्रतियां या अनुवाद घोषित करने की रीति का विनियमन करने वाले,

(जजज) दस्तावेज लेखकों को लाइसेंस देने, ऐसे लाइसेंसों को निलम्बित या विखंडित करने, उन शर्तों, जिन पर और प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसे लाइसेंस दिए जायेंगे जो निलम्बित या विखंडित किये जायेंगे, और सामान्यतया, रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किये जाने वाले दस्तावेजों को, ऐसे दस्तावेज लेखकों द्वारा प्रालेखन तथा लेखन से सम्बद्ध, सभी प्रयोजनों की व्यवस्था करनेवाले,

(ज ज ज ज) अनुक्रमणिकाओं और धारा 51 के अधीन रखी गई पुस्तकों की पुनः नकल करने की रीति का विनियमन करने वाले।

धारा 82 का संशोधन।

6—मूल अधिनियम की धारा 82 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(ख) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर को धारा १८–क, धारा १९ या धारा २१ क अधीन किसी कार्यवाही म किसी दस्तावज की मिथ्या प्रति या अनुवाद वा किसी मानचित्र या रेखांक की मिथ्या प्रति साशय परिदत्त करेगा या इस प्रकार मिथ्या घोषणा करगा, अथवा "।

उद्देश्य और कारण

रजिस्ट्रीकर्ता आफिसरों के सम्मुख उपस्थापित किये गये दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण शीघ्रता से किये जाने के लिये यह आवश्यक समझा गया है कि दस्तावेजों के साथ, यथास्थिति, उनकी या अनवाद की एक सही प्रति भी हो, और ऐसी सही प्रतियां रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में विनियोजित पुस्तक या रजिस्टर में फाइल की जायें या चिपकाई जायें ।

अतः रजिस्ट्रीकरण और नियम, १९०८ में एक नयी धारा १८–क बढ़ाने और उसकी कुछ अन्य धाराओं में आनुषंगिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

२––दस्तावेज लेखकों के आचरण को विनियमित करने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक को दस्तावेज लेखकों को लाइसेंसों को निलम्बित वा विखंडित करने आदि के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया जाय । इस प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की धारा ६९ में एक नया खंड (ज ज ज) बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

३––रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों में रखी जानेवाली विभिन्न पुस्तकें और अनुक्रमणिकायें स्थायी अभिलेख हैं, लेकिन सभी सावधानी बरतने के बावजूद उनमें से कुछ निरन्तर प्रयोग तथा जलवायु के प्रभाव से और समय व्यतीत होने के साथ–साथ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं । यह आवश्यक है कि क्षतिग्रस्त पुस्तकों और अनुक्रमणिकाओं की आवश्यकतानुसार फिर से नकल कराई जाय । इस प्रयोजन के लिये अधिनियम की धारा ६९ में एक नया खंड (जजजज) बढ़ाया जा रहा है ।

४––तदनुसार, उक्त अधिनियम को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन करने के लिए यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

बलबीर सिंह,
बिक्रीकर तथा पंजीयन मंत्री ।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९३४ पर)

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) बिधेयक, १९७०
(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों के कार्य संचालन को सुकर बनाने के उद्देश्य से, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ में सीमित अवधि के लिये प्रभावशील कतिपय संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९६५ में अस्थायी संशोधन तथा वैधीकरण ।

२—(१) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, ऐसी अवधि के दौरान जो अनुसूची १ के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट दिनांक से प्रारम्भ होकर तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष व्यतीत होने पर (या ऐसी अल्प अवधि जिसके लिये राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश दे) समाप्त हो, उक्त अनुसूची के स्तम्भ १ और २ में निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होगा और प्रभावी रहा समझा जायगा ।

(२) अनुसूची २ में निर्दिष्ट, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई अथवा की गयी या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, और वे उतने ही वैध समझे जायेंगे तथा सदैव से वैध रहे समझे जायेंगे मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश इसके प्रतिकूल हो ।

अधिनियम में अस्थायी अवधि के लिये परिनियमों का निगमित किया जाना तथा उनका वैधीकरण ।

३—(१) मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (१) के अधीन प्रथम परिनियमावली के रूप में बनायी जाने के लिये तात्पर्यित तथा दिनांक २८ सितम्बर, १९६८ के असाधारण गजट में उसी दिनांक की अलग-अलग विज्ञप्तियां संख्या ग-१ (आर) ४६९९/१५—३९(९)-१९६६ तथा ग-१ (आर) ७५७८/१५-३९(९)-१९६६ के साथ क्रमशः प्रकाशित की गई कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों की परिनियमावली, जिनमें दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६८ के साधारण गजट में उसी दिनांक की विज्ञप्ति संख्या ग-१(र)१०९८८/१५—३९ (९)-६६ के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, १९६८ द्वारा संशोधन तात्पर्यित हुये, (जिन्हें आगे इस धारा में उक्त प्रथम परिनियमावली कहा गया है) एतद्द्वारा ऐसी अवधि के दौरान जो २८ सितम्बर, १९६८ से प्रारम्भ हो कर तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक बर्ष व्यतीत होने पर (या ऐसी अल्प अवधि जिसके लिये राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश दे) समाप्त हो, मूल अधिनियम के

भाग के रूप में अधिनियमित की जाती है, तथा मूल अधिनियम उस सीमा तक जहां तक वे उक्त प्रथम परिनियमावली के उपबन्धों से असंगत हों, ऐसे उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होगा और प्रभावी रहा समझा जायगा ।

(२) उपर्युक्त बनायी गयी उक्त परिनियमावली के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही उपधारा (१) द्वारा यथा अधिनियमित उक्त परिनियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायगी और वे उतने ही वैध समझे जायेंगे तथा सदैव से वैध रहे समझे जायेंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय/डिक्री या आदेश इसके प्रतिकूल हो ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १०, १९७० का निरसन ।

४--कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

अनुसूची '१'

[धारा २ (१) देखिये]

मूल अधिनियम के उपबन्ध	संशोधन जिनके अधीन ये प्रभावी होंगे और प्रभावी रहे समझे जायेंगे	दिनांक जिससे संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव होगा
१	२	३
धारा १२ (४)	शब्द "विद्वत् परिषद्" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिये जायें।	१७ मई, १९६७
धारा १७	निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय:— "प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि धारा १५ के अधीन कोर्ट यथाविधि संघटित न किया जाय, दीक्षान्त समारोह करने तथा धारा ५ के खंड (४) में उल्लिखित व्यक्तियों को उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताओं को प्रदान एवं सम्पादन करने से सम्बन्धित कोर्ट के अधिकारों तथा कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा किया जायेगा।"	८ दिसम्बर, १९६७
	"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि धारा १५ के अधीन कोर्ट यथाविधि संघटित न किया जाय, परिनियम बनाने तथा ऐसे बनाये गये परिनियमों में [किन्तु कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमण-कालीन उपबन्ध) अधिनियम, १९७० की धारा ३ में अभिदिष्ट परिनियमों में नहीं] संशोधन और निरसन के अधिकारों तथा कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, और धारा ३१ के उपबन्ध इन अधिकारों तथा कृत्यों के प्रयोग तथा सम्पादन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।"	इस अधिनियम के प्रारम्भ का दिनांक
धारा १८	निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय:— "(४) जब तक कि उपधारा (१) के अधीन कार्यकारिणी परिषद् संघटित न की जाय, तब तक उसमें निम्नलिखित होंगे :— (१) उपकुलपति, तथा (२) उन्नीस से अनधिक अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर और ऐसे कार्यकाल के लिये जो निर्दिष्ट किया जाय, नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।"	१० मार्च, १९६७

१	२	३
धारा १९ (३)	निकाल दी जाये	.. १७ मई, १९६७
धारा २० (३) तथा (४)	निकाल दी जायें ..	.. १७ मई, १९६७
धारा २६ (४)	शब्द "विश्वविद्यालय की सम्बद्ध विषय की चयन समिति" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिये जायें।	१७ मई, १९६७
धारा ३३ (१)	खंड (ख) तथा (ग) निकाल दये जायें	.. १७ मई, १९६७
धारा ३७ (१)	शब्द "विद्वत् परिषद्" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिये जायें।	१७ मई, १९६७
धारा ३७ (४)	निकाल दी जाये	.. १७ मई, १९६७

अनुसूची २

[धारा २ (२) देखिये]

१—१० मार्च, १६६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग—१—१५४०/पन्द्रह—३६—(७४)—६६, दिनांक १० मार्च, १६६७ के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १६६७।

२—१७ मई, १६६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग—१—२१७७/१५—३६(७४) ६६, दिनांक १७ मई, १६६७ के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, १६६७।

३—१५ जुलाई, १६६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग—१ (आर)—४६३६/१५—३६(७४)—१६६६, दिनांक १५ जुलाई, १६६७ क साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, १६६७।

४—८ दिसम्बर, १६६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग—१—८५६४/१५—३६—ए (१६)—६७, दिनांक ८ दिसम्बर, १६६७ के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, १६६७।

५—७ मई, १६६८ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग—१ (आर) ३६७०/१५—३६(७४) १६६६, दिनांक ७ मई, १६६८ के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १६६८।

६—३१ दिसम्बर, १६६८ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग—१ (र)—६०३५/१५—३६ (६)—६६, दिनांक ३१ दिसम्बर, १६६८ के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, १६६८।

उद्देश्य और कारण

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ की धारा ५० के अधीन राज्य सरकार ने संक्रमणकालीन अवधि के दौरान उत्पन्न हुई कतिपय कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से कुछ आदेश जारी किये थे। उक्त आदेशों के अधीन मूल अधिनियम की कुछ धाराओं को अस्थायी रूप से इसलिये परिष्कृत किया गया था कि उक्त दोनों विश्वविद्यालय अपने अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का संपादन सुचारु रूप से कर सकें। राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों के लिये प्रथम परिनियमावली भी बनायी थी और उनमें से कुछ परिनियमों में कठिनाइयों को दूर करने के अधिकार का प्रयोग करके संशोधन भी किया था। चूंकि, जिन परिस्थितियों में उक्त आदेश तथा परिनियम बनाये गये थे वे आज भी सारवान रूप से अपरिवर्तित हैं, अतः उनके समाप्त होने या अकृतीकरण से कठिनाइयां पैदा होंगी। अतएव, उक्त संशोधनों तथा परिनियमों को, भूतलक्षी प्रभाव से, और भविष्य में सीमित अवधि के लिये पुनः अधिनियमित करने का प्रस्ताव है। इससे विश्वविद्यालय के परिनियम बनाने के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

श्रीपति मिश्र,
शिक्षा मंत्री।

विधान परिषद

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२४३ एल० ए०—१९७१—८४५।